इस्लाम धर्म में शारीरिक पवित्रता और नमाज़ के मसले

लेखक : हकीमुल उम्मत हज़रत
मौलाना अशरफ़ अली थानवी



...क

...ल मआरिफ़ होजाई
...साम (रजिस्टर्ड)

...ांचः मोहल्ला महल
...बन्द-२४७५५४, सहारनपुर उ.प्र. भारत

इस्लाम धर्म में
शारीरिक पवित्रता
और नमाज़ के मसले

लेखकः

हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना

अशरफ़ अली थानवी

हिन्दी अनुवाद के संरक्षक

(मौलाना) सैयद अरशद मदनी

अनुवादक

मुहम्मद सुलेमान एम.ए. बी.एड.

प्रकाशक :

मरकजुल मआरिफ होजाई आसाम (रजिस्टर्ड)

ब्रांच- मरकजुल मआरिफ

मोहल्ला महल देवबन्द - २४७५५४,

सहारनपुर - उ.प्र (भारत)

लेजर टाईप सेटिंग - सिद्धार्थ लेजर कम्पोजर सहारनपुर- ☎ -(25557)

पुस्तक संख्या- 40

पुस्तक का नाम - शारीरिक पवित्रता और नमाज़ के मसले।

लेखक - हकीमुल उम्मतहज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी।

अनुवादक - मुहम्मद सुलेमान (एम.ए. बी.एड़.)

पुस्तक संख्या - 1000

मूल्य - 40.00 (चालीस रुपये)

प्रकाशक :

ब्रांच मरकजुल मआरिफ

मोहल्ला महल देवबन्द - *247554*

पुस्तक मिलने के पते :

1- मरकजुल मुआरिफ़ होजाई - आसाम
2- ब्रांच मरकजुल मआरिफ
   मोहल्ला महल देवबन्द - 247554
2- अल हाफ़िज ट्रेडर्स
   235 [illegible]

इस्लाम धर्म में शारीरिक पवित्रता और नमाज़ के मसले

ब्रांच- मरकजुल मआरिफ
मोहल्ला महल, देवबन्द - २४७५५४
सहारनपुर - उ.प्र. (भारत)

विषय सूची

1. कुछ आवश्यक परिभाषायें
2. जवान होने का वर्णन
3. पानी के प्रयोग से सम्बन्धित आदेश
4. किस पानी से वज़ू करना और नहाना ठीक है और किससे नहीं
5. कुवें के पानी का वर्णन
6. नापाकी के पाक करने का बयान 1
7. जानवरों के झूठे पानी का बयान 2
8. जिन वस्तुओं से इस्तिंजा करना ठीक है 2
9. जिन वस्तुओं से इस्तिंजा ठीक नहीं 2
10. इस्तिंजे का वर्णन 2
11. पेशाब पाखाने के समय जिन बातों से बचना चाहिए 25
12. वज़ू का बयान 26
13. चमड़े के मोज़ों पर मसह करने का वर्णन 31
14. हदसे असगर अर्थात् बेवज़ू होने की दशा के आदेश 35
15. वे वस्तुयें जिन से वज़ू टूट जाती है 36
16. गुसल करने के तरीके का बयान 42
17. हदसे अकबर अर्थात उस नापाकी का बयान जिससे गुसल फर्ज़ होता है 45
18. जिन दशाओं में ग़ुसल वाज़िब है 47
19. जिन दशाओं में ग़ुसल फर्ज़ नहीं 50
20. जिन दशाओं में ग़ुसल सुन्नत है 51
21. जिन दशाओं में मुस्तहब है 51
22. बड़ी नापाकी से सम्बन्धित आदेश 52
23. तयम्मुम का वर्णन 53
24. नमाज़ 61
25. नमाज़ के वक्तों का वर्णन 62
26. नमाज़ की शर्तों का वर्णन 65

27. नमाज़ की शर्तों का वर्णन, पवित्रता के मसले 67
28. अज़ान का वर्णन 69
29. अज़ान व इक़ामत के मसले 70
30. अज़ान और इक़ामत की सुन्नत और मुस्तहब बातें 73
31. कुछ और मसले 75
32. नमाज़ की नीयत करने का वर्णन 76
33. नीयत के मसले 77
34. काबे की और मुहं करने का वर्णन 78
35. क़िबले के मसले 79
36. मर्द के लिए फर्ज़ नमाज़ पढ़ने का तरीका 79
37. स्त्रियों के नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा 81
38. क़ुरान मजीद पढ़ने का बयान 87
39. नमाज़ तोड़ देने वाली बातों का वर्णन 88
40. जो बातें नमाज़ में मकरूह हैं उनका वर्णन 90
41. जिन कारणों से नमाज़ तोड़ देना ठीक है, उनका वर्णन 93
42. तकबीर तहरीमह का वर्णन 94
43. फर्ज़ नमाज़ के कुछ मसले 95
44. नमाज़ के फ़र्जों वाजिबों के सम्बन्ध में कुछ मसले 97
45. नमाज़ की कुछ सुन्नतें 99
46. नमाज़ जिन बातों से मकरूह हो जाती है 100
47. नमाज़ जिन बातों से फ़ासिद (ख़राब) होती है 101
48. नमाज़ में वज़ू टूट जाने का वर्णन 104
49. जमात का बयान 107
50. जमात की तात्विकतायें और लाभ 114
51. जमात के वाजिब होने की शर्तें 115
52. जमात के ठीक होने की शर्तें 117
53. जमात से सम्बन्धित आदेश 124
54. मुक़्तदी और इमाम से सम्बन्धित मसले 126
55. जमात में सम्मिलित होने न होने के मसले 132

57. जुमें के फ़ज़ाइल (महत्ता) 136
58. जुमें के सम्मानार्थ कार्य 139
59. जुमा की नमाज़ की बड़ाई और उस पर विशेष बल 141
60. जुमें की नमाज़ के वाजिब होने की शर्तें 143
61. जुमे की नमाज़ ठीक होने की शर्तें 144
62. जुमे के ख़ुतबे के मसले 145
63. हज़रत मुहम्मद स. का खुतबा जुमे के दिन कैसा होता था 147
64. जुमे की नमाज़ के मसले 151
65. सज्दा सह्व (भूल) का वर्णन 152
66. सह्वा के (भूल) कुछ मसले 158
67. सज्दा तिलावत का वर्णन 158
68. सज्दा तिलावत (क़ुरान पढ़ने) का वर्णन 160
69. क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का वर्णन 163
70. नमाज़.क़ज़ा हो जाने के मसले 166
71. बीमार की नमाज़ के कुछ मसले 166
72. बीमार की नमाज़ का वर्णन 167
73. यात्री की नमाज़ के मसले 169
74. यात्रा में नमाज़ पढ़ने का वर्णन 171
75. तौबा की नमाज़ का वर्णन 175
76. यात्रा की नफ़लें 17
77. सुन्नत और नफ़ल नमाज़ों का वर्णन 176
78. दिन में नफ़ल पढ़ने के कुछ मसले 179
79. तहीयतुल़ मस्जिद 181
80. क़त्ल की नमाज़ 182
81. वित्र नमाज़ का वर्णन 182
82. तरावी का वर्णन 184
83. चन्द्रग्रहण और सूर्य ग्रहण अर्थात् कुसूफ़ और खसूफ़ की नमाज़ 186
84. इस्तिस्क़ा (वर्षा मांगने के लिए) की नमाज़ 187

86. भय की नमाज़ — 193
87. काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ने का वर्णन 194
88. इस्तिख़ारे की नमाज़ का वर्णन 195
89. घर में मौत हो जाने का वर्णन 197
90. नहलाने का वर्णन 198
91. मैयत के ग़ुसल के मसले 200
92. कफ़नाने का वर्णन 202
93. मैयत के कफ़न के कुछ मसले 205
94. जनाज़े की नमाज़ के मसले 205
95. दफ़न के मसले 213
96. जनाज़े के कुछ दूसरे मसले 216
97. यहाँ नमाज़ से या मस्जिद के भवन से सम्बन्ध रखने वाले आदेशों का वर्णन है 219
98. कुछ शब्दों की व्याख्या 221

प्रस्तावना

बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम

मरक़जुल मआरिफ़ होजाई- 'आसाम' एक ऐसी संस्था है जो मानव कल्याण और समाजोद्धार के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक और आर्थिक प्रोग्रामों को चला रही है। परन्तु ये सब कुछ होते हुए इसका एक मुख्य और विशेष कार्य, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी भाषा की उच्च कोटि की पुस्तकों का प्रादेशिक भाषा (आसामी, बंगला, मणिपुरी आदि) में अनुवाद कराकर उनको प्रकाशित कराना है, जिससे ज्ञान और धर्म की वृद्धि और उसका विकास हो सके। परन्तु हमारे देश हिन्दुस्तान की राष्ट्र भाषा हिन्दी है जिससे देश के दूसरे नागरिकों की भांति मुसलमानों की नई नस्ल (पीढ़ी) भी हिन्दी भाषा लिख पढ़ रही हैं इसलिए यह अनिवार्य रूप से अनुभव किया गया कि इस्लाम धर्म की अरबी, उर्दू और फारसी भाषा की पुस्तकों का हिन्दी भाषा में अनुवाद कराकर उसको प्रकाशित कराया जाये।

अल्लाह की कृपा से यह महत्त्वपूर्ण हिन्दी कार्य भी प्रगति की ओर है। प्रस्तुत पुस्तक "इस्लाम धर्म में शारीरिक पवित्रता और नमाज़ के मसले" हिन्दी भाषा में मरकज़ की तीसरी पुस्तक है। इससे पूर्व "इस्लाम धर्म के आधारभूत विश्वास" और आपत्तियों के कारण और उनका इलाज, दो पुस्तकें छप चुकी हैं, रोज़ा, ज़कात, विवाह- तलाक़, खरीदो-फरोख्त और सूद आदि पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं जो इंशा अल्लाह इस पुस्तक के छपने के पश्चात छप जायेंगी।

हिन्दी के इस अनुवाद को जनाब मास्टर मुहम्मद सुलेमान एम.ए., बी. एड़ जो मरकजुल मआरिफ़ के एक कर्मठ कार्यकर्ता है ने सरल हिन्दी भाषा में करने का प्रयत्न किया है अनुवाद में कोई धार्मिक गलती न रह जाये इसलिए इसको हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, दारुल-उलूम में हदीस के उस्ताद ने सुन लिया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर (अच्छा बदला) दे। आमीन।'

इस पुस्तक को तैयार करने में हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी के उर्दू भाषा के 'बहिश्ती ज़ेवर' को बुनियाद बनाया गया है अर्थात् बहिश्ती ज़ेवर के मसलों को ही हिन्दी भाषा में अनुवाद किया गया है। अल्लाह

ताला हज़रत थानवी को जन्नत में स्थान दे। आमीन, सुम्म आमीन।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक से हिन्दी पाठकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचेगा। वस्सलाम।

मुखलिस

(मौलाना) बदरूद्दीन अजमल अली अल कासमी

अध्यक्ष

मरकजुल मआरिफ़ होजाई - आसाम

भारत

मरकज़ के संरक्षक की ओर से

बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम

जब से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। उसी समय से तमाम सृष्टि अपने पालनहार और मालिक के आगे सिर झुकाकर उसकी उपासना में तल्लीन है। अल्लाह फरमाता है -

"क्या तुझे ज्ञात नहीं" कि जो कोई आकाश और पृथ्वी में है सब अल्लाह ही को सज्दा करते हैं और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और पेड़ और चौपाये और अधिक संख्या में मनुष्य भी।"

परन्तु इन विभिन्न प्रकार की सृष्टियों की उपासना और जाप को वही समझ सकता है जिसके ज्ञान का नेत्र अल्लाह ने खोल दिया हो और भौतिक पर्दा उसके सामने से हटा दिया हो।

मनुष्य अपनी श्रेष्ठता और उच्चता अपनी बुद्धि और हृदय के कारण दूसरे जीवधारियों में विशेष स्थान और अन्तर रखता हैं इसलिए उसके वास्ते ऐसी उपासना के तरीके की आवश्यकता थी जो उसके स्वभाव, पद स्थान, उसकी जिम्मेदारी और कर्त्तव्यों के साथ मेल रखती हो। दूसरे शब्दों में उसके लिए ऐसी उपासना की आवश्कता थी जो उसके अस्तित्व और व्यक्तित्व के अनुसार हो और ऐसी वेश-भूषा के अनुरूप हो जो उसके शरीर पर फिट बैठ जाये और सुन्दर भी लगे।

नमाज़ वास्तव में एक ऐसी ही वेश-भूषा है जो उसके अस्तित्व पर पूरी उतर रही है जो न तंग है और न ढीली और न कम, न अधिक। अल्लाह फरमाते हैं।

'हमने प्रत्येक वस्तु को एक विशेष अन्दाज़े पर उत्पन्न किया है।" इसी नियमानुसार इस्लाम में नमाज़ का बड़ा महत्त्व है। इस्लामी शिक्षा के अनुसार नमाज़ बन्दों पर अल्लाह की ओर से सब से बड़ा और परम कर्त्तव्य है और धर्म का स्तम्भ है। मुसलमान और काफ़िर के मध्य अन्तर है। ईमान की रक्षक है। मार्ग दर्शन और परहेज़गारी की आधार-भूत गारन्टी है। बुरे चरित्र से बचाने वाली है।

यह प्रत्येक धनी- निर्धन, बीमार और स्वस्थ, यात्री व स्थिर व्यक्तियों

पर अनिवार्य है। किसी बालिग़ मुसलमान को इससे मुक्त नहीं किया जा सकता। यह अल्लाह के प्रति ऐसा अनिवार्य कर्त्तव्य है जिसके अल्लाह के रसूल भी पाबन्द थे। ऋषि मुनी और अल्लाह के वली का तो कहना ही क्या।

नमाज़ केवल शारीरिक क्रियाओं का नाम नहीं है और न वह कोई ऐसा फौज़ी अनुशासन है जिसमें निश्चय और अधिकार का कोई स्थान ही नहीं होता। बल्कि नमाज़ एक ऐसा कार्य है जिस में शरीर, बुद्धि, हृदय सब सम्मिलित होते हैं। शरीर रूकू और सज्दे करता है तो जीभ पढ़ने और जाप करने में तल्लीन रहती है और बुद्धि विचार और चिन्तन में लगी रहती है तथा हृदय विन्नमता से भर जाता है।

प्रत्यक्ष है कि ऐसी महत्त्वपूर्ण उपासना जिस में बन्दा अपने मालिक और पालनहार से विनती और प्रार्थना में तल्लीन रहता है उसके कुछ नियम, तरीक़े और शर्तें व कर्त्तव्य अवश्य होंगे, इस्लामी शरीअत ने नमाज़ के इन सभी कर्त्तव्यों को बड़े विस्तार से बयान किया है। शरीर, कपड़े, और स्थान का पवित्र होना भी नमाज़ की महत्त्वपूर्ण शर्तों में से एक है। अतः अल्लाह फरमाता है "ए ईमानवालो जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो अपने मुहं और अपने हाथ कुहनियों सहित धो लिया करो और अपने सरों पर मसह कर लिया करो और अपने पैरों को टखनों सहित धो लिया करो और यदि तुम जनाबत (वह नापाकी जिससे ग़ुसल वाज़िब होता है) की दशा में हो तो पूरा शरीर पाक साफ़ कर लो।

सावधानी पूर्वक पवित्रता का यह कार्य यदि सच्चे मन से अल्लाह की प्रसन्नता के लिए किया जाये तो मनुष्य के अन्दर एक प्रकार की जागरूकता चेतना और प्रकाश व सुख शान्ति के स्वीकार करने की योग्यता उत्पन्न कर देता है।

धार्मिक विद्वानों ने पवित्रता की इसी उपयोगिता को सम्मुख रखते हुए इसके मसलों को भी पूरे विस्तार से क़ुरान और हदीस के आधार पर बयान कर दिया है।

हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह० को अल्लाह करवट-करवट जन्नत दे जिन्होंने मुसलमानों के लाभ के लिए 'बहिश्ती-ज़ेवर' में पवित्रता और नमाज़ के तमाम आवश्यक मसलों के बहुत आसान और सरल

उर्दू भाषा में लिख दिया है।

चूंकि आजकल मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग हिन्दी भाषा पढ़ता लिखता है और समझता है और उर्दू भाषा की तनिक भी जानकारी नहीं रखता उन मुसलमानों की सुविधा और उपयोगिता के लिए यह अनिवार्य था कि 'बहिश्ती जेवर' के इन मसलों को हिन्दी भाषा में लिख कर प्रकाशित किया जाये ताकि वे उसको पढ़ और समझ सकें।

प्रस्तुत पुस्तक इसी भावना और हमदर्दी के साथ पेश की जा रही है आशा है इससे हिन्दी पाठक पूरा पूरा लाभ प्राप्त करेंगे।

चूंकि नमाज़ इस्लाम धर्म में सबसे महत्त्वपूर्ण उपासना है इसलिए इमान और विश्वास के पश्चात हम नमाज़ के मसलों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नमाज़ के लिए पवित्रता शर्त है इस कारण नमाज़ के मसलों से पहले पवित्रता प्राप्त करने के मसले ब्यान किये गये हैं और दोनों को इस एक ही पुस्तक "इस्लाम धर्म में शारीरिक पवित्रता और नमाज़ के मसले" में इकट्ठा कर दिया गया है।

अब इस पुस्तक के पश्चात इंशा अल्लाह, जक़ात, रोज़ा, सूद, खरीदो-फरोख्त (क्रय-विक्रय) और शादी विवाह के आवश्यक मसले अलग-अलग पुस्तकों में प्रकाशित किये जायेंगे इनका अनुवाद किया जा चुका है हमें विश्वास है कि हमारी यह योजना मुसलमान स्त्री व पुरूष दोनों के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी - आमीन'

(मौलाना) अरशद मदनी
संरक्षक
ब्रांच मरकज़ुल मआरिफ़
मुहल्ला महल
देवबन्द - २४७५५४
सहारनपुर उ०प्र० (भारत)

अनुवादक की ओर से

बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम

अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी के उर्दू भाषा में लिखित पुस्तक 'बहिश्ती ज़ेवर' के पवित्रता और नमाज़ से सम्बन्धित मसलों को हिन्दी भाषा में लिख कर, हमें आप हज़रात के हाथों में सौंपने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

बहिश्ती ज़ेवर को नागरी लिपि में पहले भी लिखा जा चुका है लेकिन उसमें केवल नागरी लिपि का ही प्रयोग किया गया है भाषा पूर्णतया उर्दू ही है जो हिन्दी भाषा के पाठकों के लिए कठिनाई उत्पन्न करती है।

दूसरी बात उसमें यह है कि किसी एक विषय को कई भागों में विभाजित करके विभिन्न स्थानों पर लिखा गया है। जिससे पाठकों को पूरे विषय की एक साथ जानकारी नहीं हो पाती है।

इस अनुवाद में हमने दोनों बातों को ध्यान में रखा है, अर्थात् अनुवाद को नागरी लिपि और हिन्दी भाषा का रूप देने का प्रयत्न किया गया है। दूसरी बात जो विषय विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए थे उनका सम्पादन करके एक स्थान पर कर दिया गया है। इससे पाठकों को एक ही स्थान पर विषय की पूरी जानकारी मिल जायेगी। भाषा को सरल और सहज रखने का प्रयत्न किया गया है।

यद्यपि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी ने 'बहिश्ती ज़ेवर' को विशेष रूप से मुसलमान स्त्रियों के लिए लिखा है। परन्तु देखने में आया है कि यह पुस्तक जितनी स्त्रियों के लिए उपयोगी है उतनी ही पुरूषों के लिए भी लाभदायक है इसलिए हमने अनुवाद को ऐसा रूप दे दिया है जिससे स्त्री पुरूष दोनों सामान्य रूप से लाभांवित हो सकें।

हिन्दी भाषा के इस अनुवाद को हज़रत मौलाना सैयद अर्शद मदनी साहब दारूलउलूम देवबन्द के हदीस के अध्यापक तथा मरकज़ुल मआरिफ ब्राच देवबन्द के संरक्षक ने शब्द-शब्द सुना है और अपने मूल्यवान सुझाव देकर अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न किया है।

इस पुस्तक के बाद, रोज़ा, ज़कात, ख़रीदो-फरोख्त, सूद और विवाह तलाक की पुस्तकें प्रकाशित की जायेंगी। इन सब पुस्तकों का अनुवाद किया जा चुका है कम्पोज़िंग चल रही हैं।

अन्त में मैं मरकज़ुल मआरिफ़ के अध्यक्ष हज़रत मौलाना बदरूद्दीन अजमल अली अलकासमी का शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया। अल्लाह ताला इनको बहुत अच्छा बदला दे। आमीन्।

विनीत

मुहम्मद सुलेमान

हिन्दी विभाग

मरकज़ुल मआरिफ़

ब्रांच देवबन्द - २४७५५४

सहारनपुर उ०प्र० (भारत)

कुछ आवश्यक परिभाषायें

जानना चाहिए कि अल्लाह के जो आदेश बन्दों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में हैं वे आठ प्रकार के हैं।

(१) फ़र्ज़ (२) वाजिब (३) सुन्नत (४) मुस्तहब (५) हराम (६) मकरूह तहरीमी (७) मकरूह तंज़ीही (८) मुबाह ।

१- **फ़र्ज़** :- वह है जो कतई (द्रढ़ और यक़ीनी) दलील से सिद्द हो और बिना विवशता के इसका छोड़ने वाला अवज्ञाकारी है और यातना का अधिकारी होता है। जो इसका इनकार करे वह काफ़िर है। फ़र्ज़ की दो किस्में हैं (१) फ़र्ज़ एन (२) फ़र्जे किफाया।

फ़र्ज़ एनः- हव है जिस का करना प्रत्येक पर अनिवार्य है और जो कोई इस को मजबूरी के बिना छोड़े वह यातना का अधिकारी है और अवज्ञाकारी है जैसे पांच समय की नमाज और जुमे की नमाज़ आदि।

फ़र्ज़ किफाया :- वह है जिस का प्रत्येक पर करना आवश्यक नहीं बल्कि कुछ लोगों के अदा करने से अदा हो जाता है और यदि कोई भी अदा न करे तो सब गुनहगार होते हैं। जैसे ज़नाज़े की नमाज़ पढ़ना।

२. **वाजिब** : वह है जो ऐसी दलील से सिद्ध हो जो दृढ़ता में उपर्युक्त (फ़र्ज़) से कम हो इस दलील को ज़न्नी दलील कहते हैं। इस का मजबूरी के बिना छोड़ने वाला अवज्ञाकारी है और यातना का अधिकारी है। शर्त यह है कि बिना किसी शंका के छोड़े और जो इसका इनकार करे वह भी अवज्ञाकारी है काफ़िर नही।

३. **सुन्नत** :- वह कार्य है जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिव सल्लम या उनके साथियों ने किया हो। इसकी दो किस्में हैं। (१) सुन्नत मुअक्क़दा (२) सुन्नत ग़ैर मुअक्क़दा।

१- **सुन्नत मुअक्क़दा** :- वह काम है जिसे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिव सल्लम या उनके साथियों ने सदैव किया हो और बिना किसा मजबूरी के कभी न छोड़ा हो। परन्तु छोड़ने वाले पर सख़्ती या चेतावनी न की हो। व्यवहारिक रूप में इसका आदेश भी वाजिब का है अर्थात बिना किसी मजबूरी के छोड़ने वाला और छोड़ने की आदत अपनाने वाला गुनाहगार है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिव सल्लम की सिफ़ारिश से क़यामत के दिन वंचित रहेगा।

हां कभी छूट जाये तो बुराई नहीं। मगर वाजिब के छोड़ने में इसके छोड़ने के मुक़ाबले में गुनाह अधिक है।

२- **सुन्नत ग़ैर मुअक्क़दा** : वह काम है जिसको हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिव सल्लम या उनके साथियों ने किया हो और कभी-कभी बिना किसी मजबूरी के छोड़ भी दिया हो। इसका करने वाला सवाब का अधिकारी है। और छोड़ने वाला यातना का अधिकारी नहीं है। इसको सुन्नत ज़ाइदा भी कहते हैं।

४. **मुस्तहब** :- वह काम है जिसको हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिव सल्लम या उनके साथियों ने किया हो लेकिन सदैव और अधिकता से नही बल्कि कभी-कभी। इसका करने वाला सवाब का अधिकारी है और न करने वाले पर किसी प्रकार का गुनाह नहीं। इसको नफ़िल और मन्दूब भी कहते हैं।

५. **हराम** :- वह पाप है जिससे रोका जाना फर्ज़ की भांति बड़ी दृढ़ दलील से सिद्ध किया गया है और मजबूरी के बिना इसका करने वाला गुनहगार है और इनकार करने वाला काफ़िर है ।

६- **मकरूह तहरीमी** : वह पाप है जो वाजिब की भांति ऐसी दलील से सिद्ध हो जो हराम की भांति बहुत दृढ़ न हो। इसका इनकार करने वाला फ़ासिक़ है जैसे वाजिब का इनकार करने वाला फ़ासिक है। मजबूरी के बिना इसका करने वाला गुनहागार और यातना का अधिकारी है।

७- **मकरूह तंज़ीही** : वह काम है जिसके न करने में सवाब हो और करने में अज़ाब भी न हो।

८- **मुबाह** : वह काम है जिसके करने में सवाब न हो और न करने में अज़ाब न हो

जवान होने का वर्णन

मसला न. १ : जब किसी लड़की को हैज़ आ गया या अभी तक कोई हैज़ तो नहीं आया परन्तु उसको गर्भ रह गया या गर्भ भी नहीं रहा परन्तु सपने में पुरूष के साथ सम्भोग करते देखा और उससे मजा आया और वीर्य निकल आया इन तीनों दशाओं में वह जवान हो गयी। रोज़ा, नमाज़ आदि शरिअत के सभी आदेश उस पर लागू होंगे। यदि इन तीनों बातों में से कोई बात नही पाई गयी परन्तु उस की उम्र पूरे पन्द्रह वर्ष की हो चुकी तब भी वह जवान समझी जाएगी और जो आदेश जवानो पर लागु होते हैं वह उस पर भी लागु होगें।

मसला न. २: जवान होने को शरिअत में बालिग़ होना कहते हैं नौं वर्ष से पहले कोई औरत जवान ही नहीं हो सकती। यदि उसको ख़ून भी आये वह हैज़ नहीं है।

इसी प्रकार सोते या जागते में मर्द को वीर्य निकल आना उसके जवान हो जाने की निशानी है। वीर्य न निकलने की दशा में १५ वर्ष की आयु पर उसको जवान समझ लिया जाये।

पानी के प्रयोग से सम्बन्धित आदेश

मसला न. १ : ऐसे अपवित्र पानी का प्रयोग जिस के तीनों गुण अर्थात स्वाद, गन्ध और रंग अपवित्र वस्तु के मिलने के कारण बदल गये हों किसी प्रकार भी ठीक नहीं। न जानवरों को पिलाना ठीक है, न मिट्टी आदि में डाल कर गारा बनाना ठीक है। यदि तीनों गुण नहीं बदले तो उसका जानवरों को पिलाना मिट्टी में डाल कर गारा बनाना और मकान में छिड़कना ठीक है मगर ऐसे गारे से मस्जिद न लीपी जाये।

मसला न. २ : दरिया नदी और वे तालाब जो किसी की जमीन में न हों और वे कुवाँ जिस को बनाने वाले ने वक्फ़ कर दिया हो तो उस तमाम पानी से आम लोग लाभ उठा सकते हैं किसी को यह अधिकार नहीं कि किसी को पानी के प्रयोग से मना करे या इसके प्रयोग में ऐसा तरीका अपनावे जिससे आम लोगों को नुकसान पहुंचे जैसे कोई व्यक्ति नदीया तालाब से नहर खोद कर लावे और उससे वह नदी

या तालाब सूख जावे या किसी गांव या ज़मीन के डूबने का भय हो तो उपयोग का यह तरीका ठीक नहीं प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि इस नाजायज़ प्रयोग से मना करे।

मसला न. ३ : किसी व्यक्ति की ज़मीन में कुवाँ, स्रोत य हौज़ या नहर हो तो दूसरे लोगों को पानी पीने से या जानवरों को पिलाने से या वज़ू और ग़ुसल और कपड़ा धोने के लिए पानी लेने से या घड़े भरने से, या अपने घर के पेड़ या क्यारी में पानी देने से रोक नहीं सकता क्योंकि इस में सब का हक़ है हाँ यदि जानवरों की अधिकता के कारण पानी समाप्त हो जाने या नहर आदि के खराब हो जाने का भय हो तो रोकने का अधिकार है और यदि अपनी ज़मीन में आने से रोकना चाहे तो देखा जायेगा कि पानी लेने वाले का काम आसानी से दूसरे स्थान से चल सकता है कि नहीं, जैसे कोई दूसरा कुवां आदि एक मील से कम दूरी पर है और वह किसी की ज़मीन भी नहीं है। या उसका काम बन्द हो जायेगा। और तकलीफ़ होगी। यदि इसकी कार्यवाही दूसरे स्थान से हो सके तो ख़ैर नहीं तो उस कुवें वाले से कहा जायेगा कि या तो उस आदमी को अपने कुवें या नहर आदि पर आने की इस शर्त पर आज्ञा दो कि नहर आदि तोड़ेगा नहीं। नहीं तो उसको जितने पानी की आवश्यकता है तुम स्वयं निकाल कर या निकलवाकर उसके हवाले करो। हाँ अपने खेत या बाग़ को उस आदमी की आज्ञा बिना पानी देना दूसरे लोगों को ठीक नहीं। वह इससे रोक सकता है। यही आदेश है स्वयं उगने वाली घास का और जितने भी बिना तने के पौधे है। सब घास में आते हैं हाँ तनेदार पेड़ ज़मीन वाले की मिलकियत है।

मसला न. ४ : यदि एक आदमी दूसरे के कुवे या नहर से खेत को पानी देना चाहे और वह कुयें या नहर वाला उससे कुछ कीमत ले तो ठीक है या नही? इसमें अलग-अलग विचार है । बल्ख़ के विद्वानों ने ठीक होने की राय दी है।

मसला न. ५ : दरिया तालाब और कुयें आदि से जो व्यक्ति अपने किसी बर्तन में जैसे घड़ा, मश्क आदि में पानी भर ले तो वह उस पानी का मालिक हो जायेगा। उस पानी से बिना उस व्यक्ति की आज्ञा के किसी को प्रयोग करना ठीक नहीं हाँ यदि प्यास से बेचैन हो जाये तो जबरदस्ती भी छीन लेना ठीक है जब कि पानी वाले की आवश्यकता से अधिक हो। मगर इस पानी का तावान देना पड़ेगा।

मसला न. ६ : लोगों के पीने के लिए जो पानी रखा हो जैसे गर्मियों में रास्तों पर पानी

रख देते है उससे वज़ू और ग़ुसल ठीक नही हां यदि अधिक हो तो बुराई नहीं और जो पानी वज़ू के लिए रखा हो उसको पीना ठीक है।

मसला न. ७: यदि कुवें में एक दो मेंगने गिर जाये और वे साबुत निकल जायें, कुवाँ नापाक नहीं होता चाहे वह कुवां जंगल का हो या बस्ती का और उसकी मन हो या न हो।

किस पानी से वज़ू करना और नहाना ठीक है और किससे नही।

मसला न. १: आकाश से बरसे हुए पानी और नदी नाले स्रोत, कुवें दरिया और तालाब के पानी से वज़ू और ग़ुसल करना जायज़ है। चाहे मीठा पानी हो खारा पानी।

मसला न. २ : किसी फल या वृक्ष या पत्ते से नुचड़े हुए रस से वज़ू करना जायज़ नहीं। इसी प्रकार जो पानी तरबूज से निकले उससे और गन्ने आदि के रस से वज़ू और ग़ुसल करना जायज़ नहीं।

मसला न. ३ : जिस पानी में कोई दूसरी वस्तु मिल गयी हो या पानी में कोई वस्तु पका ली ह़ो और ऐसा हो गया हो कि बोल चाल में उसको पानी नहीं कहते बल्कि उसका नाम कुछ और हो गया तो उससे वज़ू ग़ुसल करना जायज़ नहीं। उदाहरण स्वरूप शर्बत, शीरा, शोरबा और सिरका गुलाब का अर्क और अर्क़ केवड़ा आदि कि इनसे वज़ू करना जायज़ नही।

मसला न. ४ : जिस पानी में कोई पाक वस्तु गिर गयी और पानी के रंग या स्वाद में कुछ अन्तर आ गया लेकिन वह वस्तु पानी में पकाई नहीं गयी न पानी के पतला होने में कुछ अन्तर आया जैसे कि बहते पानी में रेत मिल गया या पानी में जाफरान मिल गया और उसका थोड़ा सा रंग आ गया या साबुन पड़ गया या इसी प्रकार की कोई वस्तु पड़ गयी तो इन सभी दशाओं में वज़ू और ग़ुसल जायज़ है।

मसला न. ५ : यदि कोई वस्तु पानी में डाल कर पकाई गयी उससे रंग मजा आदि बदल गया तो उस पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं है। यदि ऐसी वस्तु पकाई गयी जिससे मैल कुचैल सब साफ़ हो जाता है और उसके पकाने से पानी गाढ़ा नहीं होता तो उससे वज़ू करना जायज है जैसे मुर्दे को नहलाने के लिए बेरी के पत्ते पकाये जाते हैं। तो उस में कुछ हानि नहीं हाँ यदि इतने अधिक डाल दें कि पानी गाढ़ा हो जाये तो उससे वज़ू और ग़ुसल जायज़ नहीं।

मसला न. ६ : कपड़ा रंगने के लिए यदि जाफरान धोला या रंग की पुड़िया धोली तो उससे वज़ू जायज़ नहीं।

मसला न. ७ : यदि पानी में दूध मिल गया तो यदि दूध का रंग पानी में भली भांति आ गया तो वज़ू ज.यज़ नहीं और यदि दूध बहुत कम था कि रंग नहीं आया तो वज़ू जायज़ है।

मसला न. ८ : जंगल में कहीं थोड़ा पानी मिला तो जब तक उसकी नापाकी का विश्वास न हो जाये तो उससे वज़ू कर लेवे केवल शंका पर वज़ू न छोड़े कि सम्भव है नापाक हो। यदि उसके होते हुए तयम्मुम करेगा तो तयम्मुम न होगा।

मसला न ९ : किसी कुवें आदि में वृक्ष के पत्ते गिर पड़े और पानी में बदबू आने लगी और रंग मजा भी बदल गया तो भी उससे वज़ू करना जायज़ है जब तक कि वह पानी रहे।

मसला न. १० : जिस पानी में नापाकी पड़ जाये उससे वज़ू और ग़ुसल कुछ भी जायज़ नहीं चाहे वह नापाकी थोड़ी हो या बहुत हो हां यदि बहता हुआ जल हो तो वह नापाकी के पड़ने से नापाक नहीं होता। जब तक उसके मज़े रंग या बू में अन्तर न आ जावे। और जब नापाकी के कारण रंग मजा बदल गया या बदबू आने लगी तो बहता हुआ पानी भी नापाक हो जायेगा। इससे वज़ू जायज़ नही। जो पानी तिन के घास फूस पत्थर आदि को बहा ले जावे वह बहता पानी है चाहे कितना ही धीरे धीरे बहता हो।

मसला न. ११: बड़ा भारी हौज़ जो दस हाथ लम्बा और दस हाथ चौड़ा और इतना गहरा हो कि यदि चुल्लू से पानी उठायें तो ज़मीन न खुले यह भी बहते हुए पानी के समान है यदि इसमें ऐसी नापाकी पड़ जाये जो पड़ जाने के बाद दिखाई न दे जैसे पेशाव, रक्त, शराब, आदि तो चारों ओर वज़ू करना जायज़ है जिधर चाहो वज़ू करो। परन्तु यदि ऐसी नापाकी पड़ जाये जो दिखाई देती है। जैसे मुर्दा कुत्ता,तो जिस ओर पड़ा है। वहां वज़ू न करे इसके सिवा जिधर चाहे करेहां इतने बड़े हौज़ में इतनी नापाकी पड़ जाये कि रंग या मज़ा बदल जाये या बदबू आने लगे तो नापाक हो जायेगा।

मसला न. १२ : यदि बीस हाथ लम्बा या पांच हाथ चौड़ा या पच्चीस हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा हो तो वह भी उपयुक्त हौज़ जैसा ही है।

मसला न. १३ : मकान की छत पर नापाकी पड़ी है और पानी बरसा पर नाला चला

तो यदि आधी या आधी से अधिक छत नापाक है तो वह पानी नापाक है। और यदि छत आधे से कम नापाक है तो वह पानी पाक है और यदि नापाकी पर नाले के पास ही हो और इतनी हो कि तमाम पानी उससे मिलकर आता हो तो वह नापाक है।

मसला न. १४ : यदि पानी धीरे धीरे बहता हो तो बहुत जल्दी-जल्दी वज़ू न करे ताकि जो धोवन गिरता है वही हाथ में न आ जावे।

मसला न. १५ : यदि कोई काफ़िर या लड़का, बच्चा अपना हाथ पानी में डाल दे तो पानी नापाक नहीं होता हां यदि पता लग जाये कि इस के हाथ में नापाकी लगी थी तो नापाक हो जावेगा लेकिन छोटे बच्चे का कोई विश्वास नहीं इसलिय जब तक कोई और पानी मिले उसके हाथ डाले पानी से वज़ू करना अच्छा नहीं।

मसला न. १६ : जिस पानी में ऐसी जानदार वस्तु मर जाये जिस में बहता हुआ रक्त नही होता या बाहर मरकर पानी में गिर पड़े तो पानी नापाक नही होता। जैसे मच्छर मक्खी, भिड़, ततैया, बिच्छू, शहद की मक्खी या इसी प्रकार की दूसरी जो वस्तु हो।

मसला न. १७ : जिस वस्तु का जन्म पानी का हो और हर समय पानी में रहती हो उसके मर जाने से पानी नापाक नहीं होता पाक ही रहता है। जैसे मछली मेंढक, कछवा, केकड़ा आदि और यदि पानी के अतिरिक्त और किसी वस्तु में मर जाय जैसे सिरका, शीरा, दूध आदि तो वह भी नापाक नहीं होता। खुश्की का मेंढ़क और पानी के मेंढ़क दोनों का एक ही आदेश है अर्थात न उसके मरने से पानी नापाक होता है और न उसके मरने से लेकिन यदि खुश्की के किसी मेढ़क में रक्त होता हो तो उसके मरने से पानी आदि नापाक हो जाता है।

चेतावनी : पानी के मेंढ़क की पहचान यह है कि उसकी उंगलियों के बीच में झिल्ली लगी होती है और खुश्की के मेंढ़क की उंगलियाँ अलग-अलग होती है।

मसला न. १८: जो वस्तु पानी में रहती हो लेकिन उसका जन्म पानी का न हो उसके मर जाने से पानी नापाक हो जाता है जैसे बतख़ और मुर्ग़ाबी इसी प्रकार यदि मेंढ़क मर कर पानी में गिर जाय तो भी नापाक हो जाता है।

मसला न. १९ : मेढ़क कछवा आति यदि पानी में मरकर बिलकुल गल जाये और कण कण हो जावे और पानी में मिल जावे तो भी पानी पाक है लेकिन उसका पीना

और उससे खाना पकाना ठीक नहीं हां वज़ू ग़ुसल कर सकता है।

मसला न. २० : धूप के जले हुए पानी से सफेद दाग़ हो जाने का भय है इस लिए उससे वज़ू और ग़ुसल न करे।

मसला न. २१ : मुर्दार की खाल को जब धूप में सुखा डालें या कुछ दवा आदि लगा कर ठीक करलें कि पानी समाप्त हो जावे और रखने से खराब न हो तो पाक हो जाती है उस पर नमाज़ पढ़ना ठीक है। और मश्क आदि बना कर उसमें पानी रखना भी ठीक है लेकिन सुवर की खाल पाक नहीं होती बाक़ी सब जानवरों की खालें पाक हो जाती है मगर आदमी की खाल से काम लेना और प्रयोग करना बहुत पाप है।

मसला न. २२ : कुत्ता, बन्दर बिल्ली शेर आदि जिनकी खाल बनाने से पाक हो जाती है बिस्मिल्लाह कह कर जबह करने से भी खाल पाक हो जाती है चाहे बनाई हो या बे बनाई हो। अलबत्ता जबह करने से उनका गोश्त पाक नहीं होता और उनका खाना भी जायज़ नहीं है।

मसला न. २३: मुर्दार के बाल और सींग और हड्डी और दान्त ये तमाम वस्तुयें पाक हैं यदि पानी में गिर जायेंगें नापाक न होगा। हां यदि हड्डी और दान्त आदि पर उस मुर्दार जानवर की कुछ चिकनाई आदि लगी हो तो वह नापाक है और पानी भी नापाक हो जायेगा।

मसला न. २४ : आदमी की हड्डी और बाल भी पाक है लेकिन उनका प्रयोग करना और काम में लाना जायज नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक गाड़ देना चाहिए।

कुवें के पानी का वर्णन

मसला न. १: जब कुवें में कुछ नापाकी गिर पड़े तो कुवें का पानी नापाक हो जाता है और पानी खींचडालने से पाक हो जाता है। चाहे थोड़ी नापाकी गिरे या अधिक सारा पानी निकालना चाहिए। जब तमाम पानी निकल जावेगा। तो पाक हो जायेगा कुवें के अन्दर की दीवारें और कंकर आदि धोने की आवश्यकता नहीं वे सब आप ही आप पाक हो जायेगी। इसी प्रकार रस्सी डोल जिससे पानी निकाला है कुवें के पाक हो जाने से आप ही आप पाक हो जावेंगें। इन दोनों को भी धोने की आवश्यकता नहीं।

चेतावनी : सब पानी निकालने का मतलब यह है कि इतना निकाले कि पानी टूट जावे और आधा डोल भी न भरे।

मसला न. २ : कुवें में कबूतर या चिड़िया की पींट गिर गयी तो नापाक नहीं हुआ और मुर्गी बतख़ की बींट से कुवां नापाक हो जाता है। जिससे सारा पानी निकालना वाज़िब है।

मसला न. ३ : यदि आदमी कुत्ता या बकरी, या इसी के बराबर कोई और जानवर गिर कर मर जाये तो सारा पानी निकालना आवश्यक है। यदि बाहर मर कर कुवें में गिरे तब भी यही आदेश है कि तमाम पानी निकाला जाये।

मसला न. ५ : यदि कोई जानदार वस्तु कुवें में मर जाये। और फूल जावे या फट जाये उस समय भी सब पानी निकाला जाये। चाहे छोटा जानवर हो या बड़ा। अर्थात चूहा या चिड़िया मर कर फूल गयी या फट गयी तो सब पानी निकालना चाहिए।

मसला न. ६ : यदि चूहा, चिड़िया या इसी के बराबर कोई और वस्तु गिर कर मर गयी और फूली फटी नहीं तो बीस डोल निकालना आवश्यक है। यदि तीस निकाल दें तो बहुत अच्छा है परन्तु पहले चूहा आदि को निकाल लें इसके पश्चात पानी को निकाल लें। यदि चूहा आदि न निकाला तो वह पानी निकालना कुछ लाभ कारी नहीं चूहा निकालने पर फिर इतना ही पानी निकालना पड़ेगा।

मसला न. ७ : बड़ी छपकली जिस में बहता हुआ रक्ता होता है। उसका आदेश भी यही है। कि यदि मर जाये और फूले फटे नहीं तो बीस डोल निकालने चाहिए और तीस डोल निकालना अच्छा है। जिसमें बहता हुआ ख़ून नहीं होता उसके मरने से पानी नापाक नहीं होता।

मसला न. ८ : यदि कबूतर या मुर्गी या बिल्ली या इसी के बराबर कोई वस्तु गिर कर मर जावे और फूले नहीं तो चालीस डोल निकालना वाजिब है। और साठ डोल निकालना बहुत अच्छा है।

मसला न. ९ : जिस कुवें पर जो डोल पड़ा रहता है उसी के हिसाब से निकालना चाहिए और यदि इतने बड़े डोल से निकाला जिस में बहुत पानी समाता है। तो उसका हिसाब लगा लेना चाहिए यदि उस में दो डोल पानी आता है। तो दो डोल समझे जायेंगे। यदि चार डोल आते हैं तो चार डोल पानी समझना चाहिए। मतलब यह हैं जितने डोल पानी उसमें आता है। उसी हिसाब से खींचा जायेगा।

मसला न. १० : यदि कुवें में इतना बड़ा स्रोत है कि सब पानी नहीं निकल सकता जैसे जैसे पानी निकालते हैं वैसे वैसे ही बढ़ता चला जाता है। तो जितना पानी उस

में उस समय है अंदाज़ करके उतना पानी निकाल डाले।

चेतावनी : पानी का अन्दाज़ा करने की कई शक्लें हैं एक यह की पांच हाथ पानी है तो एक दम लगातार १०० डोल पानी निकाल कर देखो कि कितना पानी कम हूआ यदि एक हाथ कम हुआ तो बस इसी से हिसाब लगा लो १०० (सौ) डोल में एक हाथ तो पांच सौ डोलों में पाच हाथ पानी निकल जावेगा। दूसरे यह कि जिन लोगों को पानी की पहचान हो और उसका अन्दाज़ा आता हो ऐसे दो सज्जन मुसलमानों से अन्दाज़ा करा लो जितना वे कहें निकल वा दो और जहां यह दोनों बातें कठिन हों वहां तीन सौ डोल निकलवालें।

मसला न. ११ : कुवें में मरा हुआ चूहा या कोई और जानवर निकला और यह मालूम नहीं कि कब से गिरा है और अभी फूला फटा भी नहीं तो जिन लोगों ने उस कुवें से वज़ू किया एक दिन रात की नमाज़े दौहरा दें (दो बारा पढ़े) और इस पानी से जो कपड़े धोयें उनको दो बारा धोना चाहिए यदि फूल गया है या फट गया है। तो तीन दिन और तीन रात की नमाज़े दो बारा पढ़नी चाहिए। हां जिन लोगों ने इस पानी से वज़ू नही की है वह न दोहरायें यह बात तो सावधानी की है नहीं तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि जब से कुवें का नापाकहोनाज्ञात हुआ है उसी समय से नापाक समझें उससे पहले तमाम वजूऔरनमाज़ें ठीकहैं यदि उस के अनुसार करें तो भी ठीक हैं।

मसला न. १२ : जिस को नहाने की आवश्यकता है वह डोल ढूंडने कुयें में उतरा उस के शरीर और कपड़े पर नापाकी नहीं है तो कुवां नापाक न होगा। ऐसे ही यदि काफ़िर उतरे और उसके शरीर या कपड़े पर नापाकी नहीं लगी है उस समय भी कुवां पाक है हाँ यदि नापाकी लगी है तो कुवाँ नापाक हो जावेगा और तमाम पानी निकालना पड़ेगा और यदि आशंका हो कि ज्ञात नहीं कि कपड़ा पाक है या नापाक तब भी कुवां पाक समझा जायेगा लेकिन यदि मन की संतुष्टी के लिए बीस या तीस डोल निकलवा दें तब भी कोई बुराई नहीं।

मसला न. १३ : कुवें में बकरी या चूहा गिर गया और जीवित निकल आया तो पानी पाक है कुछ न निकाला जाये।

मसला न. १४ : चूहे को बिल्ली ने कपड़ा और उसके दान्त लगने से घायल हो गया फिर उससे छूट कर उसी दशा में खून से भरा हुआ कुयें में जा पड़ा तो सारा पानी निकाला जायेगा।

मसला न. १५ : चूहा गंदगी से भरा हुआ कुयें में जा पड़ा तो कुयें का सारा पानी निकाला जायेगा। चूहा कुवें में चाहे मर जावे या जीवित निकले।

मसला न. १६ : चूहे की पूंछ कटकर कुयें में गिर गयी तो सारा पानी निकाला जायेगा। इसी प्रकार वह छपकली जिस में बहता हुआ ख़ून होता है उसकी पूंछ गिरने से भी तमाम पानी निकाला जायेगा।

मसला न. १७: जिस वस्तु के गिरने से कुवाँ नापाक हुआ है यदि वह वस्तु प्रयत्न करने पर भी न निकल सके तो देखना चाहिए कि वह वस्तु कैसी है। यदि वह वस्तु ऐसी है कि वह स्वयं तो पाक होती है लेकिन नापाकी लगने से नापाक हो गयी है जैसे नापाक कपड़ा, नापाक गेंद नापाक जूता तब उसका निकालना माफ़ है वैसे ही पानी निकाल डाले। यदि वह वस्तु ऐसी है कि स्वयं नापाक है जैसे मुर्दा जानवर चूहा आदि तो जब तक विश्वास न हो जाये कि वह गल सड़ कर मिट्टी हो गया उस समय तक कुवां पाक नहीं हो सकता और जब यह विश्वास हो जावे उस समय सारा पानी निकाल देवें। तो कुवाँ पाक हो जावेगा।

मसला न. १८ : जितना पानी कुवें में से निकालना आवश्यक है चाहे थोड़ा-थोड़ा कई बार निकाले चाहे एत दम कुवां पाक हो जायेगा।

नापाकी के पाक करने का बयान

मसला न. १ : नापाकी दो प्रकार की होती है।

१. वह जिसकी नापाकी अधिक कठोर हो। थोड़ी सी लग जाये तब भी धोने का आदेश है।

२. वह जिसकी नापाकी जरा कुछ कम और हलकी हो।

मसला न. २ : रक्त और मनुष्य का मलमूत्र, वीर्य और शराब और कुत्ते बिल्ली का मल मूत्र और सुवर का मांस बाल और हड्डी उसकी तमाम वस्तुयें। घोड़े गधे, खच्चर की लीद, गाय, बैल, भैंस आदि का गोबर। बकरी भेड़ की मींगनें, तात्पर्य यह कि सब जानवरों का मल और मुर्गी बतख़ की बींट, गधे खच्चचर और सब हराम जानवरों का मूत, ये सब पहले प्रकार की नापाकी है।

मसला न. ३ : छोटे दूध पीते बच्चे का मल मूत्र भी कठोर नापाकी है।

मसला न. ४ : हराम पक्षियों की बींट और हलाल जानवरों का मूत जैसे गाय भैंस आदि व घोड़े का पेशाब दूसरे प्रकार की नापाकी हैं।

मसला न. ५ : मुर्गी, बतख़, मुर्गाबी, के अतिरिक्त दूसरे हलाल पक्षियों की बींट जैसे कबूतर, चिड़िया मैना आदि और चमगादड़ की बींट और मूत भी पाक है।

मसला न. ६ : कठोर नापाकी में से यदि पतली और बहने वाली वस्तु कपड़े या शरीर में लग जाये और उसका फैलाव रूपय के बराबर या उससे कम हो तो माफ़ है। उसको धोये बिना यदि नमाज़ पढ़ लें तो नमाज़ हो जायेगी परन्तु न धोना और इसी प्रकार नमाज़ पढ़ते रहना मकरूह है और बूरा है और यदि रूपये से अधिक हो तो वह माफ़ नहीं। उसके धोये बिना नमाज़ न होगी। यदि कठोर नापाकी में से गाढ़ी वस्तु लग जाये जैसे पाखाना या मुर्गी आदि की बींट, तो यदि वज़न में साढ़े चार ग्राम या उससे कम हो तो धोये बग़ैर नमाज़ ठीक है। यदि उससे अधिक लग जाये तो बिना धोये नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं।

मसला न. ७ : यदि नम्बर दो की नापाकी कपड़े या शरीर पर लग जाये तो जिस भाग में लगी है। यदि उसके चौथाई से कम हो तो माफ़ है और यदि पूरा चौथाई या उससे अधिक हो तो माफ़ नहीं अर्थात आसतीन में लगी है तो आसतीन की चौथाई से कम हो। यदि कली में लगी है तो उसकी चौथाई से कम हो। यदि दोपट्टे में लगी है तो उसकी चौथाई से कम हो तब माफ़ है। इसी प्रकार यदि नम्बर दो की नापाकी हाथ में लगी है तो हाथ की चौथाई से कम हो तब माफ़ है। मतलब यह है कि शरीर के जिस अंग में लगे उसकी चौथाई से कम हो और यदि चौथाई से कम न हो तो माफ़ नहीं उसका धोना वाजिब बिना धोये नमाज़ ठीक नहीं।

मसला न. ८ : नम्बर एक नापाकी जिस पानी में पड़ जाये तो वह पानी भी नापाक हो जाता है। और यदि नम्बर दो की नापाकी गिर जाये तो पानी भी हलका नापाक हो जाता है। चाहे कम पड़े या अधिक।

मसला न. ९ : कपड़े पर नापाक तेल लग गया और हथेली के गहराव यानी रूपये से कम भी है लेकिन वह एक दो दिन में फैल कर अधिक हो गया तो जब तक रुपये से अधिक न हो माफ़ है और जब बढ़ जाये तो माफ़ नहीं रहा। अब उसका धोना वाजिब है। धोये बिना नमाज़ न होगी।

मसला न. १० : मछली का रक्त नापाक नही है यदि लग जाये तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार मखी मच्छर, खटमल का रक्त भी नापाक नही है।

मसला न. ११ : यदि मूत की छींटे सूई की नोंक के बराबर पड़ जाये और देखने से दिखाई

न दें तो इसका कुछ हरज़ नहीं। धोना वाजिब नहीं।

मसला न. १२ : यदि दल वाली नापाकी लग जाये जैसे टट्टी, रक्त तो इतना धोये कि नापाकी छूट जाये और धब्बा जाता रहे चाहे जितनी बार में छूटे जब नापाकी छूट जायेगी तो कपड़ा पाक हो जायेगा और यदि शरीर में लग गयी हो तो उसका भी यही आदेश है। हाँ यदि प्रथम बार ही में छूट जाये तो दोबार और धो लेना अच्छा है। और यदि दो बार में छूटी है तो एक बार और धोलें। मतलब यह है कि तीन बार पूरे कर लेना अच्छा है।

मसला न. १३ : यदि ऐसी नापाकी है कि कई बार धोने और नापाकी के छूट जाने पर भी बदबू नहीं गयी या कुछ धब्बा रह गया है तब भी कपड़ा पाक हो गया साबुन आदि लगा कर धब्बा छुड़ाना और गन्ध दूर करना आवश्यक नहीं।

मसला न. १४ : और यदि मूत जैसी कोई नापाकी लग गयी जो दल वाली नहीं है तो तीन बार धोयें और हर बार निचोड़ें और तीसरी बार अपनी शक्ति नुसार ज़ोर से निचोड़ें तब पवित्र होगा। यदि भली-भांति ज़ोर से न निचोड़ेगा तो कपड़ा पाक न होगा।

मसला न. १५ : यदि नापाकी ऐसी वस्तु पर लगी है जिसको निचोड़ नहीं सकते जैसे तख़्त, चटाई, ज़ेवर, मिट्टी या चीनी के बर्तन बोतल, जूता आदि तो उसके पाक करने का तरीका यह है कि एक बार धोकर ठहर जायें। जब पानी टपकना बन्द हो जाये फ़िर धोयें फिर जब पानी टपकना बन्द हो जाये फिर धोयें इसी प्रकार तीन बार धोयें तो वह वस्तु पाक हो जायेगी।

मसला न. १६ : जल की भांति जो वस्तु पतली और पाक हो उससे नापाकी को धोना ठीक है इसलिए यदि कोई गुलाब या अर्क़ गाव ज़ुबान या किसी और अर्क़ से या सिर्के से धोयें तो भी वस्तु पाक हो जायेगी परन्तु घी और तेल और दूध आदि किसी ऐसी वस्तु से धोना ठीक नहीं जिसमें चिकनाई हो वह वस्तु नापाक रहेगी।

मसला न. १७ : शरीर या कपड़े पर मनी लग गयी और सूख गयी तो खुरच कर भली भांति मल डालने से पाक हो जायेगा। और यदि अभी सूखी न हो तो केवल धोने से पाक होगा। लेकिन यदि किसी ने पेशाब करके इस्तिंजा नहीं किया था ऐसे समय मनी निकली तो वह मलने से पाक न होगी उसको धोना चाहिए।

मसना ल. १८ : जूते और चमड़े के मौज़े में यदि दलवाली नापाकी लग कर सूख जाये

जैसे गोबर, टट्टी, रक्त, नापाक मिट्टी आदि तो ज़मीन पर खूब रगड़ कर नापाकी छुड़ा डालने से पाक हो जाता है। और ऐसे ही खुरच डालने से भी पाक हो जाता है। और यदि सूखी न हो उस समय भी यदि इतना रगड़ डाले और घिस दें कि नापाकी के निशान भी बाकी न रहें तो पाक हो जायेगा।

मसला न. १९ : यदि मूत की भांति कोई नापाकी जूते या चमड़े के मौज़े में लग गई जो दलदार नहीं है। तो धोयें बिना पाक नहीं होगा।

मसना न. २० : कपड़ा और शरीर केवल धोने से ही पाक होता है चाहे दलवाली नापाकी लगी हो या तरल किसी और प्रकार पाक नहीं होता।

मसना न. २१ : आइना शीशा और छुरी, चाकू चान्दी सोने के आभूषण फूल, तांबे लोहे, गिल्ट आदि की वस्तुयें यदि नापाक हो जायें तो खूब पूंछ डालने और रगड़ डालने या मिट्टी से मांझ डालने से पाक हो जाते हैं। यदि बर्तन पर खुदे फूल हों तो बिना धोये पाक न होगा।

मसला न. २२ :' पृथ्वी पर नापाकी गिर गयी फिर इतनी सूख गयी कि नापाकी का चिन्ह बिल्कुल जाता रहा। न तो नापाकी का धब्बा है न बदबू आती है। तो इस प्रकार सूख जाने से जमीन पाक हो जाती है। परन्तु ऐसी जमीन पर तयम्मुम करना ठीक नहीं, हाँ नमाज़ पढ़ना ठीक है जो ईंटे या पत्थर, चूना या गारे से जमीन में भली-भांति जमा दिये गये हों कि बिना खोदे अलग न किये जा सकते हों उनका भी यही आदेश है कि सूख जाने और नापाकी का चिन्ह न रहने से पाक हो जाते हैं।

मसला न. २३ : जो ईंटें केवल ज़मीन में बिछा दी गयी है। चूना या गारे से उनकी जुड़ाई नहीं की गयी है वे सूखने से पाक नहीं होंगी। उन को धोना पड़ेगा।

मसला न. २४ : जमीन पर ज़मी हुई घास भी सूखने और नापाकी का चिन्ह जाते रहने से पाक हो जाती है। यदि कटी हुई घास है तो बिना धोये पाक न होगी।

मसला न. २५ : नापाक चाकू-छुरी या मिट्टी और तांबे आदि के बर्तन यदि दहकती हुई आग में डाल दिये जायें तो भी पाक हो जाते हैं।

मसला न. २६ : हाथ में कोई नापाक वस्तु लगी थी उस को किसी ने जीभ से तीन बार चाट लिया तो पाक हो जायेगा मगर चाटना मना है। या मां की छाती पर बच्चे की उलटी का दूध लग गया, फिर बच्चे ने तीन बार चूस कर पी लिया वह पाक हो गयी।

मसला न. २७ यदि कोरा बर्तन नापाक हो जाये और वह बर्तन नापाकी को चूस ले तो केवल धोने से पाक न होगा बल्कि उसमें पानी भर दे जब नापाकी का प्रभाव पानी में आ जाये तो गिराकर फिर भर दे। इसी प्रकार बार-बार करते रहें। जब नापाकी का नाम व निशान बिल्कुल जाता रहे न रंग बाकी रहे न बदबू तब पाक होगा।

मसला न. २८: नापाक मिट्टी से जो बर्तन कुम्हार ने बनाये तो जब तक वे कच्चे हैं नापाक हैं जब पका लिये गये तो पाक हो गये।

मसला न. २९: शहद, शीरा या घी, तेल नापाक हो गया तो जितना तेल आदि हो उतना या उससे अधिक पानी डाल कर पकाये। जब पानी जल जाये तो फिर पानी डालकर जलाये इस प्रकार तीन बार करने से पाक हो जायेगा। या यूँ करो कि जितना घी तेल हो उतना ही पानी डालकर हिलाओ जब वह पानी के ऊपर आ जाये तो किसी प्रकार उठा लो। इसी प्रकार पानी मिलाकर तीन बार उठाओं। तो पाक हो जायेगा। यदि घी जम गया हो तो पानी डाल कर आग पर रख दो जब पिंघल जाये तो निकाल लो।

मसला न. ३०: गोबर के उपले और लीद, आदि नापाक वस्तुओं की राख पाक है। और उनका धुंवा भी पाक है। रोटी मे लग जाय तो कुछ बुराई नहीं।

मसला न. ३१ : नापाक रंग में कपड़ा रंगा तो इतना धोयें की साफ़ पानी आने लगे तो पाक हो जायेगा। चाहे कपड़े से रंग छूटे य न छूटे।

मसला न. ३२ : बिछौने का एक कोना नापाक है बाक़ी सब पाक हैं। तो पाक कोने पर नमाज़ पढ़ना ठीक है।

मसला न. ३३ : जिस स्थान को गोबर से लीपा हो या गोबर में मिट्टी मिलाकर लीपा हो वह नापाक है उस पर कोई पाक चीज़ बिछाये बिना नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं।

मसला न. ३४: गोबर से लीपा हुआ स्थान यदि सूख गया हो तो उस पर गीला कपड़ा बिछाकर भी नमाज़ पढ़ना ठीक है। लेकिन वह इतना गीला न हो कि उस स्थान की कुछ मिट्टी छूटकर कपड़े में लग जाये।

मसला न. ३५ : पैर धोकर नापाक पृथ्वी पर चला और पैर का चिन्ह पृथ्वी पर बन गया तो उससे पैर नापाक न होगा हां यदि पैर के पानी से ज़मीन इतनी भीग जायं कि ज़मीन की कुछ मिट्टी या यह नापाक पानी पैर में लग जाय तो पैर

नापाक हो जायेगा।

मसला न. ३६ : नापाक बिछौने पर सोया और पसीने से वह कपड़ा गीला हो गया उसका भी यही आदेश है कि उस का शरीर और कपड़ा नापाक न होगा। हां यदि इतना भीग जाये कि नापाकी बिछौने में से छूट कर शरीर या कपड़े को लग जाये तो नापाक हो जायेगा।

मसला न. ३७ : नापाक मेंहदी हाथों पैरों में लगाई तो तीन बार धोने से हाथ पैर पाक हो जायेंगे। रंग का छुड़ाना आवश्यक नहीं।

मसला न. ३८: नापाक सुर्मा या काजल आंखों में लगाया तो उसका पोंछना और धोना वाजिब नहीं। हां यदि फैल कर आंख के बाहर आ गया तो धोना वाजिब है।

मसला न. ३९ : नापाक तेल सिर में डाला या शरीर में लगा लिया तो नियमानुसार तीन बार धोने से पाक हो जायेगा। खली डाल कर या साबुन लगा कर तेल का छुड़ाना वाजिब नहीं।

मसला न. ४० : कुत्ते ने आटे में मुहं डाल दिया। बन्दर ने झूठा कर दिया तो अगर आटा गुंधा हुआ हो तो जहां मुहं डाला है। इतना निकाल डाले बाक़ी आटा ठीक है।

और यदि सूखा आटा है। तो जहां-जहां उसके मुहं का थूक है निकाल डाले। बाकी सब पाक है।

मसला न. ४१ : कुत्ते का थूक राल नापाक है स्वयं कुत्ता नापाक नहीं सो यदि कुत्ता किसी के शरीर या कपड़े से छू जावे तो नापाक नहीं होता चाहे कुत्ते का शरीर गीला हो या सूखा। हां यदि कुत्ते के शरीर पर कोई नापाकी लगी हो तो दूसरी बात है।

मसला न. ४२ : रूमाली भीगी होने के समय हवा निकले तो उस से कपड़ा नापाक नहीं होता।

मसला न. ४३ : नापाक पानी में जो कपड़ा भीग गया था उसके साथ पाक कपड़े को लपेट कर रख दिया जिससे उस की तरी पाक कपड़े पर आ गयी लेकिन उसमें न तो नापाकी का कुछ रंग आया न बदबू आयी तो यदि पाक कपड़ा इतना भीग गया कि निचोड़ने से एक आध बून्द टपक पड़े या निचोड़ते समय हाथ भीग जावे तो वह पाक कपड़ा भी नापाक हो जायेगा-और यदि इतना न भीगा हो तो पाक रहेगा और यदि मूत आदि से भीगे कपड़े के साथ लपेट दिया जाये

तो जब पाक कपड़े में तनिक सी भी उसकी तरी और उसका धब्बा आ गया तो नापाक हो जायेगा।

मसला न. ४४ : यदि लकड़ी का तख़्ता एक ओर से नापाक है और दूसरी ओर से पाक है तो यदि इतना मोटा हो कि बीच से चिर सके तो उसको पलट कर दूसरी ओर नमाज़ पढ़ सकते हैं और यदि इतना मोटा न हो तो नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं।

मसला न. ४५ : दो तह का कोई कपड़ा है और एक तह नापाक है दूसरी पाक है तो यदि दोनों तहें सिली न हों तो पवित्र तह की ओसे नमाज़ पढ़ना ठीक है और यदि सिली हुई हो तो पाक तह पर भी नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं।

मसला न. ४६ : आनाज गाहते समय अर्थात जब उस पर बैलों को चलाते हैं यदि बैल अनाज पर पेशाब कर दे तो आवश्यकता के कारण वह माफ़ है। अर्थात अनाज इससे नापाक नहीं होता और यदि उस समय के अतिरिक्त दूसरे समय पेशाब करें तो नापाक हो जायेगा इसलिए कि यहां आवश्यकता नहीं।

मसला न. ४७ : किसी दूसरे धर्म वाले खाने की जो वस्तु बनाते हैं उसको और इसी प्रकार उनके बर्तनों और कपड़े आदि को नापाक न कहेंगे जब तक कि उसका अपवित्र होना किसी दलील या संकेत से सिद्ध न हो।

मसला न. ४८ : कुछ व्यक्ति जो शेर आदि की चर्बी प्रयोग करते हैं और उसको पवित्र मानते हैं यह ठीक नहीं है। यदि किसी अच्छे और दीनदार डाक्टर की राय हो कि इस बीमारी का इलाज चर्बी के अतिरिक्त कुछ नहीं तो ऐसी दशा में कुछ विद्वानों के अनुसार ठीक है। परन्तु नमाज़ के समय उसको पाक करना आवश्यक होगा।

मसला न. ४९ : रास्तों की कीचड़ और अपवित्र पानी माफ़ है। शर्त यह है कि कपड़ो और शरीर में नापाकी का प्रभाव ज्ञात न हो। फ़तवा (धर्माज्ञा) इसी प्रकार है। बाक़ी सावधानी यह है कि जिस मनुष्य का बाज़ार और रास्ते में अधिक आना जाना न हो वह इसके लगने से शरीर और कपड़े पाक कर लिया करें चाहे नापाकी का प्रभाव दिखाई भी न दे।

मसला न. ५० : यदि नापाकी जलाई जाये उसका धुवां पाक है। वह यदि जम जाये और उससे कोई वस्तु बनाई जाय तो वह पाक है।

मसला न. ५१ : नापाकी के ऊपर जो धूल मिट्टी हो वह पाक है शर्त यह है कि नापाकी

की तरी ने उसमें प्रभाव करके उसको गीला न कर दिया हो।

मसला न. ५२ : नापाकी से जो गैस उठे वह पाक है फल आदि के कीड़े पवित्र हैं लेकिन उनका खाना ठीक नहीं जबकि उनमें जान पड़ गई हो गूलर आदि सब फ़लों का यही आदेश है।

मसला न. ५३ : खाने की वस्तुएं यदि सड़ जायें और गंध आने लगे तो अपवित्र नहीं होती जैसे गोश्त, हलवा आदि मगर हानि होने के डर से उनका खाना ठीक नहीं।

मसला न. ५४ : कस्तूरी और उसकी कुण्डली पाक है। इसी प्रकार अम्बर आदि भी।

मसला न. ५५ : हलाल जानवर का गन्दा अन्डा पाक है शर्त यह है कि टूटा न हो।

मसला न. ५६ : सोते समय मनुष्य के मुहं से जो पानी निकलता है वह पवित्र है।

मसला न. ५७ : सांप की केंचुली पाक है।

मसला न. ५८ : जिस पानी से कोई नापाक वस्तु धोई जाये वह नापाक है चाहे वह पानी पहली बार का हो या दूसरी बार का परन्तु इन पानियों में अन्तर इतना है कि यदि पहली बार का पानी किसी कपड़े में लग जाये तो वह कपड़ा तीन बार धोने से पाक होगा और यदि पानी दूसरी बार का लग जाये तो केवल दो बार धोने से पाक हो जायेगा। यदि तीसरी बार का लग जाये तो केवल एक ही बार धोने से पाक हो जायेगा।

मसला न. ५९ : मुर्दा मनुष्य जिस पानी से नहलाया जाये वह पानी नापाक है।

मसला न. ६० : सांप की खाल अपवित्र है। अर्थात वह जो उसके शरीर पर लगी है क्योंकि केंचूली पाक है।

मसला न. ६१ : मुर्दा मनुष्य की राल अपवित्र है।

मसला न. ६२ : इकहरे कपड़े में एक ओर इतनी नापाकी लगी है जो माफ़ है और वह दूसरी ओर असर कर जाये और दोनों ओर सीमा से कम हो परन्तु दोनों ओर मिलाकर उस सीमा से बढ़ जाये तो वह कम ही समझी जायेगी। और माफ़ होगी हाँ यदि कपड़ा दौहरा हो या दो कपड़ो को मिलाकर इस सीमा से बढ़ जाये तो वह अधिक समझी जायेगी और माफ़ न होगी।

मसला नं. ६३ : चार पाँच साल का एक लड़का जो वज़ू नहीं समझता वह यदि वज़ू करे या पागल वज़ू करे तो यह प्रयोग किया हुआ पानी नहीं माना जायेगा यह पाक है।

मसला नं. ६४ : दूध दुहते समय दो एक मेंगनी दूध में गिर जायें या थोड़ा सा गोबर दो एक मेंगनी जितना गिर जाये तो माफ़ है। परन्तु शर्त यह है कि गिरते ही निकाल दिया जाये।

मसला नं. ६५ : पाक कपड़ा, बर्तन और दूसरी पाक वस्तुयें जिस पानी से धोयी जायें उससे वज़ू करना और नहाना ठीक है। शर्त यह है कि पानी गाढ़ा न हो जाये और उसको बोल चाल में पानी ही कहते हों। यदि बर्तन आदि में खाने पीने की वस्तु लगी हो तो उसके धोवन से वज़ू करना और नहाना ठीक होने की शर्त यह है कि पानी के तीन गुणों (रंग बू और स्वाद) में से दो गुण बाक़ी हों चाहे एक गुण बदल गया हो। यदि दो गुण बदल जायें तो ठीक नहीं।

मसला न. ६६ : वज़ू के प्रयोग किये हुये पानी का पीना और खाने की वस्तुओं में प्रयोग करना मकरूह है और वज़ू या ग़ुसल इससे ठीक नहीं। हाँ ऐसे पानी से नापाकी धोना ठीक है।

मसला न.६७ : ज़म-ज़म के पानी से बे वज़ू को वज़ू नहीं करना चाहिए और इसी प्रकार वह व्यक्ति जिस को नहाने की आवश्यकता हो उससे नहाये नहीं। इससे नापाक वस्तुओं का धोना इस्तिंजा करना मकरूह है। हाँ यदि मजबूरी हो कि पानी एक मील से पहले न मिल सके। आवश्यक पाकी किसी और प्रकार से भी प्राप्त न हो सकती हो तो यह सब बातें ज़म-ज़म के पानी से कर लेना ठीक है।

मसला न. ६८ : स्त्री के वज़ू और स्नान के बचे पानी से पुरूष को वज़ू और स्नान न करना चाहिए। यद्यपि हमारे विचार में इससे वज़ू आदि ठीक है। मगर इमाम अहमद के विचार में ठीक नहीं। मतभेद से बचना ही अच्छा है।

मसला न. ६९ : जिन स्थानों पर अल्लाह की यातना किसी जाति पर आयी हो जैसे समूद और आद की कौम। उस स्थान के पानी से वज़ू और स्नान न करना चाहिए। ऊपर के मसले की भांति इसमें भी मत भेद है मगर यहाँ भी इमामों के मत भेद से बचना चाहिए। मजबूरी में इस का भी यही आदेश है जो ज़म-ज़म के पानी का है।

मसला न. ७० : तन्दूर यदि अपवित्र हो जायें तो उसमें आग जलाने से पाक हो जायेगा शर्त यह है गर्म हो जाने के पश्चात नापाकी का प्रभाव न रहे।

मसला न. ७१ : अपवित्र ज़मीन पर मिट्टी आदि डालकर नापाकी छिपा दी जाये, इस प्रकार की गन्ध न आये तो मिट्टी के ऊपर का भाग पाक है।

मसला न. ७२ : नांपाक तेल या चर्बी का साबुन बना लिया जाये तो पाक हो जायेगा।

मसला न. ७३ : आपरेशन के स्थान पर या किसी और अंग को जो ख़ून पीप के निकलने से नापाक हो गया हो और धोना हानिकारक हो तो केवल तर कपड़े से पूंछ देना काफी है और आराम होने पर भी उसका धोना अनिवार्य नहीं।

मसला नं. ७४ : नापाक रंग यदि कपड़े में या शरीर में लग जाये या बाल उस नापाक रंग में रंगीन हो जायें तो केवल इतना धोना कि पानी साफ़ निकलने लगे काफ़ी है। यद्यपि रंग न छूटे।

मसला न. ७५ : यदि टूटे हुये दांत को जो टूट कर अलग हो गया हो उसके स्थान पर रख कर जमा दिया जाये चाहे पाक या नापाक वस्तु से और इसी प्रकार यदि कोई हड्डी टूट जाये और उसके बदले कोई नापाक हड्डी रख दी जाये या किसी घाव में नापाक वस्तु भर दी जाये और वह अच्छा हो जाये तो उसको निकालना नहीं चाहिए बल्कि वह स्वयं पाक हो जायेगी।

मसला न. ७६ : ऐसी नापाक वस्तु जो चिकनी हो जैसे तेल, घी, मुर्दार की चर्बी यदि किसी वस्तू में लग जाये और इतनी धोई जाये कि पानी साफ निकलने लगे तो पाक हो जायेगी यद्यपि उस नापाक वस्तु की चिकनाहट बाकी हो।

मसला न. ७७ : नापाक वस्तू पानी में गिरे और उसके गिरने से छींटे किसी पर जा पड़ें तो वह पाक है। शर्त यह है कि नापाकी का कुछ असर इन छींटों में न गिरे।

मसला न. ७८ : दोहरा कपड़ा या रूई का कपड़ा यदि उसके एक ओर नापाकी लग जाये और एक ओर पाक हो तो सारा नापाक समझा जायेगा नमाज़ उस पर ठीक नहीं शर्त यह है कि नापाक ओर का नापाक भाग नमाज़ी के खड़े होने या सजदा करने का स्थान हो और दोनो कपड़े आपस में सिले हुये-हों। और यदि सिले हुए न हों तो एक के नापाक होने से दूसरा नापाक न होगा। बल्कि दूसरे पर नमाज़ ठीक है। शर्त यह है कि ऊपर का कपड़ा इतना मोटा हो कि उसमें से नीचे की नापाकी का रंग और गन्ध प्रकट न होती हो।

मसला न. ७९ : मुर्गी या और कोई चिड़िया पेट चाक करने और उसकी गन्दगी निकालने से पहले पानी में उबाली जाये तो वह किसी प्रकार पाक नही हो सकती।

मसला न. ८० : चान्द या सूर्य की ओर पाखाना या पेशाब के समय मुंह या पीठ करना मकरूह है। नहर या तालाब के किनारे पारवाना पेशाब करना मकरूह है चाहे उसमें गन्दगी न गिरे। इसी प्रकार ऐसे पेड़ के नीचे जिस की छाया में लोग बैठते

हों और इसी प्रकार फल फूल वाले पेड़ के नीचे या जाड़ों में जिस स्थान पर धूप लेने के लिए लोग बैठते हों। जानवरो के बीच में। मस्जिद और ईदगाह के इतने समीप जिसकी गन्ध से नमज़ियों को कष्ट होता हो। कब्रिस्तान में,जहाँ लोग वज़ू ओर ग़ुसल करते हों। रास्ते में। हवा के रूख पर। सूराख में। मार्ग के समीप। काफ़िला या समूह के समीप। मकरूह तहरीमी है।

तात्पर्य यह है कि ऐसे स्थान पर जहां लोग उठते बैठते हों उनको तकलीफ़ होती हो। ऐसे स्थान पर जहां नापाकी अपनी ओर बहकर आती हो। मकरूह है।

जानवरों के झूठे पानी का बयान

मसला न. १ : आदमी का झूठा पाक है चाहे काफिर हो पापी या स्त्री मासिक धर्म से हो या नापाक या जच खाने में हो प्रत्येक दशा में पाक है इसी प्रकार पसीना भी इन सबका पाक है। हाँ यदि उसके हाथ मुंह में कोई नापाकी लगी हो तो इससे वह झूठा नापाक हो जायेगा।

मसला न. २ : कुत्ते का झूठा नापाक है यदि वह किसी बर्तन में मुहं डाल दे तो तीन बार धोने से पाक हो जाता है। चाहे मिट्टी का बर्तन हो चाहे तांबे आदि का धोने से सब पाक हो जाता है। लेकिन अच्छा यह है कि सात बार धोये और एक बार मिट्टी लगा कर मांजे कि खूब साफ़ हो जाये।

मसला न. ३ : सुवर का झूठा भी नापाक है। इसी प्रकार शेर भेड़िया, गीदड़ आदि जितने चीर फाड़ कर खाने वाले जानवर हैं सबका झूठा नापाक है।

मसला न. ४ :बिल्ली का झूठा पाक तो है लेकिन मकरूह है। यदि और पानी होतो इस के झूठे पानी से वज़ू न करें हाँ यदि और पानी न हो तो उस से वज़ू कर ले।

मसला न. ५: दूध सालन आदि में बिल्ली ने मुहं दे दिया तो यदि अल्लाह ने सब कुछ अधिक दिया है तो उसे न खावे और यदि गरीब आदमी है तो खा ले वे इस में कोई हानि नहीं और न पाप है बल्कि ऐसे व्यक्ति के लिए मकरूह भी नहीं।

मसला. न. ६ : यदि बिल्ली ने चूहा खाया और तुरन्त आकर बर्तन में मुहं डाल दिया तो वह नापाक हो जायेगा और जो थोड़ा ठहर कर मुहं डाला यदि अपना मुंह जीब से चाट चुकी तो नापाक न होगा बल्कि मकरूह ही रहेगा।

मसला न. ७ : खुली मुर्गियाँ जो इधर उधर गन्दी वस्तुयें खाती फिरती हैं उनका झूठा मकरूह है और जो मुर्गी बन्द रहती है उसका झूठा मकरूह भी नहीं।

मसला. न. ८ : शिकार करने वाले पक्षी जैसे शिकरा, बाज़ आदि उन का झूठा भी मकरूह है लेकिन जो पालतू हो और मुर्दारिन खाने पाये और न उसकी चोंच में किसी गन्दगी के लगे होने की आशंका हो उसका झूठा पाक है।

मसला न. ९ : हलाल जानवर जैसे मेंढा, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, हरनी आदि और हलाल बक्षी इन सबका झूठा पाक है। इसी प्रकार घोड़े का झूठा भी पाक है।

मसला न. १० : जो हराम वस्तुयें घरों में रहा करती हैं जैसे सांप, बिच्छू, चूहा, छपकली आदि उनका झूठा मकरूह है।

मसला न. ११ : यदि चूहा रोटी, कुतर कर खा गया तो अच्छा यह है कि थोड़ी सी उस स्थान से तोड़ डाले तब खाये।

मसला न. १२ : गधे और खच्चर का झूठा पाक है लेकिन वज़ू होने में शंका है तो यदि कहीं केवल गधे या खच्चर का झूठा पानी मिले और उसके अतिरिक्त और पानी न मिले तो वज़ू भी करे और तयम्मुम भी करे चाहे पहले वज़ू कर ले चाहे तयम्मुम दोनों प्रकार से ठीक है।

मसला न. १३ : जिन जानवरों का झूठा नापाक है उनका पसीना भी नापाक है और जिनका झूठा पाक है उनका पसीना भी पाक है और जिनका झूठा मरूह है उनका पसीना भी मकरूह है। गधे और खच्चर का पसीना पाक है। कपड़े और शरीर पर लग जावे तो धोना वाज़िब नहीं लेकिन धो डालना अच्छा है।

मसला न. १४ : किसी ने बिल्ली पाली और वह पास आकर बैठी है और हाथ पैर आदि चाटती है तो जहां चाटे या उसका थूक लगे उसको धो डालना चाहिए यदि न धोया तो मकरूह और बूरा है।

मसला न. १५ : ग़ैर मर्द का झूठा खाना और पानी पीना स्त्री के लिए मकरूह है जबकी वह जानती हो कि यह उसका झूठा है और यदि ज्ञात नहीं तो मकरूह नहीं।

जिन वस्तुओं से इस्तिंजा करना ठीक है।

पानी, मिट्टी का ढेला, पत्थर, बेकार कपड़ा और समस्त वे वस्तुयें जो पाक हों और नापाकी दूर कर दें शर्त यह है कि माल और सम्मानित न हों।

जिन वस्तुओं से इस्तिन्जा ठीक नहीं

हड्डी, खाने की वस्तु, लीद, तमाम नापाक वस्तुयें, वह नापाक ढेला या पत्थर जिससे एक बार इस्तिंजा हो चुका हो। पक्की ईंट, ठींकरी, शीशा, कोयला, चूना,

लोहा, चान्दी सोना आदि।

ऐसी वस्तुओं से इस्तिंजा करना जो नापाकी को साफ़ न कर सके जैसे सिरका आदि, वे वस्तुएं जिनकों जानवर आदि खाते हों जैसे भुस और घास आदि और ऐसी वस्तुयें जो मूल्यवान हों चाहें थोड़ी कीमत हो या अधिक, जैसे कपड़ा अर्क़ आदि। आदमी के बाल, हड्डी, गोश्त, आदि,मस्जिद की चटाई या कूड़ा झाड़ू आदि, पेड़ों के पत्ते, काग़ज, चाहे लिखा हुआ हो या सादा, ज़म-ज़म का पानी, दूसरे के माल से बिना उस की आज्ञा के चाहे वह पानी हो या कपड़ा या कोई और वस्तू, रूई और तमाम ऐसी वस्तुयें जिन से इंसान या उनके जानवर लाभ उठाते हैं। इन तमाम वस्तुओं से इस्तिंजा करना मकरूह है।

इस्तिंजे का वर्णन

मसला न. १ : जब सोकर उठे, तो जब तक गट्टे तक हाथ न धोले तब तक हाथ पानी में न डाले चाहे हाथ पाक हो या नापाक हो। यदि पानी छोटे बर्तन में रखा है जैसे लोटा आदि तो उसको बायें हाथ से उठाकर दाहिने हाथ पर डाले और तीन बार धोये फिर बर्तन दाहिने हाथ में लेकर बायें हाथ को तीन बार धोये और यदि पानी छोटे बर्तन में न हो बड़े मटके आदि में हो तो किसी प्याले आदि से निकाल लेवे, लेकिन उंगलियाँ पानी में न डूबें यदि प्याला आदि कुछ न हो तो बायें हाथ की चुल्लू बना ले और पानी निकाले परन्तु जहाँ तक हो सके उंगलियाँ अधिक न डूबें और पानी निकाल कर पहले दाहिना हाथ धोये। जब वह धुल जाये तो दाहिना हाथ चाहे जितना डाले। और पानी निकाल कर बायां हाथ धोये। यह नियम हाथ धोने का उस समय है जब हाथ नापाक न हों और यदि हाथ नापाक हैं तो कभी भी मटके में हाथ न डाले बल्कि किसी दूसरे साधन से पानी निकाले कि नापाक न होने पाये। उदाहरण स्वरूप पाक रूमाल डालकर निकाले इस प्रकार जो पानी की धार रूमाल से निकले उससे हाथ पाक करे या और जिस प्रकार सम्भव हो।

मसला न. २ : जो नापाकी आगे या पीछे के मार्ग से निकले तो उस स्थान को पानी से धोना सुन्नत है।

मसला न. ३ : यदि नापाकी बिल्कुल इधर उधर न लगे और इस लिए पानी से इस्तिंजा न करें बल्कि पाक पत्थर या ढेंले से इस्तिंजा कर ले और इतना पूंछ डाले कि

नापाकी जाती रहे। और शरीर साफ़ हो जाये तो भी ठीक है। परन्तु यह बात सफ़ाई के विरुद्ध है। हाँ यदि पानी न हो या कम हो तो विवशता है।

मसला न. ४ : ढेले से इस्तिंजा करने के पश्चात पानी से इस्तिंजा करना सुन्नत है परन्तु यदि नापाकी हथेली की गहराई यानी रुपये से अधिक फैल जाये तो ऐसे समय पानी से धोना वाजिब है। बिना धोये नमाज़ न होगी। यदि नापाकी फैली नहीं, तो केवल ढेले से पाक करके भी नमाज़ ठीक है। परन्तु सुन्नत के विरुद्ध है।

मसला न. ५ : ढेले से इस्तिंजा करने का कोई विशेष तरीका नहीं है बस इतना ध्यान रखें कि नापाकी इधर उधर फैलने न पाये और शरीर ख़ूब साफ़ हो जाये।

मसला न. ६ : पानी से इस्तिंजा करें तो पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो लेवे फिर एकांत में जाकर शरीर ढीला करके बैठें और इतना धोवें कि मन कहने लगे की शरीर पाक हो गया है। हां यदि कोई शंकालू व्यक्ति है कि पानी अधिक प्रयोग करे तो भी मन अच्छी तरह साफ़ नहीं होता तो उसको यह आदेश है कि तीन बार या सात बार धोले बस इससे अधिक न धोये।

मसला न. ७ : यदि कहीं एकान्त का मौक़ा न मिले तो पानी से इस्तिंजा करने के लिए किसी के सामने अपना गुप्तांग खोल कर इस्तिंजा न करें, न मर्द के सामने न स्त्री के सामने ऐसे समय इस्तिंजा न करें। ढेले से इस्तिंजे को काफ़ी समझे और पानी से इस्तिंजा किये बिना नमाज़ पढ़ लें क्योंकि गुप्तांग लोगों के सामने खोलना बड़ा पाप है।

मसला न. ८ : हड्डी और नापाकी जैसे गोबर, लीद आदि और कोयला व कंकर और शीशा और पक्की ईंट और खाने की वस्तु और लिखने के काग़ज़ या दाहिने हाथ से इस्तिंजा करना बुरा और मना है न करना चाहिए लेकिन यदि कोई कर ले तो पाक हो जायेगा।

मसला न. ९ : खड़े-खड़े पेशाब करना मना है।

मसला न. १० : मल-मूत्र करते समय काबे की ओर मुहं करना और पीठ करना मना है।

मसला न. ११ : छोटे बच्चे को काबे की ओर बिठा कर हगाना मुताना भी मना और मकरूह है।

मसला न. १२ : इस्तिंजे के बचे पानी से वज़ू करना ठीक है और वज़ू के बचे पानी से इस्तिंजा करना भी ठीक है। परन्तु न करना अच्छा है।

मसला न. १३ : जब मल मूत्र के लिए जायें तो पाखाने (लैट्रीन) के दरवाज़े के बाहर बिस्मिल्लाह कहे और यह दुआ पढ़ें "अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ू बिकामिनल ख़ुबुसि वल ख़बाइस" اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ और नंगे सर न जावे यदि किसी अंगूठी पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम हो तो उसको उतार डाले और पहले बांया पैर अन्दर रखें और अन्दर अल्लाह का नाम न लेवे और यदि छींक आवे तो दिल ही दिल में अहह़मदु लिल्लाह कहे मुंह से कुछ न कहें। न वहां कुछ बोले न बात करें फिर जब निकले तो दायां पैर पहले बाहर निकाले और दरवाज़े से निकल कर यह दुआ पढ़ेगुफ़रा नका अल हम्दु लिल्लाहिल्लजी अज़ हवा अन्नी अल अजा व आफानी।

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیَ الْاَذٰی وَعَافَانِیْ

और इस्तंजे के पश्चात बायें हाथ को ज़मीन पर रगड़ कर या मिट्टी से मल कर धोये।

पेशाब पारवाने के समय जिन बातों से बचना चाहिए

बात करना, अनावश्यक खांसना, किसी आयत या हदीस और बरकतकी वस्तु का पढ़ना। ऐसी वस्तु जिस पर अल्लाह या रसूल या किसी फ़रिश्ते या किसी महान व्यक्ति का नाम, या कोई आयत या हदीस या दुआ जो लिखी हो अपने साथ रखना हां यदि ऐसी वस्तु जेब में हो या तावीज़ कपड़े आदि में लिपटा हुआ हो तो मकरूह नहीं। अनावश्यक लेट कर य खड़ा हो कर पाखाना या पेशाब करना, तमाम कपड़े उतार कर नंगे होकर पाखाना पेशाब करना, दाहिने हाथ से इस्तिम्जा करना।

वज़ू का बयान

वज़ू करने वाले को चाहिए कि वज़ू करते समय कावे की ओर मुहं करके किसी ऊंचे स्थान पर बैठे ताकि छींटे उड़ कर ऊपर न पड़ें और वज़ू शुरू करते समय बिस्मिल्लाह कहे और सबसे पहले तीन बार गट्टों तक हाथ धोवे, फिर तीन बार कुल्ली करे, और मिस्वाक (दांतुन) करे। यदि मिस्वाक न हो तो किसी मोटे कपड़े या केवल उंगली से अपने दान्त साफ़ करें जिससे सब मैल कुचैल जाता रहे। अगर रोज़ा न रख रखा हो तो गरारा करके भली-भांति सारे मुहं में पानि पहुंचा दे। यदि रोज़ा रख रखा हो तो ग़रारा न करे क्योंकि हो सकता हे कुछ पानी हलक़ में चला जावे। फिर तीन बार नाक में पानी डाले और बायें हाथ से नाक साफ़ करें लेकिन जिसने रोज़ा रख रखा है वह नाक में नर्म गोश्त से ऊपर पानी न ले जावे। फिर तीन बार मुहं धोवे। सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक सब स्थान पर पानी बह जाये। कहीं सूखा न रहे।

इसके बाद दाहिना हाथ तीन बार कुहनियों सहित धोये फिर बायां हाथ कुहनियों सहित धोवे। एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर चलाये और स्त्री अंगूठी, छल्ला, चूड़ी जो कुछ हाथ में पहने हो उनको हिला लिया करे कि कहीं सूखा न रह जाये। फिर एक बार सारे सर पर पानी से भीगा हाथ फेरे फिर कान में अंगूठे के पाक सी भीगी हुई उंगली और कान के ऊपर भीगे हुए अंगूठे चारों ओर फेरे। इसके पश्चात् उल्टे हाथ को गर्दन पर पीछे की ओर फेरे लेकिन गले पर न फेरे कि यह बुरा और मना है। कान पर उंगली फेरने के लिए नया पानी लेने की आवश्यकता नही। सर के मसे (भीगा हुआ हाथ फेरने) के लिये भीगा हुआ हाथ ही काफी है और तीन बार दायाँ पांव टखने सहित धोयें फिर बायां पावं टखने सहित तीन बार धोयें और बायें हाथ की कन्नों उंगली को पैरों की उंगलियों में चलाये।

यह कार्य पैर की कन्नों उंगली से प्रारम्भ करे और बायें पैर की कन्नों उंगली पर समाप्त करे। यह वज़ू करने का तरीका है। परन्तु इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यदि उनमें से एक भी छूट जाये यो कुछ भी रह जाये तो वज़ू नहीं होती जैसे पहले बे वज़ू था अब भी बेवज़ू रहेगा। ऐसी वस्तुओं को फ़र्ज (अनिवार्य) कहते हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं कि उनके छूट जाने से वज़ू तो हो जाती है। लेकिन उनके करने से सवाब मिलता है। शरिअत में उनके करने पर बल दिया गया है यदि उनको प्रति दिन छोड़ दिया करे

तो पाप (गुनाह) होता है। ऐसी वस्तुओं का सुन्नत कहते हैं। कुछ वस्तुयें ऐसी हैं कि उनके करने से सवाब होता है। यदि न करें तो कुछ पाप नहीं होता और शरिअत में उनके करने पर बल भी नहीं दिया गया है ऐसी बातों को मुस्तहब कहते हैं।

मसला न. १: वज़ू में केवल चार फ़र्ज़ हैं (१) एक बार सारा मुहं धोना (२) एक-एक बार कुहनियों सहित दोनों हाथ धोना (३) एक बार कम से कम चौथाई सर का मसा करना (४) एक बार टखनों सहित दोनों पांव धोना इनमें से यदि एक चीज़ भी छूट गयी या कोई स्थान बाल बराबर भी सूखा रह गया तो वज़ू नहीं होगी।

मसला न. २ : पहले गट्टों सहित दोनों हाथ धोना और बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम पढ़कर कुल्ली करना और नाक में पानी डालना। दांतुन करना, सारे सर का मसा करना। प्रत्येक अंग को तीन तीन बार धोना। कानों का मसा करना। हाथ और पैर की उंगलियों के अन्दर से रगड़ना ये तमाम बातें सुन्नत हैं। इनके अतिरिक्त जो और बातें हैं वे मुस्तहब हैं।

मसला न. ३ : जब ये चार अंग जिनका धोना फ़र्ज़ है धुल जायेंगे तो वज़ू हो जायेगी चाहे वज़ू का इरादा हो या न हो जैसे कोई नहाते समय सारे बदन पर पानी बहा लेवे और वज़ू न करे, या हौज़ में गिर पड़े। या पानी बरसने में बाहर खड़ा हो जावे और वज़ू के ये सब अंग धुल जावें तो वज़ू हो जावेगा लेकिन वज़ू का सवाब न मिलेगा।

मसला न. ४ : सुन्नत यही है कि इस प्रकार वज़ू करे जिस प्रकार हमने ऊपर बताया है और यदि कोई उलटा वज़ू करे कि पहले पावं धोये और फिर मसा करे फिर दोनों हाथ धोवे फिर मुहं धोये, या किसी और प्रकार उलट-पुलट कर के वज़ू करे तो भी हो जाता है। लेकिन सुन्नत अर्थात हज़रत मुहम्मद साहब के तरीके अनुसार वज़ू नहीं होती। और गुनाह का डर है।

मसला न. ५: इसी प्रकार यदि बायां पैर पहले धोया तब भी वज़ू हो गया लेकिन मुस्तहब के विरूद्ध है।

मसला न. ६: एक अंग को धोकर दूसरे अंग के धोने में इतनी देर न लगावे कि पहला अंग सूख जावे, यदि ऐसा किया जावे तो वज़ू तो हो जावेगी लेकिन सुन्नत के खिलाफ़ होगी।

मसला न. ७: अंग को धोते समय यह भी सुन्नत है कि उस पर हाथ भी फेरे ताकि कोई

स्थान सूखा न रहे। सब जगह पानी पहुंच जावे।

मसला न. ८ : समय आने से पहले ही वज़ू और नमाज़ की तैयारी कर लेना बहुत अच्छा है।

मसला न. ९ : जब तक कोई मजबूरी न हो स्वयं अपने हाथ से वज़ू करे किसी दूसरे के हाथ से पानी न डलवायें और वज़ू करते समय दुनिया की कोई बातचीत न करे बल्कि प्रत्येक अंग को धोते समय बिस्मिल्लाह और कलमा पढ़ता रहे और पानी कितना ही अधिक क्यों न हो चाहे दरिया के किनारे पर हो पानी को आवश्यकता से अधिक खर्च न करे, और न पानी में बहुत अधिक कमी करे कि भली-भांति अंग भी न भीगे। न किसी अंग को तीन बार से अधिक धोये। मुहं धोते समय पानी को ज़ोर से मुंह पर न मारे न फुंकार मार कर छींटे उड़ावे और अपने मुंह और आंखों को बहुत जोर से बन्द न करे ये सब बाते मकरूह और मना है। यदि आँख या मुंह ज़ोर से बन्द किया और पलक या होंट पर कुछ सुखा रह गया या आंख के कोने में पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू न होगा।

मसला न. १० : स्त्री की अंगूठी, छल्ले, चूड़ियाँ , कंगन आदि यदि ढीले हों कि बिन हिलाये भी उनके नीचे पानी पहुंच जाये तब भी उनको हिलाना मुस्तहब है। यदि तंग हों कि बिना हिलाये पानी न पहुंचे तो उनको हिलाकर वहां पानी पहुंचा देना आवश्यक और वाज़िब है। नथ के लिए भी यही आदेश है।

मसला न. ११ : यदि किसी के नाखून में आटा लग कर सूख गया हो और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं हुई। जब याद आवे और आटा देखें तो आटा छुड़ाकर पानी डाल ले और यदि पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज़ पढ़ ली हो तो उसको दो बारा पढ़े।

मसला न. १२ : किसी के माथे पर यदि अफशां आदि लगी हो और ऊपर- ऊपर पानी बहा ले ताकि अफशां न छूटने पावे तो वज़ू नहीं होती माथे का तमाम गूंद छुड़ा कर मुंह धोना चाहिए। नेल पालिश के सम्बन्ध में भी यही आदेश है। यदि बिना छुड़ाये बज़ू कर ली तो वज़ू न होगी।

मसला न. १३ : वज़ू के पश्चात सूरा "इन्ना अंज़ल्ना" और यह दूआ पढ़ें अल्ला हुम्मा जअलनी मिनत्तव्वाबीना वज अलनी मिनल मुततहहिरीना वजअलनी मिन इबा दिकास्सालिहीना। वज अलनी मिनल्लज़ीना ला ख़ोफुन अलैहिम वला हुम यह

ज़नून।

مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ
وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ
لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

मसला न. १४ : जब वज़ू कर चुके तो अच्छा है दो रक अत नमाज़ पढ़े। उस नमाज़ को जो वज़ू के पश्चात पढ़ी जाती है। "तहैयतुलवज़ू" कहते हैं। हदीस शरीफ़ में इसका बड़ा सवाब बतलाया गया है।

मसला न १५ : यदि एक समय में वज़ू की थी, फिर दूसरा समय आ गया और अभी वज़ू नहीं टूटी तो उसी वज़ू से दूसरी नमाज़ पढ़ना ठीक है और यदि नयी वज़ू कर ले तो बहूत सवाब है।

मसला न. १६ : जब एक बार वज़ू कर ली और अभी वह टूटी नहीं तो जब तक उस वज़ू से कोई उपासना न कर ले। उस समय तक दूसरी वज़ू करना मकरूह है। यदि नहाते समय किसी ने वज़ू की हो तो उसी बज़ू से नमाज़ पढ़ना चाहिए। बिना टूटे दूसरी वज़ू न करे हां यदि कम से कम दो रक अत नमाज़ उस वज़ू से पढ़ चुके तो दूसरी वज़ू करने में कोई बूराई नहीं बल्कि सवाब है।

मसला न. १७ : किसी के हाथ या पावं फट गये और उनमें मोम तेल य कोई और दवा भर ली (और उसे निकालने से हानि होती है।) और बिना उसे निकाले ऊपर ही ऊपर पानी बहा लिया तो वज़ू ठीक है।

मसला न. १८ : वज़ू करते समय ऐड़ी पर या किसी और स्थान पर पानी नहीं पहुंचा और जब पूरी वज़ू हो चुकी तब ज्ञात हूआ कि अमुक स्थान पर सूखा है तो वहां केवल हाथ फेर लेना ही काफी नहीं बल्कि पानी बहाना चाहिए।

मसला न. १९ : यदि हाथ पावं आदि में कोई फोड़ा है या कोई ऐसी बीमारी है कि उस पर पानी डालने से हानि होती है। तो पानी न डाले। वज़ू करते समय केवल भीगा हाथ फेर लेवे उसको मसा कहते हैं। और यदि यह भी हानि पहुंचाये तो हाथ भी न फेरे उतने स्थान को छोड़ दें।

मसला न. २० : यदि घाव पर पट्टी बंधी है और पट्टी खोलकर घाव पर मसा करना हानि

पहुंचाता हो या पट्टी खोलने बांधने में तकलीफ़ होती है। तो पट्टी के ऊपर मसा कर लेना ठीक है। यदि कोई तकलीफ़ न हो तो पट्टी पर मसा करना ठीक नहीं है। पट्टी खोलकर घाव पर मसा करना चाहिए।

मसला न. २१ : यदि पूरी पट्टी के नीचे घाव नहीं है तो यदि पट्टी खोल कर घाव छोड़कर और सब जगह धो सके तो धोना चाहिए यदि पट्टी न खोल सके तो पूरी पट्टी पर मसा कर ले, जहां घाव है वहाँ भी और जहाँ घाव नहीं वहाँ भी।

मसला न. २२: हड्डी के टूट जाने के समय जो बांस की खपच्चियाँ रख कर बान्धते हैं उसका भी यही आदेश है कि जब तक खपच्चियां न खोलें। उनके ऊपर मसा कर लिया करें। यही फस्द की पट्टी का आदेश है। कि यदि घाव के ऊपर मसा न कर सके तो पट्टी खोलकर कपड़े की गद्दी पर मसा करें और यदि कोई बान्धने खोलने वाला न मिले तो पट्टी पर ही मसा कर लें। प्लास्तर पर भी मसा कर लेना ठीक होगा।

मसला न. २३ : फट्टी और पट्टी आदि में अच्छा यह है कि सारी फट्टी पर मसा करें और यदि सारी पर न करे बल्कि आधे से अधिक पर करे तो भी ठीक है यदि आधी या आधी से कम पर करे तो ठीक नहीं।

मसला न. २४ : यदि फट्टी या पट्टी खुल कर गिरे और घाव भी अच्छा न हो तो फिर बांध लेवे और वही पहला मसा बाकी है। फिर मसा न करे और यदि घाव अच्छा हो गया है और अब पट्टी बांधने की आवश्यकता नही तो मसा टूट गया अब उतना स्थान धोकर नमाज़ पढ़ें। सारा वज़ू दोबारा करना आवश्यक नही।

मसला न. २५: तीन बार मुंह धोने के बाद दाढ़ी में उंगलियाँ डाल कर ख़िलाल करें और तीन बार से अधिक न करें।

मसला न. २६ : जो भाग गाल और कान के बीच में है उसका धोना फर्ज़ है चाहे दाढ़ी निकली हो या न निकली हो।

मसला न. २७ : ठोड़ी का धोना फर्ज़ है शर्त यह है कि दाढ़ी के बाल उस पर न हों या हों तो इतने कम हों कि खाल दिखाई दें।

मसला न. २८ : होंट का जो भाग होंट बन्द होने के बाद दिखाई देता है उसका धोना फर्ज़ है।

मसला न. २९: दाढ़ी या मूंछ या भंवें यदि इतनी धनी हों कि खाल दिखाई न दे तो उस खाल का धोना जो उससे छिपी हुई है फर्ज़ नहीं बल्कि वह बाल ही खाल

के स्थान पर है। उन पर पानी बहा देना काफ़ी है।

मसला न. ३० : दाढ़ी यदि इतनी घनी हों कि उस के नीचे की खाल छिप जावे और नज़र न आये तो ऐसी दशा में इतने बालों को धोना वाजिब है जो चेहरे की सीमा में है। बाक़ी बाल जो सीमा से आगे बढ़ गये हो उनको धोना वाज़िब नहीं।

मसला न. ३१ : यदि किसी आदमी के पाखाने के स्थान का कोई भाग बाहर निकल आये जिसको हम कांच निकलना कहते हैं तो उससे वज़ू जाता रहेगा चाहे वह अन्दर अपने आप चली जाये या किसी लकड़ी कपड़े आदि के द्वारा अन्दर पहुंचाई जाये।

मसला न. ३२ : मनी यदि बिना वासना के निकले तो वज़ू टूट जाता है। जैसे किसी ने बोझ उठाया या किसी ऊंचे स्थान से गिर पड़ा और इस सदमे से मनी बिना वासना के निकल आयी।

मसला न. ३३ : यदि किसी की बुद्धि बिगड़ जाये परन्तु बुद्धि का बिगड़ाव जुनून और पागल पन तक न पहुंचे तो वज़ू न जायेगा।

मसला न. ३४ : नमाज़ में यदि कोई व्यक्ति सो जाये और सोने की दशा में ठट्ठा लगाये तो वज़ू न जायेगा।

मसला न. ३५ : जनाज़े की नमाज़ और क़ुरान के सज्दे में ठट्ठा लगाने से वज़ू नहीं टूटती। बालिग़ हो या नाबालिग़।

चमड़े के मोज़ों पर मसह करने का वर्णन

मसला न. १ : यदि चमड़े के मोज़े वज़ू करके पहन ले और फिर वज़ू टूट जावे तो फिर वज़ू करते समय मोज़ों पर मसह कर लेना ठीक है और यदि मोज़ा उतार कर पैर धो लिया करें तो वह सबसे अच्छा है।

मसला न. २ : यदि वह मोज़ा इतना छोटा है कि टखने मोज़े के अन्दर छिपे हुए नहीं हों, तो उस पर मसह करना ठीक नहीं है। इसी प्रकार यदि बिना वज़ू के मोज़ा पहन लिया तो उस पर भी मसह ठीक नहीं, उतार कर पैर धोना चाहिए।

मसला न. ३ : यात्रा में तीन दिन तीन रात तक मोज़ो पर मसह करना ठीक है। और जो यात्रा में न हों उसको एक दिन एक रात और जिस समय से वज़ू टूटा है। उस समय से एक दिन एक रात या तीन दिन तीन रात तक का हिसाब किया जायेगा। जिस समय से चमड़े का मोज़ा पहना है, उस समय से हिसाब नहीं

लगाया जायेगा। जैसे किसी ने जुहर के समय वज़ू करके मोज़ा पहना फिर सूर्य डूबने के समय वज़ू टूटा तो अगले दिन के सूर्य डूबने तक मसह करना ठीक है। और यात्रा में तीसरे दिन के सूर्य डूबने तक जब सूर्य डूब गया तो अब मसह करना भी ठीक नहीं रहा।

मसला न. ४ : यदि कोई ऐसी बात हो गयी जिससे गुसल वाजिब हो गया तो मोज़ा उतार कर नहाये। गुसल के साथ मौज़े पर मसह करना ठीक नहीं।

मसला न. ५ : मोज़े पर ऊपर की ओर मसह करे। तलवे की ओर न करे।

मसला न. ६ : मोज़े पर मसह करने का नियम यह है। हाथ की उंगलियां पानी में तर करके, अगली ओर रखें। उंगलियां तो पूरी मोज़े पर रखे ओर हथेली मौज़े से अलग रखे, फिर उनको खींच कर टखने की ओर ले जावे और यदि उंगलियों के साथ-साथ हथेली भी रख दें और हथेली सहित उंगलियों को खींच कर ले जायें तो भी ठीक है।

मसला न. ७ : यदि कोई उलटा मसह करे अर्थात टखने की ओर से खींचकर उंगलियों की ओर लावे तो भी ठीक है। परन्तु मुस्तहब नहीं है। ऐसे ही यदि लम्बाई में मसह न करे, तो चौड़ाई में मसह करें तो यह भी ठीक है लेकिन मुस्तहब नहीं।

मसला न. ८ : यदि तलवे या एड़ी या मोज़े के अगल बगल में मसह करें तो यह मसह ठीक नहीं हुआ।

मसला न. ९ : यदि पूरी उंगलियों को मोज़े पर नहीं रखा बल्कि उंगलियों का सिर मोज़ो पर रखा ओर उंगलियां खड़ी रखी तो यह मसह ठीक नहीं हुआ। हाँ यदि उंगलियों से पानी टपक रहा हो जिससे बह कर तीन उंगलियों के बराबर पानी मोज़ों पर लग जाये तो ठीक हो जायेगा।

मसला न. १० : मसह का नियम तो यह है कि हथेली की तरफ से मसह करे यदि कोई हथेली के ऊपर की ओर से मसह करे तो भी ठीक है।

मसला न. ११: यदि किसी ने मोज़े पर मसह नहीं किया, लेकिन पानी बरसते समय बाहर निकला या भीगी घास में चला तो मसह हो गया।

मसला न. १२ : हाथ की तीन उंगलियों के बराबर हर मोज़ें पर मसह करना फर्ज़ है उससे कम मैं मसह ठीक नहीं होगा।

मसला न. १३ : जो वस्तु वज़ू तोड़ देती है। उससे मसह भी टूट जाता है। और मोज़े

के उतारने से भी मसह टूट जाता है। तो यदि किसी का वज़ू तो नहीं टूटा लेकिन उसने मोज़े उतार डाले तो मसह टूट गया अब दोनों पैर धोले दौ बारा वज़ू करने की आवश्यकता नहीं।

मसला न. १४ : यदि एक मोज़ा उतार डाला तो दूसरा मोज़ा भी उतार कर दोनों पांव का धोना वाज़िब है।

मसला न. १५ : यदि मसह का समय पूरा हो गया तो भी मसह जाता रहा यदि वज़ू न टूटी हो तो मोज़ा उतार कर दोनों पांव धोये पूरी वज़ू दोहराना वाज़िब नहीं और यदि वज़ू टूट गयी हो तो मोज़ा उतार कर पूरी वज़ू करें।

मसला न. १६ : मोज़े पर मसह करने के पश्चात कहीं पानी में पैर पड़ गया और मोज़ा ढीला था. इसलिए मोज़े के अन्दर पानी चला गया और सारा पांव या आधे से अधिक पांव भीग गया तो भी मसह जाता रहा। दूसरा मोज़ा भी उतार दे और दोनों पैर भली-भांति धोये।

मसला न. १७ : जो मोज़ा इतना फट गया हो कि चलते समय पैर की छोटी तीन उंगलियों के बराबर खुल जाता है तो उस पर मसह ठीक नहीं और उससे कम खुलता है तो मसह ठीक है।

मसला न. १८ : यदि मोज़े की सीवन खुल गयी लेकिन उसमें से पैर दिखाई नहीं देता तो मसह ठीक है और यदि ऐसा हो कि चलते समय तो तीन उंगलियों के बराबर पैर दिखाई देता है। और यूं दिखाई नहीं देता तो मसह ठीक नहीं।

मसला न. १९ : यदि एक मोज़े में दो उंगलियों के बराबर पैर खुल जाता है और दूसरे मोज़े में एक उंगली के बराबर तो कुछ हरज़ नहीं मसा ठीक है। और यदि एक ही मोज़ा कई स्थानों से फटा है ओर सब मिलकर तीन उंगलियों के बराबर खूल जाता है। तो मसह जायज़ नहीं और यदि इतना कम है कि सब मिलाकर भी तीन उंगलियों के बराबर नहीं होता तो मसह ठीक है।

मसला न. २० : किसी ने मोज़े पर मसह करना प्रारम्भ किया और अभी एक दिन और एक रात पूरा नहीं हुआ था कि यात्री हो गया तो तीन रात तक मसह करता रहे और यदि यात्रा से पहले ही एक दिन एक रात बीत गया तो समय समाप्त हो गया। पैर धोकर फिर मोज़ा पहने।

मसला न. २१ : यदि यात्रा में मसह करता था फिर घर आ गया तो यदि एक रात दिन पूरा हो चुका तो अब मोज़ा उतार दे अब उस पर मसह ठीक नहीं यदि एक

रात दिन पूरा नहीं हुआ तो एक रात दिन पूरा करे उससे अधिक मसह ठीक नहीं।

मसला न. २२ : यदि जुर्राब के ऊपर चमड़े का मोज़ा पहने हैं तब भी मोज़े पर मसह ठीक है'

मसला न. २३ : जुर्राबों पर मसह ठीक नहीं है। हाँ यदि उन पर चमड़ा चढ़ा दिया गया हो या सारे जुर्राब पर चमड़ा न चढाया हो बल्कि मर्दाना जूते की दशा पर चमड़ा लगा दिया गया हो। बहुत कठोर और सख़्त हो कि बिना जूतों के उन मोज़ों से रास्ता भी चल सके तो इन दशाओं में जुर्राबों पर भी मसह ठीक है।

मसला न. २४ : बुर्का और दस्तानों पर मसह ठीक नहीं।

मसला न. २५. : बूट पर मसह जायज़ है शर्त यह कि पूरे पैर को टखनों सहित छिपाये और उसका चाक फीतों से इस प्रकार बंधा हो कि पैर की इतनी खाल दिखाई न दे जो मसह में बाधक हो।

मसला न. २६ : किसी ने तयम्मुम की दशा में मोज़े पहने हों तो जब वज़ू करें तो इन मोज़ों पर मसाह नहीं कर सकता क्योंकि तयम्मुम पूर्ण रूप से पाकी नहीं। चाहे वह तयम्मुम केवल, ग़ुसल का हो या वज़ू व गुसल दोनों का या केवल वज़ू का।

मसला न. २७: ग़ुसल करने वाले को मसह ठीक नहीं चाहे ग़ुसल फर्ज़ हो या सुन्नत। जैसे कोई किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाये और पैरों के अतिरिक्त शरीर को धोये और उसके पश्चात पैरों पर मसह करें तो यह ठीक नहीं।

मसला न. २८ : ऐसी बीमारी जो वज़ू को तोड़ देती है जैसे, पेशाब निकलते रहना या नकसीर चलते रहना, यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार लग जाये कि वह बिना उस बीमारी के वज़ू करके फर्ज़ नमाज़ पढ़ सके तो ऐसे बीमार व्यक्ति को माज़ूर कहा जाता है। माज़ूर के सम्बन्ध में आदेश यह है कि नमाज़ के समय तक उसका वज़ू बाक़ी रहेगा। यद्यपि बीमारी से वज़ू टूट ने का कारण बार-बार पाया जाता रहे। वह बीमार एक नमाज़ के समय में एक वज़ू से कई नमाज़ें पढ़ सकता है परन्तु जब नमाज़ का समय निकल जायेगा तो वज़ू टूट जायेगी। अब यदि उसने अपने वज़ू के समय मोज़ों पर मसह भी किया था तो समय निकलने पर यह मसह भी समाप्त हो गया, उसको मोज़े उतारकर पैरों का धोना वाजिब है। वैसे उसका मसह भी जाता रहता

है उसको मोज़े उतार कर पैरों का धोना वाज़िब है। हां यदि उसकी बीमारी वज़ू करने और मौज़े पहनने की दशा में न पाई जाये तो वह भी ठीक और चंगे व्यक्ति के बराबर समझा जायेगा।

मसला न. २९ : पैर का बड़ा भाग किसी प्रकार धुल गया इस दशा में मोज़े को उतार कर पैरों को धोना चाहिए।

हदसे असगर अर्थात् बेवज़ू होने की दशा के आदेश

मसला न. १: कुरान मजीद और पारों के पूरे काग़ज़ को छूना मकरूह तहरीमी है चाहे उस स्थान को छुये जिसमें आयत लिखी है या उस स्थान को जो अलिखित है और यदि पूरा कुरान न हो बल्कि किसी काग़ज़ या कपड़े या झिल्ली आदि पर कुरान की एक पूरी आयत लिखी हुई हो बाक़ी भाग अलिखित हो तो सादा काग़ज को छूना जायज़ है जबकि आयत पर हाथ न लगे।

मसला न. २: कुरान मजीद का लिखना मकरूह नहीं शर्त यह है कि लिखे हुए को हाथ न लगे। चाहे खाली स्थान को छुये। मगर इमाम मुहम्मद के अनुसार रिक्त स्थान को भी छूना जायज़ नहीं।

मस़ला न. ३: एक आयत से कम का लिखना मक़रूह नहीं। यदि किताब आदि में लिखे और कुरान शरीफ़ में एक आयत से कम का लिखना भी जायज़ नहीं।

मसला न. ४: नाबालिग़ बच्चों को हदसे असग़र (छोटी नापाकी) की दशा में भी कुरान मजीद का देना और छूने देना मकरूह नहीं।

मस़ला न. ५: कुरान शरीफ़ के अतिरिक्त और आसमानी किताबों में जैसे तौरेत व इंजील व ज़ुबूर आदि के केवल उसी स्थान को छूना मकरूह है जहाँ लिखा हुआ हो रिक्त स्थान को छूना मकरूह नहीं और यही आदेश कुरान की मनसूख (समाप्त) आयतों के सम्बन्ध में है।

मसला न. ६: वज़ू के पश्चात यदि किसी अंग के सम्बन्ध में न धोये जाने की आशंका हो परन्तु वह अंग निश्चित न हो तो ऐसी दशा में शंका समाप्त करने के लिए बायें पैर को धोये इसी प्रकार यदि वज़ू के बीच में किसी अंग के सम्बन्ध में यह शंका हो तो मुहं धो डाले और यदि पैर धोते समय यह शंका हो तो कुहनियों तक हाथ धो डाले। यह उस समय है जब कभी-कभी शंका होती हो और यदि किसी को बार-बार यह शंका होती हो तो उसको चाहिए कि इस शंका की ओर

ध्यान न दे और अपने वज़ू को ठीक समझे।

मसला न. ६: मस्जिद के फर्श पर वज़ू करना ठीक नहीं हां यदि इस प्रकार वज़ू करे कि वज़ू का पानी मस्जिद में न गिरने पाये तो ख़ैर। इसमें अधिकतर असावधानी होती है कि वज़ू ऐसे स्थान पर किया जाता है कि वजू का पानी मस्जिद के फर्श पर भी गिरता है।

वे वस्तुयें जिन से वज़ू टूट जाती है

मसला न. १ : पाखाना या पेशाब और पेट की हवा जो टट्टी के मार्ग निकलती है उससे वज़ू टूट जाती है। हां यदि आगे के मार्ग से हवा निकले जैसा कि कभी-कभी बीमारी की दशा में ऐसा हो जाता है। तो उससे वज़ू नहीं टूटती। यदि आगे पीछे के मार्ग से कोई कीड़ा जैसे केचवा आदि निकले तो भी वज़ू टूट जाती है।

मसला न. २ : यदि किसी के कोई घाव हो उसमें से कीड़ा निकला या कान से कीड़ा निकला या घाव में से कुछ मांस कटकर गिर पड़ा और खून नहीं निकला तो उससे वज़ू नहीं टूटती।

मसला न. ३ ; यदि किसी नें फस्द कराई य नकसीर फूटी या चोट लगी और ख़ून निकल आया इसी प्रकार फोड़े फुंसी से या शरीर भर में और कहीं से ख़ून निकला या पीप निकली तो वज़ू जाती रही हाँ यदि घाव के मुंह ही पर रहे घाव के मुंह से आगे न बढ़े तो वज़ू नहीं टूटी और यदि किसी को सुई चुभ गयी और रक्त निकल आया परन्तु बहा नहीं तो वज़ू नहीं टूटी हां यदि तनिक सा भी बह गया तो वज़ू टूट गयी।

मसला न. ४: यदि किसी ने नाक सिनकी और उसमें जमें हुए ख़ून की फुट कियां निकली तो वज़ू नहीं टूटी। वज़ू उस समय टूटती है जब पतला ख़ून निकले और बह पड़े। सो यदि किसी ने अपनी नाक में उंगली डाली, फिर जब उसको निकाला तो उस पर ख़ून का धब्बा ज्ञात हुआ लेकिन ख़ून बस इतना ही है कि उंगली में तो तनिक सा लग जाता है। लेकिन बहता नही तो उससे वज़ू नहीं टूटती।

मसला न. ५ : किसी की आंख के अन्दर कोई दाना आदि था वह टूट गया या स्वयं उसने तोड़ दिया और उसका पानी बहकर आंख में तो फैल गया लेकिन आंख से बाहर नहीं निकला तो वज़ू नहीं टूटी और यदि आंख से बाहर पानी निकल

आया तो वज़ू टूट गयी। इसी प्रका यदि कान के अन्दर दाना हो और टूट जाये तो जब तक ख़ून, पीप छेद के भीतर उस स्थान तक रहे जहां नहाते समय पानी पहुंचाना फ़र्ज़ नहीं है तब तक वज़ू नहीं टूटती और यदि बह कर उस स्थना तक आ गया जहां पानी पहुंचाना फर्ज़ है तो वज़ू टूट जायेगी।

मसला न. ६ : किसी ने अपने फोड़े या छाले के ऊपर का छिलका चूंट दिया और उसके नीचे ख़ून या पीप दिखाई देने लगा लेकिन वह ख़ून य पीप अपने स्थान पर ठहरा है किसी ओर बहा नहीं तो वज़ू नहीं टूटती और यदि बह पड़ा तो वज़ू टूट गयी।

मसला न. ७ : किसी के फोड़े में बहुत बड़ा घाव हो गया तो जब तक ख़ून पीप उसके छेद के अन्दर ही अन्दर रहे बाहर निकल कर शरीर पर न आये उस समय तक वज़ू नहीं टूटती।

मसला न. ८ : यदि फोड़े फुंसी का ख़ून आप से नहीं निकला बल्कि उसने दबाकर निकाला है तब भी वज़ू टूट जायेगी अगर वह ख़ून बह जावे।

मसला न. ९ : किसी के घाव से तनिक तनिक सा रक्त निकलने लगा और उसने उस पर मिट्टी डाल दी या कपड़े से पूंछ दिया फिर तनिक सा निकला फिर उसको पूंछ दिया इस प्रकार कई बार किया कि ख़ून बहने न पाया तो हृदय में यह सोचे कि यदि ख़ून पूंछा न जाता तो बह पड़ता तो वज़ू टूट जायेगी और यदि ऐसा हो कि पूंछा न जाता तब भी न बहता तो वज़ू न टूटेगी।

मसला न. १० : किसी के थूक में रक्त ज्ञात हूआ तो यदि थूक में रक्त बहुत कम है और थूक का रंग सफेदी या पीले पन पर है तो वज़ू नही टूटी और यदि रक्त अधिक या बराबर है और रंग में लाली आ गयी है तो वज़ू टूट गयी।

मसला न. ११ : यदि दान्त से कोई वस्तु कांटी और उस पर ख़ून का धब्बा दीखा या दान्त को तिनके से कुरेदा और तिनके पर रक्त की लाली दिखाई दी लेकिन थूक में बिल्कुल रक्त की लाली दिखाई नहीं देती तो वज़ू नहीं टूटेगी।

मसला न. १२ : किसी ने जोंक लगवाई और जोक में इतना ख़ून भर गया कि यदि बींच से काट दो तो रक्त बह निकले तो वज़ू टूट गयी। यदि इतना न पिया हो बल्कि बहुत कम पिया हो तो वज़ू नहीं टूटी। मच्छर मक्खी, खटमल ने ख़ून पिया तो वज़ू नही टूटी।

मसला न. १३ : किसी के कान में दर्द होता है और पानी निकला करता है तो यह

पानी जो कान से निकला करता है। नापाक है चाहे फोड़ा फुंसी कुछ न हो। इसके निकलने से वज़ू टूट जाती है। शर्त यह है कि कान के सूराख़ से निकल कर उस स्थान तक आ जाय जिस का धोना नापाकी दूर करने के लिए नहाते समय फर्ज़ है, इसी प्रकार यदि नाक से पानी निकले और दर्द भी होता हो तो इससे वज़ू टूट जायेगी।

ऐसे ही यदि आंखें दुखती हों और खड़कती हों तो पानी बहने और आंसू निकलने से वज़ू टूट जाती है और यदि आंखें न दुखती हो न उनमें कुछ खड़क हो आंसू निकलने से वज़ू नहीं टूटती।

मसला न. १४ : यदि स्तनों से पानी निकलता है और दर्द भी होता है तो वह भी नापाक है उससे भी वज़ू टूट जाती है। और यदि दर्द नहीं होता तो नापाक नहीं उससे वज़ू नहीं टूटती।

मसला न. १५ : यदि उल्टी हुई उसमें खाना या पानी या पित गिरे तो यदि मुंह भर उल्टी हुई तो वज़ू टूट गयी और यदि मुंह भर उल्टी नहीं हुई तो वज़ू नहीं टूटी। मुंह भर होने से मतलब यह है कि मुश्किल से मुंह में रूके और यदि केवल बलग़म गिरे तो वज़ू नहीं टूटती चाहे जितना हो। यदि उल्टी में ख़ून आवे और पतला हो बहता हो तो वज़ू टूट जावेगी कम हो य अधिक मुंह भर हो या न हो और यदि जमा हुआ टुकड़े-टुकड़े गिरे और मुंह भर हो तो वज़ू टूट जायेगी। यदि कम हो तो वज़ू नहीं टूटेगी।

मसला न. १६ : यदि थोड़ी-थोड़ी करके कई बार उल्टी हूई लेकिन सब मिलाकर इतनी है कि यदि एक बार होती तो मुंह भर हो जाती तो यदि एक ही मतली में थोड़ी-थोड़ी उल्टी चलती रहे तो वज़ू टूट जाती है। यदि एक ही मतली बराबर नहीं रही बल्कि प्रथम बार की मतली जाती रही थी और जी अच्छा हो गया था फिर दोबारा मतली प्रारम्भ हुई ओर थोड़ी सी उल्टो हो गयी। फिर जब यह मतली जाती रही और तीसरी बार फिर मतली आरम्भ हो कर उल्टी हुई तो वज़ू नहीं टूटती।

मसला न. १७ : लेटे-लेटे आंख लग गयी या किसी वस्तु से टेक लगा कर बैठे-बैठे सो गये और ऐसी मूर्छा हो गयी कि यदि वह टेक न होती तो गिर पड़ता तो वज़ू टूट गयी और यदि नमाज़ में बैठे-बैठे या खड़े-खड़े सो जावे तो वज़ू नहीं टूटती यदि सजदे में सो जावे तो वज़ू टूट जायेगी।

मसला न. १८ : यदि नमाज़ से बाहर बैठे-बैठे सो जावे और अपना चूतड़ एड़ी से दबा लेवे और दीवार आदि किसी से टेक भी न लगावे तो वज़ू नहीं टूटती।

मसला न. १९ : बैठे-बैठे नीन्द का ऐसा झोंका आया कि गिर पड़ा तो यदि गिर कर तुरन्त ही आंख खुल गयी हो तो वज़ू नहीं टूटी। अगर गिरने के कुछ पश्चात आंख खुली तो वज़ू टूट गयी और यदि गिरे नहीं बैठे बैठे झूमता रहे तो भी वज़ू नहीं टूटी।

मसला न. २० : यदि बेहोश हो गया या पागल पन से बुद्धि जाती रही तो वज़ू टूट गयी चाहे पागल पन और बेहोशी थोड़ी ही देर रहे। इसी प्रकार तम्बाकू या और कोई नशे की वस्तु खाली और इतना नशा हो गया कि भली भांति नहीं चला जाता और कदम इधर उधर बहकता है तो भी वज़ू टूट गयी।

मसला न. २१ : यदि नमाज़ में इतनी ज़ोर की हंसी निकल गयी कि स्वयं ने भी उसकी आवाज़ सुनली और उसके पास वालों ने भी इससे वज़ू टूट गयी और नमाज़ भी टूट गयी और यदि ऐसा हुआ कि हंसी की आवाज़ स्वयं तो सुन ली लेकिन पास वालों ने नहीं सुनी बिल्कुल पास वाले ने सुनी तो नमाज़ टूट गयी। लेकिन वज़ू नहीं टूटी। यदि हंसी में केवल दांत खुल गये आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली तो न वज़ू टूटी न नमाज़। छोटे बच्चे जो अभी जवान नहीं हुए जोर से नमाज़ में हंसे या कुरान के सज्दे में बड़े को हंसी आवे तो वज़ू नहीं जाती हाँ वह सज्दा और नमाज़ जाती रहती है जिसमें हंसी आयी।

मसला न. २२ : मर्द के हाथ लगाने से या यूं ही विचार करने से यदि आगे के मार्ग से पानी आ जावे तो वज़ू टूट जाती है। और इस पानी को जो वासना के समय निकलता है मज़ी कहते हैं।

मसला न. २३ : बीमारी के कारण लेस दार पानी आगे के मार्ग से निकलता हो तो उसको भी नापाक ही समझना चाहिए। उससे भी वज़ू टूट जाती है।

मसला न. २४ : स्त्री का पेशाब या मज़ी की बून्द छेद से बाहर निकल आयी लेकिन अभी उसी खाल के अन्दर है जो ऊपर होती है तब भी वजू टूट जाती है। वज़ू टूटने के लिए खाल से बाहर निकलना आवश्यक नहीं।

मसला न. २५ : मर्द के पेशाब के स्थान से जब स्त्री का पेशाब का स्थान मिल जावे और कुछ कपड़ा आदि बीच में आड़ न हो तो वज़ू टूट जाती है। इसी प्रकार यदि दो स्त्रियां अपनी-अपनी पेशाब गाहें (मत्र के स्थान) मिलावें तब भी वज़ू

टूट जाती है। लेकिन यह बहुत बड़ा पाप है। दोनों दशाओं में चाहे कुछ निकले या न निकले वज़ू टूट जायेगी।

मसला न. २६ : वज़ू के पश्चात अपने नाख़ून काटे या घाव के ऊपर की मुर्दा खाल नोच डाली तो वज़ू में कोई हानि नहीं आई न दो बारा वज़ू करने की आवश्यकता है और न उस स्थान को फिर भिगोने की आवश्यकता है।

मसला न. २७ : वज़ू के पश्चात किसी का सतर (गुप्तांग) देखा या अपना सतर खुल गया या नंगे होकर नहाने लगे या नंगे वज़ू किया तो वज़ू ठीक है फिर उसको दो बारा करने की आवश्यकता नहीं परन्तु किसी मजबूरी के बिना किसी का सतर देखना या अपना दिखाना गुनाह है।

मसला न. २८ : जिस वस्तु के निकलने से वज़ू टूट जाती है। वह वस्तु नापाक होती है। और जिस वस्तु से वज़ू नहीं टूटती वह नापाक भी नहीं तो यदि जरा सा ख़ून निकला कि घाव के मुंह से बहा नहीं या थोड़ी सी उल्टी हुई मुंह भर नहीं हुई और उसमें खाना या पानी या पित्त या जमा हुआ ख़ून निकला तो वह ख़ून और उल्टी नापाक नहीं है और यदि कपड़े या बदन में लग जावे उसका धोना वाज़िब नहीं यदि मुहं भर कर उल्टी हुई और ख़ून धाव से बह गया तो वह नापाक है उसका धोना आवश्यक है और, यदि इतनी उल्टी करके कटोरी गिलास या लोटे को मुंह लगा कर कुल्ली के लिए पानी लिया तो वह बर्तन नापाक हो जावेगा। इस लिए चुल्लू से पानी लेना चाहिए।

मसला न. २९ : छोटा लड़का जो दूध डालता है उसका भी यही आदेश है कि यदि मुंह भर न हो तो नापाक नहीं और जब मुंह भर हो तो नापाक है। उसको बिना धोये माँ नमाज़ पढ़े तो नमाज़ न होगी।

मसला न. ३० : यदि वज़ू करना तो याद है और उसके बाद वज़ू टूट ना भी भली-भांति याद नहीं कि टूटी या नहीं टूटी तो ऐसी वज़ू बाकी समझी जायेगी। उससे नमाज़ ठीक है लेकिन फिर वज़ू कर लेना अच्छा है।

मसला न. ३१ : जिसको वज़ू करने में शंका हो कि अमुक अंग धोया है या नहीं तो वह अंग फिर धो लेना चाहिए और यदि वज़ू कर लेने के पश्चात शंका हुई तो कोई परवाह नहीं वज़ू हो गयी। हाँ यदि विश्वास हो जावे कि अमुक बात रह गयी है तो उसे कर लेवे।

मसला न. ३२ : बे वज़ू क़ुरान का छूना ठीक नहीं हां क़ुरान शरीफ़ को यदि ऐसे कपड़े

से छूले जो शरीर से अलग हो तो ठीक है। डो पट्टा या कुर्ता के पल्ले से जब कि उस को पहने ओढ़े हुए हो तो उससे छूना ठीक नहीं हां यदि उतरा हुआ हो तो उससे छूना ठीक है और मौखिक पढ़ना ठीक है! और यदि क़ुरान शरीफ़ खुला हूआ रखा है, उसको देख देख कर पढ़ा छूआ नहीं यह भी ठीक है। इसी प्रकार बे वज़ू ऐसे तावीज़ का और ऐसी तश्तरी का छूना ठीक नहीं जिस में क़ुरान शरीफ़ की आयत लिखी हो खूब याद रखो।

मसला न. ३३: क़ुरान शरीफ़ और सिपारों के पूरे कागज़ को छूना मकरूह तहरीमी है। चाहे उस स्थान को छुवे जहां आयत लिखी है। या उस स्थान को छुयें जहां कोरा है। यदि पूरा क़ुरान न हो बल्कि किसी कागज़ या झिल्ली पर क़ुरान की पूरी आयत लिखी हो बाकी भाग सादा हो तो सादा स्थान छूना ठीक है। जबकि आयत पर हाथ न लगे।

मसला न. ३४ : बिना वज़ू क़ुरान शरीफ़ लिखना मकरूह नहीं शर्त यह है कि लिखे हुए को हाथ न लगे यद्यपि खाली स्थान को छू ले। मगर इमाम मुहम्मद के विचार से खाली स्थान को भी छूना ठीक नहीं। इसी में अधिक सावधानी है। प्रथम कथन इमाम अबू यूसुफ का है। यही मत भेद पहले मस्ले में भी है। और यह आदेश उस समय है जब क़ुरान शरीफ़ और सिपारों के अतिरिक्त किसी काग़ज़ या कपड़े आदि में कोई आयत लिखी हो और उसका कुछ भाग सादा भी हो।

मसला न. ३५ : यदि किताब आदि में लिखे तो एक आयत का लिखना मकरूह नहीं और क़ुरान शरीफ़ में एक आयत से कम लिखना भी जायज़ नहीं।

मसला न. ३६ : नाबालिग़ बच्चों का बे वज़ू होने की दशा में भी क़ुरानशरीफ़ का उनके हाथों में देना या छूने देना मकरूह नहीं।

मसला न. ३७ : क़ुरान शरीफ़ के अतिरिक्त और आसमानी पुस्तकों में जैसे तौरेत, इंजील व ज़ुबूर आदि किताबों के केवल उसी स्थान का छूना मकरूह है जहाँ लिखा हुआ हो। कोरे स्थान का छूना मकरूह नहीं।

मसला न. ३८ : वज़ू करने के पश्चात यदि किसी अंग के न धोने की आशंका हो परन्तु वह अंग निश्चत न हो तो ऐसी दशा में आशंका दूर करने के लिए बायें पैर को धोये। इसी प्रकार यदि वज़ू के बीच किसी अंग के बारे में आशंका हो तो ऐसी दशा में अन्तिम अंग को धोये जैसे कुहनियों तक हाथ धोने के पश्चात यह शंका हो तो मुंह धो डाले यह उस समय है कि यदि कभी कभी शंका हो

और यदि किसी को बार-बार इस प्रकार की शंका होती है तो उसको चाहिए कि इस शंका की ओर ध्यान न दे और अपनी वज़ू को ठीक समझे।

मसला न. ३९ : मस्जिद के फर्श पर वज़ू करना ठीक नहीं हां यदि इस प्रकार वज़ू करे कि वज़ू का पानी मस्जिद में न गिरने पाये तो खैर। अक्सर लोग इसमें असावधानी बरतते हैं और वज़ू ऐसे स्थान पर करते हैं कि वज़ू का पानी मस्जिद के फर्श पर भी गिरता है।

ग़ुसल करने के तरीक़े का बयान

मसला न. १: ग़ुसल करने वाले (पुरूष व स्त्री) को चाहिए कि पहले गट्टों तक दोनों हाथ धोवें फिर अपने गुप्तांग के स्थान को धोवे। हाथ और अस्तंजे (गुप्तांग) के स्थान पर नापाकी हो तब भी और न हो तब भी प्रत्येक दशा में इन दोनों को पहले धोना चाहिए इसके पश्चात जहाँ शरीर पर नापाकी लगी हो पाक करे फिर वज़ू करें। यदि किसी चौकी या पत्थर पर ग़ुसल करता हो तो वज़ू करते समय पैर भी धो लेवे और यदि ऐसे स्थान पर हो कि पैर कीचड़ आदि में भर जायेंगें। और ग़ुसल के पश्चात फिर धोने पड़ेंगे तो सारा वज़ू करें पैर न धोये। वज़ू के पश्चात अपने सर पर तीन बार पानी डाले फिर तीन बार दांयें कंधे पर फिर तीन बार बांयें कंधे पर पानी डाले जिससे सारे शरीर पर पानी बह जावे, फिर उस स्थान से हटकर पाक स्थान पर आजावे और पैर धो लें और यदि वज़ू के समय पैर धो लिये हों तो अब धोने कि आवश्यकता नहीं।

मसला न. २ : पहले सारे शरीर पर भली-भांति हाथ फेर लेवें तथा पानी बहावे ताकि सब जगह अच्छी तरह पानी पहुंच जाये सूखा न रहे।

मसला न. ३: ग़ुसल का तरीक़ा जो हमने अभी बयान किया सुन्नत के अनुसार है इसमें से कुछ वस्तुयें फ़र्ज हैं कि बिना उनके ग़ुसल ही नहीं होता आदमी नापाक रहता है कुछ वस्तुएं सुन्नत हैं उनके करने से सवाब मिलता है। और यदि न करें तो भी ग़ुसल हो जाता है। फ़र्ज़ केवल तीन वस्तुयें हैं (१) इस प्रकार कुल्ली करना कि तमाम मुहं में पानी पहुंच जाये। (२) नाक में पानी डालना जहां तक नर्म है (३) पूरे शरीर पर पानी पहुंचाना।

मसला न. ४ : ग़ुसल करते समय काबे की ओर मुंह न करें और पानी बहुत अधिक

ख़राब न करें और न बहुत कम पानी लेवे की भली-भाँति ग़ुसल न कर सके और ऐसे स्थान पर ग़ुसल न करें जहां कोई देखे। ग़ुसल करते समय बातें न करें। ग़ुसल के बाद किसी कपड़े से शरीर पूंछ डाले और शरीर ढांपने में बहुत शीघ्रता करे यहां तक कि यदि वज़ू करते समय पैर न धोये हों तो ग़ुसल के स्थान से हट कर पहले अपना शरीर ढके फिर दोनों पैर धोवे।

मसला न. ५ : यदि एकान्त हो जहाँ कोई न देख सके तो नंगे होकर भी नहाना ठीक है। चाहे खड़े होकर नहा लें या बैठकर चाहे ग़ुसल ख़ाने की छत छपी हो या खुली। परन्तु विशेष रूप से स्त्री का बैठ कर नहाना ठीक है क्योंकि इसमें पर्दा अधिक है और नाफ (सुण्डी) से लेकर घुटने के नीचे तक दूसरी औरत के सामने भी शरीर खोलना पाप है। कुछ औरतें दूसरी औरतों के सामने नंगी नहाती हैं यह बड़ी निर्लज्जता की बात है।

मसला न. ६ : जब तमाम शरीर पर पानी खूब पड़ जावे, कुल्ली कर लें नाक में पानी डाल लें तो ग़ुसल हो जावेगा चाहे ग़ुसल करने का इरादा हो या न हो। यदि पानी बरसते समय ठण्डक प्राप्त करने के लिए बारिश में खड़ा हो जावे या हौज़ आदि में गिर पड़े और पूरा शरीर भीग जावे और कुल्ली भी कर ली जावे और नाक में पानी भी डाल लिया तो ग़ुसल हो गया इसी प्रकार ग़ुसल करते समय कलमा पढ़ना या पढ़कर पानी दम करना भी आवश्यक नहीं। चाहे कलमा पढ़ें या न पढ़ें। प्रत्येक दशा में आदमी पाक हो जाता है। बल्कि नहाते समय कलमा या दुआ पढ़ना ठीक नहीं। उस समय कुछ न पढ़े।

मसला न. ७ : यदि शरीर भर में बाल बराबर भी कोई स्थान सूखा रह गया तो ग़ुसल न होगा। इसी प्रकार यदि ग़ुसल करते समय कुल्ली करना भूल जायें या नाक में पानी नहीं डाला तो भी ग़ुसल नहीं हुआ।

मसला न. ८ : यदि ग़ुसल के बाद याद आये कि अमुक स्थान सूखा रह गया था तो फिर से नहाना जरूरी नहीं बलकि जहां सूखा रह गया था उसी को धो लेव लेकिन केवल हाथ फेर लेमा ही ठीक नहीं कुछ पानी लेकर उस जगह बहा लेना चाहिए। यदि कुल्ली करना भूल गया तो अब कुल्ली कर ले नाक में पानी देना भूल गया तो अब डाल लें। अर्थात जो वस्तुभूल गया उसको कर ले पूरा ग़ुसल करने की आवश्यकता नहीं।

मसला न. ९ : यदि किसी बीमारी के कारण सर पर पानी डालना हानिकारक है तो सर

छोड़ कर सारा शरीर धो ले तब भी ग़ुसल हो गया लेकिन जब अच्छा हो जावे तो अब सिर धो डाले फिर से नहाने की ज़रूरत नहीं।

मसला न. १० : स्त्री के पेशाब के स्थान के आगे की खाल के अन्दर पानी पहुंचाना ग़ुसल में अनिवार्य है अगर पानी न पहुंचेगा तो ग़ुसल न होगा।

मसला न. ११ : यदि स्त्री के सिर के बाल गुंधे हुयें न हों तो सब बाल भिगोना और सारी जड़ों में पानी पहुंचाना अनिवार्य है यदि एक बाल भी सूखा रह गया या एक बाल की भी जड़ में पानी न पहुंचा तो ग़ुसल न होगा और यदि बाल गुंधे हुएं हैं तो बालों का भिगोना माफ हैं हाँ सब बालों की जड़ो में पानी पहुंचना फ़र्ज है एक जड़ भी सूखी न रहने पाये और यदि बिना खोले सब जड़ों में पानी न पहुंचे तो बालों को खोल डाले और बालों को भी भिगोवे।

मसला न. १२ : स्त्री नथ और बालियों और अंगूठी छल्लों को ख़ूब हिला लेवें कि पानी छेदों में चला जावे और यदि बालियां न पहने तब भी छेदों में पानी पहुंचावें ऐसा न हो कि पानी न पहुंचे और ग़ुसल ठीक न हो। हाँ यदि अंगूठी छल्ले ढीले हों कि बिना हिलाये भी पानी पहुंच जाये तो हिलाना आवश्यक नहीं लेकिन हिला ले तो अच्छा है।

मसला न. १३ : यदि नाख़ून में आटा लग कर सूख गया और उस के नीचे पानी नहीं पहुंचा तो ग़ुसल नहीं हुआ जब याद आवे और आटा देखें तो आटा छुड़ा कर पानी डाल लेवें अगर पहुंचाने से पहले कोई नमाज़ पढ़ ली तो उसको दोबारा पढ़े।

मसला न. १४ : यदि हाथ पांव फट गये हों और उनमें मोम, रोग़न कोई और दवा भरी हो तो उसके ऊपर से पानी बहा लेना ठीक है।

मसला न. १५ : कान और नाक में भी भली-भांति पानी पहुंचाना चाहिए पानी न पहुंचाने पर ग़ुसल न होगा।

मसला न. १६ : नहाते समय कुल्ली नहीं की लेकिन मुहं भर कर पानी पी लिया कि सारे मुहं में पानी पहुंच गया तो भी ग़ुसल हो गया। क्योंकि मतलब तो सारे मुहं में पानी पहुंच जाने से है कुल्ली करे या न करें। हाँ यदि पानी इस प्रकार पिये कि पूरे मुहं में पानी न पहुंचे तो यह पानी पीना काफ़ी नहीं कुल्ली कर लेना चाहिए।

मसला न. १७ : यदि बालों में या हाथ पैर में तेल लगा हो कि शरीर पर पानी भली-

भांति ठहरता नहीं है बल्कि पड़ते ही ढल जाता है। तो उसकी कोई हानि नहीं। जब पूरे शरीर और सर पर पानी डाल दिया तोग़ुसल हो गया।

मसला न. १८ : यदि दान्तों के बींच में कुछ फंस गया तो उसको निकाल डाले इस के कारण यदि दान्तों के बींच में पानी नहीं पहुंचा तो ग़ुसल न होगा।

मसला न. १९ : स्त्री के माथे पर लेप हो या बालों में इतना गोंद लगा हुआ है कि बाल भली-भाँति न भीगें, तो गोंद छुड़ा डालें और लेप धो डाले। यदि गोंद के नीचे पानी नहीं पहुंचेगा तो ग़ुसल न होगा।

मसला न. २० यदि मिस्सी दांतों पर जमी है तो उसको छुड़ा कर कुल्ली करे नहीं तो ग़ुसल न होगा।

मसला न. २१ : किसी की आंखे दुखती हैं इसलिए उसकी आँखों से कीचड़ बहुत निकला और ऐसा सूख गया कि उसको न छुड़ायेंगे तो उसके नीचे आंख के कोये में पानी न पहुचेगा तो उसका छुड़ा डालना आवश्यक है। बिना उसके छुड़ायें न वज़ू ठीक होगा और न ग़ुसल।

हदसे अकबर अर्थात उस नापाकी का बयान जिससे ग़ुसल फर्ज़ होता है

मसला न. १ : बड़ी नापाकी से पाक होने के लिए ग़ुसल फर्ज़ है और बड़ी नापाकी उत्पन्न होने के चार कारण है।

(१) मनी का अपने स्थान से वासना के साथ अलग होकर शरीर से बाहर निकलना चाहे जागते में हो या सोते में हो। बेहोशी में हो या होश में। सम्भोग से हो या बिना सम्भोग के। किसी विचार से हो या लिंग हिलाने से। या किसी दूसरे प्रकार से।

मसला न. २ : यदि मनी अपने स्थान से वासना के साथ चली मगर लिंग या योनि से बाहर निकलते समय वासना न थी तब भी ग़ुसल फर्ज हो जाता है। जैसे मनी अपने स्थान से ज़ोश के साथ चली मगर आदमी ने लिंग के सौराख़ को हाथ से बन्द कर लिया या रूई आदि रख ली थोडी दे बाद जब जोश ठन्डा हो गया तो उसने लिंग के सूराख़ से रूई हटा ली ओर मनी बिना जोश के निकल आयी उस समय भी ग़ुसल फर्ज़ हो जाता है।

मसला न. ३ : यदि किसी के लिंग या योनि से कुछ मनी निकली और उसने स्नान कर

लिया स्नान के पश्चात थोड़ी सी बिना जोश के निकली तो इस दशा में पहला स्नान समाप्त हो जायेगा। दोबारा फिर स्नान करें। शर्त यह है कि बाक़ी मनी सोने या पेशाब करने से पहले और चालीस कदम या उससे अधिक चलने से पहले निकले मगर इस बाकी वीर्य के निकलने से पहले यदि नमाज़ पढ़ ली तो वह नमाज़ ठीक होगी। उसको लौटाना आवश्यक नहीं।

मसला न. ४ : किसी के लिंग या योनि से पेशाब के पश्चात मनी निकले तो उस पर भी स्नान फर्ज़ है। शर्त यह है कि वासना पूर्ण निकले।

मसला न. ५ : यदि की मर्द या स्त्री को अपने शरीर या कपड़े पर सो कर उठने के पश्चात तरी अनुभव हो तो उसमें अनेकों दशायें हैं। इनमें से आठ में गुसल करना फ़र्ज़ है। वे इस प्रकार हैं-

१. विश्वास या अधिक सम्भावना हो जाये कि यह मनी है और स्वप्नदोष याद हो।

२. विश्वास हो जाये कि यह मनी है और स्वप्न दोष याद न हो।

३. विश्वास हो की यह मज़ी है और स्वप्न दोष याद हो।

४. शंका हो की यह मनी है या मज़ी है और स्वप्न दोष याद न हो।

५. शंका हो की यह मनी है या वदी है और स्वप्न दोष याद हो।

६. शंका हो की यह मज़ी है या वदी है और स्वप्न दोष याद हो।

७-८ शंका हो कि यह मनी है या मज़ी है या वदी है और स्वप्न दोष याद न हो।

मसला न. ६ : यदि किसी आदमी का ख़तना न हुआ हो और उसकी मनी लिंग के छेद से बाहर निकल कर उस खाल के अन्दर रह जावे जो ख़तना में काट डाली जाती है। तो उस पर गुसल फ़र्ज़ हो जायेगा। यद्यपि मनी उस खाल के बाहर न निकली हो।

कारण नम्बर (२) लिंग का अन्दर डालना। अर्थात किसी ऐसे पुरूष के जिसे वासना उभरती हो। लिंग के सर का किसी जीवित औरत की योनि में या किसी दूसरे जिन्दा आदमी के पीछे के भाग में डालना, चाहे वह मर्द हो या औरत या नपुसंक। चाहे मनी गिरे या न गिरे। इस दशा में यदि दोनों में गुसल के ठीक होने की शर्ते पाई जाती है। अर्थात दोनों बालिग़ हैं तो दोनों पर, नहीं तो जिसमें पायी जाती है। उस पर गुसल फर्ज हो जायेगा।

मसला न. ७ : यदि स्त्री कम आयु की है मगर इतनी कम आयु की नहीं कि उस के साथ सम्भोग ही न किया जा सके तो उसकी योनि में मर्द के लिंग का सर प्रवेश हो जाने से मर्द पर ग़ुसल फ़र्ज हो जायेगा। यदि वह पुरूष बालिग़ है।

मसला न. ८ : जिस व्यक्ति के खुसिये (फोते) कट गये हो उसके लिंग का सर किसी के पिछले भाग या स्त्री की योनि में प्रवेश हो गया तो भी दोनों पर ग़ुसल फ़र्ज़ हो जायेगा। शर्त यह है, कि दोनों बालिग़ हों नहीं तो जो बालिग़ होगा केवल उसी पर ग़ुसल फ़र्ज़ होगा।

मसला न. ९ : यदि किसी पुरूष के लिंग का सर कट गया हो तो उसके बाक़ी भाग से उसके सर के अनुपात को माना जायेगा। अर्थात यदि बाक़ी अंग से लिंग के अगले भाग के बराबर प्रवेश हो गया तो ग़ुसल वाज़िब होगा नहीं तो नहीं।

मसला न. १० : यदि कोई मर्द अपने लिंग को निरोध आदि चढ़ाकर प्रवेश करे तो यदि शरीर की गर्मी अनुभव हो तो ग़ुसल फ़र्ज हो जायेगा। परन्तु सावधानी इसी में है कि शरीर की गर्मी अनुभव हो या न हो ग़ुसल फ़र्ज़ हो जायेगा।

मसला न. ११ : यदि कोई स्त्री वासना स्वरूप अपनी योनि में किसी वासना रहित मर्द या जानवर के लिंग को या किसी लकड़ी आदि या अपनी उंगली को प्रवेश कर ले तो भी उस पर ग़ुसल फ़र्ज हो जायेगा। मनी गिरे या न गिरे।

कारण नम्बर (३) बड़ी नापाकी के उत्पन्न होने का तीसरा कारण माहवारी से पाक होना।

कारण नम्बर (४) चौथा कारण निफ़ास (वह ख़ुन जो बच्चा ज़नने के पश्चात स्त्री को आता है।) से पाक होना।

जिन दशाओं में ग़ुसल वाजिब है

मसला न. १ : यदि कोई काफिर इस्लाम लाये और इस्लाम से पहले उस पर ग़ुसल फर्ज़ हूआ हो और वह न नहाया हो या नहाया हो परन्तु धार्मिक नियमानुसार न नहाया हो उस पुर इस्लाम लाने के बाद नहाना वाज़िब है।

मसला न. २ : यदि कोई व्यक्ति पन्द्रह वर्ष से पहले बालिग हो जाये और उसको प्रथमबार स्वप्न दोष हो तो उस पर सावधानी के रूप में ग़ुसल वाज़िब है। इस के बाद जो स्वप्न दोष हो या पन्द्रह वर्ष की आयु के बाद स्वप्न दोष हो तो ग़ुसल फर्ज़ है।

मसला न. ३ : मुसलमान मुर्दे की लाश को नहलाना मुसलमानों पर फ़र्ज़ किफ़ाया है।

मसला न. ४ : सोते या जागते में जब जवानी की वासना (जोश) के साथ वीर्य निकल आये तो ग़ुसल वाज़िब हो जाता है। चाहे मर्द के हाथ लगाने से निकले या केवल विचार आने और ध्यान करने से या और किसी प्रकार से निकले प्रत्येक दशा में ग़ुसल वाज़िब है।

मसला न. ५ : यदि आंख खुली और कपड़े या शरीर पर मनी लगी हुई देखी तो भी ग़ुसल करनावाज़िब है। चाहे सोते में कोई सपना देखा हो या न देखा हो।

चेतावनी : जवानी की वासना और जोश के समय प्रथम-प्रथम जो पानी निकलता है और उसके निकलने से जोश अधिक हो जाता है कम नहीं होता उसको मज़ी कहते हैं और ख़ूब मज़ा आकर जब जी भर जाता है उस समय जो निकलता है उसको मनी कहते हैं इन दोनों का अन्तर यही है कि मनी निकलने के पश्चात मन भर जाता है। और उत्तेजना समाप्त हो जाती है और मज़ी के निकलने से उत्तेजना कम नहीं होती बल्कि अधिक हो जाती है। और मज़ी पतली होती है। और मनी गाढ़ी होती है केवल मज़ी निकलने से ग़ुसल वाज़िब नहीं होता है। हाँ वज़ू टूट जाती है।

मसला न. ६ : जब मर्द के लिंग की सुपारी (अगला भाग) अन्दर चली जाये और छिप जाये तो भी ग़ुसल वाज़िब हो जाता है। चाहे मनी निकले या न निकले मर्द की सुपारी आगे के मार्ग में गई हो तो भी ग़ुसल वाज़िब हो जाता है चाहे कुछ न निकला हो और यदि पीछे के मार्ग में गयी हो तब भी ग़ुसल वाजिब है परन्तु पीछे के मार्ग में करना और कराना बड़ा पाप है।

मसला न. ७ : स्त्री को जो ख़ून आगे के मार्ग से प्रति माह आया करता है उसको हैज कहते हैं जब यह ख़ून बन्द हो जाये तो ग़ुसल करना वाज़िब है। जो ख़ून बच्चा पैदा होने के बाद आता है। उसको निफास कहते हैं। उसके बन्द होने पर ग़ुसल करना वाज़िब है। कहने का तात्पर्य यह है कि चार वस्तुओं से ग़ुसल वाज़िब होता है।

१ वासना और जोश के साथ मनी निकलना।

२. मर्द की सुपारी का अन्दर चला जाना।

३ हैज के ख़ून के बाद

४. निफास का खुन बन्द हो जाने के बाद।

मसला न. ८ : कम आयु की पत्नी से यदि किसी ने सम्भोग किया जो अभी जवान नहीं हुई थी, तो उस पर ग़ुसल वाज़िब नहीं लेकिन आदत डालने के लिए ग़ुसल कराना चाहिए।

मसला न. ९ : सोते समय पुरूष के पास रहने और सम्भोग करने का सपना स्त्री ने देखा और आनन्द भी आया लेकिन आंख खुली तो देखा मनी नहीं निकली है तो उस पर ग़ुसल वाज़िब नहीं है, हा यदि मनी निकल आयी है तो ग़ुसल वाजिब है और यदि शरीर या कपड़े पर कुछ भीगा-भीगा ज्ञात हो लेकिन यह विचार हो कि यह मज़ी है मनी नहीं है। उस समय भी ग़ुसल करना वाज़िब है।

मसला न. १० : यदि थोड़ी सी मनी निकली और ग़ुसल कर लिया फिर नहाने के पश्चात और मनी निकल गयी तो फिर नहाना वाज़िब है। यदि नहाने के पश्चात पुरूष की मनी निकली जो स्त्री के अन्दर थी तो ग़ुसल ठीक हो गया। फिर नहाना वाज़िब नहीं।

मसला न. ११ : बीमारी या किसी और कारण आप ही आप मनी निकल पड़ी यदि उत्तेजना और इत्छा बिल्कुल नहीं थी तो ग़ुसल वाज़िब नहीं हाँ वज़ू टूट जायेगी।

मसला न. १२ : पति- पत्नी दोनों एक पलंग पर सो रहे थे। जब उठे तो चादर पर मनी का धब्बा देखा और सोते में सपने का देखना न मर्द को याद है और न औरत को तो दोनों नहा लें सावधानी इसी में है क्योंकि ज्ञात नहीं यह किसकी मनी है।

मसला न. १३ : जब कोई किसी दूसरे धर्म का आदमी मुसलमान हो जाये तो उसको ग़ुसल कर लेना मुस्तहब है।

मसला न. १४ : जब कोई मुर्दे को नहलावे तो नहलाने के पश्चात गुसल कर लेना मुस्तहब है।

मसला न. १५ : जिस पर नहाना वाज़िब है वह यदि नहाने से पहले कुछ खाना पीना चाहे तो पहले अपने हाथ मुहं धोले और कुल्ली कर ले फिर खायें पिये। और यदि बिना हाथ मुंह धोये खाये तब भी पाप नहीं।

मसला न. १६ : जिन को ग़ुसल की आवश्यकता है उनको क़ुरान मजीद छूना और उसका पढ़ना या मस्जिद में जाना ठीक नहीं है। हाँ अल्लाह का नाम लेना और कलमा व दरूद पढ़ना ठीक है।

मसला न. १७ : तफसीर (क़ुरान की व्याख्या) की किताबों को बे नहाय और बे वज़ू

छूना मकरूह है और केवल अनुवाद के क़ुरान को छूना बिल्कुल हराम है।

जिन दशाओं में ग़ुसल फ़र्ज़ नहीं

मसला न. १ : वीर्य यदि अपने स्थान से वासना और जोश के साथ अलग न हो यद्यपि लिंग से बाहर निकल आये। ग़ुसल फ़र्ज़ न होगा। जैसे किसी आदमी ने बोझ उठाया या ऊंचे से गिर पड़ा और चोट से उसका वीर्य बिना वासना व जोश के निकल आया तो उस पर ग़ुसल फ़र्ज़ न होगा।

मसला न. २ : यदि कोई पुरूष किसी कम आयु लड़की से सम्भोग करे तो ग़ुसल फ़र्ज़ न होगा शर्त यह है कि मनी न गिरे। और वह स्त्री इतनी कम आयु की हो कि वह सम्भोग के योग्य न हो।

मसला न. ३: यदि कोई पुरूष अपने लिंग पर कोई ऐसी वस्तु चढ़ाकर सम्भोग करे जिससे कि शरीर की गर्मी और सम्भोग का आनन्द उस वस्तु के कारण अनुभव न हो। तो ग़ुसल फ़र्ज़ न होगा। मगर अधिक सावधानी इसमें है कि लिंग के अगले भाग के छुप जाने से ग़ुसल वाज़िब हा जायेगा।

मसला न. ४ : यदि कोई मर्द अपने लिंग के शीर्ष के कम भाग को प्रवेश करे तब भी ग़ुसल वाज़िब न होगा।

मसला न. ५ : मज़ी और वदी के निकलने से ग़ुसल फर्ज नहीं होता।

मसला न. ६ : हैज और निफास के अतिरिक्त बीमारी से स्त्री को जो रक्त बहता है उससे ग़ुसल वाज़िब नहीं होता।

मसला न. ७ : यदि किसी व्यक्ति को मनी बहते रहने की बीमारी हो तो उसके ऊपर इस मनी के निकलने से ग़ुसल फ़र्ज़ नहीं होता।

मसला न. ८ : सोकर उठने के पश्चात कपड़ो पर तरी देखें तो इन निम्न दशाओं में ग़ुसल फ़र्ज़ न होगा।

१. विश्वास हो जाये कि यह मज़ी है और स्वप्न दोष याद न हो।

२. शंका हो कि यह मनी है या वदी है और स्वप्न दोष याद न हो।

३. शंका हो कि यह मज़ी है या वदी है और स्वप्न दोष याद न हो।

४. ५ विश्वास हो जाये की यह वदी है और स्वप्नदोष याद हो या न हो।

६. शंका हो कि यह मनी या मज़ी या वदी हैऔर स्वप्न दोष याद न हो।

हाँ पहली दूसरी और छठी दशा में सावधानी के लिए ग़ुसल कर लेना वाज़िब है। यदि ग़ुसल न करेगा तो नमाज़ न होगी और सख़्त गुनाह होगा क्योंकि इस

में इमाम अबुयूसुफ का इमाम अबु हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद से मत भेद है। इमाम अबुयूसुफ ने कहा कि ग़ुसल वाज़िब नहीं और दूसरों ने वाज़िब बताया और फतवा दूसरों के कहने पर है।

मसला न. ९ : हुकना (पाखाने के मार्ग से किसी दवा का चढाना) से ग़ुसल फर्ज़ नहीं होता।

मसला न. १० : यदि कोई व्यक्ति अपना लिंग किसी स्त्री या मर्द की नाफ़ (सुण्डी) में प्रवेश करे और मनी न निकले तो उस पर ग़ुसल फर्ज़ नहीं।

मसला न. ११ : यदि कोई व्यक्ति सपने में अपनी मनी गिरते देखें और मनी गिरने का आनन्द भी उसको आये मगर कपड़ो पर कोई तरी या कुछ प्रभाव ज्ञात न हो तो ग़ुसल फ़र्ज़ न होगा।

जिन दशाओं में ग़ुसल सुन्नत है

मसला न. १ : जुमे के दिन फज्र की नमाज़ के बाद से जुमें तक उन लोगों को स्नान करना सुन्नत है जिन पर जुमे की नमाज़ वाज़िब है।

मसला न. २ : दोनों ईदों के दिन फज्र की नमाज़ के पश्चात ग़ुसल करना उन लोगों के लिए सुन्नत है जिन पर दोनों ईदों की नमाज़ वाज़िब है।

मसला न. ३ : हज़ या उमरा के एहराम के लिए ग़ुसल करना सुन्नत है।

मसला न. ४ : हज करने वाले को अरफ़ा के दिन सूर्य ढलने के पश्चात ग़ुसल करना सुन्नत है।

जिन दशाओं में ग़ुसल मुस्तहब है

(१) इस्लाम लाने के लिए ग़ुसल करना मुस्तहब है यदि बडी नापाकी से पाक हो।

(२) कोई मर्द या औरत जब पन्द्रह वर्ष की आयु को पहुंचे और उस समय तक उस में कोई जवानी की निशानी न पाई जाये तो उसको ग़ुसल करना मुस्तहब है।

(३) पछने लग वाने के पश्चात, जुनून और मस्ती और बेहोशी दूर हो जाने के पश्चात ग़ुसल करना या मुस्तहब है।

(४) मुर्दे को नहलाने के पश्चात नहलाने वाले को ग़ुसल करना मुस्तहब है।

(५) शब बरात अर्थात शाबान की पन्द्रहवीं रात को ग़ुसल करना मुस्तहब है।

(६) लैलतुल कद्र की रातों में उस आदमी को ग़ुसल करना मुस्तहब है। जिस को लैलतुल कद्र ज्ञात हुई है।

(७) मदीनह मुनव्वरा में प्रवेश करने के लिए ग़ुसल मुस्तहब है।

(८) मुज़ दलफ़ा में ठहरने के लिए दसवीं ज़ीकादह की सुबह को फज्र होने पर ग़ुसल करना मुस्तहब है।

(९) तवाफ़े ज़ियारत के लिए ग़ुसल करना मुस्तहब है।

(१०) मिना में कंकरी फ़ेंकने के लिए ग़ुसल मुस्तहब है।

(११) चन्द्र ग्रहन, सूर्य ग्रहन और बारिश के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज़ों के लिए ग़ुसल मुस्तहब है।

(१२) डर और मुसीबत की नमाज़ के लिए ग़ुसल मुस्तहब है।

(१३) किसी गुनाह से तोबाह करने लिए ग़ुसल मुस्तहब है।

(१४) यात्रा से वापस आने वाले पर ग़ुसल मुस्तहब है।

(१५) सभा में जाने के लिए, नये, कपड़े पहनने के वास्ते ग़ुसल मुस्तहब है।

(१६) जिसको कत्ल किया जाता है। उसको ग़ुसल करना मुस्तहब है।

बड़ी नापाकी से सम्बन्धित आदेश

मसला न. १: इस दशा में मस्जिद में प्रवेश करना हराम हैं। हां यदि कोई अति आवश्यकता हो तो ठीक है जैसे किसी के घर का द्वार मस्जिद में है दूसरा कोई द्वार उसके निकलने का उस के अतिरिक्त नहीं। और न वहां के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर रह सकता हो उसको मस्जिद में मयम्मुम करके जाना जायज़ है या किसी मस्जिद में पानी का स्त्रोत या कुवां या हौज़ हो और उसके अतिरिक्त कहीं पानी न हो तो उस मस्जिद में तयम्मुम करके जाना जायज़ है।

मसला न. २ : ईदगाह में और मदरसे आदि में जाना जायज़ है।

मसला. न. ३: हैज़ व नफास की दशा में औरत की नाफ़ और जांघों के बीच के भाग को देखना या उससे अपना शरीर मिलाना जब कोई कपड़ा बीच में न हो और सम्भोग करना हराम है।

मसला न. ४ : हैज़ व नफास की दशा में औरत का चुम्बन करना और जूठा पानी पीना और उससे लिपट कर सोना और उसकी नाफ़ और नाफ़ के ऊपर और जाँघों

और जांघों के नीचे के शरीर को अपने शरीर से मिलाना यद्यपि कपड़ा बीच में न हो और नाफ़ और जांघ के बीच में कपड़े के साथ मिलाना ठीक है। बल्कि हैज़ के कारण स्त्री से अलग होकर सोना या उसके साथ उठने बैठने से बचना मकरूह है।

मसला न. ५ : यदि कोई पुरूष सोकर उठने के पश्चात अपने लिंग पर तरी देखें और सोने से पहले उसके लिंग को जोश हो तो उस पर ग़ुसल फर्ज़ न होगा और वह तरी मज़ी समझी जायेगी। शर्त यह है कि स्वप्न दोष याद न हो और उस तरी क्रे वीर्य होने का अधिक विचार न हो। यदि रान आदि या कपड़े पर भी तरी हो तो ग़ुसल हर दशा में वाज़िब है।

मसला न. ६ : यदि दो मर्द या दो औरतें या एक मर्द और एक औरत एक ही बिस्तर पर लेटें और सो उठने के पश्चात उस बिस्तर पर वीर्य का निशान पाया जाये और किसी प्रकार यह ज्ञात न हो सके की किस की मनी है। और न इन से पहले इस बिस्तर पर कोई सोया हो। इस दशा में दोनों पर ग़ुसल फ़र्ज़ होगा। यदि इन से पहले कोई और सो चुका और वीर्य सूखा है तो इन दोनों दशाओं में किसी पर ग़ूसल फर्ज़ न होगा।

मसला न. ७ : किसी पर ग़ुसल फर्ज़ हुआ और पर्दे का स्थान न हो तो उसका मसला यह है कि मर्द को मर्द के सामने नंगा होकर नहाना वाज़िब है। इसी प्रकार औरत को औरतों के सामने भी नहाना वाज़िब है। मर्द को औरतों के सामने और औरतों को मर्द के सामने नहाना हराम है। तयम्मुम करे।

तयम्मुम का वर्णन

मसला न. १ : कुयें से पानी निकालने की कोई वस्तु न हो और न कोई कपड़ा हो जिसको कुयें में डाल कर तर कर ले और उसको निचोड़ कर पाकी प्राप्त करें। या पानी मटके आदि में हो और कोई वस्तु पानी निकालने की न हो और मटका झुका कर भी पानी न ले सकता हो और हाथ नापाक हो और कोई दूसरा आदमी ऐसा न हो जो पानी निकाल दे या उसके हाथ को धुला दे। ऐसी दशा में तयम्मुम ठीक है।

मसला न. २ : यदि वह बाधा जिस के कारण तयम्मुम किया गया है। आदमियों की ओर से हो तो बाधा दूर हो जाने की दशा में जितनी नमाज़े इस तयम्मुम से पढ़ी

हैं दोबारा पढ़नी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जैल खाने में हो और जेल के आदमी उसको पानी न दें या कोई व्यक्ति उससे कहे कि यदि तू वज़ू करेगा तो तुझ को मार डालूगा। इस तयम्मुम से जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं उनकों फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा।

मसला न. ३ : एक स्थान से और एक ढेले से कुछ व्यक्ति एक के बाद दूसरा तयम्मुम करें तो जायज़ है।

मसला न. ४: जो व्यक्ति पानी और मिट्टी दोनों के प्रयोग की शक्ति न रखे. चाहे मिट्टी पानी न होने के कारण या बीमारी से तो उसको चाहिए कि नमाज़ बिना मकरूह समझे, पढ़ लें फिर उस को वज़ू करके दोबारा भी पढ़ ले। जैसे कोई व्यक्ति रेल में हो और नमाज़ का समय आ गया और पानी या वह वस्तु जिससे तयम्मुम ठीक है। जैसे मिट्टी या मिट्टी के बर्तन या धूल, न हो और नमाज़ का समय जा रहा हो तो ऐसी दशा में बिना कराहत नमाज़ पढ़ ले इसी प्रकार जो व्यक्ति जेल में हो और पानी व मिट्टी के प्रयोग पर शक्ति न रखता हो। तो बिना वज़ू और तयम्मुम के नमाज़ पढ़ ले और दोनों दशा में नमाज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी।

मसला न. ५: जिस व्यक्ति को अन्तिम समय तक पानी मिलने का विश्वास या अधिक सम्भावना हो उसको नमाज़ के अन्तिम मुस्तहब समय तक पानी की प्रतीक्षा करनी चाहिए जैसे कुयें से पानी निकालने की कोई वस्तु न हो और यह विश्वास या सम्भावना हो कि अन्तिम मुस्तहब समय तक डोल रस्सी मिल जायेगा। या कोई व्यक्ति रेल पर सवार हो और विश्वास या अधिक सम्भावना हो कि अन्तिम समय तक रेल ऐसे स्टेशन पर पहुंच जायेगी जहां पानी मिल सकता है तो अन्तिम मुस्तहब समय तक प्रतीक्षा मुस्तहब है।

मसला न. ६: यदि कोई व्यक्ति रेल पर सवार हो और उसने पानी न मिलने के कारण तयम्मुम किया हो और मार्ग में उसको चलती रेल से पानी के स्रोत-तालाब आदि दिखाई दें तो उसका तयम्मुम न जायेगा। क्योंकि ऐसी दशा में वह पानी के प्रयोग पर शक्ति नहीं रखता। रेल नहीं रूक सकती और वह चलती रेल से उतर भी नहीं सकता।

मसला न. ७ : यदि कोई जंगल में है और बिल्कुल पता नहीं कि पानी कहाँ है न वहां कोई ऐसा आदमी हैं जिससे जानकारी कर ली जाये तो ऐसे समय तयम्मुम कर लेवे और यदि कोई आदमी मिल गया और उसने एक धार्मिक मील के अन्दर

अन्दर पानी का पता बतलाया और अधिक सम्भावना हो कि वह सच्चा है। या आदमी तो नहीं मिला लेकिन किसी निशानी से स्वयं उसका जी कहता है की यहां एक एक धार्मिक मील के अन्दर-अन्दर कहीं पानी अवश्य है तो पानी को इतना ढूंढंना आवश्यक है की उसको और उसके साथियों को किसी प्रकार की तकलीफ़ और परेशानी न हो। बिना ढूंढें तयम्मुम करना ठीक नहीं और यदि पूरा विश्वास हो कि एक धार्मिक मील के अन्दर पानी है तो पानी लाना वाज़िब है।

चेतावनी : धार्मिक मील अंग्रेंजी मील से कुछ बड़ा होता है। अर्थात अंग्रेजी एक मील पूरा और दूसरे का आठवाँ भाग यह सब मिला कर एक धार्मिक मील होता है।

मसला न. ८ : पानी का पता चल गया लेकिन पानी एक मील से दूर है इतनी दूर जा कर पानी लाना वाज़िब नहीं बल्कि तयम्मुम करना ठीक है।

मसला न. ९ : यदि कोई आबादी से एक मील दूर हैऔर एक मील से समीप कहीं पानी नहीं तो भी तयम्मुम करना ठीक है। चाहे यात्री हो या यात्री न हो।

मसला न. १० : यदि मार्ग में कुवां तो मिल गया मगर लोटा डोर पास नहीं है न किसी से मांगा मिल सकता है तो भी तयम्मुम ठीक है।

मसला न. ११ : यदि कहीं पानी मिल गया लेकिन बहुत थोड़ा है तो यदि इतना हो कि एक बार मुंह और दोनों हाथ पैर धो ले तो तयम्मुम करना ठीक नहीं बल्कि एक-एक बार इन चीज़ों को धोले। और सिर का मसह कर लेवे और कुल्ली आदि करना अर्थात वज़ू की सुन्नतें छोड़ दें और यदि इतना भी न हे तो तयम्मुम कर लेवे।

मसला न. १२ : यदि बीमारी के कारण पानी हानि कारक है कि यदि वज़ू करेगा या ग़ुसल करेगा तो बीमारी बढ़ जायेगी। या देर में अच्छा होगा तब भी तयम्मुम ठीक है। लेकिन यदि ठन्डा पानी हानि कारक हो और गर्म पानी हानि न करे तो गर्म पानी से ग़ुसल करना आवश्यक है। हां यदि कहीं ऐसी जगह है कि गर्म पानी नहीं मिल सक्ता तो तयम्मुम करना ठीक है।

मसला न. १३ : यदि पानी समीप है अर्थात विश्वास पूर्वक एक मील के अन्दर है तो तयम्मुम ठीक नही जाकर पानी लाना और वज़ू करना आवश्यक है। पुरूषों सें लज्जा के कारण या पर्दे के कारण पानी लेने न जाना और तयम्मुम कर लेना स्त्री के लिए ठीक नहीं ऐसा पर्दा जिससे शरिअत का कोई आदेश छूट

जावे ठीक नहीं हराम है। बुर्का ओढ़ कर य सारे शरीर पर चादर लपेट कर जाना आवश्यक है। अलबत्ता लोगों के सामने बैठ कर वज़ू न करे और उनके सामने हाथ मुहं न खोले।

मसला न. १४ : जब तक पानी से वज़ू न कर सके बराबर तयम्मुम करता रहे चाहे जितने दिन बीत जायें कोई संदेह या शंका मन में न लावे। जितनी पाकी वज़ू और ग़ुसल से होती है उतनी ही पाकी तयम्मुम से भी हो जाती है। यह न समझे की तयम्मुम से भली भांति पाक नहीं होता।

मसला न. १५ : यदि पानी मोल बिकता हे तो यदि पैसे न हों तो तयम्मुम कर लेना ठीक है। और यदि पैसे हों और किराये भाड़े या यात्रा के खर्च से अधिक हों तो पानी खरीद ना वाज़िब है। हाँ, यदि इतना महंगा हो कि कोई इतने पैसे लगा नहीं सकता तो खरीदना आवस्यक नहीं तयम्मुम कर लेना ठीक है। और यदि रास्ते के भाड़े से अधिक नहीं है तो भी ख़रीदना वाजिब नहीं मयम्मुम कर लेना ठीक है।

मसला न. १६ : यदि कहीं इतनी ठन्डक पड़ती है कि बर्फ पड़ती हो नहाने से मर जाने या बीमार पड़ जाने का भय हो और लिहाफ़ कम्बल आदि कुछ न हो कि नहाकर उसमें गर्म हो जावे ऐसी मजबूरी में तयम्मुम कर लेना ठीक है।

मसला न. १७ : यदि किसी के आधे से अधिक शरीर पर घाव हों या चेचक निकली हो तो नहाना वाज़िब नहीं तयम्मुम कर लेवें।

मसला न. १८ : यदि किसी स्थान में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली और पानी वहां से समीप था परन्तु पता नहीं था तो तयम्मुम और नमाज़ दोनों ठीक हो गयी। ज्ञात होने पर दो बारा पढ़ना आवश्यक नहीं।

मसला न. १९ : यदि यात्रा में किसी दूसरे के पास पानी है तो अपने मन में विचार करें कि यदि मन कहता है कि मांगूंगा तो पानी मिल जायेगा। तो बिन मांगे तयम्मुम करना ठीक नहीं और यदि मन कहता है कि मांगने पर वह व्यक्ति नहीं देगा तो बिन मांगे तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेना ठीक है परन्तु नमाज़ के पश्चात यदि पानी मांगा और उसने दे दिया तो नमाज़ को दोहराना पड़ेगा।

मसला न. २० : यदि ज़म-ज़म का पानी ड्रम में भरा है तो तयम्मुम करना ठीक नहीं। ड्रम को खोलकर उससे वज़ू करना और नहाना जरूरीहै।

मसला न. २१ : किसी के पास पानी तो है परन्तु रास्ता इतना खराब हे कि कहीं पानी

नहीं मिल सकता इसलिये यात्रा में प्यास के मारे कष्ट होने और मर जाने का भय है। तो वज़ू न करें तयम्मुम कर लेना ठीक है।

मसला न. २२ : यदि ग़ुसल करना हानि कारक हो और वज़ू हानि न पहुचायें तो ग़ुसल के स्थान पर तयम्मुम कर ले फिर यदि वह तयम्मुम टूट जाये तो वज़ू के लिए तयम्मुम न करे। बल्कि वज़ू के स्थान पर वज़ू ही करना चाहिए। फिर यदि इस तयम्मुम से पहले कोई बात वज़ू तोड़ने वाली भी पाई गयी और फिर ग़ुसल का तयम्मुम किया हो तो भी यह तयम्मुम ग़ुसल वज़ू दोनों के लिए काफ़ी है।

मसला न. २३ : तयम्मुम करने का तरीक़ा यह है कि दोनों हाथ पाक ज़मीन पर मारे और सारे मुहं पर मल लेवे फिर दूसरी बार ज़मीन पर दोनों हाथ मारे ओर दोनों हाथों पर कुहनियों सहित मले। स्त्री चूड़ियों, कंगनों आदि के बीच भली-भांति मले यदि नाखून बराबर भी कोई स्थान छूट जावेगा तो तयम्मुम न होगा। अगूंठी छल्ला उतार डाले ताकि कोई स्थान छूट न जावे । उंगलियों में उंगलियाँ डाल कर घुमाये जब यह दोनो वस्तुये करली तो तयस्सुम हो गया ।

मसला न.२४ : मिट्टी पर हाथ मार कर हाथ झाड़ डाले ताकि बाहों और मुंह पर भभूत न लग जावे और सूरत न बिगड़े।

मसला न. २५ : ज़मीन के अतिरिक्त और जो भी वस्तु मिट्टी की किस्म से हो उस पर भी तयम्मुम ठीक है। जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर, गच, चूना, हड़ताल, सुर्मा, गीरू, आदि और जो वस्तु मिट्टी की जाति से न हो उससे तयम्मुम करना ठीक नहीं। जैसे सोना, चान्दी रांग, गेहूं, लकड़ी कपड़ा और अनाज़ आदि हां यदि इन वस्तुओं पर धूल और मिट्टी पड़ी हो तो इस समय इनसे तयम्मुम ठीक है।

मसला न. २६ : जो वस्तु न तो आग में जले और न गले वह वस्तु मिट्टी की जाति से है उस पर तयम्मुम ठीक है और जो वस्तु जलकर राख हो जावे या गल जावे उस पर तयम्मुम ठीक नहीं। इसी प्रकार राख पर भी तयम्मुम ठीक नहीं।

मसला न. २७ : तांबे के बर्तन, तकिये, गद्दे, आदि कपड़े पर तयम्मुम करना ठीक नहीं। यदि उस पर इतनी धूल है कि हाथ मारने से खूब उड़ती हो और हथेलियों में भली-भांति लग जाती है। तो तयम्मुम ठीक है। और यदि हाथ मारने से थोड़ी थोडी धूल उड़ती हो तो उस पर तयम्मुम ठीक नहीं। मिट्टी के घड़े, बधने पर तयम्मुम ठीक है चाहे उसमें पानी भरा हो या न भरा हो लेकिन यदि उस पर पालिश हो तो तयम्मुम ठीक नहीं।

मसला न. २८ : यदि पत्थर पर बिल्कुल धूल न हो उस समय भी तयम्मुम ठीक है बल्कि पानी से भली-भांति धुला हो उस समय भी तयम्मुम ठीक है, हाथ पर धूल का लगना आवश्यक नहीं इसी प्रकार पक्की ईंट पर भी तयम्मुम करना ठीक है चाहे उस पर कुछ धूल हो या न हो।

मसला न. २९ : कीचड़ से तयम्मुम करना ठीक है मगर उचित नहीं यदि कहीं कीचड़ के अतिरिक्त और कोई वस्तु न मिले तो यह उपाय करे कि अपने किसी कपड़े में कीचड़ लगा लेवे जब वह सूख जावे तो उससे तयम्मुम कर लेवे। हाँ यदि नमाज़ का समय निकला जा रहा हो तो उस समय जिस प्रकार बन पड़े तर से या सूखे से तयम्मुम कर लेवे नमाज़ कज़ा न होने दे।

मसला न. ३०: यदि ज़मीन पर कोई पेशाब या नापाक वस्तु पड़ गयी और धूप से सूख गयी और बदबू भी जाती रही, तो वह ज़मीन पाक़ हो गयी। उस पर नमाज़ ठीक है लेकिन उस ज़मीन पर तयम्मुम करना ठीक नहीं जबकि ज्ञात हो कि ज़मीन ऐसी है। यदि ज्ञात न हो तो शंका में न पड़े।

मसला न. ३१ : जिस प्रकार वज़ू के स्थान पर तयम्मुम करना ठीक है इसी प्रकार ग़ुसल के स्थान पर भी आवश्यकता के समय तयम्मुम करना ठीक है। इसी प्रकार जो औरत हैज़, निफास से पाक हुई। मज़बूरी के समय इसको भी तयम्मुम करना ठीक है। वज़ू और ग़ुसल के तयम्मुम में कोई अन्तर नहीं दोनों का एक ही तरीका है।

मसला न. ३२ : यदि किसी को बतलाने के लिए तयम्मुम करके दिखलाया। अपने मन में तयम्मुम करने की नीयत नहीं बल्कि उसको केवल दिखाना उद्देश्य हो तो इसका तयम्मुम न होगा। क्योंकि तयम्मुम ठीक होने में तयम्मुम की नीयत करना आवश्यक है तो जब तयम्मुम करने की नीयत न हो केवल दूसरे को बताना और दिखाना उद्देश्य है तो तयम्मुम न होगा।

मसला न. ३३ : तयम्मुम करते समय अपने मन में केवल इतना इरादा कर लें कि मैं पवित्र होने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ या नमाज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम कर रहा हूं तो तयम्मुम हो जायेगा और यह निश्चय करना कि मैं ग़ुसल का या वज़ू का तयम्मुम करता हूं कुछ आवश्यक नहीं।

मसला न. ३४ : यदि क़ुरान मजीद के छूने के लिए तयम्मुम किया तो इससे नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। और यदि एक नमाज़ के लिए तयम्मुम किया, दूसरे समय कि

नमाज़ पढ़ना भी उससे ठीक है और क़ुरान मजीद का छूना भी उस तयम्मुम से ठीक है।

मसला न. ३५ : किसी को ग़ुसल की भी आवश्यकता है और वज़ू भी नहीं है तो एक ही तयम्मुम करे दोनों के लिए अलग- अलग तयम्मुम की आवश्यकता नहीं।

मसला न. ३६ : किसी ने तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली फिर पानी मिल गया और समय भी अभी बाकी है तो नमाज़ को दोहराना वाज़िब नहीं है वही नमाज़ तयम्मुम से ठीक हो गयी।

मसला न. ३७: यदि पानी धार्मिक एक मील से दूर नहीं लेकिन समय बहुत कम है यदि पानी लेने जावेगा तो नमाज़ का समय समाप्त हो जायेगा तो भी तयम्मुम ठीक नहीं पानी लावे और नमाज़ कज़ा पढ़े।

मसला न. ३८ : पानी होने पर क़ुरान शरीफ़ के छूने के लिए तयम्मूम करना ठीक नहीं।

मसला न. ३९ : यदि यात्रा में आगे चल कर पानी मिलने की आशा है तो अच्छा है प्रथम समय नमाज़ न पढ़ें बल्कि पानी की प्रतीक्षा करे परन्तु इतना समय न लगावे कि नमाज़ का मकरूह समय आ जावे। यदि पानी की प्रतीक्षा न की प्रथम समय ही नमाज़ पढ़ ली तब भी ठीक है।

मसला न. ४० : यदि पानी समीप है लेकिन यह भय है कि रेल से उतरेंगे तो रेल चल पड़ेगी तब भी तयम्मुम ठीक है। या साप आदि कोई जानवर पानी के पास है जिससे पानी नहीं मिल सकता तो भी तयम्मुम ठीक है।

मसला न. ४१ : सामान के साथ पानी बन्द रखा था परन्तु याद नहीं रहा और तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली फिर याद आया कि मेरे सामान में पानी बन्धा है। तो अब नमाज़ का दोबारा पढ़ना आवश्यक नहीं।

मसला न. ४२ : जितनी वस्तुओं से वज़ू टूट जाती है उन से तयम्मुम भी टूट जाता है और पानी मिलने से भी तयम्मुम टूट जाता है। इसी प्रकार यदि तयम्मुम करके आगे चला और पानी एक धार्मिक मील की दूरी से कम रह गया तो भी तयम्मुम टूट गया।

मसला न. ४३ : यदि वज़ू का तयम्मुम है तो वज़ू अनुसार पानी मिलने से तयम्मुम टूटेगा। यदि ग़ुसल का तयम्मुम है तो ग़ुसल के अनुसार पानी मिलने पर तयम्मुल टूटेगा और यदि पानी कम मिला तो तयम्मुम नहीं टूटा।

मसला न. ४४ : यदि मार्ग में पानी मिला, परन्तु उसको पानी का कोई ज्ञान न हुआ

और पता न चला कि यहाँ पानी है तो भी तयम्मुम नही टूटा इसी प्रकार यदि मार्ग में पानी मिला ओर पता भी चल गया परन्तु रेल से न उतर सका तो भी तयम्मुम नहीं टूटा।

मसला न. ४५ : यदि बीमारी के कारण तयम्मुम किया है तो जब बीमारी जाती रही कि वज़ू और ग़ुसल हानि न करें तो तयम्मुम टूट जायेगा। अब वज़ू और ग़ुसल करना आवश्यक है।

मसला न. ४६: पानी नहीं मिला इस कारण तयम्मुम कर लिया फिर ऐसी बीमारी हो गयी जिससे पानी हानि करता है। फिर बीमारी के बाद पानी मिल गया तो अब तयम्मुम नहीं रहा जो पानी न मिलने के कारण किया था, फिर से तयम्मुम करें।

मसला न. ४७ : ग़ुसल की आवश्यकता थी इस कारण ग़ुसल किया परन्तु तनिक सा शरीर सूखा रह गया और पानी समाप्त हो गया तो अभी वह पाक नहीं हूआ इस लिए उसको तयम्मुम कर लेना चाहिए जब भी पानी मिले इस सूखे स्थान को धोले फिर से नहाने की आवश्यकता नहीं।

मसला न. ४८: यदि ऐसे समय में पानी मिला कि वज़ू भी टूट गयी तो इस सूखे स्थान को पहले धोले और वज़ू के लिए तयम्मुम करे और यदि पानी इतना थोड़ा है कि वज़ू तो हो सकती है। परन्तु वह सूखा स्थान इतने पानी से नहीं धुल सकता। तो वज़ू करे और उस सूखे स्थान के लिए ग़ुसल का तयम्मुम कर लें। हां यदि ग़ुसल का तयम्मुम पहले कर चुका तो अब तयम्मुम करने की आवश्यकता नहीं वही पहला तयम्मुम बाकी है।

मसला न. ४९ : किसी का कपड़ा या शरीर भी नापाक है और वज़ू की भी आवश्यकता है और पानी थोड़ा है तो शरीर और कपड़ा धोले और वज़ू के बदले तयम्मुम कर लें।

नमाज़

अल्लाह के यहाँ नमाज़ का बहुत ऊंचा स्थान है। कोई उपासना अल्लाह के यहाँ नमाज़ से बढ़कर प्यारी नहीं। अल्लाह ने अपने बन्दों पर पांच समय की एक दिन रात में नमाज़े फर्ज़ कर दी हैं। उनके पढ़ने का बड़ा सवाब है और उनके छोड़ने का बड़ा गुनाह है।

हदीस में आया है, जो कोई भली भांति वज़ू किया करे और ख़ूब मन लगा कर नमाज़ पढ़ा करे अल्लाह क़यामत के दिन उसके छोटे-छोटे गुनाह माफ़ कर देगा और जन्नत देगा और हज़रत मुहम्मद साहब ने कहा है कि नमाज़ दीन का सुतून (खम्बा) है। जिसने नमाज़ को भली भांति पढ़ा उसने दीन को ठीक रखा और जिसने इस खम्बे को गिरा दिया उसने दीन को बरबाद कर दिया। हज़रत मुहम्मद साहब ने कहा है कि क़यामत में सबसे पहले नमाज़ ही कीपूछ होगी और नमाज़ियों के हाथ पैर और मुंह क़यामत में सूर्य की भांति चमकते होंगे और बे नमाज़ी इस दौलत से वंचित रहेंगे।हज़रत मुहम्मत साहब ने कहा है कि नमाज़ियों का हिसाब किताब क़यामत के दिन नबियों, शहीदों, और वलियों के साथ और बेनमाज़ियों का हिसाब किताब, फिर औन, हामान, क़ारून और बड़े बड़े धर्म के इनकारियों के साथ होगा। इस कारण नमाज़ पढ़ना अति आवश्यक है न पढ़ने से दीन और दुनिया दोनों की बहुत हानि होती है। इससे बढ़ कर और क्या होगा कि इनकारियों के साथ बेनमाज़ियों का हिसाब किताब किया जायेगा। बेनमाज़ी इनकारियों के समान समझा जायेगा। अल्लाह की पनाह नमाज़ न पढ़ना कितनी बुरी बात है।

हां इन लोगों पर नमाज़ वाज़िब नहीं, पागल, छोटे बच्चे, (लड़का और लड़की) जो अभी ज़वान नहीं हुये बाक़ी सब मुसलमानों पर नमाज़ फर्ज़ है। परन्तु औलाद जब सात वर्ष की हो जावे तो उसके मां. बाप को आदेश है कि उनसे नमाज़ पढ़वाये और जब दस वर्ष के हो जावें तो मार कर नमाज़ पढ़वाये। नमाज़ छोड़ना कभी किसी समय भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार हो सके नमाज़ अवश्य पढ़ें। हाँ यदि नमाज़ पढ़ना भूल गया बिल्कुल याद ही नहीं रहा जब

समय बीत गया उस समय याद आया कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी या इतनी गहरी नींद सो गया कि आंख न खुली और नमाज़ कज़ा हो गयी तो इस दशा में गुनाह न होगा। परन्तु जब याद आवे और आंख खुले तो तुरंत वज़ू करके नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है। हां यदि समय मकरूह हो तो कुछ देर रूक जावे ताकि मकरूह समय निकल जावे। इसी प्रकार जो नमाज़ें बेहोशी के कारण नहीं पढ़ी, इसमें भी गुनाह नहीं परन्तु होश आने पर तुरन्त कज़ा नमाज़ पढ़नी पड़ेगी।

मसला न. १ : किसी स्त्री के यहां बच्चा उत्पन्न हो रहा हो, लेकिन अभी सब नहीं निकला कुछ बाहर निकला है और कुछ नहीं निकला ऐसी दशा या समय भी यदि होश है तो नमाज़ पढ़ना फर्ज़ है। कज़ा कर देना ठीक नहीं। हां यदि नमाज़ पढ़ने से बच्चे की जान का डर हो तो नमाज़ का कज़ा कर देना ठीक है।

इसी प्रकार धाया को भी यदि यह डर हो कि यदि मैं नमाज़ पढ़ने लगूंगी तो बच्चे को हानि पहुंचेगी तो ऐसे समय में धाया को भी नमाज़ कज़ा कर देनी चाहिए कोई गुनाह नहीं। परन्तु इन सबको फिर शीघ्र ही कज़ा नमाज़ पढ़ लेना चाहिए।

नमाज़ के वक़्तों का वर्णन

मसला न. १ :पिछली रात को प्रातः काल होते समय पूरब की ओर जिधर से सूर्य निकलता है आकाश की लम्बाई पर कुछ सफेदी दिखाई देती है। इसके पश्चात थोड़ी देर में आकाश के किनारे पर चौड़ाई में सफेदी मालूम होती है और देखते-देखते बढ़ती चली जाती है इसके बाद थोड़ी देर में उजाला हो जाता है। तो जब से यह चौड़ी सफेदी दिखाई दे, तब से फज्र की नमाज़ का समय प्रारम्भ हो जाता है। और सूर्य निकलने तक रहता है। जब सूरज का थोड़ा सा किनारा निकल आता है। तो फज्र का समय समाप्त हो जाता है।

मसला न. २ : दो पहर ढल जाने से ज़ुहर का समय आरम्भ हो जाता है। दोपहर ढल जाने की पहचान यह है कि सूरज निकल कर जितना ऊंचा होता है। प्रत्येक वस्तु का साया घटता रहता है। तो जब घटना रूक जाये तो ठीक दोपहर का समय है फिर जब साया बढ़ना आरम्भ हो जावे तो समझो दिन ढल गया। बस उसी समय से ज़ुहर का समय प्रारम्भ हो जाता है ओर जितना साया ठीक दो

पहर को होता हैउस को छोड़ कर जब प्रत्येक वस्तु का साया अपने से दो गुना हो जाये उस समय तक ज़ुहर का समय रहता हैं।उदाहरण स्वरूप एक हाथ लकड़ी का साया ठीक दोपहर को चार अगुंल था तो जब तक दो हाथ चार अगुंल न हो तब तक ज़ुहर का समय है । जब दो हाथ चार अगुंल हो गया तो अस्त्र का समय हो गया । अस्त्र का समय सूर्य छुपने तक रहता है लेकिन जब सूर्य का रंग बदल जाये ओर धूप पीली पड़ जाये उस समय अस्त्र की नमाज़ पढ़ना मकरूह है । यदि किसी कारण से इतनी देर हो गयी तो खैर पढ़ले कज़ा ना करे परन्तु फिर कभी इतनी देर न करे और इस अस्त्र के अतिरिक्त और कोई नमाज़ ऐसे समय में पढ़ना ठीक नहीं न कज़ा न नफ्ल पढें ।

मसला. ३: जब सूर्य छिप जाये तो मग़रिब का समय आ गया । जब तक पश्चिम की और आसमान के किनारेपर लाली बाकी रहे उस समय तक मग़रिब का समय रहता है । लेकिन मग़रिब की नमाज में इतनी देर न करे कितारे खुब छिटक जायें। इतनी देर करना मकरूह है जब वह लाली जाती रहे तो इशा का समय आरम्भ हो गया। और प्रातःकाल तक रहता हैपरन्तु आधी रात के पश्चात इशा का समय मकरूह हो जाता है जिस से सवाब कम मिलता है। इस लिए इतनी देर करके नमाज़ न पढ़ें और अच्छा यह है कि तिहाई रात जाने से पहले-पहले ही पढ़ लें।

मसला न. ४: गर्मी की ऋतु में ज़ुहर की नमाज़ मे जल्दी न करे गर्मी की तेजी का समय जाता रहे तब पढ़ना मुस्तहब है और जाड़े मे अव्वल समय पढ़ लेना मुस्तहब है ।

मसला न. ५: और अस्त्र की नमाज़ तनिक इतनी देर करके पढ़ना अच्छा है कि समय आने के बाद यदि नफ्ले पढ़ना चाहे तो पढ़ सकें क्योंकि अस्त्र के बाद नफ्लें पढना ठीक नही चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे जाडों का दोनो का एक ही आदेश है परन्तु इतनी देर न करें की सूर्य में पीला पन आ जावे और धूप का रंग बदल जाये। और मग़रिब की नमाज़ में जल्दी करना और सूरज डूबते ही पढ़ लेना मुस्तहब है

मसला न. ६: जो कोई तहज्जुब की नमाज पिछली रात को उठकर पढता है तो यदि पक्का भरोसा हो कि आंख अवश्य खुलेगी तो उसेको वित्र की नमाज़ तहज्जुदे के बाद पढना अच्छा लेकिन यदि आखं खुलने का विश्वास न हो और सोते रहने

का डर हो तो इशा के बाद सोने से पहले ही पढ लेना चाहिए।

मसला न.७: बदली के दिन फज्र-जुहर और मगरीब की नमाज़ जरा देर करके पढ़ना अच्छा है। और अस्त्र मे जल्दी करना मुस्तहब है।

मसला न. ८: सुर्य निकलने के समय और ठीक दोपहर को और सुर्य डूबते समय कोई नमाज़ ठीकनही होती है। हां अस्त्र की नमाज़ यदि अभी नही पढ़ी हो तो वह सुर्य डुबते हुए भी पढ़ ले और इन तीनो समय तिलावत का सज्दा भी मकरूह और मना है।

मसला न. ९: फज्र की नमाज़ पढ़ लेने के पश्चात जब तक सुर्य निकल कर उचां न हो जावे नफ्ल नमाज़ पढना मकरूह है। हां सूरज निकलने से पहले कज़ा नमाज़ पढ़ना ठीक है और तिलावत का सज्दा भी ठीक है। जब सूर्य निकल आया तो जब तक ज़रा प्रकाश न हो जावे कज़ा नमाज़ भी ठीक नहीं। इसी प्रकार अस्त्र की नमाज़ पढ़ लेने के पश्चात नफ़्ल नमाज़ पढ़ लेना ठीक नहीं। हां कज़ा और सज्दे की आयत का सज्दा ठीक है लेकिन जब धूप फीकी पड़ जाये तो यह भी ठीक नहीं ।

मसला न. १०: फज्र के समय सूर्य निकल आने के डर से जल्दी के मारे सिर्फ फर्ज़ पढ़ लिए तो अब जब तक सूर्य ऊंचा और रोशन न हो जावे तब तक सुन्नत न पढ़े जब जरा रोशनी आ जावे तब सुन्नत आदि जो नमाज़ चाहे पढ़ें।

मसला न. ११: जब प्रातः काल हो जावे और फज्र का समय आ जाये तो दो रकअत सुन्नत और दो रकअत फर्ज के अतिरिक्ति और कोई नफ़्ल नमाज़ पढ़ना ठीकहीं अर्थात मकरूह है। हां कज़ा नमाज़ पढ़ना और सज्दे की आयत पर सज्दा करना ठीक है।

मसला न. १२: यदि फज्र की नमाज़ पढ़ने में सूर्य निकल आया तो नमाज़ नहीं हुई। सूर्य में प्रकाश आने के पश्चात कज़ा नमाज़ पढ़े और यदि अस्त्र की नमाज़ पढ़ने में सूर्य डूब गया तो नमाज़ हो गयी कज़ा न पढ़े।

मसला न.१३:इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले सो रहना मकरूह है नमाज़ पढ़कर सोना चाहिए परन्तु कोई बीमार है या यत्रा से थका मान्दा है और किसी से कह दे कि मुझे नमाज़ के समय जगा देना तो सो जाना ठीक है।

मसला न. १४: मर्दों के लिए मुस्तहब है कि फज्र की नमाज़ ऐसे समय प्रारम्भ करें

कि प्रकाश ख़ूब फैल जावे और इतना समय बच रहे कि यदि नमाज़ पढ़ी जाये और उसमें चालीस पचास आयतें नियमानुसार पढ़ी जाये और नमाज़ पढ़ने के पश्चत यदि किसी कारण से नमाज़ दौहराना चाहे तो उसी प्रकार चालीस पचास आयतें उस में पढ़ सकें और औरतों को सदैव और मर्दों को हज की दशा में मुजदलफा में फज्र की नमाज़ अंधेरे में पढ़नी मुस्तहब है।

मसला न. १५: जुमें की नमाज़ का समय भी वही है जो जुहर की नमाज़ का है केवल इतना अन्तर है कि जुहर की नमाज़ गर्मियों में कुछ देर करके पढ़नी चाहिए चाहे गर्मी में तेज़ी हो या न हो। जाड़ों के दिनों में शीघ्र पढ़ लेना अच्छा है और जुमें की नमाज़ सदैव अव्वल समय पढ़ना सुन्नत है। अधिकतर विद्वानों का यही कथन है।

मसला न. १६ : दोनों ईदों का समय सूरज के भली प्रकार निकल आने के पश्चात प्रारम्भ होता है। और दो पहर से पहले तक रहता है। सूरज के भली प्रकार निकल आने से तात्पर्य यह है कि सूर्य का पीला पन जाता रहे और रोशनी ऐसी तेज़ हो जावे कि दृष्टि न जमे अर्थात सूरज को निकले २०, २५ मिनट बीत जायें दोनों ईदों को शीघ्र पढ़ना अच्छा है मगर ईदुल फितर (रमज़ान के बाद की ईद) की नमाज़ कुछ देर में पढ़नी चाहिए।

मसला न. १७ : जब इमाम खुतबे के लिए अपने स्थान से उठ खड़ा हो और खुतबा जुमें का होया ईदों का या हज आदि का तो इन वक्तों में नमाज़ का पढ़नामकरूह है।

मसला न. १८ : जब फर्ज नमाज़ की तकबीर कही जाती हो उस समय भी नमाज़ पढ़ना मकरूह है। हां यदि फज्र की सुन्नत न पढ़ी हों और किसी प्रकार यह विश्वास हो जाये कि एक रकअत जमात से मिल जायेगी या कुछ विद्वानों के विचार में अत्तहीयात मिल जाने कीआशा हो तो फज्र की सुन्नतों को पढ़ लेना मकरूह नहीं या जो सुन्नतं मुअक्कदह प्रारम्भ कर दी हों उस को पूरा करें।

मसला न. १९ : ईदों की नमाज़ से पहले घर में हो या ईदगाह में नफ्ल नमाज़ मकरूह है और ईदों की नमाज़ के बाद केवल ईदगाह में मकरूह है।

नमाज़ की शर्तों का वर्णन

मसला न. १: नमाज़ प्रारम्भ करने से पूर्व कई बातें वाजिब है। यदि वज़ू न हो तो वज़ूकरे

नहाने की आवश्यकता हो तो गुसल करे। शरीर पर या कपडे पर यदि कोई नापाकी हो तो उसको पाक करे। जिस स्थान पर नमाज़ पढ़नी है वह भी पाक होना चाहिए। स्त्री केवल मुंह और दोनों हथेलियें और दोनों पैरों के अतिरिक्त सिर से पैर तक पूरा शरीर भली भांति ढांप ले और मर्द को केवल सुन्डी से लेकर घुटनों तक ढांपना वाजिब है। काबे की ओर मुंह करके जिस नमाज़ को पढना चाहते हैं उसकी नीयत अर्थात दिल में इराद करे। समय आने के पश्चात नमाज़ पढ़े। ये तमाम बातें नमाज़ के लिएशर्त हैं। यदि उनमें से एक भी वस्तु छूट जायेगी तो नमाज़ न होगी।

मसला न. २: बहुत बारीक या जालीदार दोपट्टा ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना स्त्री के लिए ठीक नहीं।

मसला न. ३: यदि नमाज़ पढ़ते समय चौथाई पिंडली या चौथाई रान या चौथाई बाह स्त्री की खुल जाये और इतनी देर खुली रहे जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कह सके तो नमाज़ जाती रही फिर से पढ़े और यदि इतनी देर नही लगी बल्कि खुलते ही ढक लिया तो नमाज़ हो गयी इसी प्रकार जितने शरीर का ढांपना वाज़िब है इसमें से जब चौथाई खुल जायेगा तो नमाज़ न होगी जैसे एक कान का चौथाई गर्दन का चौथाई सीना या बाल का चौथाई पेट का चौथाई पीठ का चौथाई आदि खुल जाने से नमाज़ न होगी।

मसला न.४ : जो लड़की अभी जवान नहीं हुई यदि उसकी ओढ़नी सर से सरक गयी और उसका सिर खुल गया तो उसकी नमाज़ हो गयी।

मसला न ५: यदि कपड़े या शरीर पर नापाकी लगी है, लेकिन पानी नहीं मिलता तो इसी प्रकार नापाकी के साथ नमाज़ पढ़ ले।

मसला न. ६: यदि सारा कपड़ा नापाक हो या पूरा कपड़ा तो नापाक नहीं परन्तु बहुत ही कम पाक है अर्थात एक चौथाई से कम पाक है बाकी सबका सब नापाक है तो ऐसे समय में यह भी ठीक है कि इस कपडे को पहने-पहने नमाज़ पढ़ लें और यह भी ठीक है कि कपड़ा उतार डाले और नंगा होकर नमाज़ पढ़े। परन्तु नंगा होकर नमाज़ पढ़ने से नापाक कपड़े को पहन कर नमाज़ पढ़नाअच्छा है। यदि चौथाई कपड़ा या चौथाई से अधिक पाक हो तो नंगा होकर नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं इसी नापाक कपड़े को पहन कर नमाज़ पढ़ना आवश्यक है।

मसला न. ७: यदि किसी केपास बिल्कुल कपड़ा न हो तो नंगा नमाज़ पढ़े परन्तु ऐसे

स्थान पर पढ़े जहां कोई देखता न हो और खड़ा होकर नमाज़ न पढ़े बल्कि बैठ कर पढ़े और रूकु-सज्दे को संकेत से अदा करे यदि खड़ा होकर पढ़े और रूकू सज्दे पूरे करे तो भी ठीक है नमाज़ हो जायेगी। लेकिन बैठ कर पढ़ना अच्छा है।

मसला न. ८: यात्रा में किसी के पास थोड़ा सा पानी है कि यदि नापाकी धोता है तो वज़ू के लिए पानी नहीं बचता और यदि वज़ू करे तो नापाकी पाक करने के लिए पानी नहीं बचता तो इस पानी से नापाकी को धो डाले फिर वज़ू के लिए तयम्मुम करे।

मसला न. ९: जुहर की नमाज़ पढ़ी लेकिन जब पढ़ चुका तो ज्ञात हुआ कि जिस समय नमाज़ पढ़ी थी इस समय जूहर का समय नहीं था बल्कि अस्त्र का समय आ गया था तो अब फिर अब कज़ा पढ़ना वाज़िब नहीं बल्कि जो नमाज़ पढ़ ली है वही कज़ा में आ जायेगी। ऐसा समझेंगे कि कज़ा पढ़ी थी।

मसला न. १०: यदि समय आने से पहले ही नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ न होगी।

नमाज़ की शर्तों का वर्णन, पवित्रता के मसले

मसला न. १ : यदि कोई चादर इतनी बड़ी हो कि उसका नापाक भाग नमाज़ पढ़ने वाले के उठने बैठने से हिले डूले नहीं तो कुछ बुराई नहीं। इसी प्रकार उस वस्तु को भी पाक होना चाहिए जिसको नमाज़ पढ़ने वाला उठाये हो। शर्त यह है कि वह वस्तु स्वयं अपनी शक्ति से रूकी हुई न हो। जैसे नमाज़ पढ़ने वाला किसी बच्चे को उठाये हुये है और उस बच्चे का शरीर या कपड़ा नापाक हो और वह बच्चा अपनी शक्ति से रूका हुआ न हो, तब तो उसका पाक होना नमाज़ के ठीक होने के लिए शर्त है। तो जब उस बच्चे का शरीर और कपड़ा इतना नापाक हो जो नमाज़ में रूकावट डालने वाला हो तो इस दशा में उस आदमी की नमाज़ ठीक न होगी और यदि स्वयं अपनी शक्ति से रूका हुआ बैठा हो तो कुछ बुराई नहीं इस लिए कि वह अपनी शक्ति और सहारे से बैठा है। यह नापाकी उसी से सम्बन्धित होगी और नमाज़ पढ़ने वाले से उसको कोई सम्बन्ध नहीं समझा जायेगा। इसी प्रकार यदि नमाज़ पढ़ने वाले के शरीर पर कोई ऐसी नापाक वस्तु हो जो अपने पैदा होने के स्थान में हो और बाहर उसका कोई प्रभाव प्रकट न हो तो कुछ बुराई नहीं क्यों कि इस की

तरी इसके शरीर के अन्दर है और वही उसके पैदा होने का स्थान है। वह नापाकी ऐसी होगी जो इंसान के पेट में रहती है जिससे पाकी शर्त नहीं इसी प्रकार यदि कोई अण्डा जिस की जर्दी ख़ून हो गयी नमाज़ पढ़ने वाले के पास हो तो भी कुछ बुराई नहीं। इस लिए कि इसका ख़ून उसी स्थान पर है जहां पैदा हुआ है। बाहर उसका कोई प्रभाव नहीं और यदि शीशी में पेशाब भरा हो और वह नमाज़ पढ़ने वाले के पास हो यद्यपि उसका मुंह बन्द हो तो नमाज़ न होगी। क्योंकि उसका पेशाब ऐसे स्थान पर नहीं जहां पेशाब पैदा होताहै।

मसला न. २ : नमाज़ पढ़ने का स्थान नापाकी (पेशाब, पाखाना वीर्य आदि) से पवित्र होना चाहिए हां यदि नापाकी माफ होने जितनी हो तो कोई बुराई नहीं। नमाज़ पढ़ने के स्थान से वह स्थान उद्देश्य है जहां उसके पैर घुटने हाथ, माथा, और नाक रहती है।

मसला न. ३ : यदि केवल एक पैर का स्थान पाक हो और दूसरे पैर को उठाये रहे तब भी काफी है।

मसला न. ४ :यदि किसी कपड़े पर नमाज़ पढ़ी जाये तब भी उसका इतना ही पाक होना अनिवार्य है पूरे कपड़े का पाक होना आवश्यक नहीं चाहे कपड़ा छोटा हो या बड़ा।

मसला न. ५ : यदि किसी स्थान पर पवित्र कपड़ा बिछा कर नमाज़ पढ़ी जाये तो इस में यह भी शर्त है कि व कपड़ा इतना बारीक न हो कि उसके नीचे कि वस्तु स्पष्ट नजर आये।

मसला न. ६ : यदि नमाज़ पढ़ने की दशा में नमाज़ पढ़ने वाले का कपड़ा किसी सूखे नापाक स्थान पर पड़ता हो तो कुछ बुराई नहीं।

मसला न. ७ : यदि कपड़े के प्रयोग से आदमियों के कारण मजबूरी हो तो जब मजबूरी जाती रहेगी नमाज़ दौहरानी पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति जेल में है और जेल के नौकरों ने उसके कपड़े उतार लिए हो या कोई शत्रु कहता हो कि यदि तू कपड़े पहनेगा तो मैं तुमको मार डालूंगा और यदि आदमियों की ओर से नहीं तो फिर नमाज़ को दौहराने की आवश्यकता नहीं जैसे किसी के पास कपड़े ही न हों।

मसला न. ८ : यदि किसी के पास एक कपड़ा हो कि चाहे अपने शरीर को छिपाले चाहे उसको बिछा कर नमाज़ पढ़े तो चाहिए कि अपने शरीर को

छिपा ले और नमाज़ उसी नापाक स्थान पर पढ़ ले यदि पाक स्थान न मिले।

अज़ान का वर्णन

मसला न. १ : यदि किसी अदा नमाज के लिए अज़ान कही जाये तो उसके लिए उस नमाज़ का समय होना आवश्यक है। यदि समय आने से पहले अज़ान दी जाये तो ठीक न होगी। समय आने पर इसको दोहराना पड़ेगा। चाहे फज्र की अज़ान हो या किसी और समय की।

मसला न. २ : अज़ान इक़ामत अरबी भाषा में उन्हीं विशेष शब्दों में होनी आवश्यक है जो ह. मुहम्मद स. द्वारा निश्चित किये गये हैं और यदि किसी और भाषा में या अरबी भाषा के किसी और शब्द में अज़ान या इक़ामत कही जाये तो ठीक न होगी। यद्यपि लोग उसको सुनकर अज़ान समझें और अज़ान का उद्देश्य उससे पूरा हो जाये।

मसला न. ३: मुअज़्ज़िन (अज़ान देने वाला) का पुरूष होना अनिवार्य है। स्त्री की अज़ान ठीक नहीं। यदि कोई स्त्री अज़ान दे दे। उसको लौटाना चाहिए यदि बिना दोहराये नमाज़ पढ़ ली जायेगी तो बिना अज़ान ही के समझी जायेगी।

मसला न. ४: मुअज़्ज़िन का बुद्धिमान होना भी आवश्यक है। यदि कोई ना समझ बच्चा या पागल या मस्त अज़ान दे.दे तो एतबार के योग्य नही।

मसला न. ५: अज़ान का सुन्त तरीका यह है कि अज़ान देने वाला दोनो नापाकियों से पाक होकर किसी ऊंचे स्थान पर मस्जिद से अलग किब्ले की ओर मुंह कर के खड़ा हो और अपने दोनों कानों के छेदों को अंगूठे के पास की उंगलियों से बन्द कर के अपनी शक्ति अनुसार ऊंची आवाज़ से न इतना कि जिस से कष्ट हो इन शब्दों को कहे। अल्लाहु अकबर اَللّٰهُ اَكْبَرُ चार बार अशहदूअल्ला इलाह इल्लल्लाहु اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (दो बार) अश हदुअन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह (दो बार) اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ हय्या अलस्सलाह...... حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ दो बार हय्या अलल फलाह حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ दो बार अल्लाहु अकबर اَللّٰهُ اَكْبَرُ

दो बार ला इलाहा इल्लल्लाह لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ एक बार हय्या अलस्सलाह- कहते समय अपने मुंह को दाहिनी ओर फेर दिया करे, इस प्रकार कि सीना और पैर किबले की ओर से फिरने न पाये। इसी प्रकार हय्या अलाल फलाह कहते समय बायीं ओर मुंह फेर दिया करे। इस प्रकार कि सीनाऔर पैर किब्ले की ओर से न फिरे। फजर की अज़ान में हय्या अलल फला के बाद अस्सलातु खैरूम मिनन्नौम, اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْم भी दो बार कहे। इस प्रकार अज़ान के कुल १५ बोल हुए। फज्र की अज़ान में १७ अज़ान के शब्दों को गाने के तर्ज़ पर अदा न करें। न इस प्रकार कि कुछ हलकीआवाज़ से कुछ ऊंची आवाज़ से। दो बार अल्लाहु अकबर कह कर इतना देर चुप रहे कि सुन ने वाला उसका जवाब दे सके। अल्लाहु अकबर के अतिरिक्ति दूसरे शब्दों में भी प्रत्येक शब्द के पश्चात इतना ही अन्तर रहे कि सुनने वाला व्यक्ति यही शब्द दौहरा सके।

मसला न. ६ : इकामत (तकबीर) का तरीक़ा भी यही है केवल अन्तर इतना है कि अज़ान मस्जिद से बाहर कही जाती है। अर्थात यह अच्छा है और इक़ामत मस्जिद के अन्दर और अज़ान ऊंची आवाज़ से कही जाती है और इक़ामत हल की आवाज़ से। इकामत में अस्सलातु खैरूम मिनन्नौम اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْم नहींकहतेबल्कि इसके स्थान पर पांचों समय कद कामतिस्सलाह قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوۃ दो बार कहें। इक़ामत के समय कानों के सूराखों को बन्द भी नहीं करना। इस लिए कि कान के सूराख़ आवाज़ ऊंची करने लिए बन्द किये जाते हैं और वह यहां उद्देश्य नहीं इकामत में हय्या अलस्सहाल हय्या अलल फलाह حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ حَیَّ عَلَی الْفَلَاح कहते समय दायें बायें मुहं फेरना भी आवश्यक नहीं।

अज़ान व इक़ामत के मसले

मसला न. १: तमाम फर्जे एन नमाज़ों के लिए एक बार अज़ान कहना मर्दों पर सुन्नत मुअक्कदा है। यात्री हो या अयात्री। जमात की नमाज़ हो या अकेले की.अदा

हो या कज़ा और ज़ुमें की नमाज़ के लिए दो बारा अज़ान कहना सुन्नते मुअक्कदा है।

मसला न. २: यदि नमाज़ किसी ऐसे वैसे कारण से कज़ा हुई हो तो अज़ान धीरे से छिपे रूप से कही जाये ताकि लोगों को अज़ान सुनकर नमाज़ कज़ा होने का पता न चले इसलिए कि नमाज़ का कज़ा होना सुस्ती और असावधानी की निशानी है और दीन के कामो में सुस्ती और असावधानी गुनाह है। गुनाह का प्रकट करना ठीक नहीं और यदि कई नमाज़ें कज़ा हुई हों और सब एक ही समय पढ़ी जायें तो केवल पहली नमाज़ की अज़ान देना सुन्नत है और बाक़ी नमाज़ों के लिए केवल इकामत हां यह मुस्तहब है कि प्रत्येक के लिए अज़ान भी अलग दी जाये।

मसला न. ३: यात्री के लिए यदि उसके तमाम साथी उपस्थित हों अज़ान मुस्तहब है सुन्नते मुअक्कदह नहीं।

मसला न. ४: जो व्यक्ति घर में नमाज़ पढ़े अकेला या जमात से उसके लिए अज़ान इक़ामत दोनों मुसतहब है शर्त यह है कि मुहल्ले की मस्जिद या गांव की मस्जिद में अज़ान और इक़ामत हो चुकी हो। इसलिए कि मुहल्ले की अज़ान या इक़ामत तमाम मुहल्ले वालों को काफ़ी है।

मसला न. ५: जिस मस्जिद में अज़ान और इक़ामत के साथ नमाज़ हो चुकी हो उस में यदि नमाज़ पढ़ी जाये तो अज़ान और इक़ामत कहना मकरूह है। हां यदि उस मस्जिद में कोई मुअज़्ज़िन और इमाम निश्चित न हो तो मकरूह नहीं बल्कि उत्तम है।

मसला न. ६: यदि कोई आदमी ऐसे स्थान पर जहां जुमा की नमाज़ की शर्तें पायी जाती हों और ज़ुमा होता हो। जुहर की नमाज़ पढ़े तो उसको अज़ान और इक़ामत कहना मकरूह है चाहेवह जुहर की नमाज़ किसी मजबूरी से पढ़ता हो।या बिना किसी मजबूरी के और चाहे जुमा की नमाज़ समाप्त होने से पहले पढ़े या समाप्त होने के बाद।

मसला न. ७ : औरतों को अज़ान और इक़ामत कहना मकरूह है चाहे जमात से पढ़ें या अकेली।

मसला न. ८ : फर्ज़ एन नमाजों के अतिरिक्त और किसी नमाज़ के लिए अज़ान और इक़ामत सुन्नत नहीं चाहे फर्ज किफाया हो जैसे जनाज़े की नमाज़, या

वाजिब हो जैसे वित्र और दोनों ईदें या नफ्ल हों जैसेऔर नमाज़े।

मसला न. ९: जो व्यक्ति अज़ान सुने मर्द हो या औरत पाक हो या नापाक उस पर अज़ान का उत्तर देना मुस्तहब है और कुछ ने वाज़िब भी कहा है परन्तु अधिक ठीक यही है कि मुस्तहब है। अर्थात जो शब्द मुअज़्जिन की ज़ुबान से सुने वही कहे। मगर हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ के उत्तर में लाहौलावला कुव्वता इल्ला बिल्लाह لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللهِ भी कहे। अस्सलातु खैरूम मिनन्नौम اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ के उत्तर में सदकता व बररता صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ और अज़ान के बाद दरूद शरीफ़ पढ़ कर यह दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िदा व तित्ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति सैयदिना मुहम्मद निल वसी लता व वल फ़जी लता वबअसहु मक़ामम्म महमूदा निललज़ी व अत्तहु इन्नका ला तुख्ली फुल मी आद"

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ

मसला न. १० : जुमें की पहली अज़ान सुनकर तमाम कामों को छोड़कर जुमें की नमाज़ के लिए जामा मस्जिद में जाना वाज़िब है। खरीदना बेचना या किसी और काम में लगा रहना हराम है।

मसला न. ११: इक़ामत का जवाब देना भी मुस्तहब है वाज़िब नहीं और कद का मतिस्सलातु के जवाब में अका महल्लाहु व अदामहा, اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا कहे।

मसला न. १२ : आठ दशाओं में अज़ान का जवाब न देना चाहिए।

१. नमाज़ की दशा में।

२. खुतबा सुनने की दशा में। चाहे वह ख़ुत्बा जुमें का हो या किसी और वस्तु का।

३-४. हैज़ व निफ़ास में अर्थात जरूरी नहीं।

५. दीन का ज्ञान पढ़ने पढ़ाने की दशा में।

६. पेशाब या पाख़ाने की दशा में।

७. सम्भोग की दशा में।

८. खाना खाने की दशा में। अर्थात आवश्यक नहीं। हां इन वस्तुओं के निबट ने के पश्चात यदि अज़ान हुए अधिक समय न बीता हो तो उत्तर दे देना चाहिए नहीं तो नहीं।

अज़ान और इक़ामत की सुन्नत और मुस्तहब बातें :- अज़ान और इक़ामत की सुन्नतें दो प्रकार की है कुछ मुअज़्ज़िन (अज़ान देने वाला) से सम्बन्धित हैं। इसलिए पहले न. ५ तक मुअज़्जिन की सुन्नतों का वर्णन करते हैं इसके पश्चात अज़ान की सुन्नतें वर्णन करेंगे।

१. मुअज्जिन मर्द होना चाहिए औरत की अज़ान व इकाम्त मकरुह तहरीमी है। यदि औरत अजान कह दे तो उसको दोहरा लेना चाहिए। हं यदि औरत ने इकामत कह दी तो उसको नही दोहराना चाहिए।

२. मुअज़्जिन को बुद्धिमान होना चाहिए, पागल और मस्त और ना समझ बच्चे की अज़ान इक़ामत मकरूह है और इनकी अज़ानों को दौहराना चाहिए न कि इकामत को।

३. मुअज़्ज़िन का जरूरी मसलों और नमाज़ के वक्तों का जानने वाला होना। यदि अज्ञानी आदमी अज़ान दे तो उसको मुअज़्जिन के बराबर सवाब न मिलेगा।

४. मुअज़्ज़िन का परहेज़गार और दीनदार होना और लोगों के हाल से जानकर रहना जो लोग जमात में न आते हों इन को चेतावनी देना अर्थात यदि यह डर न हो कि मुझको कोई सतायेगा।

५. मुअज़्ज़िन की आवाज़ का ऊंचा होना।

६. अज़ान का किसी ऊंचे स्थान पर मस्जिद से अलग कहना और इक़ामत का मस्जिद के अन्दर कहना। मस्जिद के अन्दर अज़ान कहना मकरूह तंजीही है हां ज़ुमें की दूसरी अज़ान का मस्जिद के अन्दर मिम्बर के सामने कहना मकरूह नहीं बल्कि तमाम इस्लामी शहरों में (खुलफा ए राशदीन के समय से) इसीका रिवाज़

है।

७. अज़ान का खड़े हो कर कहना यदि कोई आदमी बैठे-बैठे अज़ान कहे तो मकरूह है और इसे दौहराना चाहिए। हां यदि यात्री सवार हो या जो यात्री न हो वह केवल अपनी नमाज़ के लिए कहे तो फिर दौहराने की आवश्यकता नहीं।

८. इनका ऊंची आवाज़ से कहना, हां यदि केवल अपनी नमाज़ के लिए कहे तो अधिकार हैं। मगर फिर भी अधिक सवाब ऊंची आवाज़ में होगा।

९, अज़ान कहते समय कानों के छेदों को उंगलियों से बन्द करना मुस्तहब है।

१०. अज़ान के शब्दों का ठहर-ठहर कर कहना और इकामत का शीघ्र-शीघ्र कहना सुन्नत है। अर्थात अज़ान की कतबीरों में हर दो तकबीरों के बाद इतना रूके कि सुनने वाला उसका उत्तर दे सके और तकबीर के अतिरिक्त और शब्दों में प्रत्येक शब्द के पश्चात उतना ही रूककर दूसरा शब्द कहे और यदि किसी कारण से अज़ान बिना इतना ठहरे हुए कह दे तो इसका दौहराना मुस्तहब है। और यदि इक़ामत के शब्द ठहर-ठहर कर कह दे तो इसका दौहराना मुस्तहब नहीं।

११. अज़ान में हय्या अलस्सलाह حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ कहते समय दाहिनी ओर मुंह फेरना और हय्या अलल फलाह حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ कहते समय बायीं ओर मुंह फेरना सुन्नत है चाहे वह अज़ान नमाज़ की हो या किसी और चीज़ की। मगर सीना और पैर किब्ले की ओर से न फिरने पाये।

१२. अज़ान और इकामत का किब्ले की ओर मुंह करके कहना। शर्त यह है कि सवार न हो। बग़ैर किब्ले की ओर मुंह किये अज़ान व इक़ामत कहना मकरूह तंजी ही है।

१३. अज़ान कहते समय बड़ी-नापाकी से पाक होना सुन्नत है और दोनों प्रकार की नापाकियों से पाक होना मुस्तहब है और इक़ामत कहते समय दोनों नापाकियों से पाक होना सुन्नत है बड़ी नापाकी की दशा में कोई आदमी अज़ान कहे तो मकरूह तहरीमी है। और इस अज़ान का दौहराना मुस्तहब है। इसी प्रकार यदि कोई बड़ी या छोटी नापाकी की दशा में इक़ामत कहे तो मकरूह तहरीमी है। मग़र इक़ामत ता दौहराना मुस्तहब नहीं।

१४. अज़ान और इक़ामत के शब्दों का तरतीब से कहना सुन्नत है।यदि

कोई आदमी अशहदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ को अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ से पहले कह देवे या हय्या अलस्सलाह, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ से पहले हय्या अलल फला حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ कह जाये तो इस दशा में केवल बाद के शब्दों को दौहराना आवश्यक है। जिन को उसने पहले कह दिया था। पहली दशा में अशहदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाह اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ कह कर अशहद् अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ फिर कहे और दूसरी दशा में हय्या अलस्सलाह حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ कह कर हय्या अलल फलाह حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ फिर कहे। पूरी अज़ान दौहराना आवश्यक नहीं।

१५. अज़ान और इक़ामत की हालत में कोई दूसरा कलाम न करना चाहे वह सलाम या सलाम का जवाम ही क्यों न हो। यदि आदमी अज़ान व इक़ामत कहते हुए बात रे तो यदि बहुत बात की हो तो अज़ान को दोहराये इक़ामत को नहीं।

कुछ और मसले

मसला न. १ : यदि कोई व्यक्ति अज़ान का उत्तर देना भूल जाये या जान बूझ कर न दे और अज़ान के समाप्त हो जाने के पश्चात ध्यान आवे या उत्तर देने का इरादा करे तो यदि अधिक समय न बीता हो तो उत्तर दे-दे नहीं तो नहीं।

मसला न. २ : इक़ामत कहने के पश्चात यदि अधिक समय न बीत जाये और जमात ख़ड़ी न हो तो इक़ामत दौहरानी चाहिए हां यदि थोड़ी सी देर हो जाये तो कुछ आवश्यकता नहीं। यदि इक़ामत हो जाये और इमाम ने फज्र की सुन्नत नहीं पढ़ी और पढ़ने में लग जाये तो यह समय अधिक देर का न समझा जायेगा। इक़ामत को दौहराया न जायेगा। और यदि इक़ामत के बाद दूसरा काम आरम्भ कर दिया जाये जो नमाज़ से सम्बन्धित नहीं जैसे खाना-पीना आदि तो इस दशा में इक़ामत को दौहरा लेना चाहिए।

मसला न. ३ : यदि मुअज़्ज़िन अज़ान देने की दशा में मर जाये या बेहोश हो जाये या उसकी आवाज़ बन्द हो जावे या भूल जाये और कोई बताने वाला नहीं या उसका वज़ू टूट जाये और वह वज़ू करने के लिए चला जाये तो इस

अज़ान को नये सिरे से दौहराना सुन्नते मुअक्कदा है।

मसला न. ४ : यदि किसी का अज़ान या इक़ामत कहने की दशा में वज़ू टूट जाये तो अच्छा है कि अज़ान या इक़ामत को पूरा करके वज़ू करने जाय।

मसला न.५ : एक मुअज़्ज़िन का दो मस्जिदों में अज़ान देना मकरूह है जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़े वहीं अज़ान दे।

मसला न. ६ : जो व्यक्ति अज़ान दे इकामत भी उसी का अधिकार है। हां यदि वह अज़ान देकर कहीं चला जाये या किसी दूसरे को आज्ञा दे दे तो दूसरा भी दे सकता है।

मसला न. ७ : कई मुअज़्ज़िनों का एक साथ अज़ान देना ठीक है।

मसला न. ८ : मुअज़्ज़िनों को चाहिए कि इक़ामत जिस स्थान पर कहना आरम्भ करे वहीं समाप्त करें।

मसला न. ९ : अज़ान और इक़ामत के लिए नीयत शर्त नहीं हां सवाब बिना नीयत के नहीं मिलता और नीयत यह है कि दिल में यह इरादा करे कि मैं अज़ान केवल अल्लाह की प्रसन्नता और सवाब के लिए कहता हूं। इसके अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं।

नमाज़ की नीयत करने का वर्णन

मस्ला न. १ : मुंह से बोलकर नीयत करना आवश्यक नहीं बल्कि दिल में जब इतना सोच ले कि मैं आज की जुहर की नमाज पढ़ता हूं। यदि सुन्नत पढ़ता हो तो यूं सोचे कि मैं आज की ज़ुहर की सुन्नत पढ़ता हूं। बस इतना विचार करके अल्लाहु अकबर कहे और हाथ बांधले तो नमाज़ हो जायेगी। जो लम्बी चौड़ी नीयत लोगों में प्रसिद्ध है उसका कहना आवश्यक नहीं।

मसला न. २: यदि ज़ुबान से नीयत कहना चाहे तो इतना कह देना काफ़ी है नीयत करता हूं मैं आज जुहर के फर्ज़ की अल्लाहु अकबर या नीयतक करता हूं मैं जुहर की सुन्नतों की अल्लाहु अकबर। चार रकअत नमाज़ जुहर मुंह मेरा तरफ़ काबा शरीफ़ के यह सब कहना आवश्यक नहीं चाहे कहे या न कहे।

मसल न. ३: यदि दिल में तो यहि विचार है कि जुहर की नमाज़ पढ़ता हूं लेकिन जुहर के स्थान पर मुंह से अस्त्र का समय निकल गया तो भी नमाज़ हो जायेगी।

मसला न ४: यदि भूल से चार रकअत के स्थान पर छः रकअत या तीन रकअत मुंह

से निकल जावे तो नमाज़ हो जायेगी।

मसला न. ५: यदि कई नमाज़े कज़ा हो गयी और कज़ा पढ़ने का इरादा किया तो समय निश्चित करके नीयत करे अर्थात यूं नीयत करे कि ज़ुहर के फर्ज़ की कज़ा पढ़ता हूँ। इस प्रकार जिस समय की कज़ा पढ़ना हो विशेष उसी की नीयत करना चाहिए। यदि केवल इतनी नीयत कर ले कि मैं कज़ा नमाज़ पढ़ता हूं और विशेष उस समय की नीयत नहीं की तो कज़ा ठीक न होगी फिर से पढ़नी पड़ेगी।

मसला न. ६ : यदि कई समय और दिनों की नमाज़े कज़ा हे गयी तो दिन तारीख़ भी निश्चित करके नीयत करे जैसे किसी की सनीचर, इतवार, पीर और मंगल चार दिन की नमाज़ें छूट गयीं तो अब केवल इतनी नीयत करना कि मैं फज्र की कज़ा पढ़ता हूं ठीक नहीं बल्कि यूं नीयत करे कि सनीचर की फज्र की कज़ा पढ़ता हूं इसी प्रकार कहता जाये, फिर जब सनीचर की सब नमाज़े कज़ा पढ़ चुके तो कहे इतवार की फज्र की कज़ा पढ़ता हूं इसी प्रकार सब नमाज़े कज़ा पढ़े। यदि कई महीने और कई सालों की नमाज़े कज़ा हों तो महीने और साल का भी नाम ले और कहे अमुक साल के अमुक महीने की अमुक तारीख की फज्र की नमाज़ कज़ा पढ़ता हूँ इस प्रकार नीयत किये बिना कज़ा ठीक न होगी।

मसला न. ७: यदि किसी को दिन तारीख महीना, साल कुछ याद न हो तो यूं नियत करे कि फज्र की नमाज़े जितनी मेरे जिम्मे कज़ा है उन मे से जो सबसे पहली है उसकी कज़ा पढता हूँ। इसी प्रकार नीयत करके बराबर कज़ा पढता रहे। जब मन इस बात को मान ले कि अब सब नमाजें जितनी जाती रही थी सबकी कज़ा पढ चुका तो कज़ा पढ़ना छोड़ दे।

मसला न. ८: सुन्नत और नफ्ल और तरावीह की नमाज़ मे केवल इतनी नीयत कर लेना काफी है कि मै नमाज़ पढता हूँ सुन्नत होने या नफ्ल होने की कुछ नीयत नही की तो भी ठीक है। मगर सुन्नत तरावीह कि नीयत कर लेना अधिक सावधानी कि बात है।

नीयत के मसले

मसला न. १ : मुक्तदी को अपने इमाम के अनुकरण की नीयत करना भी शर्त है।

मसला न. २: इमाम को केवल अपनी नमाज़ की नीयत करना शर्त है इमामत की नीयत करना शर्त नहीं। हाँ यदि कोई औरत उसके पीछे नमाज़ पढ़ना चाहे और मर्दों के बराबर खड़ी हो और जनाज़ा, जुमा और ईदों की नमाज़ न हो तो उसकी इक्तिदा सही होने के लिए उसकी इमामत की नीयत करना शर्त है और यदि मर्द के बराबर खड़ी न हो या जनाज़े जुमा या ईदों की नमाज़ हो तो फिर शर्त नहीं।

मसला न. ३: मुक्तदी को इमाम का निश्चितं करना शर्त नहीं कि वह अमुक है बल्कि केवल इतनी नीयत काफ़ी है कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ हां यदि नाम लेकर निश्चित कर लेगा और फिर उसके विरूद्ध प्रकट होगा तो उसकी नमाज़ न होगी। जैसे किसी व्यक्ति ने यह नीयत की कि मैं खालिद के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ जब कि जिसके पीछे नमाज़ पढ़ता है वह खालिद नहीं है तो उसकी नमाज़ न होगी।

मसला न. ४ : जनाज़े की नमाज़ में यह नीयत करना चाहिए कि मैं यह नमाज़ अल्लाह की प्रसन्नता और इस मैयत की दुआ के लिए पढ़ता हूँ और यदि मुक्तदी को यह न मालूम हो कि यह मैयत मर्द है या औरत तो उसकी यह नीयत कर लेना काफी है कि मेरा इमाम जिस की नमाज़ पढ़ता है। मैं भी उसको पढ़ता हूं। कुछ विद्वानों के विचार में ठीक यह है कि फर्ज और वाजिब नमाजों के अतिरिक्ति और नमाज़ों में केवल नमाज़ की नीयत कर लेना काफ़ी है। यह निश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह नमाज़ सुन्नत है या मुस्तहब और यह पत्र की सुन्नत है या ज़ुहर की या तहज्जुद की सुन्नत है या तरावीह या चांद ग्रहन की है या सूरज ग्रहन की। मगर प्राथमिकता इसी बात को दी गयी है कि निश्चित करके नीयत करे।

काबे की और मुहं करने का वर्णन

मसला न. १: यदि किसी ऐसे स्थान पर है कि काबे की दिशा का कुछ पता नही और न वहाँ कोइ ऐसा व्यक्ति है जिस से पूछ सके तो अपने मन मे विचार करे जिस और मन किबला होने कि गवाही दे उस ओर मुह करके पढ ले। यदि बे सोचे पढ़ लेगा तो नमाज़ न होगी। परन्तु यदि बाद में ज्ञात हो जाये कि क़िबले की ही ओर है तो नमाज़ हो जायेगी और यदी वहाँ आदमी तो है लेकिन शर्म के मारे

पूछा नही वैसे ही नमाज़ पढ़ली तो भी नमाज़ नही हुई। ऐसे समय मे ऐसी शर्म नही करनी चाहिए बल्कि पूछ कर नमाज़ पढ़े।

मसला न. २: यदि कोई बतलाने वाला न मिला और दिल की गवाही पर नमाज़ पढली, फिर ज्ञात हुआ कि जिधर नमाज़ पढ़ी है उधर किब्ला नही है तो भी नमाज़ हो गई।

मसला न. ३: यदि बेरूख नमाज़ पढ़ता था फिर नमाज़ ही मे ज्ञात हो गया कि किब्ला उधर नही है बल्किअमुक दिशा मे है तो नमाज़ ही मे किब्ले की ओर घूम जाये। ज्ञात होने के पश्चात यदि किब्ले कि और न फिरेगा तो नमाज़ न होगी।

मसला न. ४: यदी कोई काबा शरीफ के अन्दर नमाज़ पढ़े तो यह भी ठीक है और इस के अन्दर नमाज़ पढ़ने वालों को अधिकार है जिधर चाहे मुहं करके नमाज़ पढ़ें।

मसला न. ५: काबा शरीफ़ के अन्दर फर्ज नमाज़ भी ठीक है और नफिल भी ठीक है।

क़िबले के मसले

मसला न. १ : यदि किबला मालूम न होने की दशा में जमात से नमाज़ पढ़ी जाये तो इमाम और मुक्तदी सब को अपने अधिक अनुमान पर अमल करना चाहिए परन्तु यदि किसी मुक़्तदी का अधिक अनुमान इमाम के विरूद्ध होगा तो उसकी नमाज़ इस इमाम के पीछे नहीं होगी इसलिए कि वह इमाम उसके विचार में ग़लती पर है और किसी को गलती पर समझ कर उसका अनुकरण जायज़ नहीं।

मर्द के लिए फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

मसला न. १: नमाज़ की नीयत करके अल्लाहु अकबर कहे और अल्लाहु अकबर कहते समय अपने दोनो हाथो को कान तक उठाये फिर नाफ (सुडीं) के नीचे हाथ बाधें और दयें हाथ से बायां पहुचापकड़ लेवे और यह दुआ पढ़े "सुब्हाना कल्ला हुम्मा व बिहिम्द का व तबारा कस्मुका व तआला जद्दूका वला इलाहा ग़ैरू का"

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى

جَدُّكَ وَلَآ اِلٰہَ غَیْرُکَ

फिर अऊज़ू बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ कर अल्हम्दु पढे और वलज्जुवाल्लीन के बाद आमीन कहे। इसके बाद फिर बिस्मिल्ला पढें और फिर कोइ सूरत पढे। सूरत पढने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रूकू में जावे और सुब्हान रब्बियल अजीम سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمُ तीन बार, पाचँ बार या सात बार पढ़े और अपने हाथो से धुटने पकड़ लेवें और बाहों को कोखो से अलग रखे और पैरो को खुला रखे। इसके पश्चात سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ حَمِدَہٗ رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ समी अल्लाह हुलिमन हमीदा रब्बना लकल हम्दु कहता हुआ सर को उठावे। जव भली भातीं सीधा खडा हो जावे तो फिर अल्लाहु अकबर اَللّٰہُ اَکْبَر कहता हुआ सज्दे में जावे। ज़मीन पर पहले धुटने रखे फिर कानो के बराबर हाथ रखे और अगुलीयां मिला लेवे। फिर दोनो हाथो के बीच माथा रखे। सज्दे के समय माथा और नाक दोनो ज़मीन पर रखे और हाथ और पावं की उगुलीयाँ कावे की और रखे और पैर खडे रखे और सज्दे में कम से कम तीन बार सुब्हानरब्बीयल आला سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی कहे। फिर अल्लाहु अकबर اَللّٰہُ اَکْبَر कहता हुआ उठे और भली भातीं बैठ जावे इसके पश्चात अल्लाहु अकबर اَللّٰہُ اَکْبَر। कहते हुए दुसरा सज्दा करेऔर कम से कम तीन बार सुब्हान سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی रब्बीयल आला कहे फिर अल्लाहु अकबर اَللّٰہُ اَکْبَر। कहते हुए खडा हो जावे। ज़मीन पर हाथ टेक कर न उठे। इसके पश्चात बिस्मिल्लाह सहित अल्हम्द और सुरत पढ कर दूसरी रकअत भी पहली रकअत की भाँतीपूरी करे। जब दूसरा सजदा कर चुके तो दाँया पैर खडा रखे और बायें पैर को बिछा को पैर पर बैठ जाये। अपने दोनो हाथ जाघों पर रखे हाथ की उगुलियों को मिलाये। इसके पश्चात अत्तहियात पढें। अत्तहैयात लिल्लाही वसलवातु वत्तैयबातु अलैका ऐयुहन्नबीय्यू वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्ला हिस्सालिहीन' अशहदु अल्लाहइलाहा

इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नमुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

इस दुआ में जब अशहदु अल्लाहइलाहशब्द पढ़े तो अगूंठे और बीच कि उगंली से धेरा बनाते हुए दायें हाथ के अगुंठे के पास की उंगली दे और इल्लल्लाह कहने पर झुकादे परन्तु घेरे की शक्ल नमाज़ के अन्त तक बाकी रखे। यह पुरूषों के नमाज़ पढने का तरीका है।

स्त्रियों के नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

मसला न. १: नमाज़ की नीयत करके अल्लाहु अकबर कहे और अल्लाहु अकबर कहते समय अपने दोनो हाथ कन्धे तक उठाये। हाथ दुपटेसे बाहर न निकले। फिर सीने पर बान्ध ले। दाहिने हाथ की हथेली को बायें हाथ की पीठ रख दे। और यह दुआ पढें। सुबहान कल्लाहुम्मा वबिहमदिका व तबाऱ कस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरूका।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

फिर अऊजुबिल्लहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
पढकर अल्लहम्दु पढ़े और वलज्जुवालीन के पश्चात आमीन, कहे। फिर बिस्समिल्लाहअर्रहमानिर्रहीम بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ पढ़ कर कोई सुरत पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर اَللّٰهُ اَكْبَرُ कह कर

रूक जाये और सुब्हान रब्बियल अज़ीम, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ

तीन, बार,पांच बार या सात बार कहे और रूकू में दोनो हाथ की उगुंलियां मिलाकर घुटनो पर रखदे और बाहें बगंलो से खुब मिलावे

और दोनो पैर के टखने मिलाले फिर سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ۔ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ

समी अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्दु, कहती हुई सर को उठाये। जब भली भातीं खडी हो जाये तो फिर अल्लाहु अकबर اَللّٰهُ اَكْبَر

कहते हुए सज्दे में जाये. ज़मीन पर पहले घुटने रखे फि कानों के बराबर हाथ रखे और उंगलियाँ खूब मिला ले फ़िर दोनों हाथों के बीच माथा रखे और सजदे के समय माथा और नाक दोनों जमीन पर रख दे और हाथ और पांव की उंगलियाँ क़िबले की और रखे और पांव खड़े न करे बल्कि दाहिनीओर निकाल दे और खूब सिमट कर दब कर सज्दा करे पेट दोनों रानों से और बाहें दोनों कोखो से मिला दे और दोनों बाहे ज़मीन पर रख दे फिर सजदे में कम से कम तीन बार सुब्हान रब्बियल आला سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى कहे इसके पश्चातं अल्लाहु अकबर اَللّٰهُ اَكْبَرُ कहती हुई उठे और भली भांति बैठ जाये। तब दूसरा सज्दा اَللّٰهُ اَكْبَر . अल्लहु अकबर कह कर करे और कम से कम तीन बार सुब्हान रब्बियल आला سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى कह कर अल्लहु अकबर اَللّٰهُ اَكْبَر कहती हुई खड़ी हो जाये। फिर

बिस्मिल्लाह अर्रहमर्निहीम بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

पढ़कर अलहम्दू और सूरत मिलाकर दूसरी रकअत इसी प्रकार पूरी करे। जब दूसरा सजदा कर चुके तो बायें कूल्हे पर बैठे और अपने दोनों पैर दाहिनी ओर निकाल दे और दोनों हाथ अपनी रानों पर रख लें और उंगलियां खुब मिलाकर रखे। फिर अत्तहीयात पढ़े और मर्द की भाँति लाइलाहा पर उंगली उठाये और इल्लाह पर झुका दें। यदि चार रकअत पढ़नी हो तो अत्तीयात से अधिक कुछ न पढ़ें बल्कि तुरन्त अल्लहुअकबर कह कर उठ खड़े हों और दो रकअत और पढ़ लें। फर्ज नमाज़ में पिछली दो रकअतों में अलहम्दु के साथ कोई सूरत न मिलावे जब चौथी रकअत पर बैठे तो फिर अत्तहीयात पढ़ने के पश्चात यह दुरूद

पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिंव्व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्ला हुम्मा बारिक अला मुहम्मदिवं व अल आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्रहीमा इन्नका हमीदुम मजीद'

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؕ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ؕ

इसके पश्चात यह दुआ पढ़ें रब्बना आतिना फिदुनिय हसनतंव्व फिल आखिर तिहसनतंब्व व किना अज़ाबन्नार।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

या यह दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मग़ फिरली वली वालि दय्या वलिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमति अल अहयाई मिन हुम वल अमवात।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ ؕ

या और कोई दुआ पढ़े जो हदीस में या क़ुरान शरीफ़ में आई हो। इसके पश्चात अपने दाहिने ओर सलाम फेरे और कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह फिर यही कह कर बायीं ओर सलाम फेरे। सलाम फेर ते समय फरिश्तों पर सलाम करने की नीयत करे। यह नमाज़ पढने का तरीका है। लेकिन इस में जो बातें

फर्ज हैं उनमें से यदि एक भी छूट जाये तो नमाज़ नहीं होती चाहे जान बूझकर छोड़े या भूल से दोनों को एक ही आदेश है।

नमाज़ में कुछ चीज़े वाजिब हैं। कि उनमें यदि कोई बात जान बूझ कर छोड़ दे तो नमाज़ निकम्मी और खराब हो जाती है। फिर से पढ़नी पड़ेगी। यदि कोई फिर न पढ़े तब भी फर्ज सर सेउतर जाता है परन्तु बहुत गुनाह होता है। यदि भूल से छूटजाये तो भूल का सज्दा करने से नमाज़ हो जायेगी। कुछ बातें सुन्नत हैं कुछ मुतहब हैं।

मसला न. २: नमाज़ में छः बातें फर्ज़ हैं- (१) नीयत बांधते समय अल्लाहु अकबर कहना (२) खड़ा होना (३) कुरान में से कोई सूरतया आयत पढ़ना (४) रूकु करना (५) दोनों सज्दे करना (६) नमाज़ के अन्त में जितनी देर अत्तहीयात पढ़ने में लगती है उतनी देर बैठना।

मसला न. ३ : ये वस्तुयें नमाज़ में वाजिब हैं। १) अलहम्दु पढ़ना और उसके साथ कोई सूरत मिलाना प्रत्येक फर्ज़ को अपने अपने स्थान पर अदा करना और पहले खड़े होकर अल्हम्दु पढ़ना फिर सूरा मिलाना फिर रूकू करना फिर सज्दा करना फिर दो रकअत पर बैठना। दोनों बैठकों में अत्तहीयात पढ़ना वित्र की नमाज़ में दुआ ए त्नूत पढ़ना। अस्स्लामु अलैकुम व रहमतुल्लाह اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ कह कर सलाम फेरन। प्रत्येक भाग को संतोष पूर्वक पूरा करना। बहुत शीघ्रता न करना।

मसला न. ४: इन बातों के अतिरिक्त जितनी और सब बातें हैं वे सुन्नत हैं लेकिन कुछ उनमें मुस्तहब भी हैं।

मसला न. ५: यदि कोई नमाज़ में अल्हम्दु न पढ़े बल्कि कोई और आयत या कोई और पुरी सुरत पढ़े या केवल अल्लहम्दु पढ़े उसके साथ कोई सूरत या न मिलये या दो रकअत पढ़कर न बैठे-बैठे और बिन उत्तहीयात पढ़े तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाये या बैठ तो गया लेकिन अत्तहीयात नहीं पढ़ी तो इन दशाओं में सर से फर्ज तो उतर गया लेकिन नमाज़ बिल्कुल निकम्मी और खराब हो गई फिर से पढना वाजीब है। यदि दोबारा नही पढ़ी जायेगी तो बडा गनाह हो गा। हाँ यदि भूल से ऐसा किया हो तो भूल का सज्दा करने से नमाज़ ठीक हो जायेगी।

मसला न. ६: यदि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ कह कर सलाम नही फेरा बल्कि जब सलाम का समय आया तो किसी से बोल पड़े, बातें करने लगे या उठ कर चल पड़े या और कोई एसा काम किया जिस से नमाज़ टूट जाती है तो इस का भी यही आदेश है कि फर्ज़ तो उतर जाएगा लेकिन नमाज़ का दोहराना वाजिब है। दोबारा न पढ़ेगा तो बडा गुनाह होगा।

मसला न. ७: यदि पहले सुरत पढी फिर अल्हम्दु पढी तब भी नमाज़ दौहराना पड़ेगी और भूल से ऐसा हो जाए तो भूल का सज्दा कर ले।

मसला न. ८: अल्हम्दु के पश्चात कम से कम तीन आयतें पढनी चाहिए। यदि एक ही आयत या दो आयतें अल्हम्दु के पश्चात पढ़ें तो यदि वह एक आयत इतनी बडी है कि छोटी-छोटी तीन आयतो के बराबर हो जायें तब भी ठीक है।

मसला न. ९: यदि कोई रूकू से खड़ा होकर समी अल्लाह हुलिमन हमिदहरब्बना लकल हम्दु سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ - رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ या रूके में सुब्बहान रब्बियल अजीम سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ न पढ़ें या सज्दे में सुब्बहान रब्बियल आला سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى न पढे या अन्त की बैठक मे अत्तहीयात के पश्चात दुरूद शरीफ़ न पढ़ें तो भी नमाज़ हो गई लेकिन सुन्नत् के विपरीत। इसी प्रकार यदि दुरूद के पश्चात कोई दुआ न पढी केवल दुरूद शरीफ पढकर सलाम फेर दिया तब भी नमाज़ ठीक है लेकिन सुन्नत के खिलाफ़ है।

मसला न. १०: नीयत बांधते समय हाथो का उठाना सुन्नत है यदि कोई न उठाये तब भी नमाज़ ठीक है मगर सुन्नत के खिलाफ़ है।

मसला न. ११: प्रत्येक रकअत में बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ कर अल्हम्दु पढ़ें और जब सुरत मिलायें तो सूरत से पहले बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ पढ़ले यही अच्छा है।

मसला न.१२: सज्दे के समय यदि नाक और माथा दोनो जमीन पर न रखे बल्कि केवल माथा ज़मीन पर रखे और नाक न रखे तो भी नमाज़ ठीक है और यदि माथा

नहीं लगाया केवल नाक ज़मीन पर लगाई तो नमाज़ नहीं हुई। हाँ यदि कोई मज़बूरी हो तो केवल नाक लगाना भी ठीक है।

मसला न.१३: यदि रूकू के पश्चात भली-भाँती खडा नही हुआ तनिक सा सर उठा कर सज्दे में चला गया तो नमाज़ दोबारा पढ़ें।

मसला न. १४: यदि दोनो सज्दो के बीच में भली-भाँती नही बैठे तनिक सा सर उठाकर दुसरा सज्दा कर लिया। तो यदि तनिक ही सज्दा उठाया तो एक ही सर माना जएगा। दोनो सज्दे अदा नही हुए। और नमाज़ बिल्कुल नही हुई। और यदि इतना उठा हो कि करीब-करीब बैठने के हो गया तो खेर नमाज़ सर से उतर गई लेकिन बड़ी निकम्मी और खराब हो गई। इस लिए फिर दोबारा पढनी चाहिए नही तो बड़ा गुनाह होगा।

मसला न. १५: यदि पुराल पर या रुई की वस्तु पर सज्दा करें तो सर को खुब दबाकर सज्दा करें इतना दबायें कि और अधिक न दब सकें। यदि उपर जरा इशारे से सर रख दिया दबाया नही तो सज्दा नही हुआ।

मसला न. १६: फर्ज़ नमाज़ में पिछली दो रकअतो में यदि अल्हम्दु के पश्चात कोई सुरत भी पढ़ दी तो नमाज़ में कुछ हानी नही हुई। नमाज़ बिल्कुल ठीक है।

मसला न. १७: यदि पिछली दो रकअतो में अल्हम्दु न पढ़ें बल्कि तीन बार सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह कहलें तो भी ठीक है परन्तु अल्हम्दु पढ़ लेना अच्छा है। और यदि कुछ न पढ़ें अर्थात तीन बार सुब्हानल्लाह कहनें के बराबर चुप खड़े रहे तो भी कोई बुराई नही नमाज़ ठीक हो गई।

मसला न. १८: पहली दो रकअतो में अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाना वाजिब है। यदि पहली दो रकअतो में केवल अल्हम्दु पढ़ें सूरत न मिलावें या अल्हम्दु भी न पढें सुब्हानल्लाह -सुब्हानल्लाह, पढ़ता रहे तो अब पिछली रकअतो में अल्हम्दु के साथ सूरत मिलाना चाहिए फिर यदि जान बुझ कर ऐसा किया है तो नमाज़ फिर से पढें और यदि भूल से किया हो तो भूल का सज्दा कर लें।

मसला न. १९: जुहर और अस्त्र की नमाज़ में अल्हम्दु और सुरत आदि तमाम वस्तु धीरे और चुपके से पढ़ें लेकिन इस प्रकार पढना चाहिए की स्वयं अपने कान में आवाज जरुर आये। यदि अपनी आवाज अपने को भी सुनाई न दे तो नमाज़ न होगी

मसला न. २०: किसी नमाज़ के लिए अल्हम्दु के पश्चात कोई सुरत निश्चित

करे बल्कि जो जी चाहे पढ़ा करें। सूरत निश्चित कर लेना मकरूह है।

मसला न. २१: दूसरी रकअत में पहली रकअत से अधिक लम्बी सूरत न पढ़ें

मसला न. २२: मुस्तहब यह है कि जब नमाज़ के लिए खडे हो तो अपनी दृष्टि सज्दे के स्थान पर रखे और जब रूकू में जायें तो पांव पर निगाह रखें। और जब सज्दा करें तो नाक पर और सलाम फेरते समय कन्धों पर नज़र रखें और जब जम्हाई आये तो मुहं खूब बन्द करें। यदि और किसी प्रकार न रूके तो हाथ की हथेली के उपर की और से रोकें और जब गला सहलायें (यानी गले में खुजली होने लगे) तो जहां तक हो सके खाँसी को रोके।

मसला न. २३: यदि नमाज़ पढते समय वज़ु टुट जाये तो फिर से वज़ु करके नमाज पढें।

मसला न. २४: सब औरतें अपनी नमाज़ अलग -अलग पढें ज़मात से न पढ़ें और ज़मात के लिए मस्जिद में जाना और वहाँ जाकर मर्दो के साथ नमाज़ पढना नही चाहिए। यदि कोई औरत अपने पति आदि किसी महरम के साथ ज़मात करके नमाज़ पढें तो उसका मसला किसी से पुछ ले। चूंकि ऐसा अवसर कम होता है इस कारण यहां बयान नही किया गया। हाँ इतनी बात याद रखे कि यदि कभी ऐसा अवसर मिले तो किसी मर्द के बराबर कदापि खडी न हो बिल्कुल पीछे रहे नही तो उसकी नमाज़ भी खराब होगी और मर्द की नमाज़ भी खराब हो जाएगी।

क़ुरान मजीद पढ़ने का बयान

मसला न. १: क़ुरान् शरीफ को शुद्ध-शुद्ध पढ़ना वाजिब है। प्रत्येक अक्षर को ठीक ठीक पढ़ें। हमजा और ऐन में नियमानुसार अन्तर करे इसी प्रकार बडी ह में और छोटी ह में और जाल और ज़ा और स्वाद और स में नियमानुसार अन्तर पढ़ें एक अक्षर के स्थान पर दुसरा अक्षर न पढें। इसलिए प्रत्येक मुसलमान को किसी अच्छे अध्यापक से कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए।

मसला न. २: यदि किसी से कोई अक्षर नही बोला जाता जैसे बडी ह के स्थान् पर छोटी ह पढ़ता है तो ठीक पढ़ने का अभ्यास करना आवश्यक है। यदि ठीक पढ़ने का प्रयत्न न करेगा तो गुनाह होगा और उसकी कोई नमाज़ ठीक न होगी। हाँ यदि प्रयत्न करने पर भी ठीक न पढ़ सके तो मजबुरी है।

मसला न. ३: यदि सभी अक्षर ठीक निकलते हैं लेकिन ऐसी लापरवाही से पढ़ता है कि एक अक्षर के स्थान पर दुसरा अक्षर पढा जाता है ध्यान देकर नही पढ़ता।

उस समय भी गुनाह गार है नमाज़ ठीक न होगी।

मसला न. ४: जो सूरत पहली रकअत मे पढी है वही सूरत दूसरी रकअत में फिर पढ़ गया तो भी कुछ बुराई नही लेकिन अनावशयक ऐसा करना ठीक नहीं।

मसला न.५: जिस प्रकार कुरान शरीफ में सूरतें आगे पीछे लिखी हैं नमाज़ में भी उसी प्रकार पढ़नी चाहिए। जिस प्रकार अम्म के सिपारे में लिखी हैं उस प्रकार न पढ़ें अर्थात जब पहली रकअत में कोई सुरत पढ़ें तो अब दुसरी रकअत में उसके बाद वाली सुरा पढें उस से पहले वाली सुरत न पढ़ें। जैसे किसी ने पहली रकअत में कुलया ऐयुहल काफिरून قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ पढी तो अब इजा जाआ اِذَاجَآءَ या कुलहु अल्लाहु قُلْ هُوَاللّٰهُ या कुल आ ऊजू बिरब्बिलफलक قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ या कुल अ ऊजू बिरब्बिन्नास قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ पढें अलम तरा कैफें यां اَلَمْ تَرَ كَيْفَ लिइलाफि لِاِيْلٰفِ आदि उस के उपर की सुरत न पढ़ें क्योंकि इस प्रकार पढना मकरुह है परन्तु भूल से यदि इस प्रकार पढ़ जाये तो मकरूह नही।

मसला न. ६: जब कोई सुरत आरम्भ करे तो अकारण उस को छोड़ कर दुसरी सुरत आरम्भ करना मकरुह है।

मसला न. ७: जिसको नमाज़ बिल्कुल न आती हो या नया-नया मुसलमान हुआ हो वह सब स्थानो पर सुब्हानल्लाहपढता रहे तो फर्ज सर से उतर जाएगा। परन्तु इसी के साथ नमाज़ बराबर सीखता रहे। यदि नमाज़ सीखने में लापरवाही करेगा तो बहुत पापी होगा।

नमाज़ तोड़ देने वाली बातों का वर्णन:-

मसला न. १: जान बुझ कर या भूल से नमाज़ में बोल उठे तो नमाज़ टुट जाती है।

मसला न. २: नमाज़ में आह या ओह या उफ या हाय कहे या जोंर से रोयें तो नमाज़ टुट जाती है। हाँ यदि जन्नत दोजख़ को याद करके दिल भर आया और जोर से आवाज निकल पड़ी या आह या उफ आदि निकली तो नमाज़

नही टुटी।

मसला न. ३: अकारण खंखारने और गला साफ करने से जिससे एकाधाक्षर भी उत्त्पन हो जाये तो नमाज़ टुट जाती है। हाँ मजबुरी के समय खँखारना ठीक है। नमाज़ भी नही जाती।

मसला न. ४: नमाज़ में छीक आयी, उस पर अलहम्मदुलिल्लाह कहा तो नमाज़ नही टुटी लेकिन कहना नही चाहिए और यदि किसी और को छींक आये और इसने नमाज़ ही में यर हमुकल्लाह कहा तो नमाज़ जाती रही।

मसला न. ५: कुरान शरीफ़ में देख-देख कर पढ़ने से नमाज़ टूट जाती है।

मसला न. ६: नमाज़ में इतना मुड़ गया कि छाती किबले कि और से फिर गई तो नमाज़ टूट गई।

मसला न. ७: किसी के सलाम का उत्तर दिया और वालै कुमुस्लाम कहा तो नमाज़ जाती रही।

मसला न. ८: नमाज़ के अन्दर स्त्री ने जूडा बान्धा तो नमाज़ टूट गयी।

मसला न. ९: नमाज़ में कोई वस्तु खा पी ली तो नमाज़ जाती रही। यहाँ तक की एक तिल यां उसके बराबर दुसरी वस्तु खा ले तो भी नमाज़ जाती रहती है। हाँ यदि तिल या कोई वस्तु दाँतो में अटकी हुई थी अब उसको निगल लिया यदि वह चने से कम हो तब तो नमाज़ हो गई और यदि चने के बराबर या उससे अधिक है तो नमाज़ टूट गई।

मसला न. १०: मुहं में पान दबा हुआ है और उसकी पीक़ हल्क़ में जाती रही तो नमाज़ नही हुई।

मसला न. ११: कोई मीठी वस्तु खाई, फिर कुल्ली करके नमाज़ पढ़नें लगे लेकिन मुहं में उसका मजा बाकी है और थुक के साथ हलक में जाता है तो नमाज़ ठीक है।

मसला न. १२: नमाज़ में कोई शुभ सुचना सुनी और उस पर अल हम्दु लिल्लाह اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ कहा या किसी की मौत की सूचना पर इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि रजिऊन اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ पढ़ा तो नमाज़ जाती रही.

मसला न. १३: नमाज़ में आकर बच्चे ने अपनी मां का दुध पी लिया तो नमाज़ जाती रही, हाँ यदि दूध नहीं निकला तो नमाज़ नहीं टूटी।

मसला न. १४: कोई लड़का यदि गिर पड़ा उस के गिरते समय बिस्मिल्लाह कह दिया तो नमाज़ जाती रही।

मसला न. १५: अल्लाहु अकबर कहते समय अ को बढा दिया अर्थात आल्लाहु अकबर कहा तो नमाज़ टूट गई। ईसी प्रकार यदि अकबर की बा को बढा कर पढ़ा अल्लाहु अकबार कहा तो नमाज़ जाती रही।

मसला न. १६: किसी पत्र या किताब पर दृष्टि पड़ी और उसको अपनी जुबान से नही पढ़ा लेकिन दिल ही दिल से मतलब समझ गया तो नमाज़ नही टूटी। हाँ ज़बान से पढ़ ले तो नमाज़ टूट गई।

मसला न. १७: नमाज़ी के सामने से यदि कोई चला जाये या कुत्ता, बिल्ली, बकरी आदि कोई जानवर आदि निकल जाये तो नमाज़ नही टूटी लेकिन सामने से जाने वाले आदमी को बड़ा गुनाह है। इस लिए ऐसे सस्थान पर नमाज़ पढ़नी चाहिए जहाँ आगे से कोई न निकले और आने जाने में लोगो को परेशानी न हो। यदि एसी अलग जगह न हो तो अपने सामने लकड़ी गाड़े जो कम से कम एक हाथ लम्बी हो और एक अगुंल मोटी हो। तब उसं लकड़ी के पास खड़ा हो उसको बिल्कुल नाक के सामने न रखे बल्कि दायीं या बायीं आखं के सामने रखे यदि कोई लकड़ी न गाड़े तो इतनी ही ऊचीं कोई और वस्तु सामने रखे जैसे मूढ़ा, तो अब उसके परे से जाना ठीक है कोई गुनाह नही।

मसला न. १८: किसी आवश्यकता के कारण किब्ले की और एक आध पग बढ गया या पीछे हट गया लेकिन सीना किब्ले की और से नही फिरा तो नमाज़ ठीक हो गई। लेकिन यदि सज्दे के स्थान से आगे बढ़ जएगा तो नमाज़ न होगी।

जों बातें नमाज़ में मकरूह हैं उनका वर्णन

मसला न. १: मकरूह वह वस्तु है जिससे नमाज़ तो नही टूटती, लेकिन सवाब कम हो जाता है और गुनाह होता है।

मसला न. २: अपने कपडे या शरीर या आभूषण से खेलना या कंकरियों को (सामने से) हटाना मकरूह है। हाँ यदि कंकरियों के कारण सज्दा न हो सके,तो एक दो बार हाथ से बराबर कर लेना और हटा देना ठीक है।

मसला न. ३: नमाज़ में उगुंलियां चटखाना और कुल्हे पर हाथ रखना और दायें-बायें मुह मोड़कर देखना ये सब बातें मकरूह है। हाँ यदि कनखियों से कुछ देख लिया और गर्दन नही फेरी तो ऐसा करना मकरूह तो नही है लेकिन किसी आवश्यकता के बिना एसा करना ठीक नही।

मसला न. ४: नमाज़ में दोनो पैर खड़े रख कर बैठना या पलोथा मारकर बैठना या कुत्ते की भाँति बैठना यह सब मकरूह है हाँ दुख बीमारी के कारण जिस प्रकार बैठने का आदेश है उस प्रकार न बैठ सके तो जिस प्रकार बैठ सके बैठ जाये। उस समय कुछ मकरूह नही है।

मसला न. ५: सलाम के उत्तर में हाथ उठाना और हाथ से सलाम का जवाब देना मकरूह है और यदि मुहँ से जवाब दिया तो नमाज़ टूट गई जैसा कि उपर बयान किया गया।

मसला न. ६: नमाज़ में इधर उधर से अपने कपड़े समेटना और संभालना कि मिट्टी से न भरें, मकरूह है।

मसला न. ७: जिस स्थान पर यह भय हो कि नमाज़ में कोई हसां देगा मन हट जायेगा, तो नमाज़ में भुल चूक हो जायेगी ऐसे स्थान पर नमांज़ पढ़ना मक्रूरह है।

मसला न. ८: यदि कोई आगे बैठा बातें कर रहा हो या किसी दुसरे काम में लगा हो तो उसके पीछे उसकीपीठ की तरफ मुहं करके नमाज़ पढना मकरूह नही है। परन्तु बैठने वाले को इससे तकलिफ हो और वह अपने रूक जाने से घबराये तो एसी दशा में किसी के पिछे नमाज़ न पढें। या वह इतनी जोर-जोर से बातें करता हो कि नमाज़ में भूल जाने का डर है तो वहाँ नमाज़ न पढ़ना चाहिए मकरूह है और किसी के मुहं की और मुहं करके नमाज़ पढना मकरूहहै।

मसला न. ९: यदि नमाज़ी के सामने क़ुरान या तलवार लटकी हो तो इस की कोई बुराई नही।

मसला न. १०: जिस फर्श षर तस्विर बनि हो उस पर नमाज़ हो जाती है लेकिन तस्विर पर सज्दा न करें और तस्विर दार जा नमाज़(जिस कपडे, या चटाइ या बोरिया पर नमाज़ पढता है) रखना मकरूह है और तस्वीर का घर में रखना बडा पाप है।

मसला न.११: यदि तस्विर सर के ऊपर हो यानी छत में या छतरी में तस्वीर बनी

हो या आगे कि और हो या दाहिने और या बांयी और तो नमाज़ मकरूह है और यदि पैर के निचे हो तो नमाज़ मकरूह नही होती, परन्तु बहुत छोटी तस्वीर हो कि यदि ज़मीन पर रख दें तो खड़े होकर दिखाई न दे या पूरी तस्वीर न हो बल्कि सर कटा हुआ या मिटा हुआ हो तो उसकी कोई बुराई नही। एसी तस्वीर से किसी प्रकार से नमाज़ मकरूह नही होती चाहे जिस प्रकार हो।

मसला न. १२: तस्वीरदार कपडा पहन कर नमाज़ पढना मकरूह है।

मसला न. १३: पेड़ या मकान आदि किसी बेजान वस्तु का नक्शा बना हो तो वह मकरूह नही।

मसला न. १४: नमाज़ के अन्दरआयतो का या किसी चीज का उंगलियों पर गिनना मकरूह है। हाँ यदि उंगलियों को दबाकर गिनती याद रखें तो कोई बुराई नही।

मसला न. १५: दूसरी रकअत को पहली रकअत से अधिक लम्बी करना मकरूह है।

मसला न. १६: किसी नमाज़ में अल्हम्दु के बाद कोई सुरत निशचित कर लेना कि सैदव वही पढा करे कोई दुसरी सुरत कभी न पढे यह बात मकरूह है।

मसला न. १७: कन्धे पर रुमाल डालकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

मसला न. १८: बहुत बुरे मैले कुचले कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। यदि दूसरे कपड़े न हो तो ठीक है।

मसला न. १९: पैसा कौड़ी आदि मुहं में लेकर नमाज़ पढना मकरूह है। यदि एसी वस्तु हो कि नमाज़ में कुरान शरीफ़ नही पढ़ सकता तो नमाज़ नही हुई टूट गयी।

मसला न. २०: जिस समय पेशाब या पखाना जोर से लगा हो तो एसी दशा में नमाज़ पढना मकरूह है।

मसला न. २१: जब बहुत भुख लगी हो और खाना तैयार हो तो पहले भोजन करले तत्पश्चात नमाज़ पढ़े बिना खाये नमाज़ पढ़ना मकरूह है। हाँ यदि समय तँग होने लगे तो पहले नमाज़ पढ़ ले।

मसला न. २२: आखें बन्द करके नमाज़ पढ़ना अच्छा नही है। यदि आखें बन्द करके नमाज़ में मन अधिक लगे तो बन्द करके पढ़नें में कोई बुराई नही है।

मसला न. २३: अनावशअयक नमाज़ में थूकना और नाक साफ करना मकरूह है और यदि जरूरत पड़े तो ठीक है। जैसे किसी को खाँसी आयी और मुहँ में बलगम

आ गया तो अपने बायीं और थूक दे या(यदि बराबर में कोई दुसरा नही ख़ड़ा) कपड़े में लेकर मल डाले और दाहिनी तरफ और किब्ले की और न थूके।

मसला न. २४: नमाज़ में खटमल ने काट खाया तो उसको पकड कर छोड दे नमाज़ में मारना अच्छा नही। यदि खटमल ने अभी काटा नही तो उसको अभी न पकड़े। बे काटे पकड़नी भी मकरूह है।

मसला न. २५: फर्ज नमाज़ में अनावश्यक दिवार आदि किसी वस्तु से टेक लगाकर खड़ा होना मकरूह है।

मसला न. २६: अभी सूरत पूरी समाप्त नही हुई दो एक वाक्य रह गये थे कि शीघ्रता के कारण रूकू में चले गये और सूरत को रूकू में जाकर समाप्त कर दिया तो नमाज़ मकरूह हो गई।

मसला न. २७: यदि सज्दे का स्थान पैरों से उचां है जैसे कोई चौखट पर सज्दा करे तो देखे कितना उचां है। यदि एक बालिश्त से ऊंचा है तो नमाज़ ठीक न होगी और यदि एक बालिश्त या उससे कम है तो नमाज़ ठीक है लेकिन बिना ज़रुरत एसा करना मकरूह है।

जिन कारणो से नमाज़ तोड़ देना ठीक है, उनका वर्णन

मसला न. १: नमाज़ पढ़ते में रेल चलदे और उस पर अपना सामान रखा हुआ हो या बाल बच्चे सवार हों तो नमाज़ तोड़कर बैठ जाना ठीक है।

मसला न. २: सामने सापं आ गया तो उसके भय से नमाज़ तोड़ देना ठीक है।

मसला न. ३: नमाज़ में किसी ने जूता उठा लिया और डर है कि यदि नमाज़ न तोड़ेगा तो ले कर भाग जायेगा तो उस के लिए नमाज़ तोड़ देना ठीक है।

मसला न. ४: रात को मुर्गी खुली रह गयी और बिल्लि उसके पास आ गयी तो उसके डर से नमाज़ तोड़ देना ठीक है।

मसला न. ५: कोई नमाज़ में है और हाडीं उबलने लगी जिसकी लागत काफी हो तो नमाज़ तोड़कर उसको ठीक कर देना ठीक है। मतलब यह है कि जब ऐंसी वस्तु के नष्ट हो जाने या खराब हो जाने का डर है जिसका मूल्य या लागत लगभग पच्चीस रुपयें हो तो उसकी रक्षा के लिए नमाज़ तोड़ देना

ठीक है।

मसला न. ६: यदि नमाज़ में पेशाब या पखाना जोर करे तो नमाज़ तोड़ दें। उससे निबट कर फिर पढ़ें।

मसला न. ७: कोई अंधी स्त्री या पुरुष जा रहा है और आगे कुआँ है उस में गिर पड़ने का भय है उसको बचाने के लिए नमाज़ तोड़ देना फर्ज। यदि नमाज़ न तोड़ी और वह गिरकर मर गया तो नमाज़ पढ़ने वाला गुनेहगार होगा।

मसला न. ८: किसी बच्चे आदि के कपड़ों में आग लग गयी है और वह ज़लने लगा तो उसके लिए नमाज़ तोड़ देना फर्ज़ है।

मसला न. ९: माँ-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी किसी मुसिबत के कारण पुकारें तो फर्ज़ नमाज़ को तोड़ देना वाजीब है। जैसे किसी के माँ बाप बीमार है वह पखाना आदि किसी आवश्यकता से गया और आते में या जाते में पैर फिसल गया और गिर पड़ा तो नमाज़ तोड़कर उसे उठा ले लेकिन अगर कोई और उठाने वाला है तो अनावश्यक नमाज़ न तोड़ें।

मसला न. १०: यदि अभी गिरा भी नही लेकिन गिरने का भय है और उसने उसको पुकारा उस समय भी नमाज़ तोड़ दें।

मसला न. ११: यदि किसी ऐसी आवश्यकता के लिए नही पुकारा तो फर्ज़ नमाज़ को तोड़ देना ठीक नहीं।

मसला न. १२: यदि नफ्ल या सुन्नत पढ़ता हो उस समय मां-बाप,दादा दादी,नाना-नानी पुकारें लेकिन यह उनको ज्ञात नही है कि अमुक व्यक्ति नमाज पढ रहा है तो एसे समय में भी नमाज़ को तोडकर उन की बात का उत्तर देना वाजिब है चाहे किसी मुसिबत में पुकारे या बिना ज़रुरत पुकारे दोनो का एक ही आदेश है। यदि नमाज़ तोडकर न बोलेगा तो गुनेहगार होगा और यदि वें जानते हों कि नमाज़ पढ़ रहे है तो भी पुकारें तो नमाज़ न तो परन्तु यदि किसी आवश्यकता के लिए पुकारें और उन को सख्त तकलीफ़ होने का डर हो तो नमाज़ तोड़ दें।

तकबीर तहरीमह का वर्णन

(नियत बांधते समय अल्लहु अकबर कहना)

मसला न. १ : कुछ न अज्ञानी जब मस्जिद में आकर इमाम को रूकू में पाते हैं तो तुरन्त आते ही झुक जाते हैं और उसी दशा में अल्लाहु अकबर कहते है

उनकी नमाज़ नहीं होती इसलिए कि तकबीरे तहरीमह नमाज़ के ठीक होने की शर्त है और तकबीरे तहरीमह के लिए खड़ा होना शर्त है। जब खड़ा न हुआ वह ठीक न हुई और जब ठीक नही हुई तो नमाज़ कैसे ठीक हो सकती है।

फ़र्ज़ नमाज़ के कुछ मसले

मसला न. १: अलहम्दु की समाप्ति पर आमीन के अलिफ़ (अ) को बढ़ा कर पढ़ना चाहिए। इसके बाद कोई सूरा क़ुरान शरीफ़ की पढ़ें।

मसला न. २: यदि यात्रा में हो या कोई आवश्यकता हो तो अधिकार है कि अलहम्दु के बाद जो सूरा चाहे पढ़ें। यदि यात्रा में न हो या कोई आवश्यकता की दशा न हो तो फज्र और ज़ुहर की नमाज़ में हुजूरात (न. ४९, से) सूरा बुरूज (८५) और उनके बीच की सूरतों में से जिस सूरा को चाहे पढ़े। फज्र की पहली रकअत में दूसरी रकअत की अपेक्षा बडी सूरत होनी चाहिए बाक़ी वक्तों में दोनों रकअतों की सूरतें बराबर होनी चाहिए एक दो आयत की कमी बेशी की कुछ बुराई नहीं। अस्त्र और इशा की नमाज़ में वस्समाई वत्तारिक (न. ८६) और लमयकुन (न. ९८) और उनके बींच की सूरतों में से कोई सूरा पढ़नी चाहिए मग़रिब की नमाज़ में इज़ा जुल ज़िलत से अन्त तक पढ़ना चाहिए।

मसला न. ३ : जब रूकू से उठकर सीधा खड़ा हो तो इमाम केवल समी अल्लाहु लिमन हमीदह और मुक़्तदी केवल रब्बना लकल हम्दु और अकेला दोनों कहे फिर तकबीर कहता हुआ दौनों हाथों को घुटनों पर रखे हुए सज्दे में जाये। तकबीर का अन्त और सज्दे का आरम्भ साथ ही हो यानी सज्दे में पहुंचते ही तकबीर समाप्त हो जाये।

मसला न. ४ : सज्दे में पहले घुटनों को जमीन पर रखे, फिर हाथों को फिर नाक को फिर माथे को। मुंह दोनों हाथों के बींच होना चाहिए और उंगलियाँ मिली हुई किब्ले की ओर होनी चाहिए दोनों पैर उंगलियों के बल खड़े हुए हों और उंगलियों का रूख़ किबले की ओर और पेट जांघों से अलग और बाहें बगल से अलग हों। पेट ज़मीन से इतना ऊंचा हो कि बकरी का बहुत छोटा बच्चा बींच से निकल सके।

मसला न. ५ : फज्र मग़रिब और इशा के समय पहली दो रकअतों में सूरा फातिहा

और दूसरी सूरा और समी अल्लाहु लिमन हमिदह और सब तकबीरें इमाम ऊंची आवाज़ से कहे और अकेले को क़िरात में तो अधिकार है मगर समी अल्लाहु लिमन हमिदह और अल्लाहु अकबर धीरे से कहे। जुहर, अस्त्र के समय इमाम केवल समी अल्लाहुलिमन हमीदह और सब तकबीरें ऊंची आवाज़ से कहे और अकेला धीरे से। मुक़्तदी सदैव तकबीर आदि धीरे से कहे।

मसला न. ६: नमाज़ समाप्त कर चुकने के पश्चात दोनों हाथ सीने तक उठा कर फैलाये और अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगे इमाम हो तो तमाम मुक़्तदियों के लिए भी दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद दोनों हाथ मुंह पर फेर ले। मुक़्तदी चाहे अपनी-अपनी दुआ मांगे या इमाम की दुआ सूनाई दे तो चाहे सब आमीन आमीन कहते रहे।

मसला न. ७ : जिन नमाज़ों के पश्चात सुन्नतें हैं जैसे जुहर मग़रिब, इशा, उनके बाद देर तक दुआ न मांगे बल्कि संक्षिप्त दुआ मांग कर उन सुन्नतों के पढ़ने में लग जाये और जिन नमाज़ों के बाद सुन्नतें नहीं जैसे फज्र अस्त्र, इनके बाद जितनी देर तक चाहे दुआ मांगे और इमाम हो तो मुक्तदियों की ओर दाहिनी या बायीं ओर को मुंह फेर कर बैठ जाये इसके पश्चात दुआ मांगे शर्त यह है कि कोई मस्बूक उसके मुकाबले में नमाज़ न पढ़ रहा हो।

मसला न. ८ : फज्र और अस्त्र की फर्ज नमाज़ों के पश्चात और जुहर मग़रिब और इशा की सुन्नतों के पश्चात मुस्तहब है कि अस्तग़ फिरूल्लाहल्लजी ला इलाहा इल्ला हुवलहय्युल कय्यूम तीन बार आयतल कुर्सी कुल हुअल्लाहु अहद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ कुल अऊजु बिरब्बिन्नास एक-एक बार पढ़ कर तैंतीस बार सुब्हानल्लाह तैंतीस बार अल्हम्दु लिल्लाह और चौंतीस बार अल्लाहु अकबर पढ़े।

मसला न. ९ : औरतें भी इसी प्रकार नमाज़ पढ़े केवल कुछ स्थानों पर उनको इसके विरूद्ध करना चाहिए जिनका विवरण नीचे दिया जाता है।

१. तकबीर तहरीमा के समय मर्दों को चादर आदि से हाथ निकाल कर कानों तक उठाना चाहिए हां सर्दी आदि के समय यदि कोई आपत्ति हो तो चादर से बाहर हाथ न निकालें तो भी ठीक है और औरत को हर दशा में बिना हाथ निकाले कन्धों तक उठाना चाहिए।

२. तकबीर तहरीमा के पश्चात मर्दों को नाफ़ के नीचे हाथ बांधना चाहिए

ओर औरतों को सीने पर।

३. मर्दों को छोटी उंगली और अंगूठे को घेरा बना कर बायीं कलाई को पकड़ना चाहिए और दाहिनी तीन उंगलियां बांई कलाई पर बिछाना चाहिए और औरतों को दाहिनी हथेली बाईं हथेली की पीठ पर रख देना चाहिए। घेरा बना कर बायीं कलाई को पकड़ना न चाहिए।

४. मर्दों को रूकू में अच्छी प्रकार झुक जाना चाहिए किसर और कुल्हे और पीठ बराबर हो जायें और औरतों को इतना नहीं झुकना चाहिए बल्कि केवल इतना कि जिस में उन के हाथ घुटनों तक पहुंच जायें।

५. मर्दों को रूकू में उंगलियां खोलकर घुटनों पर रखना चाहिए और औरतों को बिना फैलाये बिल्कुल मिलाकर।

६. मर्दों को रूकू की दशा में कुहनियाँ कोख से अलगरखना चाहिए और औरतों को मिलाकर रखना चाहिए।

७. मर्दों को सज्दे में पेट रानों से और बाज़ू बग़ल से अलग रखना चाहिए और औरतों को मिला हुआ।

८. मर्दों को सज्दे में कुहनियों को ज़मीन से उठाये रखना चाहिए और औरतों को ज़मीन पर बिछी हुई।

९. मर्दों को सज्दे में दोनों पैर उंगलियों के बल खड़े रखना चाहिए और औरतों को नहीं।

१०. मर्दों को बैठने की दशा में बायें पैर पर बैठना चाहिए और दाहिने पैर को उंगलियों के बल खड़ा रखना चाहिए और औरतों को बायें कुल्हे के बल बैठना चाहिए। और दोनों पैर दाहिनी ओर निकाल देना चाहिए इस प्रकार कि दाहिनी रान बाईं रान पर आ जाये और दाहिनी पिण्डली बायीं पिण्डली पर।

११. स्त्रियों को किसी समय भी ऊंची आवाज़ से क़ुरान पढ़ने का अधिकार नहीं। बल्कि उनको हर समय धीमी आवाज़ से क़ुरान पढ़ना चाहिए।

नमाज़ के फ़र्ज़ों वाजिबों के सम्बन्ध में कुछ मसले

मसला न. १: मुदरिक को क़ुरान नहीं पढ़ना है। इमाम का क़ुरान पढ़ना सब

मुक्तदियों की ओर से काफ़ी है और हनफियों के विचारों में मुकतदी को इमाम के पिछे क़ुरान पढ़ना मकरूह है।

मसला न. २: मसबूक को अपनी गई हुई रकतों में से एक या दो रकअत में किरात करना . फर्ज है।

मसला न. ३ : मतलब यह है कि इमाम के होते हुए मुक़्तदी को क़ुरान नही पढ़ना चाहिए हां मस्बुक़ के लिए चूंकि उन गयी हुई रकअतों में इमाम नहीं होता इसलिए उसको क़ुरान पढ़ना चाहिए।

मसला न. ४: सज्दे के स्थान को पैरों के स्थान से आधा गज़ से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए यदि आधे गज़ से अधिक ऊंचे स्थान पर सज्दा किया जाये तो ठीक नहीं हां यदि कोई ऐसी ही जरूरत सामने आ जावे तो ठीक है। जैसे जमात अधिक हो और लोग इतने मिलकर खड़े हों कि ज़मीन पर सज्दा सम्भव न हो तो नमाज़ पढ़ने वालों की पीठ पर सज्दा करना ठीक है। शर्त यह है कि जिस व्यक्ति की पीठ पर सज्दा किया जाये वह भी वहीं नमाज़ पढ़ता हो जो सज्दा करने वाला पढ़ रहा है।

मसला न. ५: ईदों की नमाज़ में, साधारण तकबीरों के अतिरिक्त दूसरी छः तकबीरें कहना वाज़िब हैं।

मसला न. ६: इमाम को फज्र की दोनों रकअतों में और मग़रिब की और इशा की पहली दो रकअतों में चाहे कज़ा हो या अदा और जुमा और ईदों और तरावीह की नमाज़ में रमज़ान के वित्रों में ऊंची आवाज से क़ुरान पढ़ना वाजीब है।

मसला न. ७: मुनफ़रिद (अकेले) को फज्र कि दोनो रकअतों में और मग़रिब और इशा की पहली दों रकअतों में अधिकार है चाहे ऊचीं आवाज से क़ुरान पढ़े या धीरे से। ऊचीं आवाज की सीमा विद्वानो ने यह-लिखी है की कोई दूसरा व्यक्ति सुन सके' और धीमी आवाज कि यह सीमा लिखी है कि स्वयं सुन सके दुसरा न सुन सके।

मसला न. ८: इमाम और अकेले व्यक्ति को जुहर अस्त्र, की सभी रकअतों में और मग़रिब इशा की अन्तिम रकअतों में धीमी आवाज़ से क़ुरान पढ़ना वाज़िब है।

मसला न. ९ : जो नफ़्ल नमाजें दिन में पढ़ी जायें उनमें धीमी आवाज़ में क़ुरान पढ़ाना चाहिए। जो नफ़्ले रात में पढ़ी जाये उनमें अधिकार है।

मसला न. १०: अकेला व्यक्ति यदि फ़ज्र, मग़रिब और इशा की कज़ा नमाज़ पढ़े तो उनमें भी उसको धीमी आवाज़ में पढ़ना वाजिब है। रात को कज़ा पढ़े तो उसको अधिकार है।

मसला न. ११: यदि कोई व्यक्ति मग़रिब या इशा की पहली या दूसरी रकअत में सूरा फातिहा के पश्चात दूसरी सूरा मिलाना भूल जाये तो उसे तीसरी चौथी रकअत में सूरा फातिहा के बाद दूसरी सूरा पढ़नी चाहिए और इन रकअतों में भी ऊंची आवाज़ से पढ़ना वाज़िब है। और अन्त में सज्दा करना चाहिए।

नमाज़ की कुछ सुन्नतें

मसला न. १: तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथों का उठाना मर्द को कानों तक और औरतों को कन्धों तक सुन्नत है। मजबूरी की दशा में मर्दों को भी कन्धों तक हाथ उठाने में कुछ बुराई नहीं।

मसला न. २: तकबीर तहरीमा के पश्चात तुरन्त हाथों को बान्ध लेना। मर्दों को नाफ़ के नीचे और औरतों को सीने पर सुन्नत हैं।

मसला न. ३: मर्दों को इस प्रकार हाथ बान्धना कि दाहिनी हथेली बाई हथेली पर रख ले और दाहिने अंगूठे और छोटी उंगली से बायीं कलाई को पकड़ लेना और तीन उंगलियां बाई कलाई पर बिछाना सुन्नत है।

मसला न. ४: इमाम और अकेले को सूरा फ़ातिहा समाप्त होने के पश्चात धीमी आवाज़ से आमीन कहना और क़ुरान ऊंची आवाज़ से पढ़ना हो तो तमाम मुक्तदियों को भी धीमें से आमीन कहना सुन्नत है।

मसला न. ५: मर्दों को रूकू की दशा में भली प्रकार झुक जाना कि पीठ और सर और कुल्हे सब बराबर हो जायें सुन्नत है।

मसला न. ६: रूकू में मर्दों को दोनों हाथों का कोखों से अलग रखना सुन्नत है कौमें में (रूकू के बाद खड़े होने को क़ौमा कहते हैं) इमाम को केवल समी अल्लाह हुलिमन हमिदह कहना और मुक्तदियों को केवल रब्बना लकलहम्दु, और अकेले को दोनों कहना सुन्नत हैं।

मसला न. ७: सज्दे की दशा में मर्दों को अपने पेट का जांघों से और कुहनियों का कोखों से अलग रखना और हाथों की बाहों को जमीन से उठा हुआ रखना सुन्नत है।

मसला न. ८: पहले और दुसरे क़ायदे (अत्तहीयात में बैठने को कायदा कहते हैं।) मर्दों को इस प्रकार बैठना कि दाहिना पैर उंगलियों के बल पर ख़ड़ा हो और उसकी उंगलियों का रूख किब्ले की ओर हो और बायां पैर ज़मीन पर बिछा हो और उसी पर बैठे हों और दोनों हाथ रानों पर हों उंगलियों के सिरे घुटनों के समीप हों यह सुन्नत है।

मसला न. ९: इमाम को सलाम ऊंची आवाज़ से कहना सुन्नत है।

मसला न. १०: इमाम को अपने सलाम में अपने तमाम मुक्त दियों की नीयत करना चाहे मर्द हो या औरत या लड़के हों और साथ रहने वाले फरिशतों की नीयत करना और मुकतदियों को अपने साथ नमाज़ पढ़ने वालों की और साथ रहने वाले फरिश्त और यदि इमाम दाहिनी ओर हो तो दाहिने सलाम में और बायीं ओर हो तो बायें सलाम में यदि सामने हो तो दानों सलामों में इमाम की भी नीयत करना सुन्नत है।

मसला न. ११: तकबीर तहरीमह कहते समय मर्दों को अपने हाथों का आसतीन चादर आदि से बाहर निकाल लेना, शर्त यह है कि कोई बाधा जैसे सर्दी आ न हो सुन्नत है।

नमाज़ जिन बातों से मकरूह हो जाती है।

मसला न. १: नमाज़ की दशा में कपड़े का नियम के विरूद्ध पहनना अर्थात तरीक़ा उसके पहनने का हो और जिस प्रकार उसको सभ्य लोग पहनते उसके विपरीत उसका प्रयोग करना मकरूह तहरीमी है।

उदाहरण : कोई व्यक्ति क़मीज़ पहने और आसतीनों में हाथ न डाले तो नम मकरूह हो जाती है।

मसला न. २ : नंगे सर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। हां यदि विनम्रता के लिए ऐ करे तो ठीक है कुछ बुराई नहीं।

मसला न. ३: यदि किसी की टोपी या पगड़ी नमाज़ पढ़ते समय उतर जाये अच्छा यह है कि उसी दशा में उसे उठा कर पहन ले। लेकिन पहनने में अमले कसीर की आवश्यकता पड़े तो फिर न पहने।

मसला न. ४: मर्दों को अपने दोनों हाथों की कुहनियों का सज्दे की दशा ज़मीन पर बिछा देना मकरूह तहरीमी है।

मसला न. ५: इमाम का मेहराब में खड़ा होना मकरूह तंजीही है। हां यदि मेह

से बाहर खड़ा हो मगर सज्दा मेहराब में होता हो तो मकरूह नहीं।

सला न. ६: केवल इमाम का अनावश्यक किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा होना जिसकी ऊंचाई एक हाथ या इससे अधिक हो मकरूह तंजीही है। इमाम के साथ कुछ मुक्तदी भी हों तो मकरूह नहीं। यदि इमाम के साथ केवल एक मुक्तदी हो तो भी मकरूह है और कुछ विद्वानों ने कहा है कि ऊंचाई यदि एक हाथ से कम हो परन्तु सामान्य रूप से देखने में ऊंचाई ज्ञात हो ती हो तब भी मकरूह है।

सला न. ७: कुल मुक्तदियों का इमाम से बे जरूरत किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा होना मकरूह तंजीही है हां कोई आवश्यकता हो जैसे जमात अधिक हो और स्थान कम हो तो मकरूह नहीं या कुछ मुक्तदी इमाम के बराबर हो और कुछ ऊंचे स्थान पर हों तब भी ठीक है।

सला न. ८: मुक्तदी को अपने इमाम से पहले नमाज़ का कोई भाग आरम्भ करना मकरूह तहरीमी है।

सला न. ९: मुक्तदी को, जबकि इमाम क़याम (खड़ा होना) में क़ुरान पढ़ रहा हो कोई दुआ आदि या क़ुरान पढ़ना चाहे वह सूरा फातिहा हो या और कोई सूरा हो मकरूह तहरीमी है।

नमाज़ जिन बातों से फ़ासिद (टूट जाती है) होती है

सला न. १: नमाज़ की दशा में अपने इमाम के अतिरिक्त किसी दुसरे को लुकमा (भूल बतलाना) देना अर्थात क़ुरान के ग़लत पढ़ने पर उसको बतलाना नमाज़ को तोड़ देता है।

सला न. २: ठीक यह है कि मुक्तदी यदि अपने इमाम को बतलाये तो नमाज़ खराब न होगी चाहे इमाम आवश्यकतानुसार पढ़ चुका या नहीं। आवश्यकतानुसार पढ़ने से तात्पर्य वह मात्रा है जो सुन्नत हैं हां ऐसी दशा में अच्छा यह है कि रूकू कर दे जैसा कि आगे आता है।

सला न. ३: इमाम यदि आवश्यकतानुसार क़ुरान पढ़ चुका हो और भूल जाये तो उसको चाहिए कि रूकू कर दे मुक्तदियों को बतलाने पर मजबूर न करे (ऐसा करना मकरूह है) और मुक्तदियों को चाहिए कि जब तक अतिं

आवश्यकता न हो इमाम को न बतलाये (यह भी मकरूह है) अति आवश्यकता से तात्पर्य यह है कि जैसे इमाम ग़लत पढ़ कर आगे बढ़ना चाहता हो या रूकू न करता हो या चुप खड़ा हो जाये। और यदि बड़ी आवश्यकता के बिना भी बतला दिया तब भी नमाज़ न टूटेगी जैसा ऊपर मसला गुजरा।

मसला न. ४: यदि कोई आदमी किसी नमाज़ पढ़ने वाले को बतला दे और वह बतलाने वाला उसका मुक़्तदी न हो, चाहे वह भी नमाज़ में हो या न हो तो यह आदमी यदि बताने को स्वीकार कर लेगा तो उस स्वीकार करने वाले की नमाज़ टूट जायेगी हां यदि उसको अपने आप याद आ जाये चाहे उसके बतलाने के साथ ही या पहले या पीछे, उसके बतलाने को कोई दख़ल न हो और अपनी याद पर भरोसा करके पढ़े तो जिसको बतलाया गया है। उसकी नमाज़ में ख़राबी न आयेगी।

मसला न. ५: यदि कोई नमाज़ पढ़ने वाला किसी ऐसे व्यक्ति को बतला दे जो उसका इमाम नहीं चाहे वह भी नमाज़ में हो या न हो। प्रत्येक दशा में बतलाने वाले की नमाज़ टूट जायेगी।

मसला न. ६: मुक़्तदी यदि किसी दूसरे आदमी का पढ़ना सुनकर या क़ुरान में देख कर इमाम को बतलावे तो उसकी नमाज़ टूट जायेगी और इमाम यदि स्वीकार कर लेगा तो उसकी नमाज़ भी टूट जायेगी। यदि मुक़्तदी को क़ुरान देखकर या दूसरे से सुनकर स्वयं भी याद आ गया और फिर अपनी याद पर बता दिया तो नमाज़ खराब न होगी।

मसला न. ७: इसी प्रकार यदि नमाज़ की दशा में क़ुरान देख कर एक आयत पढ़ी जाये तब भी नमाज़ टूट जायेगी। यदि वह आयत जो देखकर पढ़ी उसे याद भी किया तो नमाज़ खराब न होगी।

मसला न. ८: स्त्री का पुरूष के साथ इस प्रकार खड़ा होना कि एक का कोई अंग दूसरे के किसी अंग के सामने हो जाये निम्न लिखित शर्तों से नमाज़ को खराब कर देता है यहां तक कि यदि सज्दे में जाते समय स्त्री का सर मर्द के आमने सामने हो जाये उस समय भी नमाज़ जाती रहेगी।

शर्त न. १: स्त्री बालिग़ हो चुकी हो (चाहे जवान हो या बूढी) या नाबालिग़ मगर सम्भोग के योग्य हो। तो यदि बहुत कम आयु नाबालिग़ लड़की नमाज़ में बराबर में खड़ी हो जाये तो नमाज़ ख़राब न होगी।

शर्त न. २: दोनों नमाज़ में हों तो यदि एक नमाज़ में हो दूसरा न हो इस समय आमने सामने होने से नमाज़ खराब न होगी।

शर्त न. ३: आड़ बींच में न हो, तो यदि कोई पर्दा बीच में हो या कोई सुतरा बींच में हो या बींच में इतनी जगह छुटी हो जिसमें एक व्यक्ति आराम से खड़ा हो सके तो भी खराब न होगी।

शर्त न. ४: स्त्री में नमाज़ के ठीक होने की शर्तें पाई जाती हो तो यदि औरत पागल हो या हैज़ या निफास की दशा में हो तो उसके मुहाजात (दायें-बायें और बिल्कुल पीछे सीध में खड़े होने) से मर्द की नमाज़ नहीं टूटेगी।

शर्त न. ५: मुहाजात एक रुकन के बराबर बाक़ी रहे। यदि इससे कम रहे तो मर्द की नमाज़ नहीं टूटेगी। जैसे इतनी देर तक मुहाजात रहे जिसमें रूकू या सज्दा या क़िरात या क़ियाम नहीं हो सकता क्योंकि नमाज़ के यही चार रूकन हैं। इसके बाद मुहाजात न रहे तो इस थोड़ी देर की मुहाजात से नमाज़ खराब न होगी।

शर्त न. ६: तहरीमा दोनों की एक हो। अर्थात यह औरत उस मर्द की मुक्तदी हो या दोनों किसी तीसरे मुक्तदी हों।

शर्त न. ७: इमाम ने उस औरत की इमामत की नियत की हो। नमाज़ आरम्भ करते समय या बींच में जब वह आकर मिली हो। यदि इमाम ने उसकी इमामत की नीयत न की हो तो फिर मुहाजात से नमाज़ खराब न होगी। बल्कि उसी औरत की नमाज़ ठीक न होगी।

शर्त न. ८: जनाज़े की नमाज़ न हो तो यदि जनाज़े की नमाज़ में मुहाज़ात पाई जाती है तो मर्द की नमाज़ नहीं टूटेगी।

मसला न. ९: यदि इमाम की वज़ू नमाज़ में टूट गयी तो उसको चाहिए कि मुक्तदियों में से किसी को अपने स्थान पर इमाम बना दें। यदि बिना इमाम बनाये मस्जिद से बाहर निकल गया तो मुक्तदियों की नमाज़ टूट हो जायेगी।

मसला न. १०; इमाम ने किसी ऐसे आदमी को इमाम बना दिया जिस में इमामत की योग्यता नहीं जैसे किसी पागल या नाबालिग़ बच्चे या किसी औरत को तो सब की नमाज़ टूट हो जायेगी।

मसला न. ११: यदि कोई मर्द नमाज़ में हो और औरत इसी दशा में उसका चुम्बन करे तो उस मर्द की नमाज़ ख़राब न होगी। हां यदि चूमते समय पुरूष की काम

वासना जाग जाये तो नमाज़ खराब हो जायेगी और यदि स्त्री नमाज़ में हो और कोई पुरूष उसका चुम्बन करे ले तो स्त्री की नमाज़ जाती रहेगी। चाहे पुरूष ने काम वासना से चुम्बन किया या बिना काम वासना के और चाहे स्त्री की काम वासना जागी या नहीं।

मसला न. १२: यदि कोई व्यक्ति नमाज़ी के सामने से निकलना चाहे तो नमाज़ की दशा में उसको हाथ बढ़ा कर रोक देना ठीक है परन्तु शर्त यह है कि इस रोकने में अमले कसीर न हो, यदि अमले कसीर होगा तो नमाज़ टूट जायेगी।

नोट : अमले कसीर उस बड़े कार्य को कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उसके करने वाले को देखें तो यह समझे कि यह व्यक्ति नमाज़ में नहीं है।

नमाज़ में वज़ू टूट जाने का वर्णन

नमाज़ में वज़ू टूट जाये तो यदि बड़ी नापाकी होगी जिससे ग़ुसल वाजिब हो जाये तो नमाज़ टूट जायेगी और छोटी नापाकी की दो दशायें हैं अपने अधिकार से होगी या अनाधिकार से। अर्थात उसके या उसके कारण के होने में बन्दों के अधिकार को दखल होगा या नहीं। यदि दखल होगा तो नमाज़ टूट जायेगी जैसे कोई व्यक्ति नमाज़ में ठहाका मार कर हंसे या अपने शरीर में कोई चोट मारकर खून निकाल ले या जान बूझकर हवा निकाले या कोई छत के ऊपर चले और छत से कोई पत्थर आदि गिर कर किसी नमाज़ी के सर में लगे और खून निकल आये इन सब दशाओं में नमाज़ टूट जायेगी इसलिए कि यह तमाम कार्य बन्दों द्वारा होते हैं। यदि अधिकार में नहीं तो इस में दो शक्लें होंगी। या तो वह बहुत कम प्रकट होता होगा जैसे पागल पन, बेहोशी या इमाम का मर जाना आति या बहुत अधिक जेसे हवा निकलना, पेशाब पाखाना मज़ी आदि तो यदि बहुत कम प्रकट होने वाला होगा तो नमाज़ टूट जायेगी और यदि बहुत मक वाला न होगा तो नमाज़ खराब न होगी बल्कि उस व्यक्ति को अधिकार और आज्ञा है कि इस नापाकी को दूर करने के पश्चात उसी नमाज़ को पूरा करे और इसको बिना करना कहतें हैं परन्तु यदि प्रारम्भ से पढ़े तो अच्छा है और इस बिना करने की दशा में नमाज़ खराब न होने की कुछ शर्तें हैं।

१- किसी रूक्न (नमाज़ के फर्ज़ भाग) को नापाकी की दशा में अदा न करे।

२- किसी रूक्न को चलने की दशा में अदा न करे जैसे जब वज़ू के लिए जाये या वज़ू करके लौटे तो क़ुरान न पढ़े इसलिए कि क़ुरान का पढ़ना नमाज़ का रूक्न है।

३- कोई ऐसा काम जो नमाज़ के विरूद्ध हो न करे न कोई ऐसा काम करे जिससे बचना मुमकिन हो।

४- हदस (नापाकी) के बाद बिना किसी मजबूरी के किसी रूक्न के अदा करने के बराबर रूके नहीं बल्की तुरन्त वज़ू करने के लिए जाये हां किसी मजबूरी से देर हो जाये तो बुराई नहीं। जैसे सफ़ें अधिक हों और स्वयं पहली सफ़ में हो और सफ़ों को फाड़ कर आना कठिन हो।

मसला न. १: अकेले नमाज़ी को यदि वज़ूटूट जाये तो उसको चाहिए कि तुरन्त वज़ू कर ले मगर वज़ू तमाम सुन्नतों और मुस्तहबों के साथ करना चाहिए और इस बींच कोई बातचीत न करे। पानी यदि समीप मिल सके तो दूर न जाये तात्पर्य यह है कि जितना चलना आवश्यक हो उससे अधिक न करे। वज़ू के बाद चाहे वहीं अपनी बाक़ी नमाज़ पूरी कर लें और यहि बहुत अच्छा है और चाहे जहां पहले था वहां जाकर पढ़ें और अच्छा यह है कि जान बूझ कर पहली नमाज़ को सलाम फेर कर तोड़ दें और वज़ू के बाद नये सिरे से नमाज़ पढ़े।

मसला न. २: इमाम को यदि अपवित्रता हो जाये यद्यपि अन्त के क़ादा में हो तो उसको चाहिए कि तुरन्त वज़ू करने के लिए चला जाये और अच्छा यह है कि अपने मुक़्तदियों में जिसको इमामत के योग्य समझता हो उसको अपने स्थान पर खड़ा कर दें। मुदरिक को खलीफ़ा करना अच्छा है यदि मसबूक को कर दे तब भी ठीक है और इस मस्बूक को संकेत से बतला दे कि मेरे ऊपर इतनी रकअतें बाक़ी हैं। रकअतों के लिए उंगलियों से संकेत करे जैसे एक रकअत बाक़ी हो तो एक उंगली उठा कर और दो बाक़ी हों तो दो उंगली उठा कर रूकू बाक़ी हो तो घुटनों पर हाथ रख कर। सज्दा बाक़ी हो तो माथे पर। क़िरात बाकी हो तो मुहं पर, सज्दा तिलावत हो तो माथे और ज़ुबान पर, सज्दा सव्हा करना हो तो सीने पर हाथ रखकर जबकि वह भी समझता हो नहीं तो उसको खलीफ़ा न बनाये। फिर जब स्वयं वज़ू कर चुके तो यदि जमात बाक़ी हो तो जमात में आकर अपने ख़लीफ़ा का मुक्तदी बन जाये और यदि वज़ू

करके वहीं खड़ा हो जाये तो यदि बींच में कोई ऐसे वस्तू या इतना फासला हो जिससे इक़्तिदा ठीक नहीं होती तो ठीक नहीं, नहीं, तो ठीक है। यदि जमात हो चुकी हो तो अपनी नमाज़ पूरी करे चाहे जहां वज़ू किया हो वहीं या जहां पहले था वहां।

मसला न. ३: यदि पानी मस्जिद के फर्श के अन्दर मौजूद हो तो फिर खलीफ़ा करना आवश्यक नहीं, चाहें करे चाहे न करे। बल्कि जब स्वयं वज़ू करके आये फिर इमाम बन जाये और इतनी देर तक मुक़्तदी उसके आने की प्रतीक्षा करें।

मसला न. ४: खलीफ़ा बना देने के पश्चात इमाम नहीं रहता बल्कि अपने खलीफ़ा का मुक़्तदी हो जाता है। इसलिए यदि जमात हो चुकी हो तो इमाम अपनी नमाज़ लाहिक कि भातीं पुरी करले यदिइमाम किसी को खलीफ़ा न करे बल्कि मुक़्तदी लोग अपने में से किसी को खलीफ़ा कर दें या स्वयं कोई मुक़्तदी आगे बढ़कर इमाम के स्थान पर खड़ा हो जाये और इमाम होने की नीयत कर ले तब भी ठीक है शर्त यह है कि इमाम उस समय तक मस्जिद से बाहर न निकल चुका हो और यदि नमाज़ मस्जिद में न हो रही हो तो सफ़ों या सुतरे से आगे न बढ़ा हो। यदि इन सीमाओं से आगे बढ़ चुका हो तो नमाज़ खराब हो जायेगी अब कोई दूसरा इमाम नहीं बन सकता (फिर से नमाज़ पढ़ेंगे)

मसला न. ५: यदि मुक़्तदी का नमाज़ में वज़ू टूट जाये उसको भी तुरन्त वज़ू करना चाहिए। वज़ू के पश्चात यदि जमात बाक़ी हो तो उसमें मिल जावे नहीं तो अपनी नमाज़ पूरी कर ले और यदि जमात बाक़ी हो तो मुक़्तदी को अपने स्थान पर जाकर नमाज़ पढ़नी चाहिए परन्तु यदि इमाम की और उसके वज़ू की जगह में कोई वस्तु इक़्तिदा में रूका वटन बने तो यहां भी खड़ा होना ठीक है और यदि जमात हो चुकी हो तो मुक़्तदी को अधिकार है चाहे इक़्तिदा के स्थान पर जाकर नमाज़ पूरी करे या वज़ू के स्थान पर पूरी करे और यही अच्छा है।

मसला न. ६: यदि इमाम मस्बूक को अपने स्थान पर खड़ा कर दे तो उसको चाहिए कि जितनी रकअतें आदि इमाम पर बाक़ी थीं उनकों उदा करके किसी मुदरिक को अपने स्थान पर ख़ड़ा कर दें ताकि वह मुदरिक सलाम फेर दे और यह मस्बूक़ फिर अपनी गयी हुई रकअतों को अदा करने में लग जाये।

मसला न. ७: यदि किसी को अन्तिम कादे में इसके बाद की अत्तही यात के बराबर बैठ चुका हो जुनून हो जाये या बड़ी नापाकी हो जाये या बेइरादा छोटी नापाकी हो जाये या बे होश हो जाये तो नमाज़ खराब हो जायेगी फिर उस नमाज़ को दौहराना होगा।

मसला न. ८: चूंकि ये मसले बारीक़ हैं आजकल ज्ञान की कमी है अवश्य गलती का भय है इसलिए अच्छा यह है कि बिना, न करे बल्कि वह नमाज़ सलाम के साथ तोड़ कर नये सिरे से नमाज़ पढ़ लें।

जमात का बयान

चूकिं जमात से नमाज़ पढ़ना वाजिब या सुन्नतें मुअक्कदह है इस लिए इसका वर्णन भी नमाज़ के वाज़िबो, सुन्नतों और मकरुहों के बाद उचित ज्ञात होता है। और मसलों से अधिक बल पूर्वक होने के कारण उसके लिए अलग अध्याय बनाया गया है।

जमात कम से कम दो मनुष्यों के मिलकर नमाज़ पढने को कहते हैं। इस प्रकार कि एक आदमी उनमें तांबे (आधीन) हो और दूसरा मतबू। मतबू को इमाम और तांबे को मुक्तदी कहते हैं।

मसला न. १: इमाम के अतिरिक्त एक आदमी के नमाज़ में मिल जाने से जमात हो जाती है चाहे वह व्यक्ति मर्द हो या औरत. बालिग़ हो या समझदार नाबालिग़ बच्चा हां जुमा और ईदों की नमाज़ में कम से कम इमाम के अतिरिक्त तीन आदमियों के बिना जमात नहीं होती।

मसला न. २: जमात के होने में यह भी आवश्यक नहीं की फर्ज़ नमाज़ हो बल्कि यदि नफ़्ल भी दो आदमी इस प्रकार एक दूसरे के आधीन होकर पढ़ लें तो जमात हो जायेगी चाहे इमाम और मुक़्तदी दोनों नफ़्ल पढ़ते हों या मुक़्तदी नफ़्ल पढ़ता हो हां जमात की नफ़्ल का अभ्यस्त होना या तीन मुक्तदियों से अधिक होना मकरूह है। जमात की महानता और ताकीद जमात की बड़ाई और ताकीद में इतनी हदीसें आई हैं कि यदि सब एक स्थान पर इकट्ठी की जायें तो बहुत काफ़ी मोटी किताब बन सक़ती है। उनके देखने से निश्चित ही यह परिणाम निकलता है कि जमात नमाज़ पूरी करने में एक उच्च कोटि की शर्त है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसको छोड़ा नहीं यहां तक कि बीमारी की दशा में जब आपको स्वयं चलने की शक्ति न थी दो आदमियों के सहारे मस्जिद में गये और जमात से

नमाज़ पढ़ी जमात छोड़ने पर आपको बहुत गुस्सा आता था। जमात छोड़ने पर बड़ी से बड़ी सज़ा देने को आपका जी चाहता था निःसन्देह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत में जमात बहुत है। और होना भी चाहिए था नमाज़ जैसी उपासना की शान भी इसी को चाहती थी कि जिस वस्तू से उसकी पूर्णता हो उसका आदेश भी दृढ़ता पूर्वक दिया जाये। हम पहले इस स्थान पर उस आयत को लिखकर जिससे कुछ विद्वानों ने जमात को सिद्ध किया है। कुछ हदीसें वर्णन करते हैं। अल्लाह का आदेश है।वर्कऊ मअर्राकिईन, नमाज़ पढ़ने वालों के साथ मिलकर अर्थात जमात से नमाज़ पढ़ो इस आयत में खुला हुआ आदेश जमात से नमाज़ पढ़ने का है मगर चूंकि रूकू का अर्थ कुछ व्याख्या कारों ने विनम्रता के भी लिखे हैं इस लिए फ़र्ज होना सिद्ध न होगा।

हदीस न. १: हज़रत मुहम्मदसल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम जमात की नमाज़ में अकेले नमाज़ पढ़ने से सत्ताईस दर्जा अधिक सवाब बताते हैं।

हदीस न. २: हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि अकेले नमाज़ पढ़ने से एक आदमी के साथ नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छा है और दो आदमियों के साथ और भी अच्छा है ओर जितनी बड़ी जमात हो उतना ही अल्लाह को पसन्द है।

हदीस न. ३ : हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों (सहाबियों) ने इरादा किया कि अपने पूराने मकानों से (चूंकि वे मस्जिद नबवी से दूर थे) उठ कर हज़रत मुहम्मद सल्लाहु अलैहि व सल्लम के समीप आकर ठहरें। तब उन से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि तुम अपने पैरों में जो ज़मीन पर पड़ते हैं सवाब नहीं समझते।

चेतावनी : इस से ज्ञात हुआ कि जो आदमी जितनी दूर से चलकर मस्जिद में आयेगा उतना ही अधिक सवाब मिलेगा।

हदीस न. ४: हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जितना समय नमाज़ के इन्तिज़ार में बीतता है वह सब नमाज़ में गिना जाता है

हदीस न. ५: हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन इशा के समय अपने उन साथियों से जो जमात में सम्मलित थे कहा कि लोग

नमाज़ पढ़-पढ़ कर सो रहे और तुम्हारा वह समय जो प्रतीक्षा में बीता सब नमाज़ में गिना गया।

हदीस न. ६: हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि उन लोगों को जो अंधेरी रातों में जमात के लिए मस्जिद में जातें हैंइस बात कि शुभ सुचना दो कि कयामत में उनके लिए पुरी रोशनी होगी।

हदीस न. ७: मजरत मुहम्मद सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा है कि जो व्यक्ति इशाकि नमाज़ जमात से पढ़े उसको आधी रात की उपासना का सवाब मिलेगा अौर जो इशा और फज्र दोनों की नमाज़ जमात से पढ़ेगा उसे पुरी रात की उपासना का सवाब मिलेगा।

हदीस न. ८: हज़रत अबु हुरैरह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम द्वारा कहते हैं कि एक दिन आपने कहा कि मेरे दिल में यह इरादा हुआ कि किसी को आदेश दूं की लकड़ियां जमा करे फिर अज़ान का आदेश दूं और किसी से कहूं की वह इमामत करे और मैं उन लोगों के घरों पर जाऊं जो जमात में नहीं आते और उनके घरों को जला दूं।

हदीस न. ९: हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि यदि मुझे छोटे बच्चों का ध्यान न होता तो मैं इशा की नमाज़ में लग जाता और सेवकों को आदेश देता कि उनके घरों को उनके माल अस्बाब के साथ जला दें इस हदीस में इशा का नाम विशेष करना किसी तात्विकता से ज्ञात होता है कि वह सोने का समय होता है ओर उस समय तमाम लोग घरों में होते हैं इमाम तिर मिज़ी इस हदीस को लिख कर कहते हैं कि यह विषय इब्न मसऊद अबुदर्दा, इब्न अब्बास और जाबिर से भी सिद्ध है ये सब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबियों में से हैं।

हदीस न. १० : अबुदर्दा कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं कि किसी आबादी या जन्गल में तीन मुसलमान हों और जमात से नमाज़ न पढ़ें तो निःसन्देह उन पर शैतान सवार हो जायेगा। तो ए. अबुदर्दा जमात को अपने ऊपर अनिवार्य समझ ले। देखो भेड़िया (शैतान) उसी बकरी (आदमी) को खाता (बहकाता) है जो अपने झुण्ड (जमात्त) से अलग हो जाती है।

हदीस न: ११: इब्ने अब्यास हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वारा

कहते हैं कि जो आदमी अज़ान सुन कर जमात में न आये और उसको कोई बाधा भी न हो तो उस की वह नमाज़ जो उसने अकेले पढ़ी हो कबूल न होगी (कम सवाब मिलेगा) सहाबियों ने पूछ वह बाधा (मजबूरी) क्या है? आपने कहा डर या रोग इस हदीस में डर या रोग का विवरण नहीं दिया। कुछ हदीसों में विवरण भी है।

हदीस न.१२: हज़रत मेहजन कहते हैं कि एक बार मैं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम के साथ था कि इतने में अज़ान हुई और अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ने लगे और मैं अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम ने नमाज़ के बाद कहा कि ए मेहजन तुमने जमात से नमाज़ क्यों न पढ़ी? क्या तुम मुसलमान नहीं हो। मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान तो हूं। मगर अपने घर में नमाज़ पढ़ चुका था। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु व अलैहि व सल्लम ने कहा कि जब मस्जिद में आओ और देखो कि जमात हो रही है लोगों के साथ मिलकर नमाज़ पढ़ लिया करो यद्यपि पढ़ चुके हो। तनिक इस हदीस को ध्यान से देखो कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने बड़े सहाबी हज़रत मेहजन को जमात से नमाज़ न पढ़ने पर कितनी कठोर ग़ुस्से से भरी बात कही कि क्या तुम मुसलमान नहीं हो। ये कुछ हदीसें नमूनें के तौर पर वर्णन की जा चुकीं। अब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कुछ बड़े सहाबियों के कथन सुनाये की इनकों जमात का कितना धायन रहता था और जमात छोड़ देने को कैसा समझते थे और क्यों न समझते हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आज्ञा का पालन और उनकी अच्छा का इनसे अधिक किस को ध्यान हो सकता था।

कथन न. १ : हज़रत अस्वद कहते हैं कि एक दिन हम हज़रत आइशा की सेवा में उपस्थित थे कि नमाज़ की पाबन्दी और उसकी महानता का वर्णन आया इस पर हज़रत आइशा ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु की बीमारी का वर्णन किया कि एक दिन नमाज़ का समय आया और अज़ान हुई तो आपने कहा कि अबु बक्र से कहो कि वह नमाज़ पढ़ायें। कहा गया कि अबुबक्र बड़े विनम्र हृदय है जब आप के स्थान पर खड़े होंगे तो बेक़ाबू हो जायेंगे। और नमाज़ न पढ़ा सकेंगे। आप ने फिर वही कहा, फिर

वही जवाब दिया गया, तब आपने कहा कि तुम वैसी बातें करती हो जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिस्त्र की औरतें करती थी। अबु बक्र से कहो कि नमाज़ पढ़ा दें। खैर हज़रत अबुबक्र पढ़ाने के लिए निकले। इतने में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम को कुछ राहत मिली। दो आदमियों के सहारे से निकले। मेरी आंखों के साने अब तक वह दृश्य धूम रहा है। कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पैर जमीन पर घिसटते हुए जाते थे। इतनी शक्ति न थी कि ज़मीन से पैर उठा सकें। मस्जिद में हज़रत अबुबक्र नमाज़ प्रारम्भ कर चुके थे चाहा कि पीछे हट जायें मगर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मना कर दिया और उन्हीं से नमाज़ पढ़वाई।

कथन न. २: एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक ने सुलेमान बिन अबी हस्मा को प्रातःकाल की नमाज़ में नहीं देखा तो उनके घर गये और उनकी मां से पूछा कि आज मैंने सुलेमान को फज्र की नमाज़ में नहीं देखा। उन्होनें कहा कि वह रात भर नमाज़ पढ़ते रहे इस कारण इस समय उनको नीन्द आ गयी। तब हज़रत उमर फारूक ने कहा मुझको फज्र की नमाज़ जमात से पढ़ना अधिक प्यारी है इसकी अपेक्षा कि तमाम रात उपासना करूं। शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है इस हदीस से स्पष्ट है कि प्रातः काल की नमाज़ जमात से पढने में तहज्जुद से भी अधिक सवाब है इस लिए विद्वानों ने लिखा है कि रात में तहज्जुद की नमाज़ प्रातः काल की नमाज़ में बाधक हो तो तहज्जुद को छोड़ देना चाहिए।

कथन न. ३: हज़रत इब्ने मसऊद कहते हैं कि निःसन्देह हमने सहाबियों और अपने आप को आज़मा लिया है कि जमात केवल वही कपटा चारी छोड़ता है जिस का कपट खुला हुआ हो या बीमार। मगर बीमार भी दो आदमियों का सहारा लेकर जमात के लिए उपस्थित होता था। निःसन्देह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें हिदायत के मार्ग बतलाये हैं उन्हीं में से उन मस्जिदों में नमाज़ भी है जिन में अज़ान होती हो अर्थात जमात होती हो। दूसरे कथन में कहा गया कि जिसे इच्छा हो कि कल क़यामत में अल्लाह के सामनेमुसलमान जाये उसको चाहिए कि पांचों समय नमाज़ पढ़ने की पाबन्दी करे। जहां अज़ान हुई हो (जमात से नमाज़ पढ़ी जाती हो) निःसन्देह अल्लाह ने तुम्हारे रसूल के लिए हिदायत के मार्ग निकाले हैं। यह नमाज़ भी उन्हीं

मार्गों में से एक है। यदि तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ लिया करोगे जैसे कि कपटा चारी पढ़ लेते हैं इससे तुम्हारे रसूल की सुन्नत छूट जायेगीं और यदि तुम अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दोगे तो निःसन्देह पथ भ्रष्ट हो जाओगे जो व्यक्ति भली प्रकार वजू करके नमाज़ के लिए मस्जिद में जाता है उसके प्रत्येक कदम पर एक सवाब मिलता है और एक पद ऊंचा होता है। और एक गुनाह माफ़ होता है। और हमने देख लिया कि जमात से वही अलग रहता है जो कपटा चारी है. हम लोगों की दशा तो यहथी कि बीमारी की दशा में दो आदमियों पर टेक लगा कर जमात के लिए लाये जाते थे और लाइन में खड़े कर दिये जाते थे।

कथन न. ४ : एक बार एक व्यक्ति मस्जिद से अज़ान के पश्चात नमाज़ पढ़े बिना चला गया तो हज़रत अबुहुरैरा ने कहा कि इस व्यक्ति ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अवज्ञा की और उनके पाक आदेश को नहीं माना

देखो हज़रत अबुहुरैरा ने जमात छोड़ने वाले को क्या कहा क्या किसी मुसलमान को अब भी बिना किसी मजबूरी के जमात छोड़ने की हिम्मत हो सकती है। क्या किसी मुसलमान को हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की अवज्ञा करना पसन्द हो सकता है।

कथन न. ५: हज़रत उम्मे दर्दा कहती हैं कि एक बार अबु दर्दा (पति) मेरे पास इस दशा में आये कि बड़े क्रोधित थे, मैंने पूछा कि इस समय आपको गुस्सा क्यों हैं? कहने लगे अल्लाह की क़सम मैं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत में अब कोई बात नहीं देखता मगर यह कि वह जमात से नमाज़ पढ़ लेते हैं अर्थात अब इसको भी छोड़ने लगे हैं।

कथन न. ६: हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बहुत से सहाबियो द्वारा कहा गया है कि उन्होंने कहा कि जो कोई अजान सुनकर जमात में न जाये उसकी नमाज़ हीन होगी। यह लिखकर इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि यह आदेश बहुत बल देने के लिए है। तात्पर्य यह है कि बिना बाधा के जमात छोड़ ना जायज़ नहीं।

कथन न. ७ : मुजाहिद ने इब्ने अब्बास से पूछा कि जो व्यक्ति तमाम दिन रोज़ा रखे और रात भर नमाज़ें पढ़े मगर जुमा और जमात में न आता हो उसे आप क्या कहते हैं? कहा दो जख़ में ज़ायेगा (तिर्मिज़ी) इमाम तिर्मिजी इस हदीस का

यह अर्थ बयान करते हैं कि जुमा और जमात का दर्जा कम समझ कर छोड़ दे तो उस समय यह परिणाम होगा। परन्तु दो जख़ में जाने से तात्पर्य यदि थोड़े दिन के लिए जाना लिया जाये तो इस मतलब को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

प्रश्न न. ८: पहले नेक लोगों का यह नियम था कि जिस की जमात छूट जाती सात दिन तक उसकी मातम पूर सी करते थे। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबियों के कुछ कथन भी वर्णित हो चुके जो वास्तव में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन थे अब तनिक मुस्लिम विद्वानों को देखिए कि इनका जमात के सम्बन्ध में क्या विचार है? और इन हदीसों का उन्होंने क्या अर्थ समझा है?

१. इमाम अहमद के कुछ मानने वालों का मज़हब है कि जमात नमाज़ के ठीक होने की शर्त है। इसके बिना नमाज़ नही होती।

२. इमाम अहमद का ठीक मज़हब यह है कि जमात फर्ज़े एन है यद्यपि नमाज़ के ठीक होने की शर्त नहीं। इमाम शाफी के कुछ मानने वालों का भी यही मज़हब है।

३. इमाम शाफई के कुछ मानने वालों का यह मज़हब है कि जमात फर्ज किफाया है। इमाम तहावी जो इमाम अबुहनीफ़ा के मानने वाले बहुत ऊंचे पद के विद्वान हैं और हदीस के आलिम है उनका भी यही मज़हब है।

४. अधिकतर हनफ़ी विद्वानों के विचार में जमात वाजिब है। अल्लामा इब्ने हुमाम और हलबी बहरूर्राइक़ के लेखक आदि भी इसी ओर हैं।

५. अधिकतर हनफ़ी विद्वानों के विचार से जमात सुन्नतें मुअक्कदह है परन्तु यह मत भेद वास्तव में मत भेद नहीं। सबके यहां बिना बाधा के ज़मात छोड़ने वाला बड़ा पापी है।

६. हमारे विद्वान लिखते हैं कि यदि किसी शहर में लोग जमात छोड़ दें और कहने से भी न मानें तो उनसे जिहाद हलाल है।

७. कुनियह आदि पुस्तक में लिखा है। बिना बाधा के जमात छोड़ने वाले को सज़ा देना समय के इमाम पर वाजिब है और उसके पड़ौसी यदि इसके इस बुरे काम पर कुछ न बोलें तो पापी होंगे।

८. यदि मस्जिद में जाने के लिए इक़ामत की प्रतीक्षा करें तो गुनहगार होग यह इसलिए कि यदि इक़ामत सुनकर चला करेगा तो एक दो रकअ या पूरी जमात के चले जाने का भय है इमाम मुहम्मद का कथन है जुमा और जमात के लिए तेज़ चलना ठीक है शर्त यह है कि अधि कष्ट न हों।

९. यदि कोई व्यक्ति धर्म के मसलों के पढ़ने पढ़ाने में दिन रात लगा रह हो और जमात में उपस्थित न होता हो तो उसकी यह मजबू न समझी जायेगी और उसकी गवाही मानी नही जायेगी।

१०. जमात का छोड़ने वाला अवश्य गुनहगार है और उसकी गवाही स्वीक न होगी शंर्त यह है कि उसने बिना बाधा के केवल सुस्ती से जमात छो हो।

जमात की तात्विकतायें और लाभ

इस सम्बन्ध में विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। मगर जहां तक मेरी दृष्टि पहुंची है। हज़रत शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी से अच्छा वर्णन कि का नहीं यद्यपि अधिक अच्छा यही था कि उन्हीं की भाषा में यह विषय लि जाये मगर संक्षिप्त रूप में मैं उनकी बातों का सारांश यहां देता हूं। वह व हैं।

१. कोई वस्तु इससे अधिक लाभदायक नहीं कि कोई उपासना आम रिवाज दी जाये यहां तक कि वह उपासना एक आवश्यक उपासना हो कि उसका छोड़ना असम्भव हो जाये। और कोई उपासना नमाज़ से अ शानदार नहीं कि उसके साथ यह विशेष प्रबन्ध किया जाये।

२. धर्म में हर प्रकार के लोग होते हैं अज्ञानी भी और विद्वान भी इसलिए यह तात्विकता की बात है कि सब लोग जमा होकर एक दूसरे के सामने इस उपा को पूरा करें। यदि किसी से कोई गलती हो जाये तो दूसरा उसको सिखादे। त यह कि अल्लाह की उपासना एक आभूषण हुआ कि तमाम परखने उसको देखते हैं। जो खराबी उसमें होती है उस को बता देते हैं और जो अ होती है। उसको पसन्द करते हैं इसलिए यह एक अच्छा तरीका की पूर्ति के लिए होगा।

३. जो लोग बे नमाज़ी होंगे उनका हाल भी इससे खुल जायेगा और इनको उपदेश का अवसर मिलेगा।

४. कुछ मुसल मानों का मिलकर अल्लाह की उपासना करना और उससे दुआ मांगना एक विचित्र प्रभाव रहमत उतरने और कबूलियत के लिए रखता है।

५. इस उम्मत से अल्लाह का यह उद्देश्य है कि उसका कलमा ऊंचा हो और कुफ्र का कलमा नीचा हो और धरती पर कोई धर्म इस्लाम से अधिक प्रभुत्व न रखे यह बात उसी समय हो सकती है कि यह तरीका निश्चित किया जाये कि तमाम मुसलमान विशिष्ट या साधारण यात्री और स्थिर छोटे-बड़े अपनी किसी बड़ी और प्रसिद्ध उपासना के लिए इकट्ठे हुआ करें और इस्लाम की प्रतिष्ठा उजागर करें। इन्हीं सब तात्त्विकातओं के कारण धर्म का पूरा ध्यान जमात की ओर लगाया गया और इस पर बल दिया गया और इसको छोड़ने से बहुत रोका गया है। जमात में यह भी लाभ है कि तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के हाल की जानकारी होती रहेगी और एक दूसरे के दुख दर्द में सम्मिलित हो सकेंगे जिस से दीनी भाई चारा और ईमानी मुहब्बत प्रकट और दृढ़ हो जायेगी जो इस धर्म का बड़ा उद्देश्य है। जिसकी महानता स्थान-स्थान पर क़ुरान मजीद और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों में बयान अफसोस हमारे युग में जमात छोड़ने की एक आम आदत हो गयी है। अज्ञानियों का क्या कहना हम कुछ पढ़े लिखे लोगों को इस बला में फंसा देख रहे हैं अफसोस यह लोग हदीसें पढ़ते हैं और उनका मतलब समझते हैं मगर ये हदीसें उनके पत्थर दिलों पर कुछ प्रभाव नहीं करती। क़यामत में अल्लाह के सामने जब सबसे पहले नमाज़ के मुकदमें उपस्थित होंगे। इसके अदा न करने वालों से पूछ ताछ प्रारम्भ होगी तो ये लोग क्या उत्तर देंगे।

जमात के वाजिब होने की शर्तें

१- मर्द होना, औरतों पर जमात वाजिब नहीं।

२- बालिग़ होना, नाबालिग़ बच्चे पर जमात वाजिब नहीं।

३- आजाद होना, ग़ुलाम पर जमात वाजिब नहीं।

४- तमाम मजबूरियों से खाली होना, इन मजबूरियों की दशा में नमाज़ वाज़िब नहीं। मगर अदा करे तो अच्छा है। न अदा करने पर जमात के

सवाब से वंचित रहेगा। जमात छोड़ने की चौदह मज़बूरियाँ हैं।

१- इतने कपड़े का न होना जिससे मर्द नाफ़ से लेकर घुटने तक शरीर छुपा सके।

२- मस्जिद के मार्ग में बहुत कीचड़ आदि हो कि चलना बहुत कठिन हो। इमाम अबुयूसुफ़ ने हज़रत इमाम अबूहनीफ़ा से पूछा कि कीचड़ आदि के होने पर जमात के लिए आपका क्या आदेश है? उत्तर दिया छोड़ना मुझे पसन्द नहीं।

३- पानी बहुत ज़ोर बरसता हो। ऐसी दशा में इमाम मुहम्मद ने मुअत्ता, में लिखा है कि यद्यपि न जाना जायज़ है मगर अच्छा यही है कि जमात से जाकर नमाज़ पढ़े।

४- सर्दी का सख़्त होना कि बाहर निकलने में या मस्जिद तक जाने में किसी बीमारी के पैदा हो जाने या बढ़ जाने के भय हो।

५. मस्जिद में जाने से माल-धन के चोरी हो जाने का भय हो।

६. मस्जिद में जाने से किसी दुश्मन के मिल जाने का भय हो।

७. मस्जिद में उसके मिलने का भय हो जिससे कर्ज़ लिया है। उससे कष्ट पहुंचने का भय है। शर्त यह है कि उसके कर्ज अदा करने की शक्ति न हो और यदि शक्ति हो तो वह अत्याचारी समझा जायेगा। उसको जमात छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी।

८. अन्धेरी रात हो कि मार्ग दिखाई न देता हो परन्तु यदि प्रकाश का प्रबन्ध अल्लाह ने दिया हो तो जमात न छोड़नी चाहिए।

९. रात का समय हो और आन्धी बहुत तेज़ चलती हो।

१०. किसी रोगी की सेवा करता हो कि उसके जमात में चले जाने से उस रोगी को तकलीफ़ या घबराहट का भय हो।

११. खाना तैयार हो या तैयारी के समीप हो और भूख ऐसी लगी हो कि नमाज़ में जी न लगने का भय है।

१२. पेशाब या पाखाना ज़ोर का लगा हो।

१३. यात्रा का इरादा हो और भय हो कि जमात से नमाज़ पढ़ने में देर हो जायेगी। और क़ाफिला निकल जायेगा। रेल का मसला इसी पर सोचा जा सकता है। मगर अन्तर इतना है कि वहां एक क़ाफिले के बाद दूसरे क़ाफिला बहुत

दिनों में मिलता है और यहां रेल एक दिन में कई बार मिलती है। यदि एक समय की रेल न मिले तो दूसरे समय जा सकता है हां यदि कोई ऐसी ही सख़्त परेशानी हो तो कोई बात नहीं।

१४. कोई ऐसी बीमारी हो जिसके कारण चल फिर न सके या अन्धा हो या लुंजा हो या कोई पैर कटा हो लेकिन जो अन्धा बिना कष्ट मस्जिद तक पहुंच जाये उस को जमात नहीं छोड़नी चाहिए।

जमात के ठीक होने की शर्तें

शर्त न. १ : मुसलमान, होना काफिर की जमात ठीक नहीं।

शर्त न. २: बुद्धिमान होना। मस्त, बेहोश पागल की जमात ठीक नहीं।

शर्त न. ३: मुक्तदी को नमाज़ की नीयत के साथ-साथ इमाम की इक्तिदा (अनुसरण) की भी नीयत करना अर्थात यह इरादा दिल में करना कि मैं इस इमाम के पीछे अमुकनमाज़ पढ़ता हूं। नीयत का वर्णन पहले आ चुका है।

शर्त न. ४ : इमाम और मुक्तदी दोनों के स्थान का एक होना, चाहे वास्तव में एक हों- जैसे दोनों एक ही मस्जिद या एक ही घर में खड़े हों या एक तो नहीं परन्तु एक जैसे हैं जैसे किसी दरिया के पूल पर जमात स्थापित की जाये और इमाम पुल के उस पार हो परन्तु बींच में बराबर सफे खड़ी हों तो इस दशा में यद्यपि इमाम के और उन मुक्तदियों के बींच जो पुल के इस पार हैं। दरिया बींच में है तो इस कारण से दोनों का स्थान एक नहीं परन्तु जब बींच में पंक्तियां लगातार खड़ी हों तो दोनों का स्थान एक ही जैसा समझा जायेगा। और इक्तिदा ठीक हो जायेगी।

मसला न. १ : यदि मुक्तदी मस्जिद की छत के ऊपर खड़ा हो और इमाम मस्जिद के अन्दर हो तो ठीक है इसलिए कि मस्जिद की छत मस्जिद ही है ये दोनों स्थान एक ही समझे जायेंगें। इसी प्रकार यदि किसी की छत मस्जिद से मिली हुई हो और बीच में कोई वस्तु आड़ भी न हो तो वह भी मस्जीद ही जैसी समझी जायेगी। उसके ऊपर खड़े होकर उस इमाम की इक्तिदा करना जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहा है ठीक है।

मसला न. २: यदि मस्जिद बहुत बड़ी हो और इसी प्रकार यदि घर बहुत बड़ा हो या जंगल हो और इमाम व मुक्तदी के बींच में इतना खाली मैदान हो कि जिस में दो सफ़ें हो सकें तो ये दोनों स्थान जहां मुक्तदी खड़ा है और जहां इमाम खड़ा

है। अलग-अलग समझे जायेंगे और इक्तिदा ठीक न होगी।

मसला न. ३: इसी प्रकार यदि इमाम और मुक़्तदी के बींच कोई नहर हो जिसमें नाव आदि चल सके या कोई इतना बड़ा हौज़ है जिसकी पाकी का आदेश शरीअत ने दिया हो या कोई आम रास्ता हो जिसमें बैलगाड़ी आदि निकल सके और बींच में सफ़े न हों तो वे दोनों एक स्थान नहीं समझे जायेंगे और इक्तिदा ठीक न होगी। हां बहुत छोटी नालीयदि बींच में हो जिसके बराबर तंग रास्ता नहीं होता तो वह इक्तिदा के लिए रूकावट नहीं।

मसला न. ४ : इसी प्रकार यदि दो सफ़ों के बींच में कोई ऐसी नहर या रास्ता पड़ जाये तो उसकी इक्तिदा ठीक नहीं होगी। जो इन वस्तुओं के इस पार है।

मसला न. ५ : पैदल की इक्तिदा सवार के पीछे या एक सवार की दुसरे सार के पीछे ठीक नही इस लिए की दोनो के स्थान अलग-अलग हैं। यदि एक ही सवारी पर दोनो सवार हों तो ठीक है।

शर्त न. ५ : मुक़्तदी और इमाम दोनों की नमाज़ का अलग-अलग न होना यदि मुक़्तदी की नमाज़ इमाम की नमाज़ से अलग होगी तो इक्तिदा ठीक न होगी। जैसे इमाम जुहर की नमाज़ पढ़ता है और मुक़्तदी अस्त्र की नमाज़ की नीयत करे या इमाम कल के ज़ुहर की कज़ा पढ़ता हो और मुक़्तदी आज के जुहर की हां यदि दोनो कल के जुहर की कज़ा पढ़ते हो या दोनों आज के ज़ुहर की कज़ा पढ़ते हों तो ठीक है। हां इमाम यदि फर्ज पढ़ता हो और मुक़्तदी नफ़्ल तो इक्तिदा ठीक है। इसलिए कि इमाम की नमाज़ मुक़्तदी की नमाज़ से ऊंची है।

मसला न. ६: मुक़्तदी यदि तरावीह पढ़ना चाहे और इमाम नफ़्ल पढ़ता हो तब भी इक्तिदा न होगी क्योंकि इमाम की नमाज़ कमज़ोर है।

शर्त न. ६: इमाम की नमाज़ का ठीक होना। यदि इमाम की नमाज़ खराब होगी तो सब मुक़्तदियों की नमाज़ भी खराब होगी। चाहे यह खराबी नमाज़ खत्म होने से पहले मालूम हो जाये या समाप्त हो जाने के बाद जैसे यह कि इमाम के कपड़ो में नापाकी अधिक लगी थी और नमाज़ खत्म होने के बाद या नमाज़ ही के बींच ज्ञात हुई या इमाम की वज़ू न थी नमाज़ के बींच या नमाज़ के बाद उसको ख़्याल आया।

मसला न. ७: इमाम की नमाज़ यदि किसी कारण से खराब हो गयी हो और मुक़्तदियों को मालूम नहीं हुआ हो तो इमाम पर अनिवार्य है कि अपने मुक़्तदियों

को जहां तक मुमकिन हो सके उस की सूचना कर दे ताकि वे लोग अपनी नमाज़ को दौहरालें चाहे आदमी द्वारा की जाये या पत्र द्वारा।

न. ७: मुक्तदी का इमाम से आगे न खड़ा होना चाहे बराबर खड़ा हो या पीछे। यदि मुक्तदी इमाम से आगे खड़ा हो तो उसकी इक्तिदा ठीक न होगी। इमाम से आगे खड़ा होना उस समय समझा जायेगा कि जब मुक्तदी की एड़ी इमाम की एड़ी से आगे हो जाये। यदि एड़ी आगे न हो और उंगलियाँ आगे बढ़ जाये। चाहे पैर के बड़ा होने के कारण या उगंलियो के लम्बा होने के कारण तो यह आगे खड़ा होना न समझा जायेगा और इक्तिदा ठीक हो जायेगी।

न. ८ : मुक्तदी को इमाम के रूकू क़ौमें सज्दों और कादों आदि की जानकारी होते रहना चाहे इमाम को देखकर या किसी तकबीर कहने वाले की आवाज़ सुनकर या किसी मुक्तदी को देखकर यदि मुक्तदी को इमाम की दशाओं की जानकारी न हो चाहे किसी वस्तु की आड़ के कारण या किसी और कारण तो इक्तिदा ठीक न होगी और यदि आड़ जैसे पर्दा या दीवार आदि हो, मगर इमाम की दशायें ज्ञात होती हों तो इक्तिदा ठीक है।

सला न. ८: यदि इमाम का यात्री होना या न होना ज्ञात न हो सके परन्तु अनुमान हो कि वह यात्री नहीं शर्त यह है कि वह शहर या गांव के अन्दर हो और यात्री जैसी नमाज़ पढ़ा दे अर्थात चार रकअत वाली नमाज़ में दो रकअंत पर सलाम फेर दे और मुक्तदी को इस सलाम से इमाम के सम्बन्ध में भूल की शंका हो तो मुक्तदी को अपनी चार रकअतें पूरी कर लेने के बाद इमाम की दशा का पता लगाना वाजिब है कि इमाम को भूल हुई या वह यात्री था। यदि पता चले कि वह मुसाफिर था तो नमाज़ ठीक हो गयी और यदि भूल का होना सिद्ध हुआ तो नमाज़को लौटआये और यदि कुछ जानकारी नहि की बल्कि मुक्तदि इसी शंका की दशा में नमाज़ पढ़ चला गया तो इस दशा में भी उस पर नमाज़ दौहराना वाजिब है।

सला न. ९ : यदि इमाम के सम्बन्ध में यात्री होने का विचार है मगर वह नमाज़ शहर या गांव में नहीं पढ़ा रहा बल्कि शहर से बाहर पढ़ा रहा है और उसने चार रकअत वाली नमाज़ में यात्री जैसी नमाज़ पढ़ाई और मुक्तदी को इमाम की भूल की शंका हुई इस दशा में भी मुक्दी अपनी चार रकअत पूरी करे और नमाज़ के पश्चात इमाम के सम्बन्ध मे ज्ञात करे तो अच्छा है यदि

ज्ञात न करे तो उसकी नमाज़ खराब नही होगी क्योंकि शहर या गांव से बाहर इमाम का यात्री होना प्रकट होता है और इस के सम्बन्ध मे मुक्तदि का यह विचार की सम्भवतः इस को भूल हुई है प्रत्यक्ष के विरुद्ध है इसलिए इस दशा मे जानकारी करना भी आवश्यक नहीं इसी प्रकार यदि इमाम चार रकअत वाली नमाज़ शहर गांव या जंगल आदि मे पढ़ये और किसी मुक्तदि को उस के सम्बन्ध में यात्री होने की शंका हो परन्तु इमाम ने पूरी चार रकअतें पढ़ाई तब भी मुक्तदी को नमाज़ के पश्चात इमाम के सम्बन्ध में पता लगाना वाजिब नहीं। और फज्र में और मग़रिब में किसी समय भी इमाम के सम्बंध में यात्री होने या न होने का पता लगाना आवश्यक नहीं क्यों कि इन नमाज़ों में दोनों बराबर है। सारांश यह है कि पता लगाने की आवशय्कता केवल एक दशा में हैजबकि इमाम शहर या गांव में या किसी और स्थान पर चार रकअत वाली नमाज़ में दो रकअत पढ़ायें और मुक्तदी को इमाम पर भूल की शंका हो।

शर्त न. ९: मुक्तदी को क़ुरान पढ़ने के अतिरिक्त नमाज़ के सभी रूकनों (फर्ज़ों) में इमाम के साथ रहना चाहे इमाम के साथ अदा करे या उसके बाद या उससे पहले शर्त यह है हि उसी रूकन के अन्त तक इमाम उसका साथी हो जाये। पहली दशा की मिसाल इमाम के साथ रूक सज्दा करे। दूसरी दशा की मिसाल इमाम रूकू करके खड़ा हो जाये इसके बाद मुक्तदी रूकू केरे। तीसरी दशा का उदाहरण इमाम से पहले रूकू करे मगर रूकू में इतनी देर तक रहे कि इमाम का रूकू उससे मिल जाये।

मसला न. १०: यदि किसी रूकन में इमाम की शिर्कत न की जाये जैसे इमाम रूकू करे और मुक्तदी रूकू न करे या इमाम दो सज्दे करे और मुक्दी एक ही सज्दा करे। या किसी रूकन का आरम्भ इमाम से पहले किया जाये और अन्त तक इमाम उसमें शरीक न हो जैसे मुक्तदी इमाम से पहले रूकू में जाये और इससे पहले कि इमाम रूकू करे खड़ा हो जाये इन दोनों दशाओं में इक्तिदा ठीक न होगी।

शर्त न. १०: मुक्तदी की दशा का इमाम से कम या बराबर होना जैसे,

१. खड़े होकर नमाज़ पढ़ने वाले की इक्तिदा खड़े होकर नमाज़ न पढ़ सकने वाले के पीछे ठीक है नमाज़ में मजबूर का बैठना खड़ा होने के बराबर है।

२- वज़ु करने वालो की नमाज़ तयम्मुम करने वाले के पीछे चाहे वज़ू का हो या गुसल का दोनों पाकी में बराबर हैं कोई किसी से कम या अधिक नहीं

३- मसह करने वाले के पीछे चाहे मोज़ों पर करता हो या पट्टी पर धोने वाले का अनुकरण ठीक है इसलिए कि मसह और धोना दोनों बराबर हैं किसी कोकिसी पर बढ़ावा नहीं।

४- मजबूर की इक्तिदा मजबूर के पीछे ठीक है शर्त यह है कि दोनों एक ही मजबूरी में हों जैसे दोनों को पेशाब की बीमारी है या दोनों को हवा निकलने की बीमारी है।

५- अपढ़ (जो व्यक्ति इतना भी न पढ़ सके जितना नमाज़ में पढ़ना आवश्यक है) की इक्तिदा अपढ़ के पीछे ठीक है शर्त यह है कि मुक्तदियों में कोई पढ़ने वाला न हो।

६- औरत या नाबालिग की इक्तिदा बालिग़ मर्द के पीछे ठीक है।

७- औरत की इक्तिदा औरत के पीछे ठीक हैं।

८- नाबालिग़ औरत या नाबालिग़ मर्द की इक्तिदा नाबालिग़ मर्द के पीछे ठीक है।

९- नफ़्ल पढ़ने वाले की इक्तिदा वाजिब पढ़ने वाले के पीछे ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति ज़ुहर की नमाज़ पढ़ चका हो और दोबारा फिर नमाज़ में शामील हो जाये।

१०- नफ़्ल पढ़ने वालो की इक्तिदा नफ्ल पढ़ने वाले के पिछे ठीक है।

११- कसम की नमाज़ पढ़ने वालो की इक्तिदा नफ्ल पढ़ने वालो के पीछे ठीक है। इस लिए कि कसम की नमाज़ भी वास्तव में नफ्ल नमाज़ ही है अर्थत एक आदमी ने कसम खाई कि में दो रकअत नमाज़ पढ़ूगां और फिर किसी नफ्ल पढ़ने वाले के पीछे उसने वह नमाज़ पढ़ली तो नमाज़ हो जायेगी और कसम पुरी हो जायेगी।

१२- नज़र की नमाज़ पढ़ने वाले की इक्तिदा नज़र की नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे ठीक है। शर्त यह है की दोनो की नज़र एक हो। जैसे एक आदमी की नज़र के बाद दुसरा आदमी भी कहे कि मैने भी उस वस्तु की नज़र की जिसकी अमुक व्यक्ति ने कि है और यदि यह

दशा न हो जैसे एक ने दो रकअतो की अलग नज़र की और दुसरे ने अलग तो इन में से किसी को दुसरे की इक्तिदा ठीक नही होगी साराशं यह है कि जब मुक्तदी इमाम से कम या बराबर होगा तो इक्तिदा ठीक हो जायेगी। अब हम वे दशायें लिखतें है जिनमें मुक्तिदा इमाम से अधिक है चाहे विश्वास पुर्वक या अनुमान से और इक्तिदा ठीक नही।

१- बालिग़ की इक्तिदा चाहे मर्द हो या औरत, नाबालिग के पीछे ठीक नही।

२- मर्द की इक्तिदा चाहे बालिग हो या नाबालिग औरत के पीछे ठीक नही।

३- नपुंसक की नपुंसक के पीछे ठीक नही। नपुंसक उसको कहते है जिसमें मर्द और औरत होने की निशानियां ऐसी टकरा रही हों कि न उसका मर्द होना ही निश्चित हो सके न औरत होना

४- जिस औरत को अपने हैज का समय याद न हो उसकी इक्तिदा उसी प्रकार की औरत के पीछे ठीक नही। इन दोनो दशाओ में मुक्तिदी का इमाम से अधिक होने की शकां है। इस लिए इक्तिदा ठीक नही क्योंकि पहली दशा में जो नपुंसक इमाम है सम्भवतः वह औरत हो और जो नपंसक मुक्तदी है। सम्भवतः मर्द हो। इसी प्रकार दूसरी दशा में जो औरत इमाम है सम्भवतः यह समय उसके हैज़ का हो और जो मुक्तदी है उसकी पाकी का हो।

५- नपंसक की इक्तिदा औरत के पीछे ठीक नहीं इस शंका से कि सम्भवतः वह नंपुसक मर्द हे।

६- बुद्धिमान कि इक्तिदा, पागल, मस्त, बेहोश व कुबुद्धि के पीछे ठीक नहीं।

७- पाक व्यक्ति की इक्तिदा, बीमार, मजबूर के पीछे जैसे उस व्यक्ति के पीछे जिस को पेशाब टपकने की बीमारी हो ठीक नहीं।

८- एक मजबूरी वाले की इक्तिदा दो मजबूरी वाले के पीछे ठीक नहीं। मिसाल के तोर पर किसी को केवल हवा के निकलने की बीमारी है और वह ऐसे व्यक्ति की इक्तिदा करे जिस को हवा निकलने और पेशाब टपकने की भी बीमारी हो।

९- एक प्रकार की मजबूरी वाले की इक्तिदा दूसरी प्रकार की मजबूरी वाले के पीछे ठीक नहीं। जैसे पेशाब की बीमारी वाला ऐसे व्यक्ति की

इक्तिदा करे जिसकी नकसीर बहती हो।

१०- पढ़े की इक्तिदा अपढ़ के पीछे ठीक नहीं। पढ़ा वह कहलाता है जिसको इतना क़ुरान याद हो जिस से नमाज़ हो जाती है। और अपढ़ वह है जिसको इतना भी याद न हो।

११- अपढ़ की इक्तिदा अपढ़ के पीछे जब कि मुक्तदियों में कोई पढ़ा हो ठीक नहीं क्योंकि इस दशा में उस अपढ़ इमाम की नमाज़ खराब हो जायेगी इसलिए कि सम्भव था की वह इस पढ़ने वाले को इमाम कर देता और उसका पढ़ना सब मुक्तदियों की ओर से काफ़ी हो जाता और जब इमाम की नमाज़ खराब हो गयी तो सब मुक्तदियों की नमाज़ खराब हो गयी जिन में वह अपढ़ मुक्तदी भी है।

१२- अपढ़ की इक्तिदा गूंगे के पीछे ठीक नहीं इसलिए कि अपढ़ इस समय पढ़ नहीं सकता मगर शक्ति तो रखता है क्योंकि वह पढ़ना सीखतो सकता है गूंगे में तो यह भी शक्ति नहीं।

१३- जिस आदमी का शरीर जितना ढापना अनिवार्य है छिपा हुआ हो उसकी इक्तिदा नंगे के पीछे ठीक नहीं।

१४- रूकू, सज्दा करने वाले की इक्तिदा इन दोनों के न कर सकने वाले के पीछे ठीक नहीं और यदि कोई आदमी सज्दे से मजबूर हो उसके पीछे भी इक्तिदा ठीक नहीं।

१५- फर्ज़ पढ़ने वाले की इक्तिदा नफ़्ल पढ़ने वाले के पीछे ठीक नहीं।

१६- नज़र की नमाज़ पढ़ने वाले की इक्तिदा नफ़्ल नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे ठीक नहीं इस लिए कि नज़र की नमाज़ वाज़िब है।

१७- नज़र की नमाज़ पढ़ने वाले की इक्तिदा कसम की नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे ठीक नहीं जैसे यदि किसी ने कसम खाई कि आज में चार रकअत पढ़ूंगा और किसी ने नज़र की तो वह नज़र करने वाला यदि उसके पीछे नमाज़ पछे तो ठीक न होगी क्योंकि नज़र की नमाज़ वाजिब है और क़सम की नफ़्ल। क्योंकि कसम से मुक्त होना वाजिब होता है और इस में यह भी हो सकता है कि कफ़्फारह दे दे और वह नमाज़ न पढ़े।

१८- जिस व्यक्ति से स्पष्ट शब्द उच्चारित न हो सके जैसे स को त , र को ल पढ़ता हो या किसी और शब्द में ऐसी ही अदल बदल होती

हो तो उसके पीछे स्पष्ट और ठीक पढ़ने वाले की नमाज़ ठीक नहीं। ह
यदि पूरी नमाज़ में कहीं एक आध जगह ऐसा हो जाय तो इक्तिदा ठीक
हो जायेगी।

शर्त न. ११: ऐसे व्यक्ति की इक्तिदा ठीक नहीं जिस का इस समय अकेले रहना जरूरी है। जैसे कि मस्बूक कि उसको इमाम की नमाज़ समाप्त हो जाने के पश्चात अपनी छुठी हुई रकअतों का अकेले पढ़ना आवश्यक है इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी मस्बूक की इक्तिदा करे तो ठीक न होगी।

शर्त न. १२: इमाम को किसी का मुक्तदी न होना अर्थात ऐसे व्यक्ति को इमाम न बनाना चाहिए जो स्वयं किसी का मुक्तदी हो चाहे वास्तव में जैसे मुदरिक या अवास्तविक जैसे लाहिक क्योंकि लाहिक अपनी उन रकअतों में जो इमाम के साथ उसको नहीं मिली, मुक्तदी का आदेश रखता है इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी मुदरिक या लाहिक की इक्तिदा करे तो ठीक नहीं इसी प्रकार मस्बूक यदि लाहिक की या लाहिक मस्बूक की इक्तिदा करे तब भी ठीक नहीं। ये बारह शर्तें जो हमने जमात के ठीक होने की लिखी है यदि इनमें से कोई शर्त किसी मुक्तदी में न पाई जायेंगी तो उसकी इक्तिदा ठीक न होगी और जब किसी मुक्तदी की इक्तिदा ठीक न होगी तो उसकी वह नमाज़ भी न होगी जिसको उसने इक्तिदा की दशा में अदा किया है।

जमात से सम्बन्धित आदेश

मसला न. १: जमात, जुमा, और ईदों की नमाजों में शर्त हैं अर्थात ये नमाज़ें अकेले ठीक ही नहीं होती और पांचों वक्तों की नमाज़ में जमात वाजिब है शर्त यह है कि कोई मजबूरी न हो और तरावीह में सुन्नत मुअक्क़दह है यद्यपि एक क़ुरान शरीफ़ जमात के साथ हो चुका हो और इसी प्रकार सूर्य ग्रहन की नमाज़ के लिए और रमज़ान के वित्र में मुस्तहब है और रमज़ान के अतिरिक्त दूसरे समय में मकरूह तंजी ही है अर्थात जब पाबन्दी की जाये यदि पाबन्दी न की जाये बल्कि कभी-कभी दो-तीन आदमी जमात से वित्र पढ़ लें तो मकरूह नहीं और चान्द ग्रहन की नमाज़ में और तमाम नफ़्लों में मकरूह तहरीमी है शर्त यह है कि उस प्रबन्ध से अदा की जाये जिस प्रबन्ध से फ़र्ज़ की जमात होती है अर्थात अज़ान व इकामत के साथ या और किसी तरीक़े

से लोगों को इकट्ठा करके। हां यदि बे अज़ान व इक़ामत और बे बुलाये दो तीन आदमी जमा हो कर किसी नफ़्ल को जमात से पढ़ लें तो कोई बुराई नहीं और फिर भी सदैव ऐसा न करें और इसी प्रकार हर-हर फर्ज़ की दूसरी जमात मस्जिद में आने वाली चार शर्तों पर मकरूह तहरीमी है।

१- मुहल्ले की मस्जिद हो और आम रास्ते पर न हो और मुहल्ले की मस्जिद उसको कहते हैं जिसमें इमाम और नमाज़ी निश्चित हों।

२- पहली जमात ऊंची आवाज़ से अज़ान व इकामत कहकर पढ़ी गयी हो।

३- पहली जमात उन लोगों ने पढ़ी हो जो उस मुहल्ले में रहते हो और जिन को उस मस्जिद के इंतजाम का अधिकार प्राप्त है।

४- दूसरी जमात उसी शक्ल और प्रबन्ध से अदा की जाये जिस शक्ल और प्रबन्ध से पहली जमात अदा की गयी है और यह चौथी शर्त केवल इमाम अबु यूसुफ़ के विचार में है और इमाम अबु हनीफ़ा के विचार में शक्ल बदल देने से भी मकरूह है तो यदि दूसरी जमात मस्जिद में न अदा की जाये बल्कि घर में फिर मकरूह नहीं। इसी प्रकार यदि कोई शर्त इन चार शर्तों में से न पाई जाये, जैसे मस्जिद आम रास्ते पर हो मुहल्ले की न हो जिसके सम्बन्ध में ऊपर ज्ञात हो चुका तो इसमें दूसरी बल्कि तीसरी, चौथी जमात भी मकरूह नहीं या पहली जमात ऊंची आवाज़ से अज़ान और इक़ामत कह कर न पढ़ी हो तो दूसरी जमात मकरूह नहीं या पहली जमात उन लोगों ने पढ़ी हो जो उस मुहल्ले में नहीं रहते न उनको मस्जिद के प्रबन्ध का अधिकार है। या इमाम अबु यूसुफ़ के कथनानुसार दूसरी जमात उस शक्ल में न अदा की जाये जिस प्रकार पहली जमात अदा की गयी है। जिस स्थान पर पहली जमात का इमाम खड़ा था दूसरी जमात का इमाम वहां से हटकर खड़ा हो तो शक्ल बदल जायेगी और जमात मकरूहं न होगी।

तावनी : यद्यपि कुछ लोगों का अमल इमाम अबु युसूफ़ के कथन पर हैं लेकिन इमाम अबु हनीफ़ा का कथन दलील से भी मजबूत है और इस समय दीन की बातों में विशेष रूप से जमात के मामले में जो सुस्ती और असावधानी बरती जा रही है उसे देख कर यही ठीक है कि शक्ल की तब्दीली के बावजूद दूसरी जमात के मकरूह होने पर फतवा दिया

जाये नहीं तो लोग जान बूझकर पहली जमात छोड़ा करेंगे कि हम अपनी दूसरी जमात कर लेंगे।

मुक़्तदी और इमाम से सम्बन्धित मसले

मसला न. १: मुक्तिदियों को चाहिए कि तमाम उपस्थित लोगों में से जो इमाम बनने के योग्य हो जिसमें अच्छाइयां अधिक हों उसको इमाम बना दें और यदि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो इमाम बनने की योग्यता में बराबर हों तो अधिक लोगों की राय जिसकी ओर हो उसको इमाम बना दें। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के होते हुए जो इमाम बनने के अधिक क़ाबिल है किसी ऐसे व्यक्ति को इमाम कर देंगे जो उससे कम है तो सुन्नत छोड़ने के अपराधी बन जायेंगे।

मसला न. २ : सब से अधिक इमाम बनाये जाने का हक़दार वह व्यक्ति है जो नमाज़ के मसले भली प्रकार जानता हो शर्त यह है कि प्रत्यक्ष में कोई अवज्ञाकारिता की बात न हो और जितना आवश्यक है उतना क़ुरान उसको याद हो और क़ुरान ठीक पढ़ता हो। फिर वह व्यक्ति जो क़ुरान शरीफ़ अच्छा पढ़ता हो अर्थात क़ुरान नियमों के अनुसार पढ़ता हो। फिर वह व्यक्ति जो सब से अधिक परहेज़गार हो। फिर वह व्यक्ति जो सब से अधिक उम्र का हो फिर वह व्यक्ति जो सबसे अधिक चरित्रवान हो, फिर वह व्यक्ति जिसकी आवाज़ सबसे अच्छी हो फिर वह व्यक्ति जो सबसे अधिक अच्छा कपड़ा पहने हो। फिर वह व्यक्ति जिसका सर सब से बड़ा हो मगर ढंग से फिर वह व्यक्ति जो स्थिर (यात्री न हो) हो। फिर वह व्यक्ति जो वास्तव में स्वतन्त्र हो। फिर वह व्यक्ति जिसने छोटी नापाकी से तयम्मुम किया हो। उसके मुकाबले में जिसने बड़ी नापाकी से तयम्मुम किया हो कुछ विद्वानों के विचार में बड़ी नापाकी से तयम्मुम करने वाला पहले है और जिस व्यक्ति में उपरोक्त युक्त दो गुण पाये जायें वह अधिक हकदार है उसके मुकाबले में जिसमें एक ही गुण पाया जाता है जैसे वह व्यक्ति जो नमाज़ के मस्ले भी जानता है और क़ुरान भी अच्छा पढ़ता हो अधिक हक़दार है उसके मुक़ाबले में जो केवल नमाज़ के मसले जानता हो और क़ुरान मजीद अच्छा न पढ़ता हो।

मसला न. ३ : यदि किसी के घर में जमात की जाये तो घर वाला इमामत का अधिक हक़दार है। इसके पश्चात वह व्यक्ति जिस को वह इमाम बना दे। हां यदि घर वाला बिल्कुल अपढ़ हो। दूसरे लोग मसलों को जानते समझते हों तो फिर उन्हीं को हक़ होगा।

मसला न. ४: जिस मस्जिद में कोई इमाम निश्चिद हो उस मस्जिद में उसके होते हुए दूसरे को इमाम होने का हक नहीं हां यदि वह किसी दूसरे को इमाम बना दे तो कोई बुराई नहीं।

मसला न, ५ : क़ाज़ी अर्थात धर्मानुसार फैसला करने वाला हाकिम या मुसलमान बादशाह के होते हुए दुसरे को इमामत का हक़ नहीं।

मसला न. ६: नमाज़ियों की रज़ा मंदी के बिना इमामत करना मकरूह तहरीमी है हां यदि वह व्यक्ति सबसे अधिक इमामत का हक़ रखता हो यानी इमामत के गुण उसके बराबर किसी में न हों फिर उसके ऊपर कोई बुराई नहीं बल्कि जो उसकी इमामत से नाराज़ हो वही गलती पर है।

मसला न. ७: अवज्ञाकारी और बिदअती को इमाम बनाना मकरूह तहरीमी है, हाँ यदि (अल्लाह न करे) ऐसे लोगों के अतिरिक्त वहां कोई दूसरा न हो तो फिर मकरूह नहीं। इसी प्रकार यदि बिदअती और अवज्ञाकारी ज़ोर दार हों कि उनको हटाने की शक्ति न हो या कोई बड़ा झगड़ा पैदा होता हो तो फिर मुक्तिदियों पर कोई दोष नहीं।

मसला न. ८: अनपढ़ गंवार का और ऐसे अन्धे का जो पाकी नापाकी की सावधानी न रखता हो या ऐसे व्यक्ति का जिसे रात को कम नज़र आता हो और हरामी का इमाम बनाना मकरूह तंजीही है हां यदि ये लोग ज्ञानी और सम्मानित हैं और लोगो को इनका इमाम बनाना अरूचिकर नही तो फिर मकरूह नहीं इसी प्रकार किसी ऐसे हसीन नौजवान को इमाम बनाना जिसकी दाढ़ी न निकली हो। और कुबुद्धि को इमाम बनाना मकरूह तंज़ी ही है।

मसला न. ९ : नमाज़ के फर्ज़ों और वाजिबों में तमाम मुक्तदियों को इमाम का पालन करना वाजिब है। हां सुन्नतों आदि में पालन करना वाजिब नहीं। तो यदि इमाम शाफ़ई मज़हब का हो और रूकू में जाते समय या रूकू से उठते समय हाथों को उठाये तो हनफ़ी मुक्तदी को हाथों को उठाना आवश्यक नहीं। इसलिए कि हाथ उठाना उनके यहां भी सुन्नत है। इसी प्रकार फज्र की

नमाज़ में शाफ़ई मजहब का इमाम दुआये क़नूत पढ़ेगा तो हनफ़ी मुक्तदियों के लिए आवश्यक नहीं। हां वित्र में चूंकि दुआयें कनूत पढ़ना लाज़मी है। इसलिए यदि शाफ़ई इमाम अपने मज़हब के अनुसार रूकू के बाद पढ़े तो हनफियों को भी रूकू के बाद पढ़ना चाहिए।

मसला न. १०: इमाम को नमाज़ में अधिक बड़ी-बड़ी सूरतें पढ़ना जो सुन्नत की मिकदार से भी अधिक हों या रूकू सज्दे आदि में बहुत अधिक देर तक रहना मकरूह तहरीमी है। बल्कि इमाम को चाहिए कि अपने मुक्तदियों की ज़रूरत और कमजोरी आदि का ध्यान रखे। जो सब में अधिक कमज़ोर हो उसकी रिआयत करके पढ़े। बल्कि अधिक आवश्यकता के समय सुन्नत की मात्रा से भी कम पढ़ना अच्छा है ताकि लोगों को ऐसा कष्ट न हो जो जमात में संख्या की कमी का कारण हो जाये।

मसला न. ११: यदि एक ही मुक्तदी हो और वह मर्द हो या ना बालिग़ लड़का तो उसको इमाम की दाहिनी ओर इमाम के बराबर या कुछ पीछे हटकर खड़ा होना चाहिए। यदि बांयी तरफ़ या इमाम के पीछे खड़ा हो तो मकरूह है।

मसला न. १२: और यदि एक से अधिक मुक्तदी हों तो उनको इमाम के पीछे सफ बांध कर खड़ा होना चाहिए यदि इमाम के दाहिनी या बायीं ओर ख़ड़े हों और दो हों तो मकरूह तंज़ीही है। और यदि दो से अधिक हों तो मकरूह तहरीमी है। इसलिए कि जब दो से अधिक मुक्तदी हों तो इमाम का आगे खड़ा होना वाजिब है।

मसला न. १३: यदि नमाज़ प्रारम्भ करते समय एक ही मर्द मुक्तदी था और वह इमाम के दाहिनी ओर खड़ा हो, इसके बाद और मुक्तदी आ गये तो पहले मुक्तदी को चाहिए कि पीछे हट जाये ताकि सब मुक्तदी मिल कर इमाम के पीछे खड़े हों यदि वह न हटे तो इन मुक्तदियों को चाहिए कि इसकों पीछे खींच ले और यदि अनजाने में वह मुक्तदी इमाम के दाहिनी या बायीं ओर खड़े हो जायें और पहले मुक्तदी को पीछे न हटायें तो इमाम को चाहिए कि वह आगे बढ़ जाये वह मुक्तदी सब मिल जायें और इमाम के पीछे हो जायें। इसी प्रकार यदि पीछे हटने का स्थान न हो तब भी इमाम को चाहिए कि आगे बढ़ जाये लेकिन यदि मुक्तदी मसलों को न जानते हों जैसा कि हमारे युग में पाया जाता है। तो उसको हटाना उचित नहीं कभी ऐसी बात न कर बैठे कि नमाज़

गलत हो जाये।

मसला न. १४: यदि मुक़्तदी औरत हो या नाबालिग़ लड़की तो उसको चाहिए कि इमाम के पीछे खड़ी हो, चाहे एक हो या एक से अधिक।

मसला न. १५: यदि मुक़्तदियों मे कई प्रकार के लोग हों कुछ मर्द कुछ औरतें कुछ नाबालिग़ तो इमाम को चाहिए कि इस प्रकार से उनकी सफें खड़ी करे। पहले मर्दों की सफ़ें, फिर नाबालिग़ लड़कों की फिर बालिग़ औरतों की फिर नाबालिग़ लड़कियों की।

मसला न. १६: इमाम को चाहिए कि सफ़ें सीधी करे अर्थात सफ मे लोगों को आगे पीछे खड़े होने से रोके सब को बराबर खड़ा होने का आदेश दे। सफ (लाइन) में एक दूसरे से मिल कर खड़ा होना चाहिए बींच में खाली स्थान न रहना चाहिए।

मसला न. १७: अकेले एक व्यक्ति का सफ़ के पीछे खड़ा होना मकरूह है, बल्कि ऐसी दशा में चाहिए कि अगली सफ़ में से किसी को खींच कर अपने साथ खड़ा कर ले। परन्तु यदि खींचनें में डर हो कि वह अपनी नमाज़ खराब कर लेगा या बुरा मानेगा तो जाने दे।

मसला न. १८: पहली सफ़ में स्थान होते हुए दूसरी सफ़ में खड़ा होना मकरूह है हां जब अगली सफ़ पूरी हो जाये तब दूसरी सफ़ में खड़ा होना चाहिए।

मसला न. १९: मर्द को केवल औरतों की इमामत करना ऐसे स्थान पर जहां कोई मर्द न हो न कोई महरम औरत, जैसे उसकी बीवी मां- बहन आदि मकरूह तहरीमी है। हां यदि कोई मर्द या महरम औरत उपस्थित हो तो फिर मकरूह नहीं।

मसला न. २०: यदि कोई व्यक्ति अकेला फज्र या मग़रिब या इशा का फर्ज़ धीमी आवाज़ से पढ़ रहा हो, फिर इसी बींच कोई आदमी उसकी इक्तिदा करे तो उसमें दो शक्लें हैं। एक यह कि यह आदमी दिल में इरादा करे कि मैं अब इमाम बनता हूँ ताकि नमाज़ जमात से हो जाये। दूसरी शक्ल यह है कि इरादा न करे बल्कि पहले की भांति अपने को यही समझे की जैसे मेरे पीछे आखड़ा हुआ लेकिन मैं इमाम नहीं बनता बल्कि पहले ही की भांति अकेला पढ़ता हूँ। पहली दशा में उस पर उसी स्थान से ऊंची आवाज़ से क़ुरान पढ़ना वाजिब है। यदि सूरा फातिहा या कुछ दूसरी सूरा भी धीमी आवाज़ से पढ़ चुका हो तो उसको चाहिए कि उसी स्थान से बाक़ी फातिहा या बाक़ी सूरत को

ऊंची आवाज़ सेपढ़े क्योंकि इमाम को फज्र मग़रिब और इशा की नमाज़ो में ऊंची आवाज मे पढ़ना वाजीब है और दूसरी दशा में ऊंची आवाज़ से पढ़ना वाजिब नहीं और इस मुक्तदी की नमाज़ भी ठीक रहेगी। क्योंकि मुक्तदी की नमाज़ के ठीक रहने के लिए इमाम का इमामत की नीयत करना आवश्यक नहीं।

मसला न. २१: इमाम को और ऐसे ही अकेले को जब कि वह घर या मैदान में नमाज़ पढ़ता हो मुस्तहब है कि अपनी आंखों के सामने चाहे बायीं ओर या दाहिनी ओर कोई ऐसी वस्तु ख़डी कर ले जो एक हाथ या उससे अधिक ऊंची और एक उंगली के बराबर मौटी हो। हा यदि मस्जिद में नमाज पढ़ता हो। या ऐसे स्थान में जहां लोगों का सामने से गुज़र न होता हो। तो इसकी आवश्यकता नहीं, और इमाम का सुतरा (सामने रखी वस्तु) तमाम मुक्तदियों की ओर से काफ़ी है। सुतरा स्थिर हो जाने के पश्चाद सुतरे के परे से निकल जाने में कोई बुराई नही। परन्तु यदि कोई सुतरे के अन्दर से निकलेगा तो गुनाह होगा।

मसला न. २२: लाहिक वह मुक्तदी है जिसकी कुछ, रकअतें या सब रकअतें जमात में सम्मिलित होने के पश्चात जाती रही। चाहे मजबूरी से जैसे नमाज़ में सो जाये और इस बींच कोई रकअत आदि जाती रहे। या लोगों के अधिक होने से रूकू सज्दा आदि न कर सके या वज़ू टूट जाये और वज़ू करने के लिए जाये इस बींच उसकी रकअतें जाती रहें। या बिना मजबूरी ही के जाती रहें जैसे किसी रकअत मे इमाम से पहले रूकू सज्दा कर ले और इस कारण वह रकअत उसकी बेकार समझी जाये। तो इस रकअत के एतबार से वह लाहिक समझा जायेगा। तो लाहिक को अनिवार्य है कि पहले अपनी इन रकअतों को अदा करे जो उसकी जाती रही इन के अदा कर लेने के पश्चात यदि जमात बाक़ी हो तो शरीक़ हो जाये नहीं तो बाक़ी नमाज़ भी अकेले ही पढ़े।

मसला न. २३: लाहिक अपनी गयी हुई रकअतों में भी मुक्तदी समझा जायेगा अर्थात जैसे मुक्तदी क़ुरान नहीं पढ़ता वैसे लाहिक भी न पढ़े बल्कि चुप खड़ा रहे और मुक्तदी को यदि भूल हो जाये तो भूल के सज्दे की आवश्यकता नहीं होती वैसे ही लाहिक को भी।

मसला न. २४: मस्बूक़ अर्थात जिसकी एक दो रकअत रह गयी हो उसको चाहिए कि पहले इमाम के साथ सम्मिलित होकर जितनी नमाज़ बाक़ी हो जमात से अदा करे। इमाम की नमाज़ समाप्त होने पर खड़ा हो जाये और अपनी छुटी हुई रकअतों को पूरा करें।

मसला न. २५ : मस्बूक को अपनी गयी हुई रकअतों को अकेले की भांति किरात के साथ अदा करनी चाहिए और यदि इन रकअतों में कोई भूल हो जाये तो भूल का सज्दा भी करना आवश्यक है।

मसला न. २६: मस्बूक को अपनी गयी हुई रकअतें इस प्रकार से अदा करनी चाहिए कि पहले क़िरात वाली फिर बिना क़िरात की और जो रकअतें इमाम के साथ पढ़ चुका है उनके हिसाब से दो रकअतों पर बैठे अर्थात उन रकअतों के हिसाब से जो दूसरी हो उसमें पहला क़ादा (दो रकअतों पर बैठना) करे और जो तीसरी रकअत हो और नमाज़ तीन रकअतों वाली हो तो उसमें अन्तिम क़ादा करे।

उदाहरण : जुहर की नमाज़ में तीन रकअत हो जाने के पश्चात कोई व्यक्ति सम्मिलित हो उसको चाहिए कि इमाम के सलाम फेर देने के पश्चात खड़ा हो जाये और गयी हुई तीन रकअतें इस नियम से अदा करें, पहली रकअत में सूरा फ़ातिहा के साथ सूरा मिला कर रूकू सज्दे करके पहला क़ादा करे इसलिए की यह रकअत उस मिली हुई रकअत के हिसाब से दूसरी है फिर दूसरी में भी सूरा फातिहा के साथ सूरा मिलाये और इसके बाद क़ादा न करे और अपनी तीसरी रकअत मे सूरा न मिलाये इसलिए कि यह रकअत क़िरात की नहीं थी। इसमें क़ादा करे क्योंकि यह अन्तिम क़ादा है।

मसला न. २७: यदि कोई व्यक्ति लाहिक भी हो और मस्बूक भी जैसे कुछ रकअतें हो जाने के बाद सम्मिलित हुआ हो और सम्मिलित हो जाने के पश्चात उसकी कुछ रकअतें चली जायें तो उसको चाहिए कि पहले अपनी उन रकअतों को अदा करे जो सम्मिलित होने के बाद गयी है। जिनमें वह लाहिक है मगर उनके अदा करने में अपने को ऐसा समझे जैसे वह इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है। अर्थात किरात न करे और इमाम की तर्तीब का ध्यान रखे इसके बाद यदि जमात शेष रहे तो उसमें सम्मिलित हो जाये नहीं तो बाक़ी नमाज़ भी पढ़ ले इसके बाद अपनी इन रकअतों को पूरा करे जिन में

मसबूक है।

उदाहरण : अस्र की नमाज़ में एक रकअत हो जाने के पश्चात कोई आदमी सम्मिलित हो और सम्मिलित हो जाने के पश्चात ही उसका वज़ू टूट गया इसलिए वज़ू करने गया। इस बीच में नमाज़ खत्म हो गयी तो चाहिए पहले उन तीनों रकअतों को पूरा करे जो शरीक होने के बाद गयी हैं फिर उसको जो उसके शरीक होने से पहले हो चुकी थी और उन तीनों रकअतों को मुक्तदी की भांति पूरा करे अर्थात क़िरात न करे और इन तीनों की पहली रकअत में क़ादा करे, इसलिए कि यह इमाम की दूसरी रकअत है इमाम ने इसमे कादा किया था फिर दूसरी रकअत में कादा न करे इसलिए कि यह इमाम की तीसरी रकअत है तो तीसरी रकअत मे कादा करे इस लिए कि यह इमाम की चौथी रकअत है और इस रकअत में इमाम ने कादा किया था फिर उस रकअत को पूरा करे जो उसके सम्मिलित होने से पहले हो चुकी थी और उस में भी क़ाद करे इसलिए कि यह उसकी चौथी रकअत है और इस रकअत में उसको क़िरात भी करनी होगी। क्योंकि इस रकअत में वह मस्बूक है और मस्बूक अपनी गयी हुई रकअतों के अदा करने में अकेले का नियम पालन करता है।

मसला न. २८: मुक्तदियों को प्रत्येक रूकन इमाम के साथ ही बिना देर किये अदा करना सुन्नत है तकबीरे तहरीमा भी इमाम की तहरीमा के साथ करे रूकू भी इमाम के साथ कौमा भी उसके कौमे के साथ सज्दा भी उसके सज्दे के साथ मतलब यह है कि प्रत्येक कार्य उसके हर कार्य के साथ। हां यदि पहले कादा में इमाम इससे पहले खड़ा हो गया कि मुक्तदी अत्तहीयात पूरा कर लें तो मुक्तदियों को चाहिए कि अत्तहीयात पूरा करके खडे हों। इसी प्रकार अन्तिम कादे में यदि इमाम इसके पहले कि मुक्तदी अत्तहीयात पूरी करे सलाम फेर दे तो मुक्तदियो को चाहिए कि अत्तहीयात पूरी करके सलाम फेरे। हां रूकू, सज्दा आदि में यदि मुक्तदियों ने तस्बीह न पढ़ी हो तो भी इमाम के साथ ही ख़ड़ा होना चाहिए।

जमात में सम्मिलित होने न होने के मसले

मसला न. १ : यदि कोई व्यक्ति अपने मुहल्ले या मकान के समीप मस्जिद में ऐसे समय पहुंचा कि वहा जमात हो चुकी थी तो उसको मुस्तहब है कि दूसरी मस्जिद

में जमात खोजने को जाये और यह भी अधिकार है कि अपने घर में वापस आकर घर के आदमियों को इकट्ठा करके जमात करें।

मसला न. २: यदि कोई आदमी अपने घर में फर्ज़ नमाज़ अकेला पढ़ चुका हो इसके बाद देखे कि वही नमाज़ जमात से अदा हो रही है तो उसको चाहिए कि जमात में मिल जाये। शर्त यह है कि नमाज़ जुहर, अस्त्र और इशा की हो, फज्र और मग़रिब की न हो क्योंकि फज्र अस्त्र की नमाज़ के बाद नफ़्ल नमाज़ मकरूह है। और मग़रिब में इसलिए कि यह दूसरी नमाज़ नफ़ल होगी और नफ़्ल में तीन रकअत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से सिद्ध नहीं।

मसला न. ३: यदि कोई व्यक्ति फर्ज़ नमाज़ प्रारम्भ कर चुका हो और उसी दशा में फर्ज जमात से होने लगें तो यदि वे फर्ज दो रकअत वाले हैं जैसे फज्र की नमाज़ तो इसका आदेश यह है कि यदि पहली रकअत का सज्दा न किया हो तो उस नमाज़ को तोड़ दे और जमात में सम्मिलित हो जाये और यदि पहली रकअत का सज्दा कर लिया हो और दूसरी रकअत का सज्द न किया हो तो भी तोड़ दे और जमात में मिल जाये और यदि दुसरी रकअत का सज्दा कर लिया हो तो दोनों रकअतें पूरी करले और यदि वह फर्ज तीन रकअत वाला हो जैसे मग़रिब का तो इस का आदेश यह है कि यदि दूसरी रकअत का सज्दा नकिया हो तो तोड़ दे और यदि दूसरी रकअत का सज्दा कर लिया होतो अपनी नमाज पुरी कर ले और बाद में जमात के अन्दर न मिले क्यों कि नफ्ल तीन रकअतों के साथ ठीक नही और यदि वह फर्ज नमाज़ चार रक़अतों वाली हो जैसे जुहर, अस्त्र और इशा तो यदि पहली रकअत का सज्दा न किया हो तो नमाज़ तोड़ दे और यदि सेज्दा कर लिया हो तो दो रकअत पर अत्तहीयात आदि पढ़ कर सलाम फेर दे और जमात में मिल जाये और यदि तीसरी रकअत प्रारम्भ कर दी हो और उसका सज्दा न किया हो तो भी तोड़ दे और यदि सज्दा कर लिया तो नमाज़ पूरी करले और जिन दशाओं में नमाज़ पुरी कर ली जाये उन में से मग़रिब, अस्त्र और फज्र में दोबारा जमात में न मिले और जुहर व इशा में मिल जाये और जिन दशाओं में तोड देना हो उन में खड़े-खड़े एक सलाम फेर दे।

मसला न. ४: यदि कोई आदमी नफ्ल नमाज़ आरम्भ कर चुका हो और फर्ज जमात से होने लगे तो नफ्ल नमाज़ को न तोडे बल्कि उसको चाहिए दो रकअत पढ़ कर सलाम फेर दे यद्यपि चार रकअत कि नीयत हो।

मसला न. ५: जुहर और ज़ुमे की सुन्नत मुअक्कदा यदि प्रारम्भ कर चुका हो और फर्ज होने लगे तो अधिक उत्तमं यह है कि दो रकअतों पर सलाम फेर के ज़मात में मिल जाये। और बहुत से विद्वानों के विचार में उत्तम यह है कि चार रकअत पुरी कर ले और यदि तीसरी रकअत प्रारम्भ कर ली तो अब चार का पुरा करना आवश्यक है।

मसला न. ६: यदि फर्ज नमाज़ प्रारम्भ हो रही हो तो फिर सुन्नत आदि आरम्भ नही करनी चाहिए शर्त यह है कि किसी रकअत के चले जाने का डर हो, हाँ यदि विश्वास हो कि रकअत नही जायेगी तो पढ़ ले जैसे ज़ुहर के समय फर्ज आरम्भ हो जाये और भय हो कि सुन्नत पढ़ने से रकअत जाती रहेगी तो फिर सुन्नत मुअक्कदह जो फर्ज से पहले पढ़ी जाती है छोड़ दे फिर ज़ुहर और ज़ुमें में फर्ज के बाद, अच्छा यह है कि बाद वाली सुन्नत मुअक्कदह पहले पढ़ कर इन सुन्नतों को पढ़ ले मगर फज्र की सुन्नत चूंकि अधिक मुअक्कदह (बल पुर्वक) सुन्नतें है इस लिए इन के लिए यह आदेश है कि यदि फर्ज प्रारम्भ हो चुकें हों तब भी अदा कर ली जाये शर्त यह है कि एक रकअत मिलने कि आशा हो। यदि एक रकअत मिलने कि भी आशा न हो तो फिर न पढ़े फिर अगर चाहे सुर्य निकलने के पश्चात पढ़े।

मसला न. ७: यदि यह डर हो कि फज्र की सुन्नत अगर नमाज़ की सुन्नतों और मुस्तहवो आदि की पाबन्दी से अदा की जायेगी तो ज़मात न मिलेगी एसी दशा में चाहिए कि फर्ज और वाजिब पर बस करे और इन दो रकअतों में सुन्नत आदि को छोड़ दे।

मसला न. ८: फर्ज होने की दशा में जो सुन्नतें पढ़ी जायें चाहे वह फज्र कि हो या किसी और नमाज़ की। वह ऐसे स्थान पर पढ़ी जायें जो मस्जिद से अलग हो इस लिए कि जहां फर्ज नमाज़ होती है फिर वहां दूसरी नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है यदि कोई एसा स्थान न मिले तो सब से अलग मस्जिद के किसी कोने में पढ़ लें।

मसला न. ९: यदि ज़मात का कादा मिल जाये और रकअतें न मिले उस समय

भी ज़मात का सवाब मिल जाता है।

सला न. १०: जिस रकअत का रूकू इमाम के साथ मिल जाये तो समझा जायेगा की वह रकअत मिल गयी। हाँ यदि रूकू न मिले तो फिर उस रकअत कि गिनती मिलने में न होगी।

जुमा की नमाज़ का वर्णन

अल्लाह को नमाज़ से बढ़कर कोई वस्तु पसन्द नहीं और इसलिए किसी उपासना र इतना अधिक बल और बड़ाई शरिअत में नहीं आई। इसी कारण अल्लाह ने इस पासना को अपनी उन न समाप्त होने वाली नेमतों का धन्यवाद देने के लिए जो जन्म क आरम्भ से अन्तिम समय तक बल्कि मौत के पश्चात और जन्म से पहले भी समाप्त हीं होती। प्रत्येक दिन में पांच वक्तों के लिए निश्चित किया है जुमें के दिन चूंकि माम दिनों से अधिक नेमतें दी गयी हैं यहां तक कि हज़रत आदम अलैहि स्सलाम ो इन्सानों के आधार भूत बाप हैं इसी जुमें के दिन पैदा किये गये थे। इस कारण इस दिन एक विशेष नमाज़ का आदेश हुआ।

म ऊपर जमात की तात्विकताओं और लाभों का वर्णन कर चुके हैं और यह भी सिद्ध हो चुका है कि जितनी जमात अधिक हो उतने ही ये लाभ अधिक प्रकट होते यह उसी समय सम्भव है जब अलग अलग मुहल्लों के लोग और उस स्थान के धिक निवासी एक स्थान पर जमा होकर नमाज़ पढ़ें प्रतिदिन पांचों समय यह बात बड़े कष्ट की होती।

न सब कारणों से शरिअत ने सप्ताह में एक दिन ऐसा निश्चित किया है जिसमें अलग-अलग मुहल्लों और गाव के मुसलमान आपस में इकट्ठा होकर इस उपासना को पूरा करें। चूंकि जुमें का दिन तमाम दिनों में महत्वपूर्ण था इस लिए यह विशेष बात सी दिन के लिए की गयी।

हली उम्मतों के लिए भी अल्लाह ने इस उपासना का आदेश दिया था परन्तु न्होंने अपने अभागे पन से इसमें विरोध किया और इस विरोध का परिणाम यह आ कि वे बड़ी नामत से वंचित रह गये और यह महानता भी इसी उम्मत के ाग में आयी।

हूदियों ने शनिवार का दिन निश्चित किया इस विचार से कि इस दिन में अल्लाह ने माम संसार को बनाने का काम पूरा किया। ईसाइयों ने इतवार को निश्चित किया

तमाम दुनिया की खुश्बुयें दी जायें।

फिर अल्लाह अर्श उठाने वालों (फरिश्तों) को आदेश देगा कि अर्श को उन लोगों के बींच में ले जाकर रखो, फिर उन लोगों को सम्बोधित करके कहेगा ए मेरे बन्दों जो परोक्ष पर ईमान लाये हो हांलाकि मुझ को देखा न था और मेरे रसूल की सच्चाई को माना और मेरे आदेश का पालन किया अब कुछ मुझ से मांगो। यह दिन अधिक इनाम करने का है। सब लोग एक ज़ुबान होकर कहेंगे कि ए पालन हार हम तुझ से खुश हैं तू भी हम से राज़ी होजा अल्लाह कहेगा कि ए. जन्नत वालों यदि मै तुमसे राजी न होता तो तुमको अपनी जन्नत में न रखता। और कुछ मांगों यह दिन अधिक इनाम करने का है। उस समय सब एक जुबान होकर कहेंगे कि ए हमारे पालन हार हम को अपना जमाल (तेज़) दिखा दे कि हम तेरी पाक ज़ात को अपनी आंखों से देख लें।

तो अल्लाह पर्दा उठा देगा और उन लोगों के सामने जायेगा अपनी असीमित सुन्दरता से उनको घेर लेगा यदि जन्नत वालों के लिए यह आदेश न हो चुका होता कि यह लोग कभी जलाये न जायेंगे तो निःसन्देह ही वे उस प्रकाश को न सहार सकते और जल जाते, फिर उनसे कहेगा कि अब अपने-अपने स्थानों पर वापस जाओ।

उन लोगों की सुन्दरता अल्लाह के इस विशेष प्रभाव से दोगुनी हो जायेगी ये लोग अपनी पत्नियों के पास आयेंगे न बीवियां उनको देखेंगी और न वे बीवियों को। थोड़ी देर बाद जब वह प्रकाश जो उनकों छिपाये हुए था हट जायेगा तब ये आपस में एक दुसरे को देखेंगे इनकी बीवियां कहेंगी कि जाते समय तुम्हारी सूरतें जैसी थी अब नहीं अर्थात हज़ारों दर्जे उससे अच्छी है। ये लोग जवाब देंगे कि हां यह इस कारण है कि अल्लाह ने पवित्र अस्तित्व को हम पर प्रकट किया था और हमने उसके जमाल को (सुन्दरता) अपनी आंखों से देखा देखिये जुमें के दिन कितना बड़ा उपहार मिला।

१०- प्रति दिन दोपहर के समय दोजख़ दहकाई जाती है मगर जुमें की बरकत से जुमें के दिन दहकाई नहीं जाती।

११- हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक जुमें को कहा कि ए मुसलमानों इस दिन को अल्लाह ने ईद बनाया है तो इस दिन गुसल करो

और जिसके पास सुगन्ध हो वह लगाये और दातुन को उस दिन अनिवार्य कर लो।

जुमें के सम्मानर्थ कार्य

१- प्रत्येक मुसलमान को चाहिए कि जुमा का सम्मान जुमरात से करे। बृहस्पतिवार के दिन अस्त्र के बाद इस्तग़फार (पापों से क्षमा चाहना) आदि अधिक करे और अपने पहन ने के कपड़े साफ़ करके रखे यदि सुगन्ध घर में न हो और सम्भव हो तो उसी दिन लाकर रख लें ताकि फिर जुमें के दिन इन कामों में उसकों न लगना पड़े।

विद्वानों ने कहा है कि सबसे अधिक लाभ जुमें का उसको मिलेगा जो उसकी प्रतीक्षा में रहता हो और उसकी तैयारी बृहस्पतिवार से करता हो और सबसे अधिक अभागा वह है जिसको यह भी ज्ञात न हो कि जुमा कब है। यहां तक कि प्रातः काल लोगों से पूछे कि आज़ कौन सा दिन है और कुछ लोग जुमें की रात को अधिक सम्मान देने के लिए जामा मस्जिद ही में जाकर रहते थे।

२- फिर जुमें के दिन ग़ुसल करे, सर के बालों को और शरीर को ख़ूब साफ़ करें और दांतुन करना भी उस दिन बडी बड़ाई रखता है।

३- जुमें के दिन नहाने के पश्चात अच्छे से अच्छे कपड़े जो उसके पास हों पहने और सम्भव हो तो खुश्बू भी लगाये और नाख़ून आदि भी कतरवादे।

४- जामा मस्जिद में बहुत सवेरे जाये जो व्यक्ति जितने सवेरे जायेगा उतना ही उसको सवाब मिलेगा। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जुमे के दिन फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर जहां जुमां पढ़ा जाता है खड़े होते हैं और सबसे पहले जो व्यक्ति आता है उसको फिर उसके बाद दूसरे को इस प्रकार दर्जा ब दर्जा सब का नाम लिख लेते हैं और जो सब से पहले आया उसको ऐसा सवाब मिलता है जैसे अल्लाह के रास्ते में ऊंट क़ुर्बान करने वाले को फिर जैसे गाय क़ुर्बान करने वालो को, फिर जैसे मुर्ग़ा क़ुर्बान करने वाले को फिर जैसे अन्डा दान करने वाले को। फिर जब खुत्बा होने लगता है तो फरिश्ते वह रजिस्टर बन्द कर देते हैं और खुत्बा सुनने में लग जाते हैं पहले युग में प्रातः काल और फज्र के बाद से ही रास्ते और गलियां भरी

हुई नजर आती थी। तमाम लोग इतने सवेरे से जामा मस्जिद में जाते थे और इतनी भीड़ लगी रहती थी जैसे ईद के दिन में फिर जब यह तरीका जाता रहा तो लोगों ने कहा कि यह पहली नई बात है जो इस्लाम में उत्पन्न हुई।

यह लिखकर इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं, मुसलमानों को यहूदियों और ईसाइयों से शर्म क्यों नहीं आती कि वे लोग अपनी उपासना के दिन अर्थात यहूदी शनीचर और ईसाई इतवार को अपने उपासना घरों ओर गिरजा घरों में कैसे सवेरे जाते हैं दुनिया चाहने वाले कितने सवेरे बाजारों में खरीदने बेचने के लिए पहुंच जाते है तो दीन चाहने वाले क्यों कदम आगे नहीं बढ़ाते? सच्ची बात तो यह है कि मुसलमानों ने इस युग में इस पाक दिन की बिल्कुल कीमत घटा दी। उनको यह भी खबर नहीं होती कि आज़ कौन सा दिन है। और उसका क्या दर्जा है। अफसोस वह दिन जो किसी युग में मुसलमानों के यहां ईद से भी अधिक था और जिस दिन पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गर्व करते थे और जो दिन अगली उम्मतों को नसीब नहीं हुआ था आज मुसलमानों के हाथ से उसका ऐसा अपमान हो रहा है अल्लाह की दी हुई नेमत इस प्रकार बरबाद करना बड़ा अभागापन है। जिसका वबाल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।

५- जुमें की नमाज़ के लिए पैदल जाने में प्रत्येक पग पर एक साल रोज़े रखने का सवाब मिलता है।

६- हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जुमे के दिन फज्र की नमाज़ में अलिफ लाम्मीन सज्दा और सुरा हल अता अलल इन्सान पढ़ते थे इसलिए इन सूरतों को जुमा के दिन फज्र की नमाज़ में सुन्नत समझ कर पढ़ा करें कभी कभी छोड़ भी दे ताकि लोगों को वाजिब होने का विचार न हो।

७ जुमे की नमाज़ में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सूरा जुमा और सूरा मुनाफिक़ून या सब्बि हिस्मा रब्बिकल आला और हल अताका हदीसुल ग़ाशियह पढ़ते थे।

८- जुमे के दिन चाहे नमाज़ से पहले या पीछे सूरा कहफ़ पढ़ने में बड़ा सवाब है। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है कि जुमे के दिन जो कोई सूरा कहफ़ पढ़े उसके लिए अर्श के नीचे से आसमान के बराबर ऊंचा एक नूर प्रकट होगा कि क़यामत के अन्धेरे में उसके काम आयेगा और इस

जुमा से पहले जुमा तक जितने गुनाह उससे हुए थे वे सब माफ़ हो जायेंगे। विद्वानों ने लिखा है कि इस हदीस में छोटे गुनाह से तात्पर्य है क्योंकि बड़े गुनाह तो बिना तोबा के माफ़ नहीं होते।

९- जुमा के दिन दुरूद शरीफ़ पढ़ने में भी और दिनों से अधिक सवाब मिलता है इस लिए हदीसों में आया है कि जुमा के दिन दुरूद शरीफ़ अधिक पढ़ा करो।

जुमा की नमाज़ की बड़ाई और उस पर विशेष बल

जुमें की नमाज़ फर्ज़ एन है। क़ुरान मजीद और हदीसों से सिद्ध है। प्रत्येक युग में सभी विद्वान इस पर सहमत रहे हैं और इस्लाम की बड़ी निशानियों में से हैं इसका इन्कार करने वाला काफिर और बिना बाधा के इसको छोड़ने वाला फासिक है।

१- क़ुरान में अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वालों जब जुमें की नमाज़ के लिए अज़ान कही जाये तो तुम लोग अल्लाह के ज़िक्र की ओर दोड़ो और खरीदना-बेचना छोड़ दो यह तुम्हारे लिए अच्छा है यदि तुम जानों। ज़िक्र से तात्पर्य इस आयत में जुमें की नमाज़ और उसका खुतबा है। दौड़ने से तात्पर्य सम्मानपूर्वक तैयारी के साथ जाना है।

२- हज़रत मुहम्मद सल्लल्लहु अलैहि व सल्लम का कथन है कि जो व्यक्ति जुमें के दिन ग़ुसल और पाकी शक्तिनुसार करे उसके पश्चात अपने बालों में तेल लगाये और सुगन्ध प्रयोग करे उसके बाद नमाज के लिए चले और मस्जिद में आये और किसी व्यक्ति को उसके स्थान से उठा कर न बैठे फिर जितनी नफ़्ले उसके भाग में हैं पढ़े फिर जब इमाम खुतबा पढ़ने लगे तो चुप रहे तो पिछले जुमे से इस समय तक के गुनाह माफ़ हो जायेगें

३- हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जो कोई जुमा के दिन ग़ुसल करे और सवेरे मस्जिद में पैदल जाये सवार हो कर न जाये फिर खुतबा सुने और इस बींच में कोई बेकार काम न करे, तो उसको प्रत्येक पग पर एक साल की उपासना का सवाब मिलेगा एक साल के रोज़े का और एक साल की नमाज़ों का ।

४- इब्न उमर और अबुहुरैरह रजि कहते हैं कि हमने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम को यह कहते सुना कि लोग जुमा की नमाज़ के छोड़ देने से दूर रहें नहीं तो अल्लाह उन के दिलों पर मुहर लगा देगा। फिर वे बड़ी गफ़लत असावधानी में पड़ जायेगें।

५- हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जो व्यक्ति तीन जुमा सुस्ती से अर्थात बिना मजबूरी के छोड़ देता है उसके दिल पर अल्लाह मोहर लगा देता है एक कथन में है कि अल्लाह उससे बेज़ार (नाराज़) हो जाता है।

६- तारिक बिन शिहाब रजि. कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जुमें की नमाज़ जमात के साथ हर मुसलमान पर वाज़िब है मगर निम्न लिखित चार पर नहीं।

१. गुलाम (दास) पर।
२. औरत पर।
३. नाबालिग़ लड़के पर।
४. बीमार पर।

७- इब्न उमर रजि. कहते हैं की हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व. सल्लम ने जुमा छोड़ने वालों के लिए कहा, कि मेरा पक्का इरादा हुआ कि किसी को अपनी जगह इमाम बना दूं और स्वयं उनके घरों को जला दूं जो जुमा की नमाज़ में उपस्थित नहीं होते। इसी विषय की हदीस जमात छोड़ने वालों के सम्बन्ध में भी आयी है। जिस को हम ऊपर लिख चुके हैं।

८- इब्न अब्बस रजि. कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा जो व्यक्ति अनावश्यक जुमे की नमाज़ छोड़ देता है। वह मुनाफ़िक लिखा जाता है ऐसी किताब में जो अपरिवर्तनीय है अर्थात सदैव कपटाचारी रहेगा हां यदि तोबा करे या असीम कृपालु अपनी कृपा से क्षमा कर दे तो वह दूसरी बात है।

९- हज़रत जाबिर रजि. कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जो व्यक्ति अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर इमान रखता हो उसके जुमे के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है। मरीज़, यात्री, औरत, लड़के और ग़ुलाम के अतिरिक्त तो यदि कोई मनुष्य बेकार काम या व्यापार में लग जाये तो अल्लाह भी उससे मुहं फेर लेता है। और वह लापरवाह है। अर्थात उसको किसी की उपासना की आवश्यकता नहीं न उसको कुछ लाभ है।

उसके अस्तित्व में समस्त सदगुण विद्यमान हैं। चाहे उसकी कोई प्रशंसा करे या न करे।

०- इब्न अब्बास का कथन है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जिसने लगातार कई जुमे छोड़े तो उसने इस्लाम को पीठ पीछे डाल दिया।

१- इब्न अब्बास से किसी ने पूछा कि एक आदमी मर गया वह जुमा और जमात में सम्मिलित न होता था उसके सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं उन्होंने जवाब दिया कि वह दोजख़ में है वह आदमी एक महीने तक यही प्रश्न करता रहा और वह यही उत्तर देते रहा इन हदीसों से परिणाम भली-भांति निकलता है कि जुमे पर इस्लाम ने बहुत बल दिया है। इसके छोड़ने पर बड़े-बड़े डरावे आये है क्या अब भी कोई व्यक्ति इस्लाम के दावे के बाद इस फर्ज़ के छोड़ने का साहस कर सकता है?

जुमे की नमाज़ के वाजिब होने की शर्ते

१- स्थिर होना, अर्थात यात्रा में न होना यात्री पर जुमें की नमाज़ वाजिब नहीं।

२- स्वस्थ होना। बीमार पर जुमे की नमाज़ वाजिब नही। जो मर्ज़ जामा मस्जिद तक पैदल जाने में रूकावट हो उसी बीमारी का एतबार है। बुढ़ापे के कारण. यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर हो गया हो मस्जिद तक न जा सके या अंधा हो ये सब लोग बीमार समझे जायेगें और जुमे की नमाज़ उन पर वाजिब न होगी।

३- स्वतन्त्र होना। ग़ुलाम पर जुमे की नमाज़ वाजिब नहीं।

४- मर्द होना। औरत पर जुमे की नमाज़ वाजिब नहीं।

५- जमात को छोड़ने के लिए जो मजबूरियां वर्णन की गयी हैं उनसे मुक्त होना यदि इन मजबूरियों में से कोई मजबूरी हो तो जुमे की नमाज़ वाजिब न होगी जैसे-

१- पानी बहुत ज़ोर से बरसता हो।

२- किसी बीमार की देख भाल करता हो।

३- मस्जिद में जाने से किसी शत्रु का भय हो।

४- दुसरी नमाज़ों के वाजिब होने की जो शर्तें हम लिख चुके हों वे

भी इसमें आती हैं। अर्थात बुद्धिमान होना, बालिग़ होना, मुसलमान होना। ये शर्तें जो वर्णन की गयीं जुमें की नमाज़ के वाजिब होने की थी

यदि कोई व्यक्ति इन शर्तों के न पाये जाने पर भी जुमे की नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ हो जायेगी। अर्थात जुहर का फर्ज उसके ऊपर से उतर जायेगा जैसे कोई यात्री या औरत आदि जुमे की नमाज़ पढ़े।

जुमे की नमाज़ ठीक होने की शर्तें

१- शहर या कस्बा। इसलिए गांव या जंगल में जुमा की नमाज़ ठीक नहीं। हां जिस गाँव कि आबादी कस्बे के बराबर हो अर्थात २,४ हजार आदमी वहां बस्ते हों तो जुमा ठीक है।

२- जुहर का समय। जुहर के समय से पहले और उसके निकल जाने के बाद जुमे की नमाज़ ठीक नहीं। यहां तक की यदि जुमें की नमाज़ पढ़ने की दशा में समय जाता रहा तो नमाज़ खराब हो जायेगी। यद्यपि अन्तिम कादा अत्तहीयात के बराबर हो चुका हो और इसी कारण से जुमा की नमाज़ की कज़ा पढ़ी नहीं जाती।

३- खुतबा। अर्थात लोगों के सामने अल्लाह का जिक्र करना चाहे केवल सुब्हानल्लाह या अलहम्दुलिल्लाह कह दिया जाये यद्यपि खुतबे के स्थान पर इतना ही कहना सुन्नत के खिलाफ़ होने के कारण मकरूह है।

४- खुतबे का नमाज़ से पहले होना। यदि नमाज़ के पश्चात खुतबा पढ़ा जायेगा तो नमाज़ न होगी।

५- खुतबे का जुहर के समय के अन्दर होना। यदि समय होने से पहले खुतबा पढ़ा जाये तो नमाज़ न होगी।

६- जमात। अर्थात इमाम के अतिरिक्त कम से तीन आदमियों का खुतबे के आरम्भ से पहली रकअत के सज्दे तक उपस्थित रहना यद्यपि वे तीन व्यक्ति जो खुतबे के समय थे और हों और नमाज़ के समय और मगर यह शर्त है कि ये तीन आदमी ऐसे हों जो इमामत कर सके। तो यदि केवल औरत या नाबालिग़ लड़के हो तो नमाज़ न होगी।

७- यदि सज्दा करने से पहले लोग चले जायें और तीन आदमियों से कम रह

जायें या कोई न रहे तो नमाज़ खराब हो जायेगी हा यदि सज्दा करने के पश्चात चले जायें तो फिर कुछ बुराई नहीं।

सामान्य आज्ञा के साथ। पूरी घोषणा करने के पश्चात जुमें की नमाज़ पढ़ना। किसी विशेष स्थान पर छिप कर जुमें कि नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं यदि किसी ऐसे स्थान पर जुमें की नमाज़ पढ़ी जाये जहां आम लोगों को आने की आज्ञा न हो या जुमा के दिन मस्जिद के दरवाज़े बन्द कर लिए जायें तो नमाज़ न होगी। ये शर्तें जुमा की नमाज़ के ठीक होने की वर्णन की गयी। अगर कोई आदमी इन शर्तों के न पाये जाने पर भी जुमें की नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ न होगी जुहर की नमाज़ फिर उसको पढ़नी पड़ेगी और चूंकि यह नमाज़ नफ़्ल होगी और नफ़ल इस तैयारी के साथ पढ़ना मकरूह हैं इस कारण ऐसी दशा में जुमा की नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है।

जुमें के ख़ुतबे के मसले

ला न. १: जब सब लोग जमात में आ जायें तो इमाम को चाहिए कि मेम्बर पर बैठ जाये और मुअज़्जिन उसके सामने खड़े होकर अज़ान कहे। अज़ान के पश्चात तुरन्त इमाम खड़ा होकर खुतबा आरम्भ कर दे।

ला न. २: खुतबे में बारह चीज़े सुन्नत हैं।

१. खुतबा पढ़ने की दशा में खुतबा पढ़ने वाले का खड़ा रहना।

२. दो खुतबे पढ़ना।

३. दोनों खुतबों के बींच इतनी देर तक बैठना कि तीन बार सुब्हानल्लाह कह सके।

४. दोनों प्रकार की नापाकी से पाक होना।

५. खुतबा पढ़ने की दशा में मुहं लोगों की ओर रखना।

६. खुतबा प्रारम्भ करने से पहले अपने दिल में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम कहना।

७. खुतबा ऐसी आवाज़ से पढ़ना की लोग सुन सकें।

८. खुतबे में इन आठ विषों का होना

(१) अल्लाह का शुक्र और उसकी प्रशंसा

(२) अलालह के एक होने और

(३) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रसूल होने की गवाही देना

(४) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद भेजना

(५) उपदेश करना

(६) क़ुरान मजीद की आयतों का या किसी सूरा का पढ़ना

(७) दूसरे खूतबे में फिर इन वस्तुओं को दौहराना

(८) दूसरे ख़ुतबे में भाषण और उपदेश के अतिरिक्त मुसलमानों के लिए दुआ करना ये आठ प्रकार के विषयों की लिस्ट है आगे उनका वर्णन है जो खुतबै की दशा में सुन्नत है।

९. खुतबे को अधिक लम्बा न करना। बल्कि नमाज़ से कम रखना।

१०. खुतबा मेम्बर पर पढ़ना। यदि मेम्बर न हो तो किसी लाठी आदि पर सहारादे कर खड़ा होना और मेम्बर के होत हुये कि लाठी आदि परहाथ रख कर खड़े हो जाना और हाथ का हाथ पर रख लेना जैसा कि हमारे युग में कुछ लोगों की आदत है इसका कोई सुबूत नहीं।

११. दोनों खुतबों का अरबी भाषा में होना। दूसरी भाषा में खुतबा पढ़ना या उसके साथ किसी और भाषा के शेर आदि मिला देना जैसा कि आज कल कुछ लोगों का तरीका है यह सुन्नत मुंअक्कदा के विपरीत है और मकरूह तहरीमी है। (इमदादुल फतावा जिल्द। (पृष्ठ २५)

१२. खुतबा सुनने वालों का किब्ले की ओर मुंह करके बैठना। दूसरे खुतबे में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अतिरिक्त उनके घर वालों सहाबियों, बीवियों विशेष रूप से प्रारम्भ के चारों खलीफ़ाओं और हज़रत हमज़ा व अब्बास के लिए दुआ करना मुस्तहब है इस्लामी बादशाह के लिए दुआ करना ठीक है मगर उसकी ऐसी तारीफ़ करना जो ग़लत हो मकरूह तहरीमी है।

मसला न. ३: जब इमाम खुतबे के लिए उठ ख़ड़ा हो उस समय से कोई नमाज़ पढ़ना या आपस में बातचीत करना मकरूह तहरीमी है। हां कज़ा नमाज़ का पढ़ना तर्तीब वालों के लिए उस समय भी ठीक बल्कि वाजिब है फिर जब 'तक इमाम खुतबा समाप्त न कर दे ये सब चीजें मना हैं।

ला न. ४: जब खुतबा प्रारम्भ हो जाये तो तमाम उपस्थित लोगों को इसका सुनना वाजिब है चाहे इमाम के समीप बैठे हों या दूर और कोई ऐसा काम करना जो सुनने में रूकावट बनें मकरूह तहरीमी है। खाना, पीना, बातचीत करना, चलना फिरना सलाम या सलाम का जवाब देना या तसबीह पढ़ना या किसी को धर्म की बात बताना जैसा कि नमाज़ की दशा में मना है वैसा ही इस समय भी मना है। हां खुतबा पढ़ने वाले को ठीक है कि खुतबा पढ़ते समय किसी को धर्म की बात बता दे।

ला न. ५: यदि सुन्नत या नफ़्ल पढ़ने में खुतबा आरम्भ हो जाये तो अच्छा यह है कि सुन्नत मुअक्कदा तो पूरी कर ले परन्तु नफ़्ल में दो रकअत पर सलाम फेर दे।

ला न. ६: दोनों खुतबों के बींच बैठने की दशा में इमाम को या मुक्तदियों को हाथ उठा कर दुआ मागना मकरूह तहरीमी है। हां बिना हाथ उठाये यदि दिल में दुआ मांगी जाये तो ठीक है। शर्त यह है कि ज़ुबान से कुछ न कहे न धीरे न ज़ोर से। परन्तु हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके साथियों से सिद्ध नही। रमज़ान के अन्तिम जुमे के खुतबे में विदा और जुदाई के विषय को पढ़ना इस कारण कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके साथियों से सिद्ध नहीं न धर्म की क़िताबों में इसका पता है और ऐसा सदैव करते रहने से आम जनता को इसके आवश्यक होने का ख्याल होने लगेगा इसलिए बिदअत है।

ला न. ७: खुतबै का किसी पुस्तक आदि से देखकर पढ़ना ठीक है।

ला न. ८: हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम खुतबै में आये तो मुक्तदियों को अपने दिल में दुरूद शरीफ़ पढ़ लेना ठीक है।

हज़रत मुहम्मद स. का खुतबा जुमे के दिन कैसा होता था?

अच्छा यह है कि जो विषय और शब्द खुतबे में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम से सिद्ध है उनको उपहार स्वरूप कभी-कभी खुतबे में पढ़ लिया करे और जो खुतबे के समय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किया करते थे उसको ना लिया जाये। आप की मुबारक आदत थी कि जब सब लोग इकट्ठे हो जाते समय आप आते और उपस्थित लोगों को सलाम करते और हज़रत बिलाल

रजि. अज़ान कहते जब अज़ान समाप्त हो जाती तो आप खड़े होकर तुरन्त खुतबा आरम्भ कर देते। जब तक मेम्बर न बना था सिकी लाठी या कमान से हाथ को सहारा दे लेते थे और कभी-कभी उस लकड़ी के सतून से जो मेहराब के पास था जहां आप खुतबा पढ़ते थे तकिया लगा लेते थे। मेम्बर बन जाने के बाद फिर किसी लाठी आदि से सहारा लेने का सुबूत नहीं मिलता। (ज़ादुल मुआद जिल्द १ पृष्ठ १२०) दो खुतबे पढ़ते और दोनों के बींच में कुछ देर बैठ जाते और उस वक्त कुछ बात न करते न दुआ मांगते। जब दूसरा खुतबा समाप्त हा जाता तो हज़रत बिलाल रजि. इकामत कहते और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ प्रारम्भ करते। खुतबा पढ़ते समय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आवाज़ ऊंची हो जाती थी और आंखे लाल हो जाती थी। मुस्लिम शरीफ़ में है कि खुतबा पढ़ते समय हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दसा ऐसी होती थी कि जैसे कोई आदमी किसी शत्रु के लश्कर से जो बहुत शीघ्र आना चाहता हो अपने लोगों को सूचना देता हो। अधिकतर खुतबा में कहा करते थे। बुइस्तू अना वस्सा अतुक हा तैनि بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ
अर्थात मैं और कयामत इस प्रकार साथ भेजा गया हूं जैसे ये दो उंगलियां और बींच की उंगली और शहादत की उंगली को मिला देते थे और इसके बाद कहते थे। अम्मा बाद फ़ इन्ना ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरूल हदयि हदय मुहम्मदिन व शर्रूल उमूरि मुह दसा तुहा व कुल्लु बिद अति न जला लतुन अना औला बिकुल्लि मुमिनिम मिन नफ़सीही मन तर का मालन फलि अहलिही व मन तर का दैनन औ जिया अन फअलैया

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدٰى هَدْىُ
مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اَنَا اَوْلٰى
بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَّفْسِهٖ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِاَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ
دَيْنًا اَوْ ضِيَاعًا فَعَلَيَّ

और कभी यह खुतबा पढ़ते थे। या ऐयु हन्नासु मूतु कबल अन तमूतु व बादिरू बिल आमा लिस्सा लिहाति सिलल्लजी बैन कुम व बैन रब्बिकुम बिकसरति ज़िक्रिकुम लहु व कस रतिस्सद कति बिस्सिर्री वल अला नियति तूजरू व तुहम्दु व तुजकु

नमू अन्नल्लाह कद फरज अलै कु मुल जुम अता मक्तू बतन फी मक़ामि
ना फी शहरी हाज़ा फी आमि हाजा इला यौमिल कयामती मव्वं जद इलैहि सबीलन
मन तर कहा फी हयाति औ बादि ज़ुहू द न बिहा व इस्तिख़्फ़ा फन बिहा
लहू इमामुन ज़ाइरून औ आदि लुन फला ज म अल्लाहु सम्लहु व बा रका लहु फी
मरिही अला वला सलात लहु आला वला जक़ात लहु व ला हज्ज लहू अला
ला बिर लहु हत्ता यतू ब फ इन ताब तबल्लाहु अला वला तुअम्मन्न इम्र अतुन
लन अलावला युअम्मन्न ए रा बियुन मुहाजिरन अला वला युअम्मन्न फाजिरन
मनन इल्ला यक़ हरूहू सुलतानुन यखाफ़ु सैफ़ हु व सौत हू।

يَاَيُّهَا النَّاسُ مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَ
وَصِلُوا الَّذِىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهٗ وَكَثْرَ
الصَّدَقَةِ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُوْجَرُوْا وَتُحْمَدُوْا وَتُرْزَقُوْ
وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ مَكْتُوْبَةً فِىْ مَقَامِى
هٰذَا فِىْ شَهْرِىْ هٰذَا فِىْ عَامِىْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ وَجَدَ
اِلَيْهِ سَبِيْلًا فَمَنْ تَرَكَهَا فِىْ حَيَاتِىْ اَوْ بَعْدِىْ جُحُوْدًا بِهَا وَاسْتِخْ
بِهَا وَلَهٗ اِمَامٌ جَائِرٌ اَوْ عَادِلٌ فَلَا جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهٗ وَلَا بَارَكَ لَ
فِىْ اَمْرِهٖ اَلَا وَلَا صَلٰوةَ لَهٗ اَلَا وَلَا زَكٰوةَ لَهٗ وَلَا حَجَّ لَهٗ اَلَا وَ
بِرَّ لَهٗ حَتّٰى يَتُوْبَ فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ اَلَا وَلَا تُؤَمَّنَّ اِمْرَاَ
رَجُلًا اَلَا وَلَا يُؤَمَّنَّ اَعْرَابِىٌّ مُهَاجِرًا اَلَا وَلَا يُؤَمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِ
اِلَّا يَقْهَرُهٗ سُلْطَانٌ يَخَافُ سَيْفَهٗ وَسَوْطَهٗ

(इब्न माज़ा) और कभी हम्द व सलात के बाद यह ख़ुतबा पढ़ते थे अलहम्दु लिल्लाहि नह मदुहू व नस्तग़फिरूहू व न ऊज़ू बिल्लाहि मिन शुरूरि अन फुसिना व मिन सैइआति आमालिना मय्यहिद हिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मय्युज़्लिलहू फ़ला दादिया लहू व अशहदु अल्लाह इलाह इल्लल्लाहु व हम्दु ला शरीक लहु व अश हदु अन्न मुहम्मदन अब्दु हूव सरूलुहू अर्सलहू बिल हक्कि बशीरव्वं व नज़ीरा बैन यद इस्सा अतकि मंय्युति इल्लाह व रसूलहू फ़ कद र श द वह तदा व मंय्य सिहिमा फ इन्न हू ला यर्ज़ुरू इल्ला न सहहू वला यज़र्रूल्लाह शैअन

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ
وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ
لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ
بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
فَقَدْ رَشَدَ وَ اهْتَدٰى وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ
وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا

(अबू दाऊद) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथी कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम सूरा क़ाफ़ खुतबै में पढ़ा करते थे यहां तक कि मैंने सूरा काफ़ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ही सुन कर याद की थी जब आप मेम्बर पर इसको पढ़ा करते थे और कभी सूरा अल अस्त्र और कभी और कभी ला यस्तवी अस्हा बुन्नार व अस्हाबुल जन्नति व अस्हाबुल जन्नति फहुम फाइज़ून

لَا يَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ط
اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ط

ोर कभी व नादो या मालिकु लियकिज़ अलैना रब्बुक क़ाल
न्नकुम माकिसून।

وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ

जुमे की नमाज़ के मसले

सला न. १: अच्छा यह है कि जो आदमी खुतबा पढ़े, वही नमाज़ भी पढ़ाये और यदि कोई दूसरा पढ़ाये तब भी ठीक है।

सला न. २: खुतबा होते ही तुरन्त इक़ामत कहकर नमाज़ आरम्भ कर देना सुन्नत है खुतबा और नमाज़ के बींच में दुनिया का कोई काम करना मकरूह तहरीमी है और अगर बींच में देर अधिक हो गयी तो इसके बाद खुतबा दौहराने की ज़रूरत है। हां कोई दीनी काम हो जैसे किसी को कोई धर्म का मसला बताना है या वज़ू न रहे और वज़ू करने जाये। या खुतबे के बाद पता चले कि नहाने की उस को आवश्यकता थी और नहाने चला जाये तो कुछ बुराई नहीं न खुतबा दौहराने की आवश्यकता है।

सला न. ३: जुमे की नमाज़ यह नीयत करके पढ़ी जाये। मैंने यह इरादा किया कि दो रकअत फर्ज जुमा पढ़ूं। نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَرْضِ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

सला न. ४: अच्छा यह है कि जुमा की नमाज़ एक शहर में एक ही मस्जिद में सब लोग जमा हों कर पढ़ें। यद्यपि एक शहर की कई मस्जिदों में भी जुमें की नमाज़ ठीक है।

सला न. ५: यदि कोई व्यक्ति अन्तिम कादे में अत्तहीयात पढ़ते समय या सज्दा सह्वा के पश्चात आकर मिले तो उसका मिलना ठीक समझा जायेगा। उसको जुमे की नमाज़ पूरी करनी चाहिए। ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं।

सला न. ६: कुछ लोग जुमे के बाद ज़ुहर सावधानी के रूप में पढ़ा करते हैं। चूंकि आम लोगों का अक़ीदा इससे बहुत बिगड़ गया है। उनको बिल्कुल

मना करना चाहिए हां यदि कोई विद्वान कोई शंका होने पर पढ़ना चाहे तो अपने पढ़ने की किसी को सूचना न करे।

सज्दा सह्व (भूल) का वर्णन

मसला न. १: नमाज़ में जितनी बातें वाज़िब हैं उनमें से एक वाजिब या कई वाजिब यदि भूल से रह जावें तो सज्दा सव्हा (भूल) करना वाजिब है और उसके कर लेने से नमाज़ ठीक हो जाती है।.यदि सज्दा सव्हा न किया तो नमाज़ फिर से पढ़े।

मसला न. २: यदि भूले से कोई नमाज़ का फर्ज़ छूट जाये तो सज्दा सव्हा (भूल) करने से नमाज़ ठीक नहीं होती फिर से नमाज़ पढ़नी होगी।

मसला न. ३: सज्दा सव्हा करने का नियम यह है कि नमाज़ के अन्त में केवल अत्तहीयात पढ़ कर एक तरफ़ सलाम फेर कर दो सज्दे करे फिर बैठ कर अत्तहीयात और दुरूद शरीफ़ और दुआ पढ कर दोनों तरफ़ सलाम फेरे और नमाज़ समाप्त कर दे।

मसला न. ४: यदि किसी ने भूलकर सलाम फेरने से पहले ही सज्दा सहव कर लिया तब भी अदा हो गया और नमाज़ ठीक हो गयी

मसला न. ५: यदि भूल से दो रूकू कर लिए या तीन सज्दे कर लिए तो सज्दा सव्हा करना वाजिब है।

मसला न. ६: नमाज़ में अल्हम्दु पढ़ना भूल गया केवल कोई सूरत पढ़ली या पहले सुरत पढ़ ली और फिर अल्हम्दु पढ़ी तो सज्दा सव्हा (भूल) करना वाजिब है।

मसला न. ७: फर्ज़ की पहली दो रकअतों में सूरत मिलाना भूल गया तो पिछली दोनों रकअतों में सूरत मिलाये और सज्दा सव्हा करे और यदि पहली दो रकअतों में से एक रकअत में सूरत नहीं मिलाई तो पिछली एक रकअत में सूरत मिलाये और सज्दा सव्हा करे और यदि पिछली दो रकअतों में भी सूरत मिलाना याद नहीं रहा, न पहली रकअतों में सूरत मिलाई न पिछली रकअतों में बिल्कुल अन्तिम रकअत में अत्तहीयात पढ़ते समय याद आया कि दोनों रकअतों या एक रकअत में सूरा नहीं मिलाई तब भी सज्दा सव्हा करने से नमाज़ हो जायेगी।

मसला न. ८: सुन्नत और नफ़्ल की सब रकअतों में सूरत मिलाना वाजिब

है। इसलिए यदि किसी एक रकअत में सूरत मिलाना भूल जाये तो सज्दा सव्हा करें।

मसला न. ९: अल्हम्दु पढ़ कर सोचने लगा कि कौन सी सूरत पढ़े और इस सोच विचार में इतनी देर लग गयी जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कह सकते हैं तो भी सज्दा सव्हा वाजिब है।

मसला न. १०: यदि बिल्कुल अन्तिम रकअत में अत्तहीयात और दुरूद पढ़ने के बाद शंका हो गयी कि मैंने चार रकअतें पढ़ी हैं या तीन इसी विचार में चुप बैठा रहा और सलाम फेरने में इतनी देर लग गयी जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कह सकते हैं फिर याद आया कि मैंने चार रकअतों को पूरा कर लिया तो ऐसी दशा में भी सज्दा सह्व करना वाजिब है।

मसला न. ११: जब अल्हम्दु और सूरत पढ़ चुके और भूले से कुछ सोचने लगे और रूकू में इतनी देर लग गयी जितनी ऊपर वर्णन हुई तो सज्दा सव्हा करना वाजिब है।

मसला न. १२: इसी प्रकार यदि पढ़ते-पढ़ते बींच में रूक गया और कुछ सोचने लगा और सोचने में इतनी देर लग गयी या जब दूसरी या चौथी रकअतम पर अत्तहीयात के लिए बैठा तो तुरन्त अत्तहीयात आरम्भ नहीं की कुछ सोचने लगा और इतनी सदेर लग गयी, या जब रूकू से उठा तो देर तक खड़ा कुछ सोचता रहा या दोनों सज्दों के बींच में जब बैठा तो कुछ सोचने में इतनी देर लगा दी तो इन सब दशाओं में सज्दा सह्व करना वाजिब है। मतलब यह है कि जब भूल से किसी बात के करने में देर कर देगा या किसी बात के सोचने के कारण देर लग जायेगी तो सज्दा सह्व करना वाजिब हो जायेगा।

मसला न. १३: तीन रकअत या चार रकअत वाली फर्ज नमाज़ में जब दो रकअत पर अत्तहीयात के लिए बैठा तो दो बार अत्तहीयात पढ़ ली तो भी सज्दा सह्व वाजिब है और यदि अत्तहीयात के बाद इतना दुरूद शरीफ़ भी पढ़ गया अल्लाह हुम्मा सल्लि अलामुहम्मद, या इससे अधिक पढ़ गया, उस समय याद आया और उठ खड़ा हुआ तो भी सज्दा सह्व वाज़िब है। और यदि इससे कम पढ़ा तो सज्दा सह्व वाजिब नहीं।

मसला न. १४: नफ़्ल नमाज़ में दो रकअत पर बैठकर अत्तहीयात के साथ दुरूद शरीफ़ पढ़ना भी ठीक है इस कारण नफ़्ल नमाज़ में दुरूद शरीफ़ पढ़ने

से सज्दा सह्व नहीं होता हां यदि दो बार अत्तहीयात पढ़ा जावे तो नफ़्लो में भी सज्दा सह्व वाजिब है।

मसला न. १५: अत्तहीयात पढ़ने बैठा मगर भूले से अत्तहीयात के स्थान पर कुछ और पढ़ गया या अल्हम्दु पढ़ने लगा तो भी सज्दा सह्व वाजिब है।

मसला न. १६: नीयत बांधने के पश्चात सुब्हान कल्ला हुम्मा के स्थान पर दुआ ए कनूत पढने लगा तो सज्दा सह्व वाजिब नहीं इकी प्रकार फर्ज की तीसरी या चौथी रकअत में यदि अल्हम्दु के स्थान पर अत्तहीयात या कुछ और पढ़ने लगा तो भी सज्दा सह्व करना वाजिब नहीं।

मसला न. १७: तीन रकअत या चार रकअत वाली नमाज़ के बींच में बैठना भूल गया और दो रकअत पढ़ कर तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो गया तो यदि नीचे का आधा धड़ अभी सीधा नहीं हूआ तो बैठ जाये और अत्तहीयात पढ़ ले तब खड़ा हो और ऐसी दशा में सज्दा सह्व करना वाजिब नहीं और यदि नीचे का आधा धड़ सीधा हो गया तो न बैठे बल्कि खड़ा हो जाये और चारों रकअतों को पूरी करे केवल अन्त में बैठे इस दशा में सज्दा सह्व वाजिब हैं। यदि सीधा खड़ा हो जाने के पश्चात फिर लोट जायेगा और बैठ जायेगा और बैठ कर अत्तहीयात पढ़ेगा तो गुनहगार होगा। और सज्दा सह्व अब भी वाजिब होगा।

मसला न. १८: यदि चौथी रकअत पर बैठना भूल गया तो अगर अभी नीचे का धड़ सीधा नहीं हुआ तो बैठ जाये और अत्तहीयात और दुरूद शरीफ़ पढ़कर समाल फेर दे और सज्दा सह्व न करे। यदि सीधा खड़ा हो गया तब भी बैठ जायबल्कि यदि अल्हम्दु और सूरत भी पढ़ चुका हो या रूकु भी कर चुका हो तब भी बैठ जाये और अत्तहीयात पढ़कर सज्दा सह्व करे, हां यदि रूकू के पश्चात भी याद न आया और पांचवीं रकअत का सज्दा कर लिया तो फ़र्ज़ नमाज़ फिर से पढ़े, यह नफ़्ल नमाज़ हो गयी एक रक़अत मिलाकर पूरी छः रकअत करे, और सज्दा सह्व न करे और अगर एक रकअत और न मिलाई और पांचवीं रकअत पर सलाम फेर दिया तो चार रकअत नफ़्ल हो गयी और एक रकअतम बेकार चली गयी।

मसला न. १९: यदि चौथी रकअत पर बैठा और अत्तहीयात पढ़ कर खड़ा हो गया तो सज्दा करने से पहले जब याद आये तो बैठ जाये और अत्तहीयात न पढ़े

बल्कि तुरन्त सलाम फेर कर सज्दा सह्व कर ले और यदि पांचवीं रकअत का सज्दा कर चुका तब याद आया तो एक रकअत और मिलाकर कर छः कर ले चार फर्ज़ हो चुके और दो नफ़्ल और छटी रकअत पर सज्दा सह्व भी करे यदि पांचवी रकअत पर सलाम फेर दिया और सज्दा सह्व किया तो बुरा किया इसमें चार फर्ज़ हो गये और एक रकअत अकारत गयी।

मसला न. २०: यदि चार रकअत नफ़्ल नमाज़ पढ़ी और बींच में बैठना भूल गया तो जब तक तीसरी रकअत का सज्दा नहीं किया हो तब तक याद आने पर बैठ जाना चाहिए और यदि सज्दा कर लिया तो खैर तब भी नमाज़ हो गयी सज्दा सह्व इन दोनों दशाओं में वाजिब है।

मसला न. २१ : यदि नमाज़ में भ्रम हो गया कि तीन रकअत पढ़ी है या चार तो यदि यह शंका संयोग से हो गयी है। ऐसी शंका करने की उसकी आदत नही थी तो फिर से नमाज़ पढ़े और यदि शंका करने की आदत है और बहुधा ऐसी शंका हो जाती है तो दिल में सोच कर देखे कि मन अधिक किस ओर झुकता है। यदि मन तीन रकअत की ओर झुकता है तो एक और पढ़ ले और सज्दा सह्व वाजिब नहीं और यदि अधिक विचार यही है कि मैंने चार रकअतें पढ़ी हैं तो और रकअत न पढ़ें और सज्दा सह्व भी न करे और यदि सोचने के बाद भी दोनों ओर बराबर मन रहे न तीन रकअतों की ओर अधिक झुके और न चार रकअतों की तो तीन ही रकअतें समझे और एक रकअत और पढ़ ले। लेकिन इस दशा में तीसरी रकअत पर भी बैठ कर अत्तहीयात पढ़ ले। इसके बाद खड़ा होकर चौथी रकअत पढ़े और सज्दा सह्व भी करे।

मसला न. २२: यदि यह शंका हो कि पहली रकअत है या दूसरी रकअत इसका भी यही आदेश है कि यदि संयोग से यह शंका हो तो फिर से पढ़ें और अक्सर शका पड़ जाती है तो जिधर अधिक झुकाव हो जाये उसको अपनाये और यदि दोनों ओर बराबर झुकाव है किसी ओर अधिक नही तो एक ही समझे लेकिन इस पहली रकअत पर बैठ कर अत्तहीयात पढ़े कि सम्भवतः दूसरी रकअत हो और दूसरी रकअत पढ़कर बैठे और उसमें अल्हम्दु के साथ सूरत भी मिलावे फिर तीसरी रकअत पढ़कर भी बैठे सम्भवतः

यही चौथी हो फिर चौथी रकअत पढ़ें और सज्दा सह्व (भूल) करके सलाम फेर दे।

मसला न. २३: यदि यह शंका हो कि यह दूसरी रकअत है या तीसरी तो इसका भी यही आदेश है यदि दोनों विचार बराबर हों तो दूसरी रकअत पर बैठ कर तीसरी रकअत पढ़े और फिर बैठ कर अत्तहीयात पढ़े कि सम्भवतः यही चोथी हो। फिर चौथी पढ़े और सज्दा सह्व करके सलाम फैरे।

मसला न. २४: यदि नमाज़ पढ़ चुकने के पश्चात यह शंका हुई कि न जाने तीन रकअत हुई हैं या चार तो इस शंका का कोई एतबार नहीं नमाज़ हो जायेगी हां यदि ठीक याद आ गया कि तीन ही हुई तो फिर खड़ा होकर एक रकअत और पढ़े और सज्दा सह्व कर ले और यदि पढ़ कर बोल पड़ा हो या और कोई बात कर ले जिस से नमाज़ टूट जाती है तो फिर से पढ़े। इसी प्रकार यदि अत्तहीयात पढ़ चुकने के पश्चात यह शंका हुई तो उस का भी यही आदेश है कि जब तक ठीक याद न आये उसका कुछ एतबार नही। लेकिन यदि कोई सावधानी के लिए दो बारा नमाज़ पढ़ ले तो अच्छा है कि दिल की खटक निकल जाये और शंका जाती रहे।

मसला न. २५: यदि नमाज़ में कई बातें ऐसी हो गयी जिन से सज्दा सह्व वाजिब हो गया तो ऐसी दशा में एक ही सज्दा सबकी ओर से हो जायेगा एक ही नमाज़ में दोबार सज्दा सह्व नहीं किया जाता।

मसला न. २६: सज्दा सह्व (भूल) करने के पश्चात फिर कोई बात ऐसी हो गयी जिससे सज्दा वाजिब होता है तो वही पहला सज्दा काफ़ी है अब फिर सज्दा सह्व न करे।

मसला न. २७: नमाज़ में कुछ भूल गया था जिससे सज्दा सह्व वाजिब था लेकिन सज्दा सह्व करना भूल गया और दोनों ओर सलाम फेर दिया परन्तु अभी उसी स्थान पर बैठा है और सीना क़िबले की ओर से नहीं फेरा न किसी से कुछ बोला और न कोई बात ऐसी हुई जिस से नमाज़ टूट जाती है तो अब सज्दा सह्व कर ले। बल्कि यदि इसी प्रकार बैठे बैठे दुरूद शरीफ़ आदि या कोई वज़ीफ़ा भी पढ़ने लगा हो तब भी कोई बुराई नहीं अब सज्दा सह्व कर ले तो नमाज़ हो जायेगी।

मसला न. २८: सज्दा सह्व वाजिब था लेकिन जान बूझ कर दोनों ओर सलाम

फेर दिया ओर यह नीयत की कि मैं सज्दा सह्व न करूंगा उस समय भी जब तक कोई ऐसी बात न हो जिससे नमाज़ जाती रहती है सज्दा सह्व कर लेने का अधिकार रहता है।

मसला न. २९: चार रकअत वाली या तीन रकअत वाली नमाज़ में भूले से दो रकअत पर सलाम फेर दिया तो अब उठकर उस नमाज़ को पूरा कर ले और सज्दा सह्व करे हाँ यदि सलाम फेरने के पश्चात कोई ऐसी बात हो गई जिससे नमाज़ जाती रहती है तो फिर से नमाज़ पढ़े।

मसला न. ३०: भूले से वित्र की पहली या दूसरी रकअत में दुआ ए कनूत पढ़ गया तो इक का कुछ एतबार नहीं तीसरी रकअत में फिर पढ़े और सज्दा सह्व करे।

मसला न. ३१: वित्र की नमाज़ में शंका हुई कि न जाने यह दूसरी रकअत है या तीसरी रकअत और किसी तरफ़ अधिक विचार नहीं बल्कि दोनों तरफ़ बराबर का विचार हैं तो उसी रकअत में दुआ ए कनूत पढ़े और बैठ कर अत्तहीयात के पश्चात खड़ा हो कर एक रकअत और पढ़े और इसमें भी दुआ ए कनूत पढ़े और अन्त में सज्दा सह्वा कर ले।

मसला न. ३२: वित्र में दुआ ए क़नूत के स्थान पर सुब्हान कल्ला हुम्मा पढ़ लिया फिर जब याद आया तो दुआ ए क़नूत पढ़ी तो सज्दा ए सह्व वाजिब नहीं।

मसला न. ३३: वित्र में दुआ ए क़नूत पढ़ना भूल गया सूरत पढ़कर रूकू में चला गया तो सज्दा सह्व वाजिब है।

मसला न. ३४: अल्हम्दु लिल्लाह पढ़कर दो सूरतें या तीन सूरते पढ़ गया तो कुछ डर नहीं न सज्दा सह्व वाजिब है।

मसला न. ३५: फर्ज नमाज़ में पिछली दोनों रकअतों या एक रकअत में सूरत मिलाई तो सज्दा सह्व वाजिब नहीं।

मसला न. ३६: नमाज़ के प्रारम्भ में सुब्हाना कल्ला हुम्मा पढ़ना भूल गया या रूकू में सुब्हाना रब्बी यल अज़ीम नहीं पढ़ा या सज्दे में सुब्हाना रब्बियल आला नहीं कहा या रूकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कहना याद नहीं रहा। नीयत बांधते समय काना तक हाथ नहीं उठाये या अन्तिम रकअत में दुरूद शरीफ़ या दुआ नहीं पढ़ी यों ही सलाम फेर दिया तो इन सब दशाओं में सज्दा सह्व वाजिब नहीं।

मसला न. ३७: फ़र्ज की पिछली दोनों रकअतों में या एक रकअत में अल्हम्दु पढ़ना भूल गया चुपके खड़ा रहा और रूकू में चला गया तो भी सज्दा सह्व वाजिब नहीं।

मसला न. ३८: जिन चीजों को भूल कर करने से सज्दा सह्व वाजिब होता है यदि उनको कोई जान बूझ कर करे तो सज्दा सह्व वाजिब नहीं रहा बल्कि नमाज़ फिर से पढ़े। यदि सज्दा सह्व कर भी लिया तब भी नमाज़ नहीं हुई। जो वस्तुयें नमाज़ में न फर्ज़ है न वाजिब उनको भूल कर छोड़ देने से नमाज़ हो जाती है। सज्दा सह्व वाजिब नहीं होता।

सह्व के (भूल) कुछ मसले

मसला न. १: यदि धीमी आवाज़ की नमाज़ में कोई व्यक्ति चाहे इमाम हो या अकेला उंची आवाज़ से क़ुरान पढ़े या ऊंची आवाज़ की नमाज़ में इमाम धीमी आवाज़ से क़ुरान पढ़े तो उसको सज्दा सव्हा करना चाहिए हां यदि धीमी आवाज़ की नमाज़ में बहुत थोड़ा क़ुरान ऊंची आवाज़ से पढ़ लिया जाये जो नमाज़ ठीक होने के लिए काफ़ी न हो जैसे दो तीन शब्द ऊंची आवाज़ से निकल जायें या आवाज़ वाली नमाज़ में इमाम उतना ही धीमे स पढ़दे तो सव्हा का सज्दा (भूल) आवश्यक नहीं। यही ठीक है।

सज्दा तिलावत का वर्णन

मसला न. १: यदि कोई व्यक्ति किसी इमाम से सज्दे की आयत सुने। इसके बाद उसकी इक्तिदा करे तो उसको इमाम के साथ सज्दा करना चाहिए और यदि इमाम सज्दा कर चुका हो तो इसमें दो शक्लें हैं। एक यह कि जिस रकअत में सज्दे की आयत की तिलावत इमाम ने की हो वही रकअत यदि उसको मिल जाये तो उसको सज्दे की आवश्यकता नहीं। इस रकअत के मिल जाने से समझा जायेगा कि वह सज्दा भी मिल गया। दूसरी यह कि वह रकअत न मिले तो उसकों नमाज़ समाप्त होने पर नमाज़ के बाहर अलग सज्दा करना वाज़िब हैं।

मसला न. २: मुक्तदी से यदि सज्दे की आयत सुनी जाये तो सज्दा वाज़िब न होगा न उस पर न उसके इमाम पर न उन लोगों पर जो उस नमाज़ में सम्मिलित हैं हां जो लोग इस नमाज़ में शामिल नहीं हैं चाहे वे लोग नमाज़ न पढ़ते हो या कोई दूसरी नमाज़ पढ़ रहे हों तो उन पर सज्दा वाज़िब होगा।

मसला न. ३: तिलावत के सज्दे में ठहाका से वज़ू नहीं टूटता परन्तु सज्दा खराब हो जाता है।

मसला न. ४: औरत का सामना या बराबर में होना तिलावत के सज्दे को खराब नहीं करता।

मसला न. ५: तिलावत का सज्दा यदि नमाज़ में वाजिब हुआ हो तो उसका अदा करना तुरन्त वाज़िब है देर करने की इजाज़त नहीं।

मसला न. ६: नमाज़ के बाहर का सज़्दा नमाज़ में और नमाज़ का सज्दा बाहर में बल्कि दूसरी नमाज़ में भी अदा नहीं किया जा सकता। तो यदि कोई आदमी नमाज़ में सज्दे की आयत पढ़े और सज्दा न करे तो उसका गुनाह उसके जिम्मे होगा और इसके अतिरिक्त इसका कोई उपाय नहीं कि तौबा करे या असीम कृपालु अपनी कृपा से माफ कर दें।

मसला न. ७: यदि दो व्यक्ति अलग-अलग घोड़ों पर सवार नमाज़ पढ़ते जा रहे हो और प्रत्येक आदमी एक ही आयत सज्दे की तिलावत करे और एक दूसरे की तिलावत को नमाज़ ही में सुने तो प्रत्येक आदमी पर एक ही सज्दा वाजिब होगा जो नमाज़ ही में अदा करना वाजिब है। यदि एक ही आयत को नमाज़ में पढ़ा और उसी को नमाज़ के बाहर सुना तो दो सज्दे वाज़िब होंगे। एक पढ़ने के कारण दूसरा सुनने के कारण। परन्तु जो पढ़ने के कारण होगा वह नमाज़ का समझा जायेगा ओर नमाज़ ही में अदा होगा और जो सुनने से होगा वह नमाज़ के बाहर अदा किया जायेगा।

मसला न. ८: यदि सज्दे की आयत नमाज़ में पढ़ी जाये और तुरन्त रूकू किया जाये य। दो तीन आयतों के पश्चात और उस रूकू में झुकते समय तिलावत के सज्दे की भी नीयत कर ली जाये तो सज्दा अदा हो जायेगा। यदि किसी प्रकार सज्दे की आयत की तिलावत के बाद नमाज़ का सज्दा किया जाये अर्थात रूकू और क़ौमें के बाद तब भी यह सज्दा अदा हो जायेगा। और इसमें नीयत की भी जरूरत नहीं।

मसला न. ९: जुमा, ईदों और धीमी आवाज़ से पढ़ने वाली नमाज़ में इमाम को सज्दे की आयत न पढ़नी चाहिए क्योंकि मुक्तदियों को सज्दा करने में गड़ बड़ का डर है।

सज्दा तिलावत (क़ुरान पढ़ने) का वर्णन

मसला न. १: क़ुरान शरीफ़ में तिलावत (क़ुरान पढ़ना) के सज्दे चौदह हैं। जहां जहां क़ुरान शरीफ़ के किनारे पर सज्दा लिखा होता है उस आयत को पढ़ कर सज्दा करना वाजिब हो जाता है उस सज्दे को तिलावत का सज्दा कहते हैं।

मसला न. २: तिलावत का सज्दा करने का नियम यह है कि अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करे और अल्लाहु अकबर कहते समय हाथ न उठाये सज्दे में कम से कम तीन बार सुब्हाना रब्बीयल आला कहकर फिर अल्लाहु अकबर कहकर सर उठा ले बस सज्दा तिलावत हो गया।

मसला न. ३: अच्छा यह है कि खड़ा होकर पहले अल्लाहु अकबर कह कर सज्दे मे जाये फिर अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा हो जावे। यदि बैठ कर अल्लाहु अकबर कह कर सज्दे में जाये फिर अल्लाहु अकबर कह कर उठ बैठे खड़ा न हो तब भी ठीक है।

मसला न. ४: सज्दे की आयत जो पढ़े उस पर भी सज्दा वाजिब है और जो सुने उस पर भी वाजिब हो जाता है। चाहे क़ुरान शरीफ़ सुनने के इरादे से बैठा हो या किसी और काम्म में लगा हो और बिना इरादा सज्दे की आयत सुन ली हो। इसलिए अच्छा यह है कि सज्दे की आयत को धीमे से पढ़े ताकि दूसरे पर सज्दा वाजिब न हो।

मसला न. ५: जो बातें नमाज़ के लिए शर्त है वही सज्दा तिलावत के लिए भी शर्त है। अर्थात वज़ू का होना स्थान पाक होना शरीर और कपड़ो का पाक होना किब्ले की ओर सज्दा करना।

मसला न. ६: जिस प्रकार नमाज़ का सज्दा किया जाता है उसी प्रकार सज्दा तिलावत भी करना चाहिए कुछ लोग क़ुरान शरीफ़ के ऊपर ही सज्दा कर लेतें हैं। इस प्रकार सज्दा अदा नहीं होता।

मसला न. ७: यदि किसी का वज़ू उस समय न हो तो फिर किसी समय वज़ू कर के सज्दा करे। तुरन्त उसी समय सज्दा करना आवश्यक नहीं हैं परन्तु अच्छा यही है कि उसी समय सज्दा कर ले सम्भव है बाद में याद न रहे।

मसला न. ८: यदि किसी के ऊपर बहुत से सज्दे तिलावत के बाक़ी हों अब तक अदा न किये हों तो अब अदा कर ले। उम्र भर में कभी न कभी अदा

कर लेने चाहिए यदि कभी अदा न करेगा तो पापी होगा।

मसला न. ९: यदि हैज़ या निफास की दशा में किसी औरत ने सज्दा सुना तो उस पर सज्दा वाजिब नहीं हुआ और यदि ऐसी दशा में सुना जब कि उस पर ग़ुसल वाजिब था तो नहाने के पश्चात सज्दा करना वाजिब है।

मसला न. १०: यदि बीमारी की दशा में सज्दे की आयत सुने और सज्दा करने की शक्ति नहीं तो जिस प्रकार नमाज़ का सज्दा संकेत से करता है उसी प्रकार उसका सज्दा भी संकेत से कर ले।

मसला न. ११: यदि नमाज़ में सज्दे की आयत पढ़े तो वह आयत पढ़ने के पश्चात तुरन्त नमाज़ में सज्दा कर ले फिर सूरत पढ़ कर रूकू में जाये यदि उस आयत को पढ़ कर तुरन्त सज्दा न किया। इसके पश्चात दो या तीन आयते और पढ़ ली तब सज्दा किया तो यह भी ठीक है यदि इससे भी अधिक पढ़ गया उस समय सज्दा किया तो सज्दा तो हो गया लेकिन गुनहगार हुआ।

मसला न. १२: यदि नमाज़ में सज्दे की आयत पढ़ी और नमाज़ ही में सज्दा नहीं किया तो अब नमाज़ पढ़ने के बाद सज्दा करने से अदा न होगा। सदैव के लिए गुनहगार रहेगा। अब क्षमा याचना के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं।

मसला न. १३: सज्दे की आयत पढ़कर यदि तुरन्त रूकू में चला जाये ओर रूकू में यह नीयत कर ले कि मैं सज्दा तिलावत की ओर से भी यही रूकू करता हूं। तब भी वह सज्दा अदा हो जायेगा और यदि रूकू में यह नीयत न की तो रूकू के पश्चात जब नमाज़ का सज्दा करेगा तो उसी सज्दे से सज्दा तिलावत भी अदा हो जायेगा चाहे नीयत करे या न करे।

मसला न. १४: नमाज़ पढ़ते समय किसी दूसरे से सज्दे की आयत सुने तो नमाज़ में सज्दा न करे बल्कि नमाज़ के पश्चात करे। यदि नमाज़ ही में करेगा तो वह सज्दा अदा न होगा फिर करना पड़ेगा और गुनहगार भी होगा।

मसला न. १५: एक ही स्थान पर बैठे बैठे सज्दे की आयत को कई बार दोहराया तो एक ही सज्दा वाजिब है चाहे प्रत्येक बार पढ़कर अन्त में एक ही बार सज्दा कर ले। या पहली बार पढ़ कर सज्दा कर ले फिर उसी को बार-बार पढ़ता रहे और यदि स्थान बदल गया और उसी आयत को दौहराया फिर तीसरे स्थान पर जाकर वही आयत पढ़ी, इसी प्रकार बार-बार स्थान बदलता रहे तो जितनी बार दौहराये उतनी ही बार सज्दा करे।

मसला न. १६: यदि एक ही स्थान पर बैठे-बैठे सज्दे की कई आयतें पढीं तो भी जितनी आयतें पढ़ी उतने सज्दे करे।

मसला न. १७: बैठे-बैठे सज्दे की कोई आयत पढ़ी, फिर उठ ख़ड़ा हुआ लेकिन चला फिरा नही जहां बैठा था वहीं खड़े-खड़े वही आयत फिर दौहराई तो एक ही सज्दा वाजिब है।

मसला न. १८: एक ही स्थान पर सज्दे की आयत पढ़ी और उठकर किसी क़ाम को चला गया, फिर उसी स्थान पर आकर वही आयत पढ़ी उस समय भी दो सज्दे करे।

मसला न. १९: एक स्थान पर बैठे-बैठे सज्दे की कोई आयत पढ़ी फिर जब क़ुरान शरीफ़ की तिलावत कर चुका तो उसी स्थान पर बैठे-बैठे किसी और काम में लग गया। जैसे खाना खाने लगा। या स्त्री बच्चे को दूध पिलाने लगी। इसके बाद फिर वही आयत उसी स्थान पर पढ़ी उस समय भी दो सज्दे वाजिब हो गये। दूसरा काम करने से ऐसा होता है। जैसे दूसरा स्थान बदल गया।

मसला न. २०: एक कोठड़ी या दालान के एक कोने में सज्दे की कोई आयत पढ़ी फिर दूसरे कोने में जाकर वहीं आयत पढ़ी। उस समय भी एक ही सज्दा काफ़ी है चाहे जितनी बार पढ़े। हा यदि दूसरे काम में लग जाने के बाद वही आयत पढ़ेगा तो दूसरा सज्दा करना पड़ेगा, फिर तीसरे काम मे लगने के पश्चात यदि पढ़ेगा तो तीसरा सज्दा वाजिब हो जायेगा।

मसला न. २१: यदि बड़ा घर हो तो दूसरे कोने पर जाकर दौहराने से दूसरा सज्दा वाजिब। होगा और तीसरे कोने पर तीसरा।

मसला न. २२: मस्जिद का भी यही आदेश है जो एक कोठड़ी का है यदि सज्दे की एक आयत बार-बार पढ़े तो एक ही सज्दा वाजिब है। चाहे एक ही स्थान पर बैठे-बैठे दौहराये या मस्जिद में इधर उधर टहल् कर पढ़े।

मसला न. २३: यदि नमाज़ में सज्दे की एक ही आयत को कई बार पढ़े तो भी एक ही सज्दा वाजिब है। चाहे सब बार पढ़कर अन्त में एक बार सज्दा करे या एक बार पढ़ कर सज्दा कर लिया, फिर इसी रकअत या दूसरी रकअत में फिर वही आयत पढ़े।

मसला न. २४: सज्दे की कोई आयत पढ़ी और सज्दा नहीं किया, फिर उसी स्थान पर नीयत बांधली और वही आयत फिर नमाज़ में पढ़ी और नमाज़

में सज्दा तिलावत किया तो यहि सज्दा काफ़ी है। दोनों सज्दे इसी से अदा हो गये। हां यदि स्थान बदल गया तो दूसरा सज्दा भी वाजिब है।

सला न. २५: यदि सज्दे की आयत पढ़ कर सज्दा कर लिया फिर उसी स्थान पर नमाज़ की नीयत बांधली और वही आयत नमाज़ में दौहराई तो अब नमाज़ में फिर सज्दा करे।

सला न. २६: पढ़ने वाले का स्थान नहीं बदला एक ही स्थान पर बैठे-बैठे एक ही आयत को बार-बार पढ़ता रहा लेकिन सुनने वाले का स्थान बदल गया कि पहली बार और स्थान पर सुनाया दूसरी बार और स्थान तीसरी बार तीसरा स्थान तो पढ़ने वाले पर एक ही सज्दा वाजिब है और सुनने वाले पर कई सज्दे जितनी बार सुना उतने ही सज्दे करे।

सला न. २७: यदि सुनने वाले का स्थान नहीं बदला बल्कि पढ़ने वाले का स्थान बदल गया तो पढ़ने वाले पर कई सज्दे वाजिब हैं और सुनने वाले पर एक ही।

सला न. २८: सारी सूरत को पढ़ना और सज्दे की आयत को छोड़ देना मकरूह और मना है केवल सज्दे से बचने के लिए वह आयत न छोड़े इसमें सज्दे से जैसे इन्कार है।

सला न. २९: यदि सूरत में कोई आयत न पढ़े केवल सज्दे की आयत पढ़े तो उसकी कोई बुराई नही और यदि नमाज़ में ऐसा करे तो इसमें भी यह शर्त है कि वह इतनी बड़ी हो कि छोटी तीन आयतों के बराबर हो लेकिन अच्छा यह है कि सज्दे की आयत को दो एक आयत के साथ मिलाकर पढ़े।

क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का वर्णन

सला न. १: जिसकी कोई नमाज़ छूट गयी हो तो जब याद आये तुरन्त उसकी कज़ा पढ़ ले। अकारण कज़ा पढ़ने में देर लगाना गुनाह है। तो जिसकी कोई नमाज़ कज़ा हो गयी और उसने तुरन्त उसकी कज़ा न पढ़ी। दूसरे समय या दूसरे दिन पर टाल दिया कि अमुक दिन पढ़ लूंगा और उस दिन से पहले ही अचानक मर गया तो दौहरा पाप हुआ। एक तो नमाज़ के क़ज़ां हो जाने का और दूसरे तुरन्त कज़ा न पढ़ने का।

सला न. २: यदि किसी की कई नमाज़ें कज़ा हो गयीं तो जहां तक हो सके शीघ्रता से उनकी कज़ा पढ़ें हो सके तो हिम्मत करके एक ही समय

में सबकी कज़ा पढ़ ले। यह आवश्यक नहीं कि जुहर की कज़ा जुहर के समय पढ़ें और अस्र की कज़ा अस्त्र के समय पढ़े। यदि बहुत सी नमाज़ें कई महीने या कई वर्ष की कज़ा हों तो उनकी कज़ा में भी जहां तक हो सके शीघ्रता करे। एक एक समय दो-दो चार-चार नमाज़ें कज़ा पढ़ लिया करें। यदि कोई मजबूरी हो तो दूसरी बात एक समय एक ही नमाज़ की कज़ा ठीक है परन्तु यह बहुत कम स्तर की बात है।

मसला न. ३: कज़ा पढ़ने का कोई समय निश्चित नहीं हैं जिस समय अवसर हो वज़ू कर के पढ़ लें, हां इतना ध्यान रहे कि मकरूह समय न हो।

मसला न. ४: जिसकी एक ही नमाज़ कज़ा हुई उससे पहले कोई नमाज़ उसकी कज़ा नहीं हुई या उससे पहले नमाज़ें कज़ा तो हुई परन्तु सबकी कज़ा पढ़ चुका है केवल इसी एक नमाज़ की कज़ा पढ़ना बाक़ी है तो पहले उसकी कज़ा पढ़ ले उसके बाद कोई और फर्ज नमाज़ पढ़े। यदि बिना कज़ा पढ़े अदा नमाज़ पढ़ ली तो अदा नमाज़ ठीक नहीं हुई कज़ा पढ़ कर फिर अदा पढ़े। हां यदि कज़ा पढ़ना याद नहीं रहा या बिल्कुल भूल गया तो अदा नमाज़ ठीक हो गयी। अब जब भी याद आवे तो केवल कज़ा पढ़ ले अदा को न दोहरावे।

मसला न. ५: यदि समय बहुत थोड़ा हो कियदि कज़ा पहले पढ़ी तो अदा नमाज़ का समय बाक़ी न रहेगा तो पहले अदा पढ़ ले तब कज़ा पढ़े।

मसला न. ६: यदि दो या तीन या चार पांच नमाज़ें कज़ा हो गयीं और सिवाये इन नमाज़ों के उसके ज़िम्मे किसी और नमाज़ की कज़ा बाक़ी नहीं है अर्थात उम्र भर में जब से जवान हुआ है कभी कोई नमाज़ कज़ा नहीं हुई या कज़ा तो हो गयी परन्तु सब की कज़ा पढ़ चुका है तो जब तक इन पांचों की कज़ा न पढ़ लें तब तक अदा नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं है और जब इन पांचों की कज़ा पढ़ें तो इस प्रकार पढ़े कि जो नमाज़ प्रथम बार छुटी है पहले उसकी कज़ा पढ़े फिर उसके पश्चात वाली फिर उसके बाद वाली इसी प्रकार क्रमानुसार पांचों नमाज़ों की कज़ा पढ़े। जैसे किसी ने पूरे एक दिन की नमाज़ नहीं पढ़ी। फज्र, ज़ुहर,अस्त्र, मग़रिब, इशा ये पांचों नमाज़ें छूट गयी तो पहले, फज्र फिर ज़ुहर फिर अस्त्र फिर मग़रिब फिर इशा इसी क्रम से कज़ा पढ़े यदि पहले फज्र की नमाज़ न पढ़ी बल्कि जुहर की पढ़ी या अस्त्र की या और कोई तो ठीक नहीं हुई फिर से पढ़नी पड़ेगी।

सला न. ७: किसी की छः नमाज़ें कज़ा हो गयी अब उनकी कज़ा नमाज़ पढ़े बिना अदा नमाज़ पढ़ना ठीकहै। और जब इन छः नमाज़ों की कज़ा नमाज़ पढ़े तो जो नमाज़ सर्व प्रथम कज़ा हुई है सबसे पहले उसको पढ़ना वाजिब नहीं है। बल्कि जो चाहे पहले पढ़ ले सब ठीक है अब क्रम से पढ़ना आवश्यक नहीं।

सला न. ८: दो चार महीने या दो चार वर्ष हुए कि किसी की छः नमाज़ें या अधिक कज़ा हो गयी थी और अब तक उनकी कज़ा नहीं पढ़ी लेकिन उसके बाद से सदैव नमाज़ पढ़ता रहा कभी कज़ा नहीं होने दी काफ़ी समय के बाद अब फिर एक नमाज़ जाती रही तो इस दशा में भी बिना उसकी कज़ा पढ़े अदा नमाज़ पढ़ना ठीक है। क्रम वाज़िब नहीं।

सला न. ९: किसी के ऊपर छः नमाज़ें या बहुत सी नमाज़ें कज़ा थीं इस कारण से क्रमानुसार पढ़ना उस पर वाजिब नहीं था लेकिन उसने एक-एक, दो-दो करके सब की कज़ा पढ़ ली अब किसी नमाज़ की कज़ा बाक़ी नहीं रही तो अब फिर जब एक नमाज़ या पांच नमाज़ें कज़ा हो जायें तो क्रमानुसार पढ़ना पड़ेगा और इन पांचों की कज़ा पढ़े बिना अदा नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं। हां यदि अब फिर छः नमाज़ें छूट जायें तो फिर क्रम क्षमा हो जायेगा। और बिना उन छः नमाज़ों की कज़ा पढ़े भी अदा पढ़ना ठीक होगा है।

सला न. १०: किसी की बहुत सी नमाज़ें कज़ा हो गयीं थी। उसने थोड़ी-थोड़ी करके सब की कज़ा पढ़ ली अब केवल चार पांच नमाज़े रह गयी तो अब इन चार पांच नमाजों को क्रम से पढ़ना वाज़िब नहीं है। बल्कि अधिकार है जिस प्रकार चाहे पढ़ें और बिना इन रही हुई नमाज़ों की कज़ा पढ़े भी अदा नमाज़ पढ़ लेना भी ठीक है।

सला न. ११: यदि वित्र की नमाज़ कज़ा हो गयी और वित्र की नमाज़ के अतिरिक्त कोई ओर नमाज़ उसके ऊपर नहीं है तो वित्र की नमाज़ पढ़े बिना फज्र की नमाज़ पढ़ लेना ठीक नहीं यदि वित्र का कज़ा होना याद हो फिर भी पहले वित्र की कज़ा नमाज़ न पढ़े बल्कि फज्र की नमाज़ पढ़ लेवे तो अब कज़ा पढ़ ले ओर अब कज़ा पढ़ के फज्र की नमाज़ फिर पढ़नी पड़ेगी।

सला न. १२: केवल इशा की नमाज़ पढ़ कर सो रहा, फिर तहज्जुद के समय उठा और वज़ू कर के तहज्जुद और वित्र की नमाज़ पढ़ ली तो फिर सवेरे को याद आया कि इशा कि नमाज़ भूले से बिना वज़ू पढ़ ली थी तो अब

केवल इशा की नमाज़ की कज़ा पढ़े वित्र की कज़ा न पढ़े।

मसला न. १३: कज़ा नमाज़ केवल फ़र्ज और वित्र की पढ़ी जाती है सुन्नतों की कज़ा नहीं है। हां यदि फज्र की नमाज़ कज़ा हो जावे तो यदि दो पहर से पहले पहले कज़ा पढ़े तो फ़र्ज और सुन्नत दोनों की कज़ा पढ़े और यदि दोपहर के बाद कज़ा पढ़े तो केवल दो रकअत फर्ज की कज़ा पढ़ें।

मसला न. १४: यदि फज्र का समय तंग हो गया इसलिए केवल दो रकअत फ़र्ज पढ़ लिये सुन्नत छोड़ दी तो अच्छा यह है कि सूरज़ ऊंचा होने के पश्चात सुन्नत की कज़ा पढ़ ले लेकिन दोपहर से पहले-पहले पढ़े लें।

मसला न. १५: किसी बेनमाज़ी ने तोबा की तो जितनी नमाज़ें उम्र भर में कज़ा हुई सब की कज़ा पढ़ना वाजिब है। तोबा से नमाज़ें माफ़ नहीं होती। हां न पढ़ने से जो गुनाह हुआ था वह तोबा से माफ़ हो गया अब उनकी कज़ा न पढ़ेगा तो फिर गुनहगार होगा।

मसला न. १६: यदि किसी की कुछ नमाज़ें कज़ा हो गयी और अभी तक उनकी कज़ा नहीं पढ़ी तो मरते समय उन नमाज़ों का फिदया देने की वसीयत कर जाना वाजिब है नहीं तो गुनाह होगा। नमाज़ के फिदये का बयान रोज़े के फिदये के साथ आयेगा। इंशा अल्लाह।

नमाज़ कज़ा हो जाने के मसले

मसला न. १: यदि कुछ लोगों की नमाज़ किसी समय की कज़ा हो गयी हो तो उनको चाहिए कि उस नमाज़ को जमात से अदा करें यदि ऊंची आवाज़ की नमाज़ है तो ऊंची आवाज़ से क़ुरान पढ़े और धीमी आवाज़ की हो तो धीमी आवाज़ से।

मसला न. २: यदि कोई नाबालिग़ लड़का इशा की नमाज़ पढ़ कर सोये और सुबह होने के बाद जागने पर मनी (वीर्य) का प्रभाव दखे जिससे ज्ञात हो कि इसको स्वप्न दोष हो गया है तो इशा की नमाज़ को फिर दौहराये। और यदि सुबह होने से पहले जाग कर मनी की निशानी देखें तो सब विद्वान इस पर सहमत हैं इशा की नमाज़ कज़ा पढ़ें।

बीमार की नमाज़ के कुछ मसले

मसला न. १: यदि कोई बीमार संकेत से रूकू और सज्दा कर चुका हो फिर

उसको नमाज़ में ही रूकू और सज्दे की शक्ति हो गयी तो वह नमाज़ उसकी खराब हो जायेगी। फिर नये सिरे से उस पर नमाज़ पढ़ना वाजिब है और यदि अभी संकेत से रूकू सज्दा न किया हो कि तन्दरूस्त हो गया तो नमाज़ ठीक है। संकेत के स्थान पर रूकू सज्दा करना प्रारम्भ कर दे।

मसला न. २: यदि कोई व्यक्ति क़ुरान शरीफ़ पढ़ने के लम्बे होने के कारण खड़ा-खड़ा थक जाये और कष्ट होने लगे तो उसको किसी दीवार पेड़ या लकड़ी आदि से तकिया लगा लेना मकरूह नहीं। तरावीह की नमाज़ में कमज़ोर और बूढ़े लोगों को अक्सर इसकी आवश्यकता पड़ जाती है।

बीमार की नमाज़ का वर्णन

मसला न. १: नमाज़ को किसी दशा में भी न छोडे। जब तक खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने की शक्ति हो ख़ड़ा होकर नमाज़ पढ़े जब खड़ा होने की शक्ति न रहे तो बैठकर नमाज़ पढ़े बैठे-बैठे रूकू करे और रूकू कर के दोनों सज्दे करे और रूकू के लिए इतना झुके कि माथा घुटनों के सामने आ जाये।

मसला न. २: यदि ,रूकू और सज्दा करने की भी शक्ति नहि तो रूकू और सज्दे को संकेत से अदा करे और सज़दे के लिये अधिक झुक जाया करे।

मसला न. ३: सज्दे के लिए तकिया आदि कोई ऊंची वस्तु रख लेना और उस पर सज्दा करना अच्छा नहीं जब सज्दे की शक्ति न हो तो बस संकेत कर लिया करे तकिये के ऊपर सज्दे की आवश्यकता नहीं।

मसला न. ४: यदि खड़े होने की शक्ति तो है लेकिन खड़ा होने से बड़ा कष्ट होता है या बीमारी के बढ़ जाने का भय है उस समय भी बैठ कर नमाज़ पढ़ना ठीक है।

मसला न. ५: यदि खड़ा तो हो सकता है लेकिन रूकू और सज्दा नहीं कर सकता तो चाहे खड़ा होकर पढ़े और रूकू और सज्दा संकेत से अदा करे और चाहे बैठ कर नमाज़ पढ़े और रूकू सज्दा संकेत से पूरा करे परन्तु बैठ कर पढ़ना ठीक है।

मसला न. ६: यदि बैठने की भी शक्ति नहीं रही तो पीछे तकिया आदि लगाकर इस प्रकार लेटे कि सर खूब ऊंचा रहे बल्कि लगभग बैठने के रहे और पांव किब्ले की ओर फैला लें और यदि कुछ शक्ति हो तो किब्ले की ओर पैर

न फैलावे बल्कि घुटने खड़े रखे फिर सर के संकेत से नमाज़ पढ़े और सज्दे का संकेत अधिक नीचा करे। यदि तकिये से टेक लगाकर भी इस प्रकार न लेट सके कि सर और सीना आदि ऊंचा रहे तो किब्ले की ओर पैर करके बिल्कुल चित लेट जावे लेकिन सर के नीचे कोई ऊंचा तकिया रख दें कि मुंह किब्ले की ओर हो जाये। आसमान की ओर न रहे फिर सर के संकेत से नमाज़ पढ़ें। रूकू का संकेत कम करे और सज्दे का संकेत तनिक अधिक करे।

मसला न. ७: यदि चित न लेटे बल्कि दायें या बायें करवट पर किब्ले की ओर मुंह करके लेटे और सर के संकेत से रूकू और सज्दा करे यह भी ठीक है लेकिन चित लेट कर पढ़ना अधिक अच्छा है।

मसला न.८: यदि सर का संकेत करने की भी शक्ति नहीं रही तो नमाज़ न पढ़े फिर यदि एक रात दिन से अधिक यही दशा रही तो नमाज़ बिल्कुल माफ़ हो गयी। ठीक होने पर कज़ा पढ़ना भी वाजिब नहीं है और यदि एक रात दिन से अधिक यह दशा नहीं रही बल्कि एक रात दिन में फिर संकेत से पढ़ने की शक्ति आ गयी तो संकेत ही से उनकी कज़ा नमाज़ पढ़े और यह इरादा न करे कि जब बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा तब पढ़ूंगा यदि मर गया तो गुनहगार होगा।

मसला न. ९: इसी प्रकार यदि अच्छा भला आदमी बेहोश हो जाये तो यदि बेहोशी एक रात दिन से अधिक न हुई तो कजा वाजिब है और यदि एक दिन-रात से अधिक हो गयी हो तो कज़ा पढ़ना वाजिब नहीं।

मसला न. १०: जब नमाज़ आरम्भ की उस समय भला चंगा था, फिर जब थोड़ी नमाज़ पढ़ चुका तो नमाज़ ही में कोई ऐसी रग चढ़ गयी कि खड़ा न हो सका तो बाक़ी नमाज़ बैठकर पढ़े। यदि रूकू सज्दा कर सके तो करे नहीं तो रूकू सज्दा सर के संकेत से करे यदि ऐसी दशा हो गयी कि बैठने की भी ताकत नंही तो इसी प्रकार लेट कर बाक़ी नमाज़ पूरी करे।

मसला न. ११: बीमारी के कारण थोड़ी नमाज़ बैठ कर पढ़ी और रूकू के स्थान पर रूकू और सज्दे के स्थान पर सज्दा किया फिर नमाज़ में ही अच्छा हो गया तो उसी नमाज़ को ख़ड़ा होकर पूरा करे।

मसला न. १२: यदि बीमारी के कारण रूकू सज्दे की शक्ति न थी इसलिए सर के संकेत से रूकू व सज्दा किया फिर जब कुछ नमाज़ पढ़ चुका तो ऐसा हो गया कि

रूकू और सज्दा कर सकता है तो अब यह नमाज़ जाती रही उसको पूरा न करे बल्कि फिर से पढ़े।

मसला न. १३: फ़ालिज़ गिरा और ऐसी बीमारी हो गयी कि पानी से इस्तिंजा नहीं कर सकता तो कपड़े या ढेले से पूंछ डाला करे और इसी प्रकार नमाज़ पढ़े। यदि स्वयं तयम्मुन न कर सके तो कोई दुसरा तम्मयुम करा दे और यदि ढेले और कपडे से भी पूंछने की शक्ति नहीं तो भी नमाज़ कज़ा न करे इसी प्रकार नमाज़ पढ़े, किसी और को उसके बदन का देखना और पूंछ ना ठीक नहीं है। न मां बाप को न लड़का, लड़की को। हां बीवी को अपने पति और पति को अपनी बीवी का बदन देखना ठीक है इस के अतिरिक्त किसी को ठीक नही।

मसला न. १४: स्वास्थ्य के समय कुछ नमाज़ें कज़ा हो गयी थीं फिर बीमार हो गया तो बीमारी के समय जिस प्रकार नमाज़ पढ़ने की ताक़त हो उनकी क़ज़ा पढ़े इस बात की प्रतीक्षा न करे कि खड़ा होने की शक्ति आये तब पढ़ूंगा या जब बैठने लगूं और रूकू सज्दा की शक्ति आये तब पढ़ूंगा ये सब शैतानी विचार है। दीनदारी की बात यह है कि तुरन्त पढ़े देर न करे।

मसला न. १५: यदि बीमार का बिस्तर नापाक है लेकिन उसके बदलने से बहुत तकलीफ़ होगी तो उसी पर नमाज़ पढ़ लेना ठीक है।

मसला न. १६: डा. ने किसी की आंख बनाई और हिलने डुलने से मना किया तो लेटे-लेटे नमाज़ पढ़ता रहे।

यात्री की नमाज़ के मसले

मसला न. १: कोई व्यक्ति पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत करे मगर दो स्थानों पर और इन दो स्थानों में इतनी दूरी हो कि एक स्थान की आवाज़ दूसरे स्थान पर न जा सकती हो, जैसे दस दिन मक्के में रहने का इरादा करे और पांच दिन मिना में जो मक्के से तीन मील की दूरी पर है तो इस दशा में वह यात्री ही गिना जायेगा।

मसला न. २: यदि वर्णित मसले में रात को एक ही स्थान पर रहने की नीयत करे और दिन को दूसरे स्थान पर तो जिस स्थान पर रात को ठहरने की नीयत की है वह उसका ठहरने का स्थान हो जायेगा वहां उसको कस्त्र (चार रकअत

वाली नमाज़ को दो रकअत पढ़ना) नमाज़ पढ़ने की आज्ञा न होगी। अब दूसरा स्थान जहां दिन को रहता है यदि उस पहले स्थान से ४८ मील की दूरी पर है तो वहां जाने से यात्री हो जायेगा नहीं तो स्थाई माना जायेगा।

मसला न. ३: यदि वर्णित मसलों में एक स्थान दूसरे स्थान से इतना समीप हो कि एक स्थान की अज़ान की आवाज़ दूसरे स्थान पर जा सकती है तो व दोनों स्थान एक ही समझे जायेगें। इन दोनों स्थानों पर पन्द्रह दिन ठहरने के इरादे से स्थाई माना जायेगा।

मसला न. ४: मुकीम (स्थाई) की इक्तिदा यात्री के पीछे प्रत्येक दशा में ठीक है चाहे अदा नमाज़ हो या कज़ा। यात्री इमाम जब दो रकअतें पढ़ कर सलाम फेर दे तो स्थाई (मुक़ीम) मुक्तदी को चाहिए कि अपनी नमाज़ उठकर पूरी करे और उसमें क़ुरान न पढ़े बल्कि चुप चाप खड़ा रहे क्योंकि वह लाहिक है और पहला कादा इस मुक्तदी पर भी इमाम का पालन करने के कारण फर्ज होगा। यात्री इमाम को मुस्तहब है कि अपने मुक्तदियों को दोनों ओर सलाम फेरने के पश्चात तुरन्त अपने यात्री होने की सूतना दे दे।

मसला न. ५: यात्री भी स्थाई की इक्तिदा कर सकता है मगर समय के अन्दर और समय जाता रहा हो तो फज्र और मग़रिब में कर सकता है। जुहर, अस्त्र और इशा में नहीं क्योंकि जब यात्री स्थाई की इक्तिदा करेगा तो इमाम के पीछे पूरी चार रकअत यह भी पढ़ेगा और इमाम का पहला कादा फर्ज न होगा और उसका फर्ज़ होगा तो फर्ज़ पढ़ने वाले की इक्तिदा ग़ैर फर्ज़ पढ़ने वाले के पीछे हुई और यह ठीक नहीं।

मसला न. ६: यदि कोई यात्री नमाज़ की दशा में इकामत (ठहरना) की नीयत कर ले चाहे प्रारम्भ में या बीच में या अन्त में मगर भूल का सज्दा सलाम से पहले नीयत करे तो उसको वह नमाज़ पूरी पढ़नी चाहिए इसमें कस्त्र (कमी) जायज़ नहीं। हां यदि नमाज़ का समय बीत जाने के पश्चात नीयत करे या लाहिक होने की दशा में नीयत करें तो उसकी नीयत का असर उस नमाज़ में प्रकट न होगा और यह नमाज़ यदि चार रकअत की होगी तो उसमें कस्त्र करना उसको वाजिब होगा।

उदाहरणः किसी यात्री ने ज़ुहर की नमाज़ प्रारम्भ की एक रकअत के पश्चात समय

बीत गया उसके बाद उसके ठहरने की नीयत की तो यह नीयत उस नमाज़ पर प्रभावित न होगी। यह नमाज़ उसको कस्त्र से पढ़नी पड़ेगी।

उदाहरण न. २: कोई यात्री किसी यात्री का मुक्दी हुआ और लाहिक हो गया फिर अपनी गयी हुई रकअतें अदा करने लगा उसने इकामत (ठहरने) की नीयत कर ली तो इस नीयत का प्रभाव इस नमाज़ पर कुछ न होगा यदि यह नमाज़ चार रकअत की होगी तो उसको कस्त्र ही पढ़नी होगी।

यात्रा में नमाज़ पढ़ने का वर्णन

मसला न. १: यदि कोई एक मंजिल, या दो मंजिल की यात्रा करे तो उस यात्रा में इस्लाम धर्म का कोई आदेश नहीं बदलता और धर्म के नियम से उसको यात्री नहीं कहते। उसको सभी बातें उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे कि अपनेगांव या शहर में करते थे। चार रकअत वाली नमाज़ को चार ही रकअत पढ़े और चमड़े का मोज़ा पहने हो तो एक रात दिन मसह करे इसके पशचात मसह करना ठीक नहीं।

मसला न. २: जो कोई तीन मंजिल चलने का निश्चय करके निकले वह धर्मानुसार यात्री है जब अपने शहर की आबादी से बाहर हो गया तो धर्मानुसार यात्री बन गया और जब तक शहर के अन्दर चलता रहा तब तक यात्री नहीं और स्टेशन आदि आबादी के अन्दर हो तो यात्री नहीं होगा और जो आबादी के बाहर हो तो वहां पहुंचकर यात्री हो जायेगा।

मसला न. ३: तीन मंजिल यह है कि अक्सर पैदल चलने वाले वहां तीन दिन में पहुंचा करते हैं हमारे देश में अनुमानित रूप से वह दूरी ४८ मील है परन्तु शर्त यह है कि दरिया और पहाड़ की यात्रा न हो।

मसला न. ४: यदि कोई स्थान इतनी दूर है कि ऊंट और आदमी की चाल से तो तीन मंजिल है लेकिन तेज़ सवारी से दोही दिन या इस से भी कम में पहुंच जायेगा तो भी धर्म के नियम से यात्री ही है।

मसला न. ५: जो कोई धर्मानुसार यात्री है वह ज़ुहर अस्त्र और इशा की फर्ज़ नमाज़ दो दो रकअतें पढ़े और सुन्नतों के सम्बन्ध में यह आदेश है कि यदि कोई जल्दी हो तो फज्र की सुन्नत के अतिरिक्त और सुन्नतें छोड़ देना ठीक है इसे छोड देने से कोई गुनाह नही और यदि कुछ जल्दी न हो न अपने साथियों से

अलग रह जाने का डर हो तो न छोडें और सुन्नतें न यात्रा में पूरी पूरी पढ़े। उनमें कमी नहीं।

मसला न. ६: फज्र मग़रीब और वित्र की नमाजों में भी कोई कमी नहीं है। जैसे प्रति दिन पढ़ता है वैसे पढ़े।

मसला न. ७: ज़ुहर अस्त्र और इशा कि नमाज़ दो रकअतों से अधिक न पढ़े पूरी चार रकअतें पढ़ना गुनाह है जैसे ज़ुहर के कोई छः फर्ज पढ़े तो गुनाह गार होगा।

मसला न. ८: यदि भूल से चार रकअतें पढ़ ली तो यदि दूसरी रकअत पर बैठकर अत्तहीयात पढ़ी है तो तब तो दो रकअतें फर्ज़ की हो गयी और ये दो रकअतें नफ़्ल की हो जायेगी और सज्दा सह्व करना पड़ेगा और यदि दो रकअतों पर न बैठा तो चारों रकअत नफ़्ल हो जायेगी। फर्ज़ नमाज़ फिर से पढ़े।

मसला न. ९: यदि मार्ग में कहीं ठहर गया तो यदि पन्द्रह दिन से कम ठहरने की नीयत है तो वह बराबर यात्री रहेगा चार रकअत वाली फर्ज़ नमाज़ दो रकअत पढ़ता रहे। और यदि पन्द्रह दिन या उससे अधिक ठहरने की नीयत कर ली तो अब वह यात्री नहीं, यदि फिर नीयत बदल गयी और पन्द्रह दिन से पहले जाने का इरादा हो गया उस समय भी यात्री न बनेगा नमाज़े पूरी-पूरी पढ़े। जब फिर यहां से चले तो यदि यहां से वह स्थान तीन मंजिल हो जहां जाते हैं तो फिर यात्री हो जावेगा। यदि उससे कम हो तो यात्री न होगा।

मसला न. १०: तीन मंजिल जाने का निश्चय करके घर से निकला लेकिन घर ही से यह भी नीयत है कि अमुक गांव में जो तीन मंजील से कम दूरी रर है पन्द्रह दिन हरेगा तो यात्री नहीं रहा मार्ग भर पूरी नमाज़ें पढ़े फिर यदि उस गांव में जाकर पूरे पन्द्रह दिन ठहरना हुआ तो भी यात्री न बनेगा।

मसला न. ११: तीन मंजिल जाने का इरादा था परन्तु प्रथम मंजिल (पड़ाव) पर अपना घर पड़ेगा तब भी यात्री नहीं हुआ।

मसला न. १२: चार मंजिल जाने की नीयत से स्त्री चली लेकिन प्रथम दो मंजिले हैज़ (मासिक धर्म) की दशा में बीती तब भी वह यात्री नहीं है अब नहा धोकर पूरी चार रकअतें पढ़े हां हैज़ से पाक हो जाने के पश्चात भी वह स्थान तीन मंजिल हो, य चलते समय पाक थी मार्ग में हैज़ आ गया तो वह यात्री है

यात्रियों की भांति नमाज़ पढ़े।

मसला न. १३: नमाज़ पढ़ते पढ़ते नमाज़ के अन्दर ही पन्द्रह दिन ठहरने की नीयत हो गयी तो यात्री नहीं रहा यह नमाज़ भी पूरी पढ़े।

मसला न. १४: चार दिन के लिए मार्ग में कहीं ठ्हरना पड़ा परन्तु कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जाना नहीं होता। प्रति दिन यह नीयत होती हैं कि कल परसों चला जाउंगा लेकिन जाना नहीं होता। इसी प्रकार पन्द्रह बीस दिन या महीना बीत गया या उस से भी अधिक रहना हो गया परन्तु पूरे पन्द्रह दिन रहने की कभी नीयत नहीं हुई, ऐसी दशा में भी यात्री ही रहेगा चाहे जितने दिन इसी प्रकार बीत जायें।

मसला न. १५: तीन मंजिल जाने का इरादा करके चला फिर कुछ दूर जाकर किसी कारण इरादा बदल गया और घर लोट आया तो जब से घर लौटने का इरादा किया उसी समय से यात्री नहीं रहा।

मसला न. १६: कोई स्त्री अपने पति के साथ है मार्ग में जितना वह हरेगा उतना ही वह हरेगी उसके बग़ैर अधिक नहीं रह सकती तो ऐसी दशा में पति की नीयत मानी जायेगी यदि पति का इरादा पन्द्रह दिन ठरहने का है तो औरत भी यात्री नहीं रही चाहे ठहरने की नीयत करे या न करे और पुरूष का इरादा कम हरने का है तो औरत भी यात्री है।

मसला न. १७: तीन मंजिल चल कर कहीं पहुंचा तो यदि वह अपना घर है तो यात्री नहीं रहा चाहे कम रहे या अधिक और यदि अपना घर नहीं है तो यदि पन्द्रह दिन हरने कीनीयत हो तो उस समय तो यात्री नहीं रहा अब नमाज़े पूरी-पूरी पढ़े और यदि न अपना घर है और न पन्द्रह दिन ठहरने की नीय्त है तो वहां पहुंच कर भी यात्री ही है चार रकअत फर्ज़ के स्थान पर दो रकअत ही नमाज़ पढ़ता रहे।

मसला न. १८: मार्ग में कई स्थानों पर ठ्हरने का इरादा है। दस दिन यहां पांच दिन वहां बारह दिन वहां लेकिन पन्द्रह दिन कहीं हरने का इरादा नहीं उस समय भी यात्री रहेगा।

मसला न. १९: किसी ने अपना शहर बिल्कुल छोड़ दिया किसी दूसरे स्थान पर अपना घर बना लिया और वहीं रहने सहने लगा अब पहले शहर और घर से कोई मतलब नहीं रहा तो अब वह शहर और परदेश दोनों बराबर है। इसलिए

यदि यात्रा करते समय मार्ग में वह पहला शहर पड़े और दो चार दिन वहां रहना हो तो यात्री होगा नमाज़ यात्री की भांति पढ़े।

मसला न. २०: यदि किसी की नमाज़े यात्रा में कज़ा हो गयीं तो घर आकर भी जुहर अस्त्र और इशा की दोही रकअतें कज़ा पढ़े और यदि यात्रा से पहले जुहर की नमाज़ कज़ा हो गयी तो यात्रा के समय उसकी चार रक़अतें कज़ा पढ़ें।

मसला न. २१: विवाह के पश्चात यदि औरत स्थाई रूप से अपनी सुसराल रहने लगी तो उसका वास्तविक घर सुसराल है तो यदि तीन मंजिल चलकर मां बाप के घर गयी और पन्द्रह दिन ठ्हरने की नीयत नही की तो यात्री रहेगी। यात्री के रूम में नमाज़ रोज़ा अदा करे। यदि वहा का रहना सदैव के लिए नहीं मन में ठाना तो जो वतन पहले से असली था अब भी असली वही रहेगा।

मसला न. २२: दरिया में कश्ती चल रही है और नमाज़ का समय आ गया तो उसी कश्ती पर नमाज़ पढ़ ले यदि खड़ा होकर पढ़ने में सर घूमें तो बैठकर पढ़ ले।

मसला न. २३: रेल पर भी नमाज़ पढ़ने का यही आदेश है कि चलती रेल पर नमाज़ पढ़ना ठीक है यदि खड़ा होकरपढ़ने में सर घूमें या गिरने का भय हो तो बैठ कर पढ़े।

मसला न. २४: नमाज़ पढ़ते समय रेल घूम गयी और किब्ला बिल्कुल दूसरी ओर घूम गया तो नमाज़ ही में घूम जाये और किब्ले कि और मुंह करले।

मसला न. २५: यदि स्त्री को तीन मंजिल जाना हो तो जब तक पुरूषों में से अपना महरम (वह निकटतम सम्बन्धी जिससे निकाह नहीं हो सकता) या पति साथ न हो स्त्री को उस समय तक यात्रा करना ठीक नहीं अजनबी के साथ यात्रा करनी बड़ा गुनाह है और यदि एक मंजिल या दो मंजिल जाना हो तो भी अजनबी के साथ जाना अच्छा नहीं हदीस शरीफ़ में इसकी बड़ी मनाही है

मसला न. २६: जिस समीपवृत्ति को अल्लाह और रसूल का भय न हो और इस्लाम धर्म की पाबन्दी न करता हो ऐसे महरम के साथ भी यात्रा करना ठीक नहीं।

मसला न. २७: तांगा या बहली पर कोई स्त्री जा रही है और नमाज़ का समय आगया तो उतर कर किसी अलग स्थान पर खडी होकर नमाज़ पढ़ ले। इसी प्रकार यदि बहली पर वज़ू न कर सके तो उतर कर वज़ू कर लेवे। स्त्री के पास

में धर्म की बात को प्राथमिकता दे पर्दे की भी वही सीमा रखे जो शरिअत ने बतलाई शरीअत की सीमा से आगे बढ़ना मूर्खता है हाँ पर्दे में अनावश्यक कमी करना बड़ी बुरी बात है और गुनाह है।

मसला न. २८: यदि ऐसा बीमार है कि उसके लिए बैठ कर नमाज़ पढ़ना ठीक है उस समय भी चलते तांगे पर नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं यदि तांगा ठहरा लिया और जुवा बैलों के कन्धों पर रखा हुआ है उस समय भी उस पर नमाज़ पढ़ना ठीक नही बैल अलग कर के नमाज़ पढ़नी चाहिए। घोड़े तांगे का भी यही आदेश है कि जब तक घोड़ा खोलकर अलगन कर दिया जाये उस समय तक उस पर नमाज़ पढ़ना ठीक नहीं।

मसला न. २९: यदि बैठकर नमाज़ पढ़ना ठीक हो तो पालकी पर भी नमाज़ पढ़ना ठीक है। परन्तु जिस समय कहारों के कन्धों पर हो उस समय पढ़ना ठीक नहीं। ज़मीन पर रखवाले तब पढ़े।

मसला न. ३०: यदि ऊंट या तांगे से उतरने में जान माल का भय हो तो उतरे बिना भी नमाज़ ठीक है।

तौबा की नमाज़ का वर्णन

यदि कोई बात धर्म विरूद्ध (पाप) हो जाये तो दो रकअत नमाज़ नफ्ल पढ़ कर अल्लाह के सामने खूब गिड़ गिड़ा कर उससे तौबा करे और अपने किये पर पश्चाताप करें और अल्लाह से क्षमा मांगे और आगे के लिए पक्का इरादा करे कि अब कभी न करूगा इससे वह गुनाह अल्लाह की कृपा से माफ़ हो जायेगा।

यात्रा की नफ़लें

मसला न. १: जब कोई आदमी अपने घर से यात्रा करने लगे तो उसके लिए मुस्तहब है कि दो रकअत नमाज़ घर में पढ़ कर यात्रा करें और जब यात्रा से आये तो मुस्तहब है किपहले मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज़ पढ़ लें इस के पश्चात घर जाये। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि कोई अपने घर में उन दो रकअतों से अच्छी कोई वस्तु नहीं छोड़ जाता जो यात्रा करते समय पढ़ी जाती है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यात्रा से वापस आते तो पहले मस्जिदमें जाकर दो रकअत नमाज़ पढ़ लेते थे।

मसला न. २: यात्री को यह मुस्तहब है कि यात्रा के बींच जब किसी पड़ाव पर पहुंचे और वहां रूकने का इरादा हो तो बैठने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़ ले।

सुन्नत और नफ़्ल नमाज़ों का वर्णन

मसला न. १: फज्र के समय फज्र नमाज़ से पहले दो रकअत नमाज़ सुन्नत है हदीस में इस पर बड़ा बल दिया गया है। कभी इसको न छोड़े यदि किसी कारण देर हो गयी और नमाज़ का समय समाप्ती पर आ गया तो ऐसी मजबुरी के समय केवल दो रकअत फर्ज नमाज़ पढ़ लें। लेकिन जब सुर्य निकल आये और ऊंचा हो जावे तो सुन्नत की दो रकअत कज़ा पढ़ लें।

मसला न. २: जुहर के समय पहले चार रकअत सुन्नत पढ़ें फिर चार रकअत फंर्ज पढ़ें फिर दो रकअत सुन्नत। ज़ुहर की समय ये छः रकअतें भी आवश्यक हैं। इन के पढ़ने पर भी बल दिया गया है। अकारण छोड़ देने से गुनाह होता है।

मसला न. ३: अस्त्र के समय पहले चार रकअतें सुन्नत पढ़ें फिर चार रकअतें फर्ज पढ़ें लेकिन अस्त्र के समय की सुन्नतों पर बल नही दिया गया है। यदि कोई न पढ़ें तो भी कोई गुनाह नही होता और जो कोई पढ़ें उसको बड़ा सवाब मिलता है।

मसला न. ४: मग़रिब (सुर्य छुपते ही) के समय पहले तीन रकअत फर्ज पढ़ें फिर दो रकअत सुन्नत पढ़े। ये सुन्नत भी आवश्यक है। न पढ़ने पर गुनाह होगा।

मसला न. ५: इशा के समय पहले चार रकअत सुन्नत पढ़े फिर चार रकअत फर्ज फिर दो रकअत सुन्नत पढ़े फिर यदि जी चाहे तो दो रकअत नफिल भी पढ ले इस प्रकार इशा की नमाज़ की छःरकअतें सुन्नत हैं यदि कोइ इतनी रकअत सुन्नते न पढ़ें तो पहले चार रकअतें फ़र्ज पढ़ें फिर दो रकअत सुन्नतें पढ़े फिर तीन वित्र पढ़े। इशा के बाद दो रकअत की सुन्नत पढ़ना आवश्यक है। न पढ़ेगा तो गुनेहगार होगा।

मसला न. ६: रमज़ान शरीफ के महिने में तरावीह की नमाज़ भी सुन्नत है। इस पर बडा बल दिया गया है। इस नमाज़ को छोड़ देना और न पढ़ना गुनाह है। स्त्रियां अधिकतर तरावीह कि नमाज़ छोड़ देती है ऐसा कभी भी नही करना चाहिए।इशा के फ़र्ज और दो सुन्नतों के पश्चात बीस रकअत तरावीह पढना चाहिए। दो रकअत की नीयत बाधें चाहें चार रकअत की. मगर दो-दो रकअत

पढ़ना अधिक अच्छा है। जब बीस रकअत पढ़ ले तब वित्र पढ़े।

चेतावनी:- जिन सुन्नतों का पढ़ना आवश्यक है वे सुन्नत मुअक्कदा कहलातीं है और रात दिन में ऐसी सुन्नतें बारह है।

(१) दो फज्र की

(२) चार ज़ुहर से पहले

(३) दो ज़ुहर के बाद

(४) दो मग़रिब के बाद

(५) दो इशा के पश्चात। रमज़ान शरीफ की तरावीह की बीस रकअतें भी सुन्नत मुअक्कदा हैं। कुछ विद्वानो ने तहज्जदु को भी सुन्नत मुअक्कदा बतलाया है।

मसला न. ७: इतनी नमाज़े तो शरिअत की ओर से निश्चित हैं। यदि इस से अधिक किसी को पढ़ने का मन चाहे तो जितना चाहे अधिक पढ़ ले और जिस समय चाहे पढ़े इतना विचार रखें कि जिन वक्तों में नमाज़ पढ़ना मकरूह है उस समय न पढ़े। फर्ज वाजिब और सुन्नत के अतिरिक्त जो कुछ पढ़ेगा उसको नफ्ल कहतें हैं। जितनी अधिक नफ्लें पढ़ेगा उतना ही सवाब मिलेगा। इस की कोई सीमा नही। कुछ अल्लाह के बन्दे ऐसे हुये है जो तमाम रात नफ्ले पढा करते थे।

मसला न. ८: निम्नलिखित नफ्लो के पढने का बहुत अधिक सवाब होता है। इस लिए दुसरी नफअलो से इन का पढ़ना अच्छा है कि थोडी सी मेहनत में बहुत सवाब मिलता है। वें यें है।

(१) तहीयतुल वज़ू

(२) इशराक

(३) चाश्त

(४) अव्वाबीन

(५) तहज्जदु

(६) सला तुत्तस्बीह।

मसला न. ९: तहीयतुल वज़ु इस को कहतें है कि जब कभी वज़ु करे तो वज़ु के पश्चात दो रकअत नफ्ल पढ़ लिया करे। हदीस शरीफ में इसकी बड़ी महत्ता आई है। लेकिन जिस समय नफ्ल नमाज़ मकरूह है उस समय न पढ़े.

मसला न. १०: इशराक की नमाज़ का यह नियम है कि जब फज्र कि नमाज़ पढ़ चुका

तो जिस स्थान पर नमाज़ पढ़ी है वहां से न उठे। उसी स्थान पर बैठे-बैठे कुरान शरीफ या दुरूद शरीफ या कलमा या कोई और दुआ पढ़ता रहे और अल्लाह की याद में लगा रहे दुनिया कि कोई बात चीत न करे। न दुनिया का कोई काम करे। जब सुर्य निकल आये और ऊंचा हो जावे तो दो।रकअत या चार रकअत पढ़ ले तो एक हज और एक उमरे का सवाब मिलता है। यदि फर्ज की नमाज़ के पश्चात किसी दुनिया के धन्धे में लग गया फिर सुर्य ऊचाँ हो जाने पर इशराक की नमाज़ पढ़ी तो भी ठीक है लेकिन सवाब कम हो जोयेगा।

मसला न. ११: फिर जब सुर्य ऊचाँ हो जावे और धुप तेज हो जाये तब कम से कम दो रकअत पढ़े या इससे अधिक पढ़े यानि चार रकअत या आठ रकअत पढ़े या बारह रकअत पढ़े इस को चाश्त कहते है इसका भी बहुत सवाब है।

मसला न. १२: मग़रिब के फर्ज और सुन्नत के पश्चात कम से कम छः रकअतें और अधिक से अधिक बीस रकअतें पढ़े इस को अव्वाबीन कहतें है।

मसला न. १३: आधी रात को उठ कर नमाज़ पढ़ने का बड़ा ही सवाब मिलता है। इसी को तहज्जदु कहते है। यह नमाज़ अल्लाह के यहाँ बडी स्विकार है। सब नफलों से अधिक इसका सवाब मिलता है। तहज्जुद की कम से कम चार रकअतें और अधिक से अधिक बारहं रकअतें है नहो सके तो दो ही रकअतें पढ़ ले आधिरात को हिम्मत न कर सके तो इशा के बाद पढ़ ले मगर वैसा सवाब नही होगा। इसके अलावा भी रात दिन जितनी चाहे नफ्ले पढ़लें

मसला न. १४: सलातुत्तस्बीह का हदीस में बड़ा सवाब आया है और इस के पढ़ने से बहुत अधिक सवाब मिलता है। हजरत मुहम्मद स. ने अपने चाचा हजरत अब्बासरजि. को यह नमाज़ सिखाई थी और कहा था कि इसे पढ़ने से तुम्हारे सब गुनाह अगले-पिछले नये पुराने छोटे-बड़े माफ़ हो जायेगें और कहा था कि हो सके तो प्रतिदिन यह नमाज़ पढ़ लिया करो और प्रतिदिन न हो सके तो सप्ताह में एक बार पढ़ लिया करो यदि सप्ताह में न हो सके तो प्रति माह पढ़ लिया करो और यदि प्रति माह न हो सके तो प्रति साल पढ़ लिया करो यदि यह भी न हो सके तो उम्र में एक बार पढ़ लो।

,इस नमाज़ के पढ़ने का तरिका यह है की चार रकअत कि नियत बाधें और सुब्हान कल्ला हुम्मा और अलहम्दु और सूरत जब पढ़ चुके तो

रुकू से पहले ही पन्द्रह बार यह दुआ पढ़े। सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرْ.

इस के पश्चात रुकू में जाये और सुब्हाहना रब्बीयल अज़ीम कहने के बाद फिर यही दस बार पढ़े। फिर रुकू से उठे और समी अल्लाह हुलीमन हमीदह ,के पश्चात, फिर दस बार पढ़े फिर सज्दे में जाये। सुब्हान रब्बियल आला के बाद फिर यहि दुआ दस बार पढ़े, फिर सज्दे से उठकर दस बार पढ़े फिर दुसरा सज्दा करे इस में भी दस बार पढ़े। सज्दे से उठकर बैठे और दस बार पढ़ कर दुसरी रकअत के लिये खडा हो जावे। इसी प्रकार दुसरी रकअत पढ़े। जब दुसरी रकअत में अत्तहीयात के लिये बैठे तो यही दुआ पहले दस बार पढ़े तव अत्तहीयात पढ़े इसी प्रकार चारो रकअतें पढ़े।

मसला न. १५: इन चारो रकअतों में जो सूरत चाहे पढ़े कोई सूरत निश्चित नही।

दिन में नफ़ल पढ़ने के कुछ मसले

मसला न. १: दिन में नफ्लें पढ़े तो चाहे दो रकअत की नीयत बाधें और चाहे चार-चार रकअत कि नीयत बाधें और दिन को चार रकअत से अधिक की नीयत बान्धना मकरूह है और यदि रात को एक दम से छः- छः-या आठः-आठः-रकअत कि नीयत बाँध ले तो भी ठीक है इससे अधिक की नीयत बान्धना रात में भी मकरूह है।

मसला न. २: यदि चार रकअतो की नीयत बान्धे और चारों पढ़नी भी चाहे तो दो रकअत जब पढ़के बैठे उस समय अधिकार है। चाहे अत्तहीयात के पश्चात दरूद शरीफ़ और दुआ भी पढ़े, फिर बिना सलाम फेरे खड़ा हो जावे, फिर तीसरी रकअत पर सुब्हाना कल्ला हुम्मा पढ़ कर अऊज़ू और बिस्समिल्लाह और अल्लहम्दु से प्ररम्भ कर दे, फिर चौथी रकअत पर बैठकर अत्तहीयात आदि सब पढ़ कर सलाम फेरे और यदि आठ रकअत की नीयत बान्धी है और आठों रकअतें एक सलाम से पुरी करना चाहे तो चौथी रकअत पर

सलाम न फेरे और इसी प्रकार दोनो बातें अब भी ठीक हैं चाहे अत्तहीयत और दुरूद शरीफ़ और दुआ पढ़ कर खड़ा हो जाये और फिर सुब्हान कल्ला हुम्मा पढ़े और चाहे केवल अत्तहीयात पढ़ कर खड़ा हो कर बिस्मिल्लाह और अल्लहम्दु लिल्लाह से प्रारम्भ कर दे और इसी प्रकार छठी रकअत में बैठकर भी चाहे अत्तहीयात दुआ सब कुछ पढ़ कर खडा हो जाये, फिरसुब्हान कल्ला हुम्मा पढ़े और चाहे केवल अत्तहैयात पढ़ के खड़े होकर बिस्मिल्लाह और अल्लहम्दु आरम्भ कर दे और आठवीं रकअत में बैठकर सब कुछ पढ़ कर सलाम फेर दे। इसी प्रकारहर दो रकअत पर इन दोनो बातों का अधिकार है।

मसला न. ३: सुन्नत और नफ्ल कीसब रकअतों में अलह्म्दु के साथ सूरत मिलाना वाजिब है। यदि जानते बुझते सूरत न मिलायेगा तो गुनेहगार होगा और यदि भूल गया तो भुल का सज्दा करना पडेगा और भूल के सज्दे का वर्णन हो चुका।

मसला न. ४: नफ्ल नमाज़ की जब किसी ने नीयत बान्ध ली तो अब उसका पूरा करना वाजिब हो गया। अगर नमाज़ तोड देगा तो गुनेहगार होगा और जो नमाज़ तोड़ी उसकी कज़ा पढ़नी पडेगी। परन्तु नफ्ल की प्रत्येक दो रकअत अलग-अलग है। यदि चार या छः की नीयत बान्धे तो केवल दो ही रकअत का पुरा करना वाजिब है चारों रकअते वाजिब नहीं हुई। इस लिए यदि किसी ने चार रकअत नफ्ल की नीयत की फिर दो रकअत पढ़ कर सलाम फेर दिया तो कुछ गुनाह नही।

मसला न. ५: यदि किसी ने चार रकअत की नीयत बान्धी और अभी दो रकअत पुरी नही हुई थी कि नमाज़ तोड़ दी तो केवल दो रकअत की कज़ा पढ़े।

मसला न. ६: और यदि चार रकअत की नीयत बान्धी और दो रकअत पढ़ चुका तीसरी या चौथी में नीयत तोड़ दी तो यदि दूसरी रकअत पर बैठ कर उसने अत्तहीयात पढ़ी है तो केवल दो रकअत कज़ा पढ़े और यदि दुसरी रकअत पर नही बैठे बिना अत्तहीयात पढ़े भूले से खड़ा हो गया या जान बूझ कर खड़ा हो गया तो चारो रकअतो की कज़ा पढ़े।

मसला न. ७: जुहर की चार रकअत सुन्नत की नीयत यदि टूट जाये तो पुरी चार रकअतें फिर से पढ़े चाहे दो रकअत पर बैठकर अत्तहीयात पढ़ी हो या न पढ़ी हो।

मसला न. ८: नफ़्ल नमाज़ बैठकर भी पढ़ना ठीक है लेकिन बैठ कर पढ़ने आधा सवाब मिलता है इसलिए खड़ा होकर पढ़ना अच्छा है। इस मे वित्र के बाद की भी नफ़्ले आ गयी। हाँ बिमारी के कारण खड़ा न हो सके तो पूरा सवाब मिलेगा और फर्ज नमाज़ और सुन्नत जब तक कोई विवशता न हो बैठकर पढ़ना ठीक नही है।

मसला न. ९: यदि नफल नमाज़ खड़ा होकर आरम्भ की फिर कुछ बैठे-बैठे पढ़ कर खड़ा हो गया यह भी ठीक है।

मसला न.१०: नफ़ल नमाज़ खड़ा होकर आरम्भ की फिर पहली रकअत या दुसरी रकअत में बैठ गया यह भी ठीक है।

मसला न. ११: नफ़ल नमाज़ खड़े-खड़े पढ़ी लेकिन कमजोरी के कारण थक गया तो किसी लाठी या दीवार की टेक लगा लेना और उस के सहारे से खड़ा होना भी ठीक है।

तहीयतुल मस्जिद

मसला न. १: यह नमाज़ उस व्यक्ति के लिए सुन्नत है जो मस्जिद में प्रवेश करे।

मसला न. २: इस नमाज़ का उद्देश्य मस्जिद का सम्मान है जो वास्तव में अल्लाह ही का सम्मान है क्योंकि स्थान का सम्मान स्थान वाले के विचार से होता है इसलिए अल्ला के अतिरिक्त का सम्मान इसका उद्देश्य नहीं बन सकता। मस्जिद में आने के बाद बैठने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़ ले शर्त यह है कि कोई मकरूह समय न हो।

मसला न. ३ : यदि मकरूह समय हो तो केवल चार बार यह कह ले सुब्हानल्लाह अल्हम्दु लिल्लाह, लाइलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु, अकबर और इसके बाद दुरूद शरीफ़ पढ़े। इस नमाज़ की नीयत यह है मैंने यह इरादा किया कि दो रकअतें नमाज़ तहीयतुल मस्जिद पढ़ूं। शब्दों से कहना आवश्यक नहीं है नमाज़ प्रारम्भ करते हुए यदि दिल में इसका विचार कर लेगा तो भी ठीक है।

मसला न. ४ : दो रकअत की बात कुछ विशेष नहीं यदि चार रकअतें पढ़ीं जायें तब भी कोई बुराई नहीं। यदि मस्जिद में आते ही कोई फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी जाये या और कोई सुन्नत अदा की जाये तो वहीं फ़र्ज़ या सुन्नत तहीयतुल मस्जिद

के बदले में हो जायेगी अर्थात तहीयतुल मस्जिद का सवाब भी मिल जायेगा यद्यपि इसमें तहीयतुल मस्जिद की नीयत नहीं की गयी।

मसला न. ५: यदि मस्जिद में जाकर कोई व्यक्ति बैठ जाये और उसके बाद तहीयतुल मस्जिद पढ़े तब भी कोई हर्ज नहीं मगर अच्छा यह है कि बैठने से पहले पढ़ ले हजरत मुहम्मद सल्ल. ने कहा है कि जब कोई मस्जिद में जाया करे तब तक दो रकअत नमाज़ न पढ़ ले न बैठे।

मसला न. ६: यदि मस्जिद में कई बार जाने का अवसर हो तो केवल एक बार तहीयतुप मस्जिद पढ़ लेना काफ़ी है चाहे पहली बार पढ़ ले या अन्त में।

क़त्ल की नमाज़

मसला न. १ : जब कोई मुसलमान कत्ल किया जाता हो तो उसको मुस्तहब है कि दो रकअत नमाज़ पढ़ कर अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह से दुआ करे ताकि यही नमाज़ और क्षमा मांगना दुनिया में उसका अन्तिम कार्य रहे।

हदीस : एक बार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने सहाबियों में से कुछ व्यक्तियों को क़ुरान शरीफ़ की शिक्षा देने के लिए कहीं भेजा था। रास्ते में मक्के के काफ़िरों ने उन्हें बन्दी बना लिया। ह. खुबैब के अतिरिक्त सब को वहीं कत्ल कर दिया गया। हज़रत ख़ुबैब रजि. को मक्के में ले जाकर बड़ी धूम धाम से शहीद किया जब वह शहीद होने लगे तो उन लोगों से अनुमति लेकर दो रकअत नमाज़ षढ़ी। उसी समय से यह नमाज़ मुस्तहब है

वित्र नमाज़ का वर्णन

मसला न. १: वित्र की नमाज़ वाजिब है और वाजिब का दर्जा फर्ज के समीपतर है। इस के छोड़ देने से बड़ा गुनाह होता है और यदि कभी छूट जावे, तो जब अवसर मिलें तो तुरन्त उस की कज़ा पढनी चाहिए।

मसुला न. २: वित्र की तीन रकअतें हैं दो रकअत पढ़ कर बैठे और उत्तहीयात पढ कर दुरूद बिल्कुल न पढ़े बल्कि अत्तहीयात पढ़ने के पश्चात तुरन्त खड़ा हो जावे और अलहम्दु और सूरत पढ़कर अल्लाहु अकबर कहे और कानों तक हाथ उठाये(औरत कन्धों तक उठाये)फिर ान्ध लें, फिर दुआ ए कनूतपढ़कर रूकू करे और तीसरी रकअत पर बैठकर अत्तहीयात व दुरूद शरीफ़ और

दुआ पढ़कर सलाम फेरे।

मसला न. ३: दुआ ए कनूत इस प्रकार है। अल्लाहम्दु इन्ना नस्ताईनुका व नसतग़ फिरूका व नूमिनु बिका व न तवकल्लु अलैका व हुस्नी अलैकल ख़ैर व नश्कुरू का वला नक्फुरूका व नख्लऊ व नतरूकु मैयफ जुरूका अल्ला हुम्मा ईयाका नाबुदू व लका नुसल्ली व नस्जुदू व इलैका नसआ व नहफिदु व नर्जू रहमत का नक्शा अज़ा बका इन्ना अज़ा बका बिल कुफ्फ़री मुल्हिक़।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ۝ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ۝

मसला न. ४: वित्र की तीनो रकअतों में अलहम्दु के साथ सूरत मिलानाचाहिए जैसा कि अभी बर्णन हो चुका है।

मसला न. ५: यदि तीसरी रकअत में दुआ.ए.कनूत पढना भूल गया और जब रूकू में चला गया उस समय याद आगया तो अब दुआ.

ए.कनूत न पढ़े बल्कि नमाज़ की समाप्ती पर भूल का सज्दा करे। यदि रुकु छोड़ कर उठ खड़ा हो और दुआ .ए.कनूत पढ ले तब भी नमाज़ हो गयी लेकिन ऐसा न करना चाहिए था। और भूल का सज्दा ऐसी दशा में भी वाजीब है।

मसला न. ६: यदि भूल से प्रथम या दुसरी रकअत में दुआ.ए.कनूत पढ़ली तो उस की कुछ गिनती नही है। तीसरी रकअत में फिर पढ़ना चाहिए और भूल का सज्दा भी करना पड़ेगा।

मसला न. ७: जिस को दुआ.ए.कनूत याद न हो वह यह पढ़ लिया करे- रब्बना आतिना फिदुनिया ह.स.न तव्व फिल आखि रति ह.स.न तव्व व क़िना

अज़ा बन्नार

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

या तीन बार कहले अल्लाहुम्मग़फिरली اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ

या तीन बार कहे या रब्बी.या रब्बी,या रब्बी

یَارَبِّ یَارَبِّ یَارَبِّ

तो नमाज़ हो जायेगी।

तरावीह का वर्णन

(रमज़ान शरीफ़ में इशा के बाद २० रकअत नमाज़ पढ़ना)

मसला न. १: वित्र का तरावीह के बाद पढ़ना अच्छा है यदि पहले पढ़ लें तब भी ठीक है।

मसला न. २: नमाज़ तरावीह में चार रकअतों के बाद इतनी देर तक बैठना जितनी देर में चार रकअतें पढ़ी गयी हैं। मुस्तहब है। हां यदि इतनी देर बैठने में लोगों को तकलीफ़ हो और जमात में लोगों के कम हो जाने का डर हो तो उससे कम बैठे। इस बैठने में अधिकार है चाहे नफ़लें पढ़े चाहें तस्बीह आदि पढ़े, चाहे चुप बैठा रहे।

सला न. ३: यदि कोई आदमी इशा की नमाज़ के पश्चात तरावीह पढ़ चुका हो और पढ़ चुकने के बाद ज्ञात हुआ कि नमाज़ में कोई बात एसी हो गई थी जिस के कारण इशा की नमाज़ नहीं हुई तो उसको इशा की नमाज़ दौहराने के पश्चात तरावीह को भी दौहराना चाहिए।

सला न. ४: यदि इशा की नमाज़ जमात से न पढ़ी गयी हो तो तरावीह भी जमात से न पढ़ी जाये इसलिए कि तरावीह इशा के आधीन है। हाँ जो लोग जमात से इशा की नमाज़ पढ़ कर तरावीह जमात से पढ़ रहे हैं। उनके साथ मिलकर उस आदमी को भी तरावीह का जमात से पढ़ना ठीक हो जायेगा जिसने इशा की नमाज़ बिना जमात से पढ़ी है क्योंकि वह उन लोगों के आधीन समझा जायेगा जिनकी जमात ठीक है।

सला न. ५: यदि कोई व्यक्ति मस्जिद में ऐसे समय पहुंचा कि इशा कि नमाज़ हो चुकी हो तो उसको चाहिए कि पहले इशा की नमाज़ पढ़ ले फिर तरावीह में सम्मिलित हो और यदि इस बींच तरावीह की कुछ रकअतें हो जायें तो उनको वित्र के पश्चात पढ़े और यह व्यक्ति वित्र जमात से पढ़े।

सला न. ६: रमज़ान के महीने में एक बार क़ुरान शरीफ़ को तरतीब वार तरावीह में पढ़ना सुन्नतें मुअक्कदह है लोगों को काहली और सुस्ती से उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हां यदि डर हो कि पूरा क़ुरान मजीद पढ़ा जायेगा तो लोग नमाज़ में नहीं आयेंगे और जमात टूट जायेगी। या उनको बहुत बुरा लगेगा तो अच्छा है जितना लोगों को बोझ न लगे उतना ही पढ़ा जायेक़ुरान शरीफ के अन्त। तक की दस सूरतें पढ़ दी जायें। प्रत्येक रकअत में एक सूरा फिर जब दस रकअतें हो जायें तो उन्हीं सूरतों को दोबारा पढ़े दे या और जो सूरतें चाह

मसला न. ७: एक क़ुरान मजीद से अधिक न पढ़े। हां यदि मुक़तदी लोग ही चाहते हों तो और बात है।

मसला न. ८: एक रात में पूरे क़ुरान मज़ीद का पढ़ना ठीक है शर्त यह है कि लोग बहुत अधिक इच्छुक हों। उनको बोझ न मालूम होता हो। यदि बोझ मालूम हो तो मकरूह है।

मसला न. ९: तरावीह में किसी सुरा के आरम्भ में एक बार बिस्मल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, ऊंची आबाज से पढ़ देना चाहिए इसलिए कि बिस्मिल्लाह भी

कुरान की एक आयत है यद्यपि किसी सूरा का कोई भाग नहीं। इस लिए यदि बिस्मिल्लाह बिल्कुल न पढ़ी जायेगी। तो कुरान मजीद के पूरा होने में एक आयत की कमी रह जायेगी और यदि धीमी आवाज़ में पढ़ी जायेगी तो मुक्तदियों का क़ुरान मजीद पूरा न होगा।

मसला न. १०: तरावीह का पूरे रमज़ान में पढ़ना सुन्नत है यद्यपि कुरान मजीद महीना पूरा होने से पहले ही समाप्त हो जाये। जैसे पन्द्रह दिन में पूरा क़ुरान शरीफ़ पढ़ लिया जाये तो बाक़ी समय में भी तरावीह का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदह है।

मसला न. ११: ठीक यह है कि क़ुलहु अल्लाह का क़ुरान खत्म करते हुए अनिवार्य रूप से तरावीह में तीन बार पढ़ना जैसा कि आजकल रिवाज़ है मकरूह है।

चन्द्रग्रहन और सूर्य ग्रहन अर्थात कुसूफ़ और ख़ुसूफ़ की नमाज़

मसला न. १: सूरज ग्रहन के समय दो रकअत नमाज़ सुन्नत है।

मसला न. २: सूरज ग्रहन की नमाज़ जमात से अदा की जाये शर्त यह है कि जुमें का इमाम या उस समय का हाकिम या उसका नायब इमामत करे। और कुछ विद्वानों नें कहा है कि प्रत्येक इमाम अपनी मस्जिद में सूरज ग्रहन की नमाज़ पढ़ा सकता है।

मसला न. ३: सूरज ग्रहन की नमाज़ के लिए अज़ान या इक़ामत नहीं बल्कि लोगों का जमा करना उद्देश्य हो तो। यह वाक्य अस्सलातु जमी यतुन (जमात तैयार है।) कहकर आवाज़ लगा दी जाये है।

मसला न. ४: सूरज ग्रहन की नमाज़ में बड़ी बड़ी सूरतों का जैसे सूरा बक़र आदि पढ़ना और रूकू और सज्दों का बहुत देर तक अदा करना सुन्नत है। इसमें कुरान शरीफ़ धीमी आवाज़ में पढ़े।

मसला न. ५: नमाज़ के पश्चात इमाम को चाहिए कि दुआ में लग जाये और मुक्तदी आमीन आमीन कहे। जब तक ग्रहन समाप्त न हो जाये दुआ में लगा रहना चाहिए हां यदि ऐसी दशा में सूर्य डूब जाये या किसी नमाज़ का समय आ जाये तो दुआ रोक कर नमाज़ में लगजाना चाहिए।

मसला न. ६ : चन्द्र ग्रहन के समय भी दो रकअत नमाज़ सुन्नत है। मगर इसमें

जमात सुन्नत नहीं सब लोग अकेले-अकेले नमाज़ पढ़े और अपने-अपने घरों में पढ़ें मस्जिद में जाना भी सुन्नत नहीं।

मसला न. ७ : इसी प्रकार जब कोई भय या मूसीबत सामने आये तो नमाज़ पढ़ना सुन्नत हैं जैसे तेज़ आन्धी चले या भुकम्प आये या बिजली गिरे या सितारे बहुत टूटे या बर्फ बहुत गिरे या पानी बहुत बरसे या कोई बीमारी जैसे हैज़ा, प्लेग आदि फैल जाये या किसी शत्रु आदि का भय हो। मगर इन वक्तों में जो नमाज़ें पढ़ी जायें उनमें जमात न की जाये प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने घरों में अकेला पढ़े। ह. मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम को जब कोई मुसीबत या रंज होता तो नमाज़ में लग जाते।

मसला न. ८: जितनी नमाज़ें यहां बयान हुई उनके अतिरिक्त भी नफ़्ल नमाज़ें जितनी अधिक पढ़ी जायें सवाब में बढ़ोतरी का कारण बनती है। विशेष रूप से उन वक्तों में जिनकी बडाई हदीस में आयी है और उनमें उपासना करने की महत्ता को ह. मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान किया है। जैसे रमज़ान की अन्तिम दस रातों और शाबान की पन्द्रहवीं तारीख़ क्योंकि इन वक्तों की बड़ी बड़ाइयां हैं और इनमें उपासना करने का बड़ा सवाब हदीस में आया है।

इस्तिस्क़ा (वर्षा मांगने के लिए) की नमाज़

जब पानी कीआवश्यकता हो और पानी न बरसता हो उस समय अल्लाह से पानी बरसाने की दुआ करना सुन्नत है। वर्षा के लिए इस प्रकार से दुआ करना अच्छा है कि तमाम मुसलमान मिलकर अपने लड़कों बूढ़ों और जानवरों सहित नंगे पैर विनम्रता के साथ साधारण कपड़ों में जंगल की ओर जायें। तोबा करें और हक़वालों के हक अदा करें और अपने साथ किसी बद दीन को न ले जायें फिर दो रकअत बिना अज़ान और इक़ामत के जमात के साथ पढ़े। इमाम ऊंची आवाज़ से क़ुरान शरीफ़ पढ़े फिर दो खुतबे पढ़ें जिस प्रकार ईद के दिन किया जाता है। इसके पश्चात इमाम क़िब्ले की ओर मुंह करके खड़ा हो जाये। और, दानों हाथ उठाकर अल्लाह से पानी बरसाने की दुआ करे और तमाम उपस्थित लोग भी पानी बरसाने की दुआ करें। तीन दिन लगातार ऐसा ही करें तीन दिन के बाद नही। क्योंकि इससे अधिक हदीस से सिद्ध नहीं। और यदि निकलने से पहले या एक दिन नमाज़ पढ़ने के बाद बारिश

हो जाये तो जब भी तीन दिन पूरे करें और और तीनों दिनों में रोज़े भी रखें तो मुस्तहब है और जाने से पहले दान आदि भी मुस्तहब है।

ईदों की नमाज़ का वर्णन

मसला न. १: शव्वाल के महीने की पहली तारीख़ को ईदुल फितर कहते हैं और जिल हिज्ज की दसवीं तारीख़ को इर्दुल अज़हा कहते हैं ये दोनों दिन इस्लाम में ईद और खुशी के दिन हैं। इन दोनों दिनों में दो रकअत नमाज़ धन्यवाद स्वरूप पढ़ना वाज़िब हैं। जुमा की नमाज़ के ठीक और वाजिब होने के लिए जो शर्तें ऊपर वर्णन हो चुकी हैं वे सब इन दोनों ईदों की नमाज़ में भी हैं। खुतबे के अतिरिक्त क्योंकि जुमें की नमाज़ का खुतबा फर्ज़ और शर्त है और नमाज़ से पहले पढ़ा जाता है। और इन दोनों ईदों की नमाज़ में शर्त अर्थात फ़र्ज़ नहीं सुन्नत हैं और बाद में पढ़ा जाता है मगर ईदों के खुतबे का सुनना भी जुमें के खुतबे की भांति वाज़िब है अर्थात उस समय बोलना चालना नमाज़ पढ़ना सब हराम है। ईदुल फितर के दिन तेरह बातें सुन्नत हैं

१- धर्मानुसार अपने को सजाना।

२- ग़ुसल करना

३- दांतुन करना

४- अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना जो पास हों।

५- खुश्बू लगाना

६- सुबह को बहुत सवेरे उठाना

७- ईदगाह में बहुत सवेरे जाना

८- ईदगाह में जाने से पहले कोई मीठी वस्तु जैसे छोहारे आदि खाना।

९- ईदगाह जाने से पहले सदक़ा ए फितर देना।

१०- ईद की नमाज़ ईदगाह में जाकर पढ़ना यानी शहर की मस्जिद में बिना मजबूरी के न पढ़ना।

११- जिस मार्ग से जाये उसके अतिरिक्त दूसरे मार्ग से वापस आना।

१२- पैदल जाना।

१३- मार्ग में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लहिल हम्द, धीमी आवाज़ से पढ़ते हुए जाना

चाहिए। اللّٰہُ اَکْبَرُ اللّٰہُ اَکْبَرُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ اللّٰہُ اَکْبَرُ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ

मसला न. २: ईदुल फितर की नमाज़ पढ़ने का यह तरीका है कि यह नीयत करे कि दो रकअत वाज़िब ईद की नमाज़ छः वाज़िब तकबीरों के साथ पढ़ता हूं यह नीयत कर हे हाथ बांध ले। और सुब्हान कल्ला हुम्मा अन्त तक पढ़कर तीन बार अल्लाह हुअकबर कहें और हर बार तकबीर तहरीमा की भाति दोनों कानों तक हाथ उठाये और तकबीर के बाद हाथ लटका दे और हर तकबीर के बाद इतनी देर रूके कि तीन बार सुब्हानल्लाह कह सके।तीसरी बार की तकबीर के बाद हाथ न लटकाये बल्कि बान्ध लें और अऊज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ कर सूरा फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़कर कायदे के अनुसार रूकू सज्दा करके खड़ा हो और उस दूसरी रकअत में पहले फतिहा और सूरा पढ़ ले इसके पश्चात तीन तकबीरें इसी प्रकार कहे लेकिन यहां तीसरी तकबीर के बाद हाथ न बांधे बल्कि लटकाये रखे और फिर चौथी तकबीर कह कर रूकू में जाये।

मसला न. ३: नमाज़ के बाद दो खुतबे मेम्बर पर खड़े होकर पढ़े और दोनों खुतबों के बींच उतनी ही देर बैठे जितनी देर जुमें के खुतबे में बैठता है।

मसला न. ४: ईदों की नमाज़ के बाद या खुतबे के बाद दुआ मांगना हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके सहाबियों और उनके पश्चात के बुजुर्गों से सिध्द नहीं किया गया है मगर चूंकि सामान्य रूप से प्रत्येक नमाज़ के बाद दुआ मांगना सुन्नत है इसलिए ईदों की नमाज़ के बाद भी दुआ मांगना सुन्नत होगा।

मसला न. ५: ईदों के खुतबे को पहले तकबीर से प्रारम्भ करे पहले खुतबे में नौ बार अल्लाहु अकबर कहे दूसरे में सात बार।

मसला न. ६: ईदुल अज़हा (बक़र ईद) की नमाज़ का भी यही तरीका है और इसमें भी वे सब बातें सुन्नत हैं जो ईदुल फितर में हैं अन्तर इतना है की ईदुल अज़हा की नीयत में ईदुल फ़ितर के स्थान पर ईदुल अज़हा कहे। ईदुल फितर में ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी वस्तु खाना सुन्नत है यहां नहीं और ईदुल फितर में रास्ते में चलते समय धीरे धीरे तकबीर कहना सुन्नत है और यहां ऊंची आवाज़ से। और ईदुल फितर की नमाज़ देर करके पढ़ना सुन्नत है और ईदुल अज़हा की सवेरे और यहां सद का ए फितर नहीं। बल्कि बाद में कुर्बानी है हैसियत

वालों पर और अज़ान व इक़ामत न यहां न वहां।

मसला न. ७: जहां ईद की नमाज़ पढ़ी जाये वहां उस दिनकोई और नमाज़ पढ़ना मकरूह है नमाज़ से पहले भी और पीछे भी। हा नमाज़ के बाद घर में आकर नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं। नमाज़ से पहले यह भी मकरूह है।

मसला न. ८: औरते और वे लोग जो किसी कारण ईद की नमाज़ न पढ़ें उनको ईद की नमाज़ से पहले कोई नफ़्ल आदि पढ़ना मकरूह है।

मसला न. ९: ईदुल फितर के खुतबे में सदकतुल फितर और ईदुल अज़हा के खुतबे में कुर्बानी के मसलों और तकबीरें तश्रीक़ आदि के नियम बयान करना चाहिए तकबीरें तशरीक़ अर्थात हर फर्ज़ नमाज़ के बाद एक बार- अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द कहना वाजिब है। शर्त यह है कि वह फर्ज़ जमात से पढ़ा गया हो और वह स्थान शहर हो और यह तकबीर औरत और यात्री पर वाजिब नहीं। यदि ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति के मुक़्तदी हों जिस पर तकबीर वाजिब हैं तो इन पर भी तकबीर वाजिब हो जायेगी लेकिन यदि अकेला और औरत और यात्री भी कह ले तो अच्छा है। क्योंकि इमाम अब यूसुफ और इमाम मुहम्मद के विचारों में इन सब पर भी वाजिब है।

मसला न. १०: ये तकबीरे अरफ़े यानी नवीं तारीख़ की फज्र से तेरहवीं तारीख़ की अस्त्र तक कहना वाजिब है। सब तेईस नमाज़े हुई जिन के बाद तकबीर वाजिब हैं।

मसला न. ११: इस तकबीर का ऊंची आवाज़ से पढ़ना वाजिब है स्त्रियां धीमी आवाज से पढ़ें।

मसला न. १२: नमाज़ के बाद तुरन्त तकबीर कहना चाहिए।

मसला न. १३: यदि इमाम तकबीर कहना भूल जाये तो मुक़्तदी को चाहिए कि तुरन्त तकबीर कह दे यह प्रतीक्षा न करे कि जब इमाम कहे तब कहे।

मसला न. १४: ईदुल अज़हा (बक़रईद) की नमाज़ के बाद भी तकबीर कह लेना कुछ विद्वानों के विचार में वाजिब हैं।

मसला न. १५: ईदों की नमाज़ सब इमामों के विचार में कई मस्जिदों में ठीक है।

मसला न. १६ : यदि किसी को ईद की नमाज़ न मिले और सब लोग नमाज पढ़ चुके हों तो वह व्यक्ति अकेला ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसमें

जमात शर्त है इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जमात में मिला और किसी कारण उसकी नमाज़ खराब हो गयी तो वह भी उसकी कज़ा नहीं पढ़ सकता न उस पर इसकी कज़ा वाजिब है। हां यदि कुछ और लोग भी उसके साथ सम्मिलित हो जायें तो पढ़ना वाजिब है।

मसला न. १७: यदि किसी मजबूरी के कारण पहले दिन नमाज़ न पढ़ी जासके तो ईदुल फितर की नमाज़ दुसरे दिन और ईदुल अज़हा की नमाज़ बारहवी तारीख तक पढ़ी जा सकती है।

मसला न. १८: ईदुल अजहा की नमाज़ बिना किसी मज़बूरी के भी बारहवीं तारीख तक देर करने से हो जायेगी मगर मकरूह है। परन्तु ईदुल फितर में अकारण देर करने से नमाज़ न होगी कारणों के उदाहरण ये हैं -

१- किसी कारण इमाम नमाज़ पढ़ाने न आया हो।

२- पानी बरस रहा हो।

३- चान्द की तारीख पूर्ण रूप से सिद्ध न हो और दिन ढलने के बाद जब समय बीत जाये तो सिद्ध हो जाये।

४- बदली के दिन नमाज़ पढ़ी गयी हो और बदली हट जाने पर पता चले कि नमाज़ बे वक्त पढ़ी गयी।

मसला न. १९: यदि कोई आदमी ईद की नमाज़ में ऐसे समय आकर सम्मिलित हो कि इमाम तकबीरे पूरी कर चुका हो और यदि रूकू में आकर मिला हो तो यदि सम्भावना हो कि तकबीरों के कहने के बाद इमाम का रूकू मिल जायेगा तो नीयत बान्ध कर तकबीर कह ले इसके बाद रूकू में जाये और यदि रुकू न मिलने का भय हो तो रूकू में मिल जाये और रूकू की दशा में तस्बीह के स्थान पर तकबीरें कह लें मगर रूकू की दशा में तकबीरें कहते हुए हाथ न उठाये और इससे पहले कि पूरी तकबीरें कह चुके इमाम रूकू से सर उठा ले तो यह भी खड़ा हो जाये और जितनी तकबीरें रह गयी हैं वह इससे माफ़ हैं।

मसला न. २०: यदि किसी की एक रकअत ईद की नमाज़ में चली जाये तो वह जब उसको अदा करने लगे तो पहले क़ुरान पढ़ ले इसके बाद तकबीर कहे। यद्यपि कायदे के अनुसार पहले तकबीर कहना चाहिए था। परन्तु चूंकि इस तरीके से दोनों रकअतों में तकबीरें लगातार हो जाती हैं और इसको किसी सहाबी ने भी नहीं अपनाया इसलिये इसके विपरीत आदेश दिया गया है यदि इमाम

तकबीर भी कहना भूल जाये और रूकू में उसको ध्यान आयें तो उसको चाहिए कि रूकू की हालत में तकबीर कह ले फिर क़ियाम (खड़ा होना) की ओर न लौटे और यदि लौट जाये तब भी ठीक है अर्थात नमाज़ खराब न होगी। परन्तु हर दशा में भीड़ की अधिकता के कारण सज्दा सव्हा न करे।

भय की नमाज़

जब किसी दुश्मन का सामना होने वाला हो। शत्रु चाहे कोई इंसान हो या जानवर या कोई अजगर आदि ऐसी दशा में सब मुसलमान या कुछ लोग भी मिलकर जमात से नमाज़ न पढ़ सके तो सवारियों पर बैठे-बठे संकेतों से अकेले नमाज़ पढ़ लें उस समय क़िब्ले की ओर मुहं करना भी शर्त नहीं, हां यदि दो मनुष्य एक ही सवारी पर बैठे हों तो वे दोनों जमात कर लें और यदि इसका भी अवसर न हो तो मजबूरी है उस समय नमाज़ न पढ़े संतोष के पश्चात उसकी कज़ा पढ़ लें और यदि यह मुमकिन हो कि कुछ लोग मिलकर जमात से नमाज़ पढ़ सकें यद्यपि सब आदमी न पढ़ सकते हों तो ऐसी दशा में उनकों जमात नहीं छोड़नी चाहिए इस नियम से नमाज़ पढ़े कि तमाम मुसलमानों को दो भागों में बांट दिया जाये एक भाग (गिरोह) दुश्मन के मुकाबले पर रहे दूसरा भाग इमाम के साथ नमाज़ पढ़े। यदि तीन चार रकअत की नमाज़ हो जैसे ज़ुहर अस्त्र, मग़रिब और इशा जब कि ये लोग यात्री न हों और कस्त्र न करें, तो जब इमाम दो रकअत नमाज़ पढ़ कर तीसरी रकअत के लिए खड़ा होने लगे, और यदि ये लोग कस्त्र (कमी) यात्री हों या दो रकअत वाली नमाज़ जैसे फज्र, जुमा, ईद की नमाज़ें या यात्री की जुहर अस्त्र, इशा की नमाज़ तो एक ही रकअत के पश्चात यह भाग चला जाये और दूसरा भाग वहां से आकर बाकी नमाज़ इमाम के साथ पढ़े। इमाम को इन लोगों के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए फिर जब बाकी नमाज़ इमाम पूरी कर ले तो सलाम फेर दे। और यह भाग बिना सलाम फेरे दुश्मन के मुक़ाबले में चला जाये। अब पहले लोग फिर यहां आकर अपनी बाक़ी नमाज़ बिना किरात के पूरी कर ले और सलाम फेर दे, इसलिए कि वे लोग लाहिक हैं, फिर ये लोग दुश्मन के मुक़ाबले में चले जायें और दूसरा भाग यहां आकर अपनी नमाज़ क़िरात के साथ पूरी कर ले और सलाम फेर दे क्योंकि कि वे लोग मस्बूक है।

मसला न. १: नमाज़ की दशा में दुश्मन के मुकाबले में जाते समय या वहां से नमाज़ पूरी करने के लिए आते समय पैदल चलना चाहिए, यदि सवार होकर

चलेंगे तो नमाज़ खराब हो जायेगी इसलिए कि यह अमले कसीर हैं।

मसला न. २: दूसरे भाग का इमाम के साथ बाकी नमाज़ पढ़ कर चला जाना और पहले भाग का फिर यहां आकर अपनी नमाज़ पूरी करना उसके पश्चात दुसरे भाग का वहीं आकर नमाज़ पूरी करना मुस्तहब और उत्तम है नहीं तो यह भी ठीक है कि पहला भाग नमाज़ पढ़ कर चला जाये और दूसरा भाग इमाम के साथ बाक़ी नमाज़ पढ़कर अपनी नमाज़ वहीं पूरी कर ले। तब दुश्मन के मुकाबले में जाये। जब ये लोग वहां पहुंच जायें तो पहला भाग अपनी नमाज़ वहीं पढ़ लें यहां न आये।

मसला न. ३: यह तरीक़ा नमाज़ पढ़ने का उस समय है कि जब सब लोग एक ही इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना चाहते हों जैसे कोई बजुर्ग व्यक्ति हो और सब चाहते हों कि उसी के पीछे नमाज़ पढें नहीं तो अच्छा यह है कि एक भाग एक इमाम के पीछे पूरी नमाज़ पढ़ लें और शत्रु के मुकाबले में चला जाये फिर दूसरा भाग दूसरे इमाम के पीछे पूरी नमाज़ पढ़ लें।

मसला न. ४: यदि यह डर हो कि शत्रु बहुत ही समीप है और शीघ्र ही यहा आ जायेगा और इस विचार से उन लोगों ने पहले नियम से नमाज़ पढ़ी, इसके पश्चात यह विचार गलत निकला तो इमाम की नमाज़ ठीक हो गयी। मगर मुक्तदियों को इसे दौहरा लेना चाहिए क्योंकि यह नमाज़ बहुत सख़्त ज़रूरत के लिए नियम विरूद्ध जायज की गयी है। अधिक आवश्यकता के बिना इतना अमले कसीर नमाज़ को खराब करने वाला है।

मसला न. ५: यदि कोई नाजायज़ लड़ाई हो तो उस समय इस तरीके से नमाज़ पढ़ने की आज्ञा नहीं। जैसे बाग़ी लोग इस्लाम के बादशाह पर चढ़ाई करें या दुनिया कि किसी नाज़ायज वस्तु के लालच से कोई किसी से लड़े तो ऐसे लोगों के लिए इतना अमले कसीर माफ़ न होगा।

मसला न. ६: नमाज़ किब्ले की दिशा के विपरीत आरम्भ कर चुके हों कि इतने में शत्रु भाग जाये तो उनको चाहिए कि तुरन्त किब्ले की ओर फिर जायें नहीं तो नमाज़ जायज़ न होगी।

मसला न. ७: यदि संतोष के साथ किब्ले की ओर मुहं करके नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसी दशा में दुश्मन आ जाये तो तुरन्त उनको दुश्मन की ओर घूम जाना चाहिए उस समय किब्ले की ओर मुंह करना शर्त न होगा।

मसला न. ८: यदि कोई आदमी नदी में तैर रहा हो और नमाज़ का समय अन्तिम हो जाये तो उसको चाहिए कि यदि सम्भव हो तो थोड़ी देर अपने हाथ पावं को चलाना बन्द कर दे और संकेतों से नमाज़ पढ़ ले।

काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ने का वर्णन

मसला न. १: जैसा कि काबा शरीफ़ के बाहर उसकी दिशा पर नमाज़ पढ़ना ठीक है वैसे ही काबा के अन्दर भी नमाज़ पढ़ना ठीक है। किब्ले का रूख हो जायेगा चाहे जिस तरफ़ पढ़े क्योंकि वहां चारों ओर किब्ला है। जिस ओर मुंह किया जाये काबा ही काबा है। जिस प्रकार नफ़्ल नमाज़ ठीक है उसी प्रकार फर्ज़ नमाज़ भी ठीक है।

मसला न. २: काबे शरीफ़ की छत पर खड़े हो कर यदि नमाज़ पढ़ी जाये तो वह भी ठीक है क्योकि जिस स्थान पर काबा है वह ज़मीन और उस के ऊप उसकी सीध में जो भाग वहा का आसमान तक है सब किब्ला ही किब्ला है किब्ला केवल काबा की दीवारों तक ही सीमित नहीं है इसी लिए यदि कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़ा होकर नमाज़ पढ़े जहां काबा की दीवारों से बिल्कुल सामना न हो तो उसकी नमाज़ सब विद्वानों के यहां ठीक है परन्तु इसमें काबे की अपमानता है और काबे की छत पर नमाज़ पढ़ने से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मना किया है इसलिए मकरूह तहरीमी होगी।

मसला न. ३: काबे के अन्दर अकेला नमाज़ पढ़ना भी ठीक है और जमात से भी। वहां यह भी शर्त नहीं कि इमाम और मुक्तदियों का मुंह एक ही ओर हो क्योंकि वहा चारों ओर किब्ला है। हां यह शर्त अवश्य है कि मुक्तदी इमाम से आगे बढ़कर खड़ा न हो यदि मुक्तदी का मुंह इमाम के मुंह के सामने हो तब भी ठीक है क्योंकि इस दशा में वह मुक्तदी इमाम से आगे नही कहा जायेगा आगे जब होता है कि जब दोनों का मुंह एक ही ओर होता और फिर मुक्तदी आगे बढ़ा हुआ होता मगर इस दशा में नमाज़ मकरूह होगी क्योंकि किसी आदमी की ओर मुंह करके नमाज़ पढ़ना मकरूह है। परन्तु यदि बींच में कोई वस्तु आड़ कर ली जाये तो ठीक है मकरूह भी नही।

मसला न. ४: यदि इमाम काबे के अन्दर और मुक्तदी काबे से बाहर घेरा बनाये खड़े हों, उस समय भी नमाज़ हो जायेगी परन्तु यदि केवल इमाम काबे के

अन्दर होगा और कोई मुक्तदी उसके साथ न होगा तो नमाज़ मकरूह होगी क्योंकि इस दशा में इस वजह से कि काबे के अन्दर की ज़मीन ऊंची है इमाम का स्थान ६ फीट के बराबर मुक्तदियों से ऊंचा होगा।

मसला न. ५: यदि मुक्तदी अन्दर हों और इमाम बाहर तब भी नमाज़ ठीक है शर्त यह है कि मुक्तदी इमाम से आगे न हों।

मसला न. ६: और यदि सब बाहर हो और एक ओर इमाम हो और चारों ओर मुक्तदी घेरा बनाये ख़ड़े हों जैसा कि आम आदत वहां इसी प्रकार नमाज़ पढ़ने की है तो भी ठीक हैं परन्तु शर्त यह है कि जिस ओर इमाम खडा हैं उस ओर कोई मुक्तदी इमाम के मुकाबले में काबे शरीफ़ के अधिक समीप न हो क्योंकि इस दशा में वह इमाम से आगे समझा जायेगा जो कि मुक्तदी होने में रूकावट हैं। हां यदि दूसरी ओर के मुक्तदी इमाम की अपेक्षा काबे के समीप हों तो कोई बुराई नहीं।

इस्तिख़ारे की नमाज़ का वर्णन

मसला न. १: जब कोई काम करने का निश्चय करो तो अल्लाह से परामर्श ले लो। इस परामर्श को इस्तिरवारा कहते हैं। हदीस शरीफ़ में ऐसा करने को बड़ा सराहा गया है। हज़रत मुहम्मद साहब ने कहा है कि अल्लाह से सलाह न लेना अर्थात् इस्तिख़ारा न करना अभागा पन और कम नसीबी है। कहीं मंगनी करे या शादी करे यो यात्रा करे या ओर कोई काम करे तो बिना इस्तिख़ारा किये न करें ऐसा करने से इंशाअल्लाह कभी अपने किये पर लज्जित न होगा।

मसला न. २: इस्तिख़ारे की नमाज़ का यह नियम है कि पहले दो रकअत नफ़्ल नमाज़ पढ़े। इसके बाद शान्त मन से यह दुआ पढ़े। अल्ला हुम्मा इन्नी अस्तख़ीरूका बिइल्मीका व अस्तक्दिरूका बिकुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़िलकल अज़ीम, फइन्न का तकदीरू व ला आक़दिरू व तालमु व ला आलमु व अन्ता अल्लामुल गयूब। अल्ला हुम्मा इन कुन्तु तालमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरूल्ली फीदनी व मआशी व आक़िबति अमरी फकदुर हूली व यस्सिर्हुली सुम्मबारिकली फीहि व इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रूल्ली फीदीनी व णआशी व आक़िबति अमरी फ़सरिफ़्हु अन्नी वसरिफनी अन्हु व अक़्दिर लियल खैर,

हेसु काना सुम्मा अर्जिनी बिही।

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ

وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَآ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ

وَلَآ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰھُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ ھٰذَا

الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدُرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ

لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ ھٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ

فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِیَ

الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ

जब हाज़ल अम्र के शब्द पर पहुंचे जिस पर लाइन बनी है तो उसके पढ़ते समय उसी काम का ध्यान कर ले जिसके लिए इस्तिखारा करना चाहता हो। इसके पश्चात पाक साफ़ बिछौने पर किब्ले की ओर मुंह करके वज़ू सहित सो जावे जब सो कर उठे उस समय जो बात दिल में दृढ़ता से आये वही अच्छी है उसी को करना चाहिए।

मसला न. ३: यदि एक दिन में कुछ ज्ञात न हो और दिल की शंका दूर न हो तो दूसरे दिन फिर ऐसा ही करे। इसी प्रकार सात दिन तक करे। इंशा अल्लाह अवश्य उस काम की अच्छाई बुराई ज्ञात हो जायेगी।

मसला न. ४: यदि हज़ के लिए जाना हो तो इस्तिखारा न करे कि मैं जाऊं या न जाऊं। बल्कि यूं इस्तिखारा करे कि अमुक दिन जाऊं या न जाऊं।

घर में मौत हो जाने का वर्णन

मसला न. १: जब आदमी मरने लगे तो चित लिटा दो उस के पैर किब्ले की ओर कर दो और सर ऊंचा कर दो ताकि मुंह किब्ले की ओर हो जावे। उसके पास बैठकर ज़ोर-ज़ोर से कलमा पढ़ो ताकि तुमको पढ़ता सुनकर स्वयं भी कलमा पढ़ने लगे। उस को कलमा पढ़ने का आदेश न दो क्योंकि वह समय बड़ी कठिनाई का है न मालूम उस के मुंह से क्या निकल जावे।

मसला न. २: जब वह एक बार कलमा पढ़ ले तो चुप हो रहे। यह प्रयत्न न करे कि बराबर कलमा जारी रहे और पढ़ते पढ़ते दम निकले क्योंकि मतलब तो केवल इतना है कि सब से अन्तिम बात जो उसके मुंह से निकले कलमा होना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं कि दम टूटने तक कलमा जारी रहे। हां यदि कलमा पढ़ लेने के पश्चात फिर कोई दुनिया की बात चीत करे तो फिर कलमा पढ़ने लगो जब वह पढ़ ले तो चुप ही रहो।

मसला न. ३: जब सांस उखड़ जावे ओर जल्ती जल्दी चलने लगे और टांगे ढीली पड़ जावे कि खड़ी न हो सके और नाक टेढ़ी हो जावे और कनपटी बैठ जावे तो समझो उसकी मौत आ गयी उस समय कलमा जोर जोर से पढ़ना प्रारम्भ कर दो।

मसला न. ४: सूरह यासीन पढ़ने से मौत की कठिनाई कम हो जाती है। उस के सर हाने या और कहीं उसके पास बैठकर पढ़ दो या किसी से पढ़वा दो।

मसला न. ५: उस समय कोई ऐसी बात न करो कि उसका मन दुनिया की ओर झुक जावे क्योंकि यह समय दुनिया से जुदाई और अल्लाह के दरबार में उपस्थिति का है। ऐसे काम करो और ऐसी बातें करों कि दुनिया से दिल फिर कर अल्लाह की ओर झुके। इसी में मुर्दे की भलाई है। ऐसे समय बाल बच्चों को सामने लाना या और कोई वस्तु जिससे उसको अधिक प्यार था उसको सामने लाना और ऐसी बातें करना कि उसका मन उनकी ओर खिंचे और उनकी मुहब्बत उसके मन में समा जाये। बड़ी बुरी बात है दुनिया की मुहब्बत लेकर मरा तो बुरी मौत मरा।

मसला न. ६: मरते समय यदि उसके मुंह से अल्लाह न करे कोई इनकार (कुफ़्र) की बात निकल जाये उसका विचार मत करो न उसकी चर्चा करो

बल्कि यह समझों की मौत की कठिनाई से बुद्धि ठीक नहीं रही इसी कारण ऐसा हुआ है और बुद्धि चले जाने पर जो कुछ हो सब माफ़ है। अल्लाह से उसकी बख्शिश की दुआ करते रहो।

मसला न. ७: जब मर जावे तो सब अंग ठीक करो और कपड़े से उसका मुंह इस तरकीब से बान्धों कि कपड़ा ठोड़ी के नीचे से निकल कर उसके दोनों सिरे सर पर ले जाओ और गिरह लगा दो ताकि मुंह फैल न जाये और आंखे बन्द कर दो और पैर के दोनों अंगूंठे मिलाकर बान्ध दो ताकि टांगे फैलने न पाये इसके बाद चादर उढ़ा दो और नहलाने और कफ़नाने में शीघ्रता करो।

मसला न. ८: मुंह आदि बन्द करते समय यह दुआ पढ़े बिस्मिल्लाहि व अला-मिल्लति रसूलिल्लाह

मसला न. ९: मर जाने के पश्चात इसके पास लोबान आदि कुछ सुगन्ध लगा दी जाये और हैज़ व निफ़ास वाली औरत जिसको नहाने की आवश्यकता है उसके पास न रहे।

मसला न. १०: मर जाने के पश्चात जब तक उसको नहलाया न जाये उसके पास क़ुरान शरीफ़ पढ़ना ठीक नहीं।

नहलाने का वर्णन

मसला न. १: जब क़ब्र और कफ़न का सब प्रबन्ध हो जाये और नहलाना चाहो तो पहले किसी तख़्त या बड़े तख़्ते को लोबान या अगर बत्ती आदि सुगन्धित वस्तु की धूनी दो, तीन, पांच या सात बार देकर मुर्दे को उस पर लिटा दो और कपड़े उतार दो और कोई कपड़ा नाफ़ (सून्डी) से लेकर घुटनों तक डाल दो कि इतना शरीर छिपा रहे।

मसला न. २: यदि नहाने की कोई जगह अलग है कि पानी कहीं अलग बह जावेगा तो अच्छा है नहीं तो तख़्त के नीचे गढ़ा खुदवा लें कि सारा पानी उसमें इकट्ठा रहे। यदि गढ़ा न खुदवाया और सारा पानी सारे घर में फैला तब भी कोई गुनाह नहीं तात्पर्य केवल यह है कि आने जाने वालों को कोई तकलीफ़ न हो और कोई फिसल कर न गिर पड़े।

मसला न. ३: नहलाने का नियम यह है कि पहले मुर्दे को इस्तिंजा करा दो लेकिन उसकी रानों और इस्तिंजे के स्थान पर अपना हाथ मत लगाओ

और उस पर दृष्टि भी मत डालो बल्कि अपने हाथ में कोई कपड़ा लपेट लो और जो कपड़ा नाफ़ से लेकर घुटने तक पड़ा है उसके अन्दर-अन्दर धुलाओ कि उसको वज़ू कराओ लेकिन न कुल्ली कराओ न नाक में पानी दो न गट्टों तक हाथ धुलवाओ। पहले मुंह धुलवाओ फिर हाथ कुहनियों सहित फिर सिर का मसा फिर दोनों पैर और यदि तीन बार रूई भिगो कर दांतो और मसूढ़ों पर फेर दी जाये और नाक के दोनों छेदों में फेर दी जाये तो भी ठीक है यदि मुर्दा नहाने की दशा में या स्त्री हैज़ व निफास में मर जाये तो इस प्रकार नाक और मुंह में पानी पहुंचाना अनिवार्य है और नाक और मुंह व कानों में रूई भर दो ताकि वज़ू कराते और नहलाते समय पानी अन्दर न जाने पाये जब वज़ू करा चुको तो सर को गुले खैरू या किसी और वस्तु से जिससे साफ़ हो जाये जैसे बेसन या खली से मलकर धोये और साफ़ करें फिर मुर्दे को बायीं करवट लिटा कर बेरी के पत्ते ड़ाला हुआ पानी पका कर कुछ गर्म-गर्म तीन बार सर से पैर तक डाले यहां तक कि बायीं करवट तक पहुंच जाये फिर दाहिनी करवट लिटा दे और इसी प्रकार सर से पैर तक तीन बार इतना पानी डाले कि दांयी करवट तक पहुंच जाये। इसके बाद मुर्दे को तनिक सी अपने शरीर की टेक लगा कर थोड़ा सा बिठा दे और उसके पेट को धीरे-धीरे मले और दबावें यदि कुछ पाखाना निकले तो उसको धो डाले स्नान में उसके निकलने से कुछ हानि नहीं आयी इसके पश्चात उसको फिर बायीं करवट लिटा दे। और काफ़ूर पड़ा हुआ पानी सर से पैर तक तीन बार डाले फिर सारा शरीर कपड़े से पूंछ कर कफन दो।

मसला न. ४ : यदि बेरी के पत्ते डाल कर पकाया हुआ पानी न हो तो यही सादा गर्म पानी ठीक है इसी से इसी प्रकार तीन बार नहला दो और बहुत तेज़ गर्म पानी से मुर्दे को नहलाना ठीक नहीं। नहलाने का यह जो तरीक़ा वर्ण किया है सुन्नत है। यदि कोई इस प्रकार तीन बार न नहलावे बल्कि एक बार सारे शरीर को धो डाले तब भी फ़र्ज अदा हो जायेगा। यदि साबुन से भी नहला दिया जाये तो कुछ हर्ज नहीं।

मसला न. ५: जब मुर्दे को कफ़न पर रखो तो सर पर इतर लगा दो। यदि मर्द हो तो दाढ़ी पर भी इतर लगा दो फिर माथे और नाक और दोनों हथेलियों

और दोनों घुटनों और दोनो पांव पर काफ़ूर मल दो कुछ लोग कफ़न में इतर लगाते और इतर की फुरेरी कान में रख देते हैं। ये सब अंजान पने की बातें हैं जितना धर्म से सिद्ध है उससे अधिक मत करो।

मसला न. ६: बालों में कंघी न करो नाख़ून न काटो न कहीं के बाल काटो सब इसी प्रकार रहने दो।

मसला न. ७: यदि कोई मर्द मर गया और मर्दों में कोई नहलाने वाला नहीं तो पत्नी के अतिरिक्त और किसी स्त्री को उसे ग़ुसल देना जायज़ नहीं है यद्यपि महरम (निकटतम सम्बन्धी) ही हो। यदि बीवी भी न हो तो उसको तयम्मुम करा दो लेकिन उसके शरीर को हाथ न लगाओ बल्कि अपने हाथ में पहले कपड़ा बान्ध लो या दस्ताने पहन लो तब तयम्मुम कराओं।

मसला न. ८: किसी का पति मर जाये तो पत्नी को उसका नहलाना और कफ़नाना ठीक है और यदि बीवी मर जाये तो पति को उसका शरीर छूना और हाथ लगाना ठीक नही हां देखना ठीक है। और कपड़े के ऊपर से हाथ लगाना भी ठीक है।

मसला न. ९: यदि कोई स्त्री हैज़ या निफ़ास की दशा में हो तो उसको मुर्दा को नहलाना मना है।

मसला न. १०: अच्छा यह है कि जिस का सम्बन्ध अधिक समीप हो स्त्री को वह नहलावे अगर वह न नहला सके तो कोई दीन दार स्त्री नहलावे।

मसला न. ११: यदि नहलाने में कोई कमी देखे दो किसी से न कहे जैसे यदि मरने से उसका जेहरा बिगड़ गया और काला हो गया तो यह भी न कहे और बिल्कुल उसका चर्चा न करे ये सब बुरी बातें हैं हां यदि वह ख़ुल्लम खुल्ला कोई गुनाह करता था जैसे नाचता था या गाना बजाना करता था तो ऐसी बातें कह देना ठीक है ताकि और लोग ऐसी बातों से बचें। और तोबा करें।

मैयत के ग़ुसल के मसले

(मृतक को स्नान देने के मसले)

मसला न. १: यदि कोई व्यक्ति दरिया में डूबकर मर गया हो तो वह जिस समय निकाला जायेगा उसको ग़ुसल देना फर्ज़ है। पानी में डूबना ग़ुसल के लिए काफ़ी

नहीं है। क्योंकि मृतक को नहलाना जिन्दों पर फ़र्ज़ है। डूबने में कोई उनका काम नहीं हुआ हां निकालते समय यदि ग़ुसल की नीयत से उसको पानी में हिला दिया तो ग़ुसल हो जायेगा। इसी प्रकार यदि मैयत के ऊपर पानी बरस जाये या किसी और प्रकार पानी पहुंच जाये तब भी उसको ग़ुसल देना फ़र्ज़ रहेगा।

मसला न. २: यदि किसी आदमी का केवल सर कहीं देखा जाये तो उसको ग़ुसल न दिया जायेगा बल्कि यूं ही दफन कर दिया जायेगा। यदि किसी व्यक्ति का शरीर से आधे अधिक कहीं मिले तो उसका ग़ुसल देना आवश्यक है चाहे सर के साथ मिले या बिना सर के और यदि आधे से अधिक न हो बल्कि आधा हो तो यदि सर के साथ मिले तो ग़ुसल दिया जायेगा नहीं तो नहीं। यदि आधे से कम हो तो ग़ुसल नहीं दिया जायेगा चाहे सर के साथ हो या बे सर के।

मसला न. ३: यदि कोई मैयत कहीं देखी जाये और किसी भी प्रकार यह ज्ञात न हो सके कि यह मुसलमान था या ग़ैर मुसलमान तो यदि अधिक मुस्लिम जन संख्या वाले स्थान में यह बात हुई तो उसको ग़ुसल दिया जायेगा और नमाज़ भी पढ़ी जायेगी।

मसला न. ४: यदि मुसलमानों की लाशें ग़ैर मुसलमानों की लाशों में मिल जाये और कोई पहचान बाक़ी न रहे तो इन सब को ग़ुसल दिया जायेगा और यदि पहचान बाक़ी हो तो मुसलमानों की लाशें अलग कर ली जायें और केवल उन्हीं को ग़ुसल दिया जाये ग़ैर मुसलमानो की लाशों को ग़ुसल न दिया जाये।

मसला न. ५: यदि किसी मुसलमान का कोई ग़ैर मुस्लिम सम्बन्धी हो और वह मर जाये तो उसकी लाश उसके धर्मवालों को दे दी जाये। यदि उसका कोई धर्म वाला न हो या हो मगर लेना न चाहता हो तो मजबूरी की दशा में यह मुसलमान इस ग़ैर मुस्लिम को धो धुला दे

मसला न. ६: बाग़ी लोग या डाकू यदि मारे जायें तो उनके मुर्दों को ग़ुसल न दिया जाये शर्त यह है कि इस्लामी हुकूमत से बग़ावत करते हुए या डाकू डाका डालते हुए मारे गये हों।

मसला न. ७: इस्लाम से फिरा हुआ यदि मर जाये तो उसको भी ग़ुसल न दिया जाये

और उसके मज़हब वाले इसकी लाश मांगे तो उनको भी न दी जाये।

मसला न. ८: यदि पानी न मिलने के कारण किसी मैयत को मयम्मुम कराया गया हौ ओर फिर पानी मिल जाये तो उसको ग़ुसल देना चाहिए।

कफ़नाने का वर्णन

मसला न. १: मर्द को तीन कपड़ो में कफ़नाना चाहिए

(१) एक कुर्ता

(२) इज़ार

(३) चादरा। परन्तु यदि दोही कपड़े हों अर्थात चादर और अज़ार हो कुर्ता न हो तव भी कोई हानि नहीं दो कपड़े भी काफ़ी हैं। हां दो से कम देना मकरूह है। परन्तु कोई मजबूरी और लाचारी हो तो मकरूह भी नहीं।

मसला न. २: औरत को पांच कपड़ों में कफ़नाना चाहिए

(१) कुर्ता

(२) इज़ार

(३) सर बन्द

(४) चादर

(५) सीना (छाती) बन्द। इज़ार सर से लेकर पांव तक होना चाहिए और चादर उस से एक हाथ बड़ी हो और कुर्ता गले से लेकर पांव तक हो लेकिन न उसमें कली हो और न आसतीन और सर बन्द तीन हाथ लम्बा हो और सीना बन्द छातियों से लेकर रानों तक चौड़ा और इतना लम्बा हो कि बन्द हो जाये।

मसला न. ३: यदि कोई पांच कपड़े में न कफ़नाये बल्कि तीन कपड़े में कफ़न देवे एक इज़ार दूसरी चादर तीसरा सर बन्द तो यह भी ठीक है और इतना कफन भी काफ़ी है स्त्री को तीन कपड़ो से कम कफन देना बूरा है हां यदि कोई लाचारी हो तो कम भी ठीक है।

मसला न. ४: सीना बन्द यदि छातियों से लेकर नाफ (सून्डी) तक हो तो भी ठीक है परन्तु रानों तक होना अधिक अच्छा है।

मसला न. ५: पहले कफन को तीन बार या पांच बार या सात बार लौबान आदि की धूनी दे दो तब उसमें मुर्दे को कफनाओं।

मसला न. ६: स्त्री को कफ़नाने का नियम यह है कि पहले चादर बिछाओं फिर इज़ार उसके ऊपर कुर्ता फिर मुर्दे को उसके ऊपर ले जाकर पहले कुर्ता पहनाओ और सर के बालों को दो भागों मे कर के कुर्ते के ऊपर सीने पर डाल दो। एक भाग दायीं ओर और दूसरा बायीं ओर इसके पश्चात सर बन्द सर पर और बालों। पर डाल दों। उस को न बान्धों न लपेटों फिर इज़ार बन्द लपेट दो पहले बायीं ओर लपेट दो फिर दायीं ओर उसके पश्चात सीना बन्दबांध दो, फिर चादर लपेटो पहले बांयी और फिर दांयी और फिर किसी धज्जी से पैर और सर की ओर कफ़न बांध दो और एक बन्द कमर के पास भी बान्ध दो कि मार्ग में कहीं खुल न जाये।

मसला न. ७: सीना बन्द को यदि सर बन्द के बाद इज़ार लपेटने से पहले ही बान्ध दिया तो यह भी ठीक है और सब कफनों के ऊपर से बान्धा तो भी ठीकहै।

मसला न. ८: जब कफना चुकों तो विदा करो कि मर्द लोग नमाज़ पढ़ कर दफना दें।

मसला न. ९: यदि औरतें जनाज़े की नमाज़ पढ़ लें तो भी ठीक है।

मसला न. १०: कब्र के अन्दर या कफन में अहदनामा या अपने पीर का शज्रा या और कोई दुआ रखना ठीक नहीं। इस प्रकार कफन पर या सीने पर काफ़ूर से या रोशनाई से कलमा आदि या और कोई दुआ लिखना भी ठीक नहीं। हां काबा शरीफ़ का गिलाफ़ या अपने पीर का रूमाल आदि कोई कपड़ा बरकत के लिए रख देना ठीक है।

मसला न. ११: जो बच्चा जीवित पैदा हुआ फिर थोड़ी सी देर में मर गया या जन्म लेते ही तुरन्त मर गया तो उसको भी इसी नियम से नहलाया जाये और कफना कर नमाज़ पढ़ी जाये फिर दफना दिया जाये और उसका कुछ नाम भी रख दिया जाये।

मसला न. १२: जो बच्चा मां के पेट ही से मरा हुआ पैदा हुआ है और जन्म लेते समय जीवन का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। उसको भी इसी प्रकार नहलाओ लेकिन नियमानुसार कफन न दो बल्कि किसी एक कपड़े में लपेट कर दफ़न कर दो लेकिन नाम उसका भी कुछ रख दो।

मसला न. १३: यदि गर्भ गिर जाये तो यदि बच्चे के हाथ, पावं, मुंह नाक न बने हों

तो न नहलाओं और न कफनाओ कुछ भी न करें बल्कि किसी कपड़े में लपेट कर एक गढ़ा खोद कर गाड़ दो और यदि उस बच्चे के कुछ अंग बन गये तो उसका वही आदेश है जो मुर्दा बच्चा पैदा होने का है अर्थात नाम रखा जाये और नहला दिया जाये लेकिन नियमानुसार कफनाया न जाये। न नमाज़ पढ़ी जाये। हां कपड़े में लपेट कर दफना दिया जाये।

मसला न. १४: बच्चे का केवल सर निकला उस समय वह जीवित था फिर मर गया तो इसका यही आदेश है जो मुर्दा पैदा होने का। हां यदि अधिक भाग निकल आया उस के पश्चात मरा तो ऐसा समझो कि जीवित पैदा हुआ। यदि सर की ओर से पैदा हुआ तो सीने तक निकलने से समझेंगे कि अधिक भाग निकला और यदि उल्टा पैदा हुआ तो नाफ़ तक निकलना चाहिए।

मसला न. १५: यदि छोटी लड़की मर जाये जो अभी जवान नहीं हुई लेकिन जवानी के क़रीब पहुंच गयी है तो उसके कफन के भी वहीं पांच कपड़ें सुन्नत हैं जो जवान औरत के लिए। यदि पांच कपड़े न दिये तीन ही कपड़े दिये तब भी ठीक है। जो आदेश सयानी स्त्री का है, वही कुवांरी और छोटी लडकी का है परन्तु सयानी स्त्री का बल पूर्वक है और कम उम्र वाली के लिए अच्छा है।

मसला न. १६: जो लड़की बहुत छोटी, हो जवानी के करीब भी नहीं हुई उसके लिए भी अच्छा है कि पांच कपड़ें दिये जायें और दो कपड़ें देना भी ठीक है। एक इज़ार एक चादर।

मसला न. १७: यदि कोई लड़का मर जाये और उसके नहलाने और कफनाने की तुम को आवश्यकता पड़े तो इसी तरकीब से नहला दो। जो ऊपर बयान की गयी और कफ़नाने की भी यही तरकीब है। बस इतना ही अन्तर है कि औरत का कफन पांच कपड़े है और मर्द का कफ़न तीन कपड़े। एक चादर, एक इज़ार, एक कुर्ता।

मसला न. १८: जो चादर चारपाई के ऊपर डाली जाती है वह कफन में सम्मिलित नहीं। कफ़न केवल उतना ही हो जो बयान किया गया है।

मसला न. १९: जिस शहर में कोई मरे वहीं उसका कफन दफन किया जाये दूसरे स्थान पर ले जाना अच्छा नहीं। हाँ यदि कोई स्थान दो.चार किलोमीटर हो वहां ले जाने में कोई बुराई नहीं।

मैयत के कफ़न के कुछ मसले

मसला न. १: यदि मैयत का कोई अंग या आधा शरीर बिना सर के पाया जाये तो उसको भी किसी न किसी कपड़े में लपेट देना काफ़ी है हां यदि आधे धड़ के साथ सर भी हो या आधे से अधिक शरीर का भाग हो चाहे सर भी न हो तो सुन्नत तरीक़े से कफन देना चाहिए।

मसला न. २ : किसी व्यक्ति की कब्र खूल जाये या किसी कारण उसकी लाश बाहर निकल आये और कफन न हो तो उसको भी सुन्नत के तरीके से कफ़न देना चाहिए शर्त यह है कि वह लाश फ़टी न हो और यदि फट गयी हो तो केवल कपड़े में लपेट देना काफ़ी है।

जनाज़े की नमाज़ के मसले

वास्तविकता तो यह है कि जनाज़े की नमाज़ अल्लाह से उस मृतक के लिये दुआ है।

मसला न. १: जनाज़े की नमाज़ के वाजिब होने की वही सब शर्तें हैं जो और नमाज़ों के लिए हम ऊपर लिख चुके हैं हां इसमें एक शर्त और अधिक है वह यह कि इस आदमी की मैयत का ज्ञान भी हो। पस जिस को यह खबर न होगी वह मजबूर है जनाज़े की नमाज़ उस पर आवश्यक नहीं।

मसला न. २: जनाज़े की नमाज़ के ठीक होने के लिए दो प्रकार की शर्तें हैं एक प्रकार की शर्तें वे हैं जो नमाज़ पढ़ने वालों से सम्बन्धित हैं और वे वही हैं जो और नमाज़ों के लिए ऊपर बयान हो चुकी है। अर्थात पाकी किब्ले की ओर मुंह, नीयत आदि। हां समय उसके लिए शर्त नहीं और इसके लिए मयम्मुम नमाज़ न मिलने के भय से ठीक है जैसे जनाज़े की नमाज़ हो रही है और वज़ू करने में यह विचार है कि नमाज़ समाप्त हो जायेगी तो तयम्मुम कर ले। दूसरी नमाज़ों के विपरीत कि उनमें समय बीत जाने का भय है तो भी तयम्मुम ठीक नही।

मसला न. ३: आज कल कुछ लोग जनाज़े की नमाज़ ज़ूता पहने हुए पढ़ते हैं उनके लिए यह बात आवश्यक है कि वह स्थान जिस पर खड़े हुयें हैं और जूते दोनों पाक हों और यदि जुता पैर से निकाल दिया जाये और उस पर खड़े हों तो केवल ज़ूते का पाक होना जरूरी है अधिक तर लोग

इसका विचार नहीं करते उनकी नमाज़ नहीं होती। दूसरे प्रकार की वे शर्तें हैं जिन का सम्बन्ध मैयत से है वे छः हैं

(१) मैयत का मुसलमान होना। काफ़िर और इस्लाम से फिरे हुये की नमाज़ नहीं। मुसलमान यद्यपि अवज्ञाकारी या बिदअति हो उसकी नमाज़ ठीक है। उन लोगों के अतिरिक्त जो इस्लामी बादशाह से बग़ावत करें या डाकू हों। शर्त यह है कि वे लोग बादशाह की बग़ावत के समय लड़ाई में मारे जायें और यदि लड़ाई के बाद या अपनी मौत मर जायें तो फिर उनकी नमाज़ पढ़ी जायेगी। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने अपने बाप या मां को कत्ल किया हो और उसकी सजा में वह मारा जाये तो उसकी नमाज़ भी न पढ़ी जायेगी और जिस व्यक्ति ने आत्म हत्या की हो तो उसकी नमाज़ जनाज़ा ठीक है।

मसला न. ४: जिस बच्चे के मां या बाप मुसलमान हों वह बच्चा मुसलमान समझा जायेगा और उसकी नमाज़ पढ़ी जायेगी।

मसला न. ५: मैयत से तात्पर्य वह व्यक्ति है जो जिन्दा जन्म लेकर मर जाये। यदि मरा हुआ पैदा हुआ हो तो उसकी नमाज़ ठीक नहीं।

शर्त न. २: मैयत के शरीर और कफ़न का हर प्रकार हकीक़ी व हुक्मी गन्दगी से पाक होना हां यदि हक़ीकी नापाकी उसके शरीर से निकली हो और इस कारण उसका शरीर बिल्कुल गन्दा हो गया हो तो कोई बुराई नहीं नमाज़ ज़ायज है।

मसला न. ६: यदि कोई मैयत नजासते हुक्मी से पाक न हो अर्थात उसको गुसल न दिया गया हो या गुसल असम्भव होने की दशा में तयम्मुम न कराया गया हो तो उसकी नमाज़ ठीक नहीं हा यदि उसका पाक होना असम्भव है जैसे बिना गुसल या तयम्मुम कराये दफन कर दिया हो और कब्र पर मिट्टी भी पड़ चुकी हो तो फिर उसकी नमाज़ उसकी कब्र पर उसी दशा में पढ़ना ठीक है। यदि किसी मैयत पर बिना गुसल या तयम्मुम नमाज़ पढ़ी गयी हो और वह दफन कर दिया गया हो और दफन के बाद ख्याल आये कि उसको ग़ुसल नहीं दिया गया था तो उसकी नमाज़ दोबारा उसकी कब्र पर पढ़ी जाये क्योंकि पहली नमाज़ ठीक नहीं हुई। हां चूंकि इस समय गुसल असम्भव है इसलिए नमाज़ हो जायेगी।

मसला न. ७: यदि कोई मुसलमान बिना नमाज़ पढ़े दफन कर दिया गया हो तो उसकी नमाज़ उसकी कब्र पर पढ़ी जायेगी जब तक कि उसकी लाश के फट जाने का विचार न हो। जब खयाल हो कि अब लाश फट गयी होगी तो फिर नमाज़ न पढ़ी जाये और लाश फटने का काल हर स्थान के आधार पर अलग है उसे निश्चित नही किया जा सकता यही अधिक सही है और कुछ लोगों ने तीन दिन कुछ ने दस दिन और कुछ ने एक माह समय बतलाया है।

मसला न. ८: मैयत जिस स्थान पर रखी हो उस स्थान का पाक होना शर्त नहीं। यदि - मैयत पाक पलंग या तख़्त पर हो और यदि पलंग या तख़्त भी ना पाक हो या मैयत को पलंग व तख़्त के अतिरिक्त नापाक ज़मीन पर रख दिया जाये तो इस दशा में मत भेद हैं कुछ विद्वानों के विचार में स्थान का पाक होना शर्त है इसलिए नमाज़ न होगी। कुछ के विचार में शर्त नहीं इसलिए नमाज़ ठीक हो जायेगी।

शर्त न. २: मैयत के शरीर के उतने भाग का ढका हुआ होना जिसका ढकना वाजिब है यदि मैयत बिल्कुल नंगी हो तो उसकी नमाज़ ठीक नहीं।

शर्त नं. ३: मैयत के शरीर का नमाज़ पढ़ने वालों के आगे होना। यदि मैयत नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे हो तो नमाज़ न होगी।

शर्त न. ४: जिस वस्तु पर मैयत हो उसका ज़मीन पर रखा होना। यदि मैयत को लोग अपने हाथो पर उठायें हों या किसी गाड़ी या जानवर पर हो और इसी दशा में उसकी नमाज़ पढ़ी जाये तो ठीक नहीं।

शर्त न. ५: मैयत का वहां उपस्थित होना यदि मैयत वहां उपस्थित न हो तो नमाज़ ठीक न होगी।

मसला न. ९: जनाज़े की नमाज़ में दो बातें फ़र्ज हैं

(१) चार बार अल्लहु अकबर اَللّٰہُ اَکْبَر कहना। प्रत्येक तकबीर यहां एक रकअत के स्थान पर समझी जाती है।

(२) क़ियाम, अर्थात खड़े होकर जनाज़े की नमाज़ पढ़ना। जिस प्रकार फर्ज़ वाजिब नमाज़ों में क़ियाम फर्ज़ है और मज़बूरी के बिना उसको छोड़ना ठीक नहीं। मजबूरी का वर्णन ऊपर हो चुका है।

मसला न. १०: रूकू, सज्दा, क़दा, आदि इस नमाज़ में नहीं।

मसला न. ११: जनाज़े की नमाज़ में तीन बातें सुन्नत हैं।

१- अल्लाह की तारीफ़ करना।

२- हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद पढ़ना।

३- मैयत के लिए दुआ करना। जमात इसमें शर्त नहीं। तो यदि एक व्यक्ति भी जनाज़े की नमाज़ पढ़ ले तो फर्ज़ अदा हो जायेगा। चाहे वह स्त्री हो या पुरूष बालिग़ हो या नाबालिग़।

मसला न. १२: हा, यहां जमात की आवश्यकता अधिक है। इसलिए कि यह मैयत के लिए दुआ है और कुछ मुसलमानों का इकट्ठा हो कर अल्लाह के दरबार में किसी वस्तु के लिए दुआ करना, रहमत के उतरने और दुआ स्वीकार होने के लिए एक विचित्र प्रभाव रखता है।

मसला न. १३: जनाज़े की नमाज़ का सुन्नत और मुस्तहब तरीका यह है कि मैयत को आगे रख कर इमाम उस के सीने के सामने खडा हो जाये और सब लोग यह नीयत करे। कि मैंने यह निश्चय किया है कि जनाज़े की नमाज़ पढ़ूं जो अल्लाह की नमाज़ है और मैयत के लिए दुआ हैं यह नियत करके दोनों हाथ तकबीर तहरीमा के लिए कानों तक उठायें, एक बार अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ नमाज़ की भांति बान्ध ले, फिर सुब्हान कल्लाह हुम्मा अन्त तक पढ़े फिर एक बार अल्लाहु अकबर कहें मगर इस बार हाथ न उठाये इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े और अच्छा यह है कि वही दुरूद शरीफ पढ़े जो नमाज़ में पढ़ा जाता है फिर एक बार अल्लाहु अकबर कहे। इस बार भी हाथ न उठाये। इस तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ करे। यदि बालिग मर्द और औरत हो उसके लिए तो यह दुआ है। अल्लहुम्मग़फिर लिहैयिना व मैयतिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़क रिना व उन सान अल्ला हुम्मा मन अहऐतहू मिन्ना फ अहयही अलल इस्लाम व मन तवफ्फै तहु मिन्ना फ त वफ़्फ़हु अलल ईमान

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا
وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ۝ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ
وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ۝

और कुछ हदीसों में यह दुआ भी आयी है। अल्ला हुम्मग़फिर लहु वर्हमहु आफ़िही व फ़ू अनहु व अकरिम नुज़ुलहू व वस्सी मद खलह वग़सिलहू बिल माइ वस्सल्जि वब बर्दि व नक्क़ि ही मिनल खताया कमा यु नक़्क़ास्सौबुल अब यज़ मिनद नसि व अब्दिलहु दारन खैरम मिन दारिहि व अहलन खैरम मिन अहलिही व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही व अदखिल हुल जन्नत व अइज़हु मिन अज़ा बिल कब्र व अज़ाबिन्नार।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

यदि इन दोनों दुआओं को पढ़ ले तब भी ठीक है बल्कि अल्लामाशामी रह. ने (रदुल मुख्तार में दोनों दुआओं को एक ही में मिलाकर लिखा है। इन दोनों दुआओं के अतिरिक्त और दुआयें भी हदीसों में आई हैं इनको हमारे विद्वानों नें भी लिखा है जिस दुआ को चाहें अपना लें और यदि मैयत नाबालिग़ लड़का हो तो यह दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मज अलहुलना फर तव्वज अलहुलना अज रंव्व व जुख रैव्व वज अल हुलना शाफि अंव्व व मुशफ्फआ।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

और यदि नाबालिग़ लड़की हो तो भी यही दुआ पढ़े केवल इतना अन्तर है कि तीनों इज अलहु إِجْعَلْهُ के स्थान पर इज अलहा إِجْعَلْهَا और शाफिअंव्व व मुशफ्फाआ شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا के स्थान पर शाफि अतंव्व मुशफ्फअतन, شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً पढ़। जब यह दुआ पढ़ चुके तो फिर एक बार अल्लाहु अतबर कहे और इस बार भी हाथ न उठाये और इस तकबीर के बाद सलाम फेर दे इस नमाज़ में अत्तहीयात और क़ुरान शरीफ की आयत नहीं।

मसला न. १४: नमाज़ जनाज़ा इमाम और मुक़्तदी दोनों के हक़ में बराबर है केवल इतना अन्तर है कि इमाम तकबीर और सलाम दुआयें व दुरूद ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे और मुक़्तदी धीमी आवाज़ से।

मसला न. १५: जनाज़े की नमाज़ में मुस्तहब है कि उपस्थित लोगों की तीन सफ़ें कर दी जायें। यहां तक कि यदि केवल सात आदमी हों तो एक आदमी उनमें से इमाम बन जाये और पहली सफ़ में तीन आदमी खड़े हो और दुसरी में दो और तीसरी में एक।

मसला न. १६: जनाज़े की नमाज़ भी उन बातों से खराब हो जाती है जिन बातों से दूसरी नमाज़ें खराब होती हैं केवल अन्तर इतना है कि जनाज़े की नमाज़ में जोर की हंसी से वज़ू नहीं टूटती और स्त्री के बराबर या सामने आने से नमाज़ खराब नहीं होती।

मसला न. १७: जनाज़े कि नमाज़ उस मस्जिद में पढ़ना मकरूह तहरीमी है जो पांचों समय की नमाज़ों या जुमा व ईद की नमाज़ों के लिए बनाई गयी हो चाहे जनाज़ा मस्जिद में हो या मस्जिद के बाहर हो ओर नमाज़ पढ़ने वाले अन्दर हो हां जो मस्जिद विशेष जनाज़े के लिए बनाई गयी हो उसमें मकरूह नहीं।

मसला न. १८: मैयत की नमाज़ में इस उद्देश्य से देर करना कि अधिक नमाज़ी हो जायें मकरूह है।

मसला न. १९: जनाज़े की नमाज़ बैठ कर या सवारी की दशा में पढ़ना ठीक नहीं जब कि कोई मजबूरी न हो।

मसला न. २०: यदि एक ही समय में कई जनाज़ें इकट्ठे हो जायें तो अच्छा है कि प्रत्येक जनाज़े की नमाज़ अलग अलग पढ़ी जाये और यदि तमाम जनाज़ों की एक ही नमाज़ पढ़ी जाये तो भी ठीक है। उस समय चाहिए कि सब जनाजों की लाइन कर दी जाये जिसकी अच्छी दशा यह है कि एक जनाज़े के आगे दूसरा जनाज़ा रख दिया जाये ताकि सब के पैर एक ओर हों और सबक सर एक ओर यह दशा इसलिए अच्छी है कि उस में सब का सीना इमाम के सामने हो जायेगा जो सुन्नत है।

मसला न. २१: यदि जनाज़े भिन्न भिन्न प्रकार के हों तो इस तरतीब से उनकी सफ बान्धी जाये। कि इमाम के समीप मर्दों के जनाज़े उनके बाद लड़को उनके बाद बालिग़ औरतों के इनके बाद नाबालिग़ लड़कियों के।

मसला न. २२: यदि कोई व्यक्ति जनाजे की नमाज़ में ऐसे समय पहुंचा कि कुछ तकबीरें उसके आने से पहले हो चुकी हों तो जितनी तकबीरें हो चुकी हों उनके आधार पर यह व्यक्ति मस्बूक समझा जायेगा। उसको चाहिए कि तुरन्त आते ही अपनी और नमाज़ों की भांति तकबीर तहरीमा कहकर सम्मिलित हो जाये बल्कि इमाम की तकबीर की प्रतीक्षा करे। जब इमाम तकबीर कहे तो उसके साथ यह भी तकबीर कहे और यह तकबीर उसके लिए तकबीर तहरीमा होगी। फिर जब इमाम सलाम फेर दे तो यह आदमी अपनी गयी हुई तकबीरों को पूरा करे। इस में कुझ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई आदमी ऐसे समय पहुंचे कि इमाम चौथी तकबीर भी कह चुका हो तो वह आदमी इस तकबीर के हक़ में मस्बूक न समछा जायेगा। उसको चाहिए कि तुरन्त तकबीर कहकर इमाम के सलाम से पहले शरीक हो जाये और नमाज़ के खत्म होने पर अपनी गई हुई तकबीरों को दौहरा ले।

मसला न. २३: यदि कोई व्यक्ति तकबीर तहरीमा अर्थात पहली तकबीर या किसी और तकबीर के समय उपस्थित था और नमाज़ में संम्मिलित होने को तैयार था मगर सुस्ती या और किसी कारण शरीक न हुआ तो तुरन्त तकबीर कहकर नमाज़ में शरीक हो जाये। इमाम की दूसरी तकबीर की प्रतीक्षा उसको नहीं करनी चाहिए और जिस तकबीर के समय हाज़िर था उस तकबीर का दौहराना उसके ज़िम्मे होगा। शर्त यह है कि इससे पहले कि इमाम दूसरी तकबीर

कहे यह उस तकबीर को अदा करें चाहे इमाम का साथ न हो।

मसला न. २४: जनाज़े की नमाज़ का मस्बूक जब अपनी गयी हुई तकबीरें अदा करे और भय हो कि यदि दुआ पढ़ेगा तो देर होगी और जनाज़ा उसके सामने से उठा लिया जायेगा तो दुआ न पढ़े।

मसला न. २५: जनाज़े की नमाज़ में अगर कोई आदमी लाहिक हो जाये तो उसको वही आदेश है जो और नमाज़ों के लाहिक का है।

मसला न. २६: जनाज़े की नमाज़ में सब से अधिक इमामत का अधिकार उस समय के बादशाह को है। चाहे तक़वा और परहैज़गीरी में उस से अच्छे लोग भी वहां उपस्थित हों। यदि उस समय के मुस्सलिम बादशाह वहां न हो उस का नायब अर्थात जो आदमी उसकी ओर से शहर का हाकिम हो वह इमामत का हक़दार है चाहे परहेज़गारी में उससे अच्छे लोग वहां हाज़िर हों और वह भी न हो तो शहर का काज़ी वह भी न हो तो उसका नायब इन लोगों के होत हुये दूसरे का इमाम बनना यां बनाना इनकी आज्ञा के बिना ठीक नहीं उन्हीं का इमाम बनाना वाजिब है। यदि इनमें से वहां कोई उपस्थित न हो तो उस मुहल्ले का इमाम हक़दार है शर्त यह है कि मैयत के रिश्तेदारों में कोई आदमी उससे अच्छा न हो नहीं तो मैयत के वह रिश्तेदार जिनको वली होने का अधिकार है इमामत का हक़दार है या वह आदमी जिसको वह आज्ञा दे। यदि वली की आज्ञा के बिना किसी ऐसे आदमी ने नमाज़ पढ़ा दी हो जिसको इमामत का हक़ नहीं तो वली को अधिकार है कि फिर दो बारा नमाज़ पढ़े यहां तक कि यदि मैयत दफन हो चुकी हो तो उसकी कब्र पर भी नमाज़ पढ़ सकता है जब तक कि लाश के फटने का विचार न हो।

मसला न. २७: यदि मैयत के वली की आज्ञा के बिना किसी ऐसे आदमी ने नमाज़ पढ़ा दी हो जिसको इमामत का हक़ हो तो फिर मैयत का वली नमाज़ नहीं दौहरा सकता। इसी प्रकार यदि मैयत के वली ने वक्त के बादशाह के उपस्थित न होने की दशा में नमाज़ पढ़ा दी तो बादशाह को दौहराने का अधिकार न होगा बल्कि ठीक यही है कि यदि मैयत का वली वक्त के बादशाह आदि की उपस्थिति में नमाज़ पढ़ ले तब भी वक्त के बादशाह आदि को दोहराने का अधिकार न होगा। यद्यपि ऐसे समय में बादशाह के इमाम न बनाने से वाजिब

के छोड़ने का गुनाह मैयत के उत्तराधिकारियों पर होगा मतलब यह है कि एक जनाज़े की नमाज़ कई बार पढ़ना ठीक नहीं मगर मैयत के वली को जब कि उसकी आज्ञा के बिना किसी ग़ैर हक़दार ने नमाज़ पढ़ा दी हो दौहराना ठीक है।

दफ़न के मसले

मसला न. १: मैयत का दफ़न करना फर्ज़ किफ़ाया है। जिस प्रकार इसका ग़ुसल और नमाज़ ।

मसला न. २: जब मैयत की नमाज़ से निबट जायें तो तुरन्त उसको दफन करने के लिए जहां कब्र खुदी है ले जाना चाहिए।

मसला न. ३: यदि मैयत कोई दूध पीता बच्चा हो या उससे कुछ बड़ा हो तो लोगों को चाहिए कि उसको हाथ में ले जाये अर्थात एक आदमी उसको अपने दोनों हाथों पर उठा ले फिर उससे दुसरा आदमी ले ले। इसी प्रकार बदलते हुए ले जाये और यदि कोई बड़ा आदमी हो तो उसको किसी चारपाई आदि पर रखकर ले जाये और उसके चारों पायों को एक एक आदमी उठाये मैयत की चारपाई हाथो से उठा कर कन्धों पर रखना चाहिए सामान कि भांति कन्धों पर लादना मकरूह है इसी प्रकार बिना मजबूरी उसका किसी जानवर या गाड़ी आदि पर रख कर ले जाना मकरूह है और मजबूरी हो तो उसका किसी जानवर या गाड़ी आदि पर रख कर ले जाना मकरूह नही जैसे कब्रिस्तान बहुत दूर है।

मसला न. ४: जनाज़े का तेज़ रफ़तार से ले जाना सुन्नत है मगर इतना नहीं कि लाश के गिरने का भय होने लगे। अपमान भी नहीं करना चाहिए।

मसला न. ५: मैयत के उठाने का ठीक तरीक़ा यह है कि पहले उस का अगला दाहिना पाया अपने दाहिने कन्धे पर रख कर कम से कम दस कदम चले इसके बाद पिछला दाहिना पाया दाहिने कन्धे पर रख कर कम से कम दस कदम चलें इसके बाद बाया पाया अपने कन्धे पर रख कर कम से कम दस कदम चलें फिर पिछला बायां पाया बायें कन्धे पर रख कर कम से कम दस क़दम चले ताकि चारो पायों को मिलाकर चालीस कदम हो जाये।

मसला न. ६: जो लोग जनाज़े के साथ जायें उनको इससे पहले कि जनाज़ा कन्धों से उतारा जाये बैठना मकरूह है हां यदि कोई जरूरत हो तो

कोई बुराई नहीं।

मसला न. ७: जो लोग जनाज़े के साथ न हो बल्कि कहीं बैठे हों उनको जनाज़े को देखकर खड़े हो जाना चाहिए।

मसला न. ८: जो लोग जनाज़े के साथ हों उनको जनाज़े के पीछे चलना मुस्तहब है। यद्यपि जनाजें के आगे चलना भी ठीक है। हां यदि सब लोग जनाज़ें के आगे हो जायें तो मकरूह है इसी प्रकार जनाज़ें के आगे किसी सवारी पर चलना भी मकरूह है।

मसला न. ९: जनाज़ें के साथ पैदल चलना मुस्तहब है और यदि किसी सवारी पर हो तो जनाज़े के पीछे चले।

मसला न. १०: जनाज़े के साथ जो लोग हों उनको कोई दुआया अल्लाह का जिक्र ऊंची आवाज़ से पढ़ना मकरूह है मैयत की कब्र कम से कम उसके आधे कद के बराबर गहरी होनी चाहिए कद से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके कद के बराबर लम्बी हो और बग़ली कब्र अधिक अच्छी है हां यदि ज़मीन अधिक नर्म हो कि बग़ली खोदने में कब्र के बैठ जाने का भय हो तो बगली कब्र न खोदी जाये।

मसला न. ११: यह भी ठीक है कि यदि बग़ली कब्र न खुद सके तो मैयत को किसी संदूक में रख कर दफन कर दें चाहे सन्दूक लकड़ी का हो या पत्थर का या लोहे का अच्छा यह है कि सन्दूक में मिट्टी बिछा दी जाये।

मसला न. १२: जब कब्र तैयार हो चुके तो मैयत को किब्ले की ओर से कब्र में उतार दे उसका उपाये यह है कि जनाज़ा कब्र से किब्ले की ओर रखा जायऔर उतारने वाले किब्ला रुख खड़े होकर मैयत को उठाकर कब्र में रख दें।

मसला न. १३: कब्र में उतरने वालों का टांक या जुफ़्त में होना सुन्नत नहीं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आप की कब्र में चार आदमियों नें उतारा था।

मसला न. १४: कब्र में रखते समय बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लती रसुललिल्ला हि بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ कहना मुस्तहब है।

मसला न. १५: मैयत के कब्र में रख कर दाहिने करवट पर उसको किबल रूख कर देना सुन्नत है।

मसला न. १६: कब्र में रखने के पश्चात कफ़न खुल जाने के भय से जो गांठ दी गयी थी खोल दी जाये।

मसला न. १७: इसके पश्चात कच्ची ईंटों या नरकल से बगली को बन्द कर दें पक्की ईंटों, या लकड़ी के तख़्तों से बन्द करना मकरूह है। जहां ज़मीन बहुत नर्म हो कि कब्र बैठ जाने का डर हो पक्की ईंटे या लकड़ी के तख़्ते रख देना या सन्दूक में रखना भी ठीक है।

मसला न. १८: स्त्री को कब्र में रखते समय पर्दा करके रखना मुस्तहब है और यदि मैयत के शरीर के प्रकट हो जाने का भय हो तो पर्द वाजिब है।

मसला न. १९: मर्दों के दफ्न करते समय पर्दा नहीं करना चाहिए हां यदि मजबूरी हो जैसे पानी बरस रहा हो या बर्फ़ गिर रहा हो या धूप कड़ी हो तो फिर ठीक है।

मसला न. २०: जब मैयत को कब्र में रख चुकें तो जितनी मिट्टी उसकी कब्र से निकली है वह सब उस पर डाल दे उससे अधिक मिट्टी डालना मकरूह है जबकि बहुत अधिक हो कि कब्र एक बालिश्त से अधिक ऊचीं हो जायें और यदि थोड़ी हो तो मकरूह नहीं।

मसला न. २१: कब्र में मिट्टी डालते समय मुस्तहब है कि सिराहने की ओर से आरम्भ किया जाये और प्रत्येक व्यक्ति अपने दोनों हाथों में मिट्टी भर कर डाल दे और पहली बार पढ़े मिनहा खलकना कुम और مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ दूसरी बार वफीहा नुईदुकुम وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ और तीसरी बार व मिनहा نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى नुख़रिजु कुम ता रतन उख़रा। وَمِنْهَا

मसला न. २२: दफ़न के बाद थोड़ी देर तक कब्र पर ठहरना और मैयत के लिए मग़फिरत की दुआ करना या कुरान मजीद पढ़ कर उसको सवाब पहुंचाना मुस्तहब है।

मसला न. २३: मिट्टी डाल चुकने के पश्चात कब्र पर पानी छिड़कना मुस्तहब है।

मसला न. २४: किसी मैयत को छोटा हो या बड़ा मकान के अन्दर दफन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बात रसूलों के साथ विशेष है।

मसला न. २५: कब्र का चोकोर बनाना मकरूह है। मुस्तहब यह है कि ऊठं के कुहान कि भांति एक बालिश्त या उससे अधिक उठी हुई बनायी जाये कि किनारों

से ढलवां और बींच से उभरी हुई बनाई जाये उसकी ऊंचाई एक बालिश्त या इससे कुछ अधिक होना चाहिए।

मसला न. २६: कब्र का एक बालिश्त से बहुत अधिक ऊंचा करना मकरूह तहरीमी है कब्र पर गच करना या उस पर मिट्टी लगाना मकरूह है।

मसला न. २७: दफन कर चुकने के बाद कब्र पर कोई इमारत जैसे गुम्बद बनाना सजावट के रूप में हराम है और मज़बूती के लिए मकरूह है मैयत की कब्र पर कोई वस्तु यादगार के रूप में लिखना जायज़ है शर्त यह है कि कोई ज़रूरत हो नहीं तो जायज़ नहीं परन्तु इस युग में लोगों ने अपने विश्वास व अमल को बहुत खराब कर लिया है और इन ख़राबियों से अच्छी वस्तु भी बूरी हो जाती है इसलिए ऐसे मामले बिल्कुल नाजायज़ होंगे और जो जरूरतें ये विभिन्न लोग बयान करते हैं सब बहाने हैं जिनको वे दिल में स्वयं भी समझते हैं।

जनाज़ें के कुछ दूसरे मसले

मसला न. १: यदि मैयत को कब्र में किब्ला रूख़ करना याद न रहे और दफ़न करने और मिट्टी डालने के बाद याद आये तो फिर किब्ला रूख करने के लिए उसकी कब्र खोलना ठीक नहीं। हां यदि केवल तख़्ते रखे गये हों मिट्टी न डाली हो तो वहां तख़्ते हटा कर उसको किब्ला रूख़ कर देना चाहिए।

मसला न. २: स्त्रियों को जनाज़े के साथ जाना मकरूह तहरीमी है।

मसला न. ३: रोने वाली या बयान करने वाली औरतों का जनाज़े के साथ जाना मना है।

मसला न. ४: मैयत को कब्र में रखते समय अज़ान कहना बिदअत है।

मसला न. ५: यदि इमाम जनाज़े की नमाज़ में चार तकबीर से अधिक कहे तो हनफीं मुक्तदियों को चाहिए कि इन अधिक तक बीरों में उनका साथ न दें बल्कि चुप खड़ें रहें जब इमाम सलाम फेरे तो स्वयं भी सलाम फेर दे।

मसला न. ६: यदि कोई व्यक्ति नाव पर मर जाये और ज़मीन वहां से इतनी दूर हो कि लाश के सड़ने का भय हो तो उस समय चाहिए कि गुसल और कफ़नाने और नमाज़ के पश्चात उसको दरिया में डाल दें और यदि किनारा इतना दूर न हो और वहां शीघ्र उतरने की आशा हो तो उस लाश को रखा रहने दें

और ज़मीन में दफ़न करें।

मसला न. ७: अगर किसी आदमी को जनाज़े कि वह दुआ जो लिखी गयी है याद न हो तो उसको केवल अल्लाह हुम्मग़फिर लिल मुमिनीन वलमिनात اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ कह देना काफ़ी है। यदि यह भी न हो सुके और चार तकबीरों को ही काफ़ी समझा जाये तब भी नमाज़ ठीक हो जायेगी क्योकिं दुआ फ़र्ज नहीं सुन्नत है। इसी प्रकार दुरूद शरीफ़ भी फर्ज नहीं।

मसला न. ८: जब कब्र में मिट्टी पड़ चुके तो उसके पश्चात मैयत का कब्र से निकालना जायज नहीं। हां यदि किसी का हक़ मारा जाता हो तो निकालना ठीक है।

उदाहरण १: ज़िस ज़मीन में उसको दफ़न किया है वह किसी दूसरे की मिलकियत हो और उसके दफन पर वह राज़ी न हो।

उदाहरण न. २: किसी आदमी का माल कब्र में रह गया हो।

मसला न. ९: यदि कोई औरत मर जाये और उसके पेट में जीवित बच्चा हो तो उसका पेट चाक करके बच्चा निकाल लिया जाये। इसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी का माल निग़ल कर मर जाये और माल वाला माल मांगे तो वह माल उसका पेट चाक कर के निकाल लिया जाये। परन्तु यदि वह व्यक्ति माल छोड़कर मरा हो तो उसमें से वह माल उदा कर दिया जाये। और पेट चाक न किया जाये।

मसला न. १०: दफन करने के पहले लाश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक दफन करने के लिए ले जाना अच्छा नहीं। जबकि वह स्थान एक दो मील से अधिक दुर न हो और यदि उससे अधिक हो तो जायज. नहीं और दफन के बाद कब्र खोद कर लाश ले जाना तो प्रत्येक दशा में नाजायज़ है।

मसला न. ११: मैयत की प्रशंसा करना पद में हो या गद्य में जायज़ है। शर्त यह है कि तारीफ़ में किसी प्रकार कि अतिशयोक्ति न हो, अर्थात ऐसी तारीफ़ न की जाये जो उसमें न हों।

मसला न. १२: मैयत के प्रियजनों को संतोष व तसल्ली देना और सब्र की बड़ाइयां और उसका सवाब बताना उनके और मैयत के लिए दुआ करना ठीक है। इसी को ताज़ियत कहते हैं। तीन दिन के बाद ताज़ियत करना मकरूह

तंजीही है। लेकिन ताज़ियत करने वाला या मैयत का रिश्तेदार यात्रा में हो और तीन दिन बाद में आये तो इस दशा में तीन दिन के बाद भी ताजीयत करना मकरूह नहीं जो व्यक्ति एक बार ताज़ियत कर चुका तो उसको दो बारा ताज़ियत करना मकरूह है।

मसला न. १३: अपने लिए कफन का तैयार रखना मकरूह नहीं कब्र का तैयार रखना मकरूह है।

मसला न. १४: मैयत के कफन पर बिना रोशनाई के वैसे ही उंगली से कोई दुआ जैसे अहदनामा आदि लिखना या उसके सीने पर बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम और माथे पर कलमा लाइलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूललुल्लाह लिखना ठीक है। मगर किसी सही हदीस से इसका सुबूत नहीं। इसलिए सुन्नत या मुस्तहब होने का कोई विचार नहीं रखना चाहिए।

मसला न. १५: कब्र पर कोई हरी डाली रख देना मुस्तहब है और यदि उसके पास कोई पेड़ निकल आया हो तो उसका काट डालना मकरूह है।

मसला न. १६: एक कब्र में एक से अधिक लाश दफन न करनी चाहिए मगर आवश्यकता के समय ठीक है। फिर यदि सब मर्द ही मर्द हों तो उनमें जो सब से उत्तम हो उसको आगे रखें बाकी सब को उसके पीछे दर्जा व दर्जा रखें। और यदि कुछ मर्द और कुछ औरतें हों तो मर्दों को आगे रखें और उनके पीछे औरतों को।

मसला न. १७: कब्रों के दर्शन करना अर्थात जाकर उनकी जियारत करना मर्द के लिए मुस्तहब है। हर सप्ताह में कम से कम एक बार कब्रों की जियारत की जाये और अच्छा यह है कि वह दिन जुमें का हो। बज़ुर्गों की कब्रों की जियारत करने के लिए यात्रा करके जाना भी ठीक है जब कि कोई अक़ीदा और कार्य धर्म विरूद्ध न हो। जैसे आजकल उर्सों में खराबियां होती हैं।

शहीद होने की शर्तें

१- मुसलमान होना

२- बुद्धिमान और बालिग़ होना।

३- इस प्रकार मारा जाना कि उसके कत्ल पर धन का लालच वाज़िब न हो सके।

४- घायल होकर पुराना न हुआ हो अर्थात खाने, पीने, सोने और दवाई से इलाज का अवसर न मिला हो।

५- बड़ी नापाकी (ऐसी नापाकी जिसको दूर करने के लिए स्नान करना पड़े) से पाक हो।

६- डाकुओं के हाथ इसी प्रकार बाग़ियों के हाथ आदमी जिस प्रकार भी मारा जाये (चाहे धारदार हथियार से या बिना धार दार हथियार से) वह शहीद होगा।

७- जो व्यक्ति अपनी या दूसरों की जान-माल की सुरक्षा में जिस प्रकार भी अर्थात धारदार या बिना धारदार हथियार से मारा जाये शहीद होता है।

८- इसी प्रकार हिन्दुस्तान में प्रतिदिन फ़िसाद करने वालों के हाथों जिस दसा में भी मुसलमान मारा जाये शहीद होगा क्योंकि फ़िसाद करने वाले डाकुओं और बाग़ियों की भांति समझे जायेंगे।

९- इसी प्रकार वह मुसलमान भी शहीद हैं जिसको किसी व्यक्ति ने अत्याचार से किसी धार दार हथियार से मार दिया हो। और मारने वाले पर क़िसास वाज़िब हो।

यहां नमाज़ से या मस्जिद के भवन से सम्बन्ध रखने वाले आदेशों का वर्णन है।

हम यहाँ केवल उन्हीं आदेशों का वर्णन करते हैं जो नमाज़ से या मस्ज़िद के अपने अस्तित्व से सम्बन्धित हैं।

मसला न. १ : मस्जिद के दरवाज़े का बन्द करना मकरूह तहरीमी है। हां यदि नमाज़ का समय न हो तो माल असबाब की सुरक्षा के लिए दरवाज़ा बन्द कर लिया जाये तो ठीक है।

मसला न. २ : मस्जिद की छत पर पाखाना पेशाब या सम्भोग करना ऐसा ही है जैसा मस्जिद के अन्दर।

मसला न. ३ : जिस घर में मस्जिद हो उस पूरे घर को मस्जिद नहीं माना जायेगा इसी प्रकार उस स्थान को भी मस्जिद नहीं मानेंगे जो ईदों या जनाज़े की नमाज़ के लिए निश्चित की गयी है।

मसला न. ४: मस्जिद की दीवारों पर बेल बूंटे बनाना, यदि अपने खास माल से हो तो ठीक है। मगर किब्ले वाली दीवार पर मकरूह है और यदि मस्जिद की आमदनी में से हो तो जायज़ नहीं।

मसला न. ५ : मस्जिद की दीवारों पर क़ुरान शरीफ़ की आयतों या सूरतों को

लिखना अच्छा नहीं।

मसला न. ६: मस्जिद के अन्दर या उसकी दीवार पर थूकना या नाक साफ़ करना बहुत बुरी बात है और यदि अधिक जरूरत हो तो अपने कपड़े आदि में ले ले।

मसला न. ७: मस्जिद के अन्दर वज़ू या कुल्ली करना महरूह तहरीमी है।

मसला न. ८: नापाक अर्थातजिस पर गुसल वाज़िब है और हैज़ वाली औरत को मस्जिद के अन्दर जाना गुनाह है।

मसला न. ९: मस्जिद के अन्दर कोई वस्तू खरीदना बेचना मकरूह तहरीमी है। हां एतकाफ़ की दशा में आवश्यकतानुसार खरीदना बेचना ठीक है। आवश्यकता से अधिक उस समय भी ठीक नहीं। शर्त यह है कि वह वस्तु मस्जिद में न हो। केवल मोल मस्जिद में किया हो।

मसला न. १०: यदि किसी के पैर में मिट्टी आदि लग जाये तो उसको मस्जिद की दीवार या सुतून से पूंछना ठीक नहीं मकरूह है।

मसला न. ११: मस्जिद के अन्दर वृक्षों का लगाना ठीक नहीं इसलिए कि यह तरीक़ा यहूदी व ईसाइयों का है। हा यदि इस में मस्जिद का कोई लाभ हो तो ठीक है जैसे मस्जिद की ज़मीन में सीलन अधिक हो कि दीवारों के गिर जाने का भय हो तो ऐसी दशा में पेड़ लगा ना ठीक है ताकि वह सीलन को सोख ले।

मसला न. १२: मस्जिद को रास्ता बनाना ठीक नहीं हां यदि सख्त आवश्यकता हो तो कभी कभी ऐसी दशा में मस्जिद से होकर जाना ठीक है।

मसला न. १३ : मस्जिद में किसी मिस्त्री को अपना धन्धा करना ठीक नहीं क्योंकि मस्जिद दीन के कामों विशेष रूप से नमाज़ के लिए बनायी जाती है। इस में दुनिया के काम न होने चाहिए। यहां तक कि जो आदमी क़ुरान शरीफ़ आदि वेतन लेकर पढ़ाता हो वह भी धन्धे वालों में शामिल है। उस को मस्जिद से अलग बैठ कर पढ़ाना चाहिए। हां यदि कोई व्यक्ति मस्जिद की सुरक्षा के लिए मस्जिद में बैठे और साथ में अपना काम भी करता जाये तो कुछ बुराई नहीं जैसे कोई कातिब (सुन्दर लेख लिखने वाला) या दर्जी आदि मस्जिद के अन्दर सुरक्षा केउद्देश्य से बैठे और साथ ही अपनी कितावत (लेखन) या सिलाई भी करता जाये तो ठीक है।

कुछ शब्दों की व्याख्या

१. **अमले कसीर** : -नमाज पढ़ते हुए नमाज़ के अतिरिक्त कोई ऐसा काम करना जिस में दोनों हाथ लगते हो और देखने वाला यह समझे कि यह व्यक्ति नमाज़ नही पढ़ रहा है।

२. **इक़ामत कहना** : जमात शुरू करते समय नमाज़ियों को जमात की सूचना देने के लिए अज़ान के शब्दों को कहना परन्तु इसमें हैया अलल फला के बाद क़द का मतिस्सलाह दो बार बढ़ाया जाता है।

३. **कस्र** : चार रकअत वाली फ़र्ज नमाज़ को यात्री का दो रकअतों में पढ़ना।

४. **कादे**: दो रकअत नमाज़ पढ़ कर बैठने को कादा कहते हैं यदि चार या तीन रकअतों वाली नमाज़ है तो दो रकअत पर बैठने को पहला कादा और तीन या चार रकअत पर बैठने को अन्तिम कादा कहते हैं और यदि दो रकअत वाली नमाज़ है तो उसमें एक ही अन्तिम कादा होगा।

५. **ख़लीफ़ा** :- यहाँ ख़लीफ़ा से तात्पर्य वह आदमी है जिसको इमाम किसी मजबूरी के कारण जमात में इमामत से हटते हुए मुकतदियों में से अपने स्थान पर खड़ा कर दें।

६. **छोटी नापाकी** : जिससे पवित्रता प्राप्त करने के लिए वज़ू काफ़ी है।

७. **फ़र्जे एन** : ऐसा कार्य जो प्रत्येक व्यक्ति पर करना अनिवार्य है।

८. **फर्ज़ किफाया**: वह फर्ज है जो सब पर फर्ज़ होता है परन्तु कुछ के कर लेने से सब पर से उतर जाता है।

९. **फ़ासिक़** : ऐसा व्यक्ति जो पाप करने में लज्जा अनुभव नहीं करता और ख़ुल्लम खुल्ला गुनाह करता है।

१०. **बड़ी नापाकी** : उस नापाकी को कहते हैं जिससे पवित्रता प्राप्त करने के लिए ग़ुसल अनिवार्य है। केवल वज़ू काफ़ी नहीं है।

११. **बिना** : नमाज़ पढ़ने में यदि वज़ू टूट जाये और वज़ू करने के पश्चात आदमी जहाँ से नमाज़ छूटी है वही से फिर आरम्भ कर दे तो इसको बिना कहते हैं।

१२. **मुदरिक** : जिसकी जमात में कोई रकअत नहीं छूटी।

१३. **नजासतेहक़ीक़ी** :- पेशाब पाखाना आदि।

१४. **नजासते हुकमी** : वह नज़र न आने वाली नापाकी जो वज़ू या स्नान से दूर

हो जाती है।

१५. **रुक्न** : नमाज़ के वे भाग जो फ़र्ज़ हैं।

१६. **लाहिक** : जो व्यक्ति जमात में सम्मिलित तो हुआ परन्तु उसकी कोई रक़अत छूट गयी है।

१७. **सुतरा** : उस वस्तु को कहते हैं जिस को नमाज़ पढ़ने वाला अपने सामने कर ले ताकि कोई गुज़रने वाला व्यक्ति उसके परे से गुज़रे।

१८**मुहाजात** यहाँ इस का अर्थ औरत के दायें बायें और औरत के सीध में पिछली सफ़ में खड़े होने से है।

हिन्दी भाषा में प्रकाशित पुस्तकें

1. क़ुरान शरीफ़ अनुवाद और व्याख्या (500.00)
2. माल्टा का क़ैदी (20.00)
3. इस्लाम धर्म के आधारभूत विश्वास (5.00)
4. आपत्तियों के कारण और उनका इलाज (5.00)
5. शारीरिक पवित्रता और नमाज़ के मसले (40.00)

जो पुस्तकें प्रेस में हैं

6. रोज़े के मसले
7. ज़कात के मसले
8. विवाह, तलाक के मसले
9. स्वतंत्रता सेनानी हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी

पत्र व्यवहार का पता

प्रबन्धक-

ब्रांच - मरकजुल मआरिफ़

मोहल्ला महल देवबन्द - 247554

सहारनपुर - उ.प्र. (भारत)

इस्लाम धर्म की आधार भूत पुस्तक का अनुवाद और व्याख्या

कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है। इस्लाम धर्म की आधार भूत पुस्तक है। भविष्य में सदैव के लिए मनुष्य की आत्मा की शांति और अल्लाह की समीमा प्राप्त करने का एक साधन है।

अब तक इसका अनुवाद और व्याख्या राष्ट्रभाषा हिन्दी में नहीं था जमीअत उलमा-ए-हिन्द ने प्रथम बार बड़े प्रयत्न और परिश्रम के पश्चात इसको दो खण्डों में लगभग सौलह सौ प्रष्ठों में बड़े उत्तम प्रबन्ध के साथ प्रकाशित किया है।

दोनों खण्डों का छूट के साथ मूल्य चार सौ पचास रुपये है।